

षोडश माला, खंड 13, अंक 4

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 2015
10 अग्रहायण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)



(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद-विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंग के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 13, छठा सत्र, 2015/1937 (शक)
अंक 4, मंगलवार, 01 दिसम्बर, 2015 / 10 अग्रहायण, 1937 (शक)

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
¹ * तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 23	17-44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 24 से 40	45
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460	

¹* किसी सदस्य के नाम पर अंकित- चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र	46-48
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
13वां से 16वां प्रतिवेदन	49
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
(1) 224वां प्रतिवेदन	50
(2) 225 और 226वां प्रतिवेदन	50
कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव के बारे में	51
नियम 377 के अधीन मामले	71-98
(एक) ताज एक्सप्रेस ट्रेन (आगरा-झांसी) का नाम लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस किए जाने की आवश्यकता	
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	71
(दो) बरवाडीह-चिरीमिरी रेललाइन परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील कुमार सिंह	72-73
(तीन) सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों में चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में भर्ती किए जाने संबंधी नए दिशानिर्देश बनाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती रक्षाताई खाडसे	74
(चार) बिहार के कैमूर जिले में भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर उर्वरकों के परिवहन के लिए रेक प्वाइंट बनाए जाने की आवश्यकता	

श्री छेदी पासवान

75

- (पाँच) उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों के किसानों को राहत धनराशि का पूरा भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्री भैरों प्रसाद मिश्र

76

- (छह) राजस्थान के जयपुर और अजमेर में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी अवसंरचना और शासन के विकास हेतु बकाया निधियों को जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

77-78

- (सात) पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषतया राज्य के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा बीज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री शरद त्रिपाठी

79

- (आठ) ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीती पाठक

80

- (नौ) सूखा प्रभावित राज्यों विशेषतया झारखंड में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने तथा उनके द्वारा लिए गए ऋण की वसूली पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम

81

- (दस) गुड़गांव, हरियाणा में खेड़की दौला से मानेसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर सर्विस रोड़ के निर्माण कार्य में तेजी

लाए जाने तथा भारी वाहनों के लिए दिल्ली और जयपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर एक अलग सड़क बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया

82

(ग्यारह) स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किए जाने तथा कृषकों को कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कृषि आयोग गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री नाना पटोले

83

(बारह) राजस्थान से एक सदस्य भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल कस्वां

84

(तेरह) एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत झारखंड के नक्सल प्रभावित दुमका, गोड्डा, देवघर, जामतारा, पाकुर और साहिबगंज जिलों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकान्त दुबे

85

(चौदह) झारखंड के बोकारो जिले में नक्सलवाद की समस्या पर काबू पाने के लिए पर्याप्त अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

86

(पंद्रह) न्यूनतम मजदूरी विनियमों के अनुसार मिड-डे मील वर्कर्स के मानदेय तथा वेतन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री डी.के. सुरेश

87

(सोलह) रबड़ बोर्ड का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने तथा देश में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एन्टोनी

88

(सत्रह) कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की हवाई पट्टी की मरम्मत/रिकार्पेंटिंग के कार्य में तेजी लाए जाने तथा एयर इंडिया की कालीकट-दिल्ली विमान सेवा को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

89

(अठारह) तमिलनाडु के सलेम में टैपियोका बोर्ड बनाए जाने तथा वहीं इसका मुख्यालय बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. सुन्दरम

90-91

(उन्नीस) तमिलनाडु में हुई भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. के. कामराज

92

(बीस) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शौचालय तथा पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना (नाग) डे

93

(इक्कीस) ओडिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत मेगा पेयजल परियोजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार जेना

94

(बाईस) महाराष्ट्र के लोनावाला में केन्द्रीय रेल संस्थान के भवन को हैरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिए जाने तथा इस भवन के परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे म्यूजियम स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 95

(तेईस) आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री केसिनेनी श्रीनिवास 96

(चौबीस) असम के पंचग्राम में हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कचार पेपर मिल इकाई का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता

श्री राधेश्याम बिश्वास 97

(पच्चीस) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु एक पेयजल परियोजना विकसित किए जाने की आवश्यकता

कुंवर हरिवंश सिंह 98

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में 99-342

श्री पी. कुमार 99-104

श्री गजानन कीर्तिकर 106-108

श्री जयदेव गल्ला	109-114
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	115-119
श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली	120-126
डॉ. सुभाष रामराव भामरे	126-127
श्री पी.सी. मोहन	128-129
श्री हुकुम सिंह	130-132
श्री राजीव सातव	133-136
श्री वाई. वी. सुब्बा रेड्डी	137-140
श्री सी.आर. चौधरी	141-143
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	144-147
श्री पी.पी. चौधरी	148-150
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	151-152
श्री मुकेश राजपूत	153-155
श्रीमती सुप्रिया सुले	156-162
श्रीमती बुत्ता रेणुका	163-164
श्री देवजी एम. पटेल	165-167
श्री धर्मेन्द्र यादव	168-173
कुमारी शोभा कारान्दलाजे	174-176

श्रीमती अपरूपा पोद्दार	177-179
श्री प्रेमसिंह चंदूमाजरा	180-183
कुमारी सुष्मिता देव	184-185
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	186-189
श्री पी. करूणाकरन	189-193
श्री पी. के. बिजु	194-196
श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान	197-198
श्री धर्म वीर गांधी	199-201
श्रीमती किरण खेर	201-211
श्री सुमेधानंद सरस्वती	213
श्री शरद त्रिपाठी	214
डॉ. रत्ना (नाग) डे	215
डॉ. किरीट सोमैया	216
श्री डी.के. सुरेश	217-218
श्री बी.एस. येदियुरप्पा	219-221
एडवोकेट जॉएस जॉर्ज	222-223
श्रीमती कोथापल्ली गीता	224-226
डॉ. शशि थरूर	227-229

श्री भैरों प्रसाद मिश्र	230-231
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	232-233
डॉ. वीरेन्द्र कुमार	234-236
श्री सुधीर गुप्ता	237-238
श्री आलोक संजर	239-241
प्रो. सुगत बोस	242-247
श्री केशव प्रसाद मौर्य	248-249
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	250-251
श्री राधेश्याम बिश्वास	251-253
डॉ. बूरा नरसैय्या गौड	254-256
श्री रोडमल नागर	257-258
श्री दुष्यंत सिंह चौटाला	259
श्री अजय मिश्रा टेनी	260-261
श्री ए. टी. नाना पाटील	262-264
श्री सुभाष पटेल	265
डॉ. यशवंत सिंह	266-267
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	268-269
श्रीमती अनुप्रिया पटेल	270-271

श्री किरेन रिजीजू	272-277
श्रीमती रमा देवी	278-280
श्री असादुद्दीन ओवैसी	281-283
श्री राहुल गांधी	284-292
कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल	295-296
डॉ. कुलमणि सामल	297-298
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा	299-300
श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी	301-305
श्री प्रह्लाद जोशी	305-310
श्री आर. ध्रुवनारायण	312-313
श्री कौशलेन्द्र कुमार	314
श्री सी. एन. जयदेवन	315
श्री एन के प्रेमचन्द्रन	316-318
श्री राजनाथ सिंह	319-342

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुकुमदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, दिसंबर 01, 2015 / 10 अग्रहायण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:-

श्री ई. अहमद ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के संबंध में नोटिस दिया है। हम अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सदन में चर्चा चल रही है।

श्री पी. करुणाकरन ने कीमतों में वृद्धि के संबंध में नोटिस दिया है।

प्रो. सौगत राय और प्रो. के.वी. थोमस ने पेरिस में अपने पाकिस्तान समकक्ष के साथ प्रधानमंत्री की बैठक पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिए हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिमी बंगाल में चाय श्रमिकों की भुखमरी से मौत के संबंध में नोटिस दिया है।

श्रीमती पी. के. श्रीमति टीचर ने भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के संबंध में नोटिस दिया है।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आगे की कार्यवाही में व्यवधान डालना उचित नहीं है। अन्य माध्यमों से भी मुद्दे उठाये जा सकते हैं। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इसे बाद में उठा सकते हैं। कल भी ऐसा हुआ है। यह बार-बार आता रहता है।

अब, प्रश्नकाला प्रश्न संख्या 21, कुमारी सुष्मिता देवा

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है? आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: केवल कुमारी सुष्मिता देव की टिप्पणी रिकॉर्ड में जाएगी। और कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... *

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे***प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

माननीय अध्यक्ष: अब प्रश्न सं. 21, कुमारी सुष्मिता देवा

(प्रश्न संख्या 21)

कुमारी सुष्मिता देव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे माननीय गृह मंत्री का उत्तर मिल गया है। यहाँ कहा गया है कि वर्ष 2014 में, 644 सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गई हैं; और वर्ष 2015 में, अक्टूबर के महीने तक, 650 सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। सांप्रदायिक हिंसा विधेयक में सांप्रदायिक हिंसा को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। [हिन्दी] 26 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि सैक्युलरिज्म का मतलब पंथनिरपेक्षता होना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि क्या गृह मंत्रालय कम्युनल वाएलेंस की परिभाषा में पंथ आधारित घटनाओं को इन्कलूड करता है या नहीं?

श्री किरेन रिजीजू : माननीय अध्यक्ष जी, मैं परिभाषा के बारे में यहां अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी पूरी चर्चा सदन में इस वक्त चल रही है। आज गृह मंत्री जी उसका विस्तार से जवाब देंगे लेकिन अभी हमारा कार्रवाई करने का तरीका उसी पर आधारित है जो कानून हमारे हाथ में है और जो कानून है, जो परिभाषा कम्युनल वॉयलेंस की दी गई है, उसी को ही हम मानते हैं कि यह कम्युनल वॉयलेंस है। इसकी परिभाषा बदलकर अलग से लाने का हमारे पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव: महोदया, हालांकि यह मुझे स्पष्ट नहीं है कि गृह मंत्रालय के अनुसार सांप्रदायिक हिंसा की परिभाषा क्या है, फिर भी मैं अपने दूसरे अनुपूरक के साथ आगे बढ़ूंगी।

प्रश्नों (ग) और (घ) के उत्तर में, यह कहा गया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों के पंजीकरण और अभियोजन की जिम्मेदारियां मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के पास हैं। यह एक सुस्थापित सिद्धांत है। मैं सराहना करती हूँ कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। [हिन्दी] लेकिन कल सदन में कहा गया कि 85 प्रतिशत साम्प्रदायिक घटना 7 राज्यों में है जिनमें नॉन-बीजेपी की सरकारें हैं जबकि मैं यह कहना चाहूंगी कि उन सात राज्यों में गुजरात और मध्य प्रदेश का नाम आता है जिसमें बीजेपी की सरकार थी। सवाल यह नहीं उठता कि किसकी सरकार है और किसकी सरकार नहीं है, सवाल यह है कि, [अनुवाद] अगले उत्तर में महोदय, आपने कहा है कि आपने राज्य सरकारों से विभिन्न रिकॉर्ड मंगाये हैं। मैं विशेष रूप से यह पूछना चाहती हूँ [हिन्दी] कि भारत सरकार की क्या भूमिका होती है, जब प्रतिवेदन मंगाई जाती हैं, क्योंकि विष्णु सहाई प्रतिवेदन ने स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के उन नेताओं का नाम लिया है जो मुजफ्फरनगर दंगों में शामिल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री किरें रिजीजू : मैडम, जब किसी भी राज्य में कोई घटना घटती है, उसको देखने की दो तरह की प्रक्रिया को हम लोग फोलो करते हैं। एक तो जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वह टोटली स्टेट सबजेक्ट है, उसमें राज्य को डिफाइन किया गया कि कैसे उसको संभालना है। जब कोई वॉयलेंस बड़ी नेचर का होता है, उसके गंभीर परिणाम होते हैं, या उसकी नेशनल सिक्योरिटी पर कुछ श्रेट है, इस तरह की कोई घटना होती है तो केन्द्र से गृह मंत्रालय उसमें इंवाल्व होते हैं। हम डायरेक्ट जाकर अपनी फोर्सेंज नहीं भेजते हैं, हम डायरेक्ट कार्रवाई नहीं करते हैं। उसमें राज्य सरकार से पहले हम पूछते हैं कि क्या घटना हुई और कैसे हुई? जब हमारे पास रिपोर्ट पहुंचती है, उसके बाद हमें नैसेसरी एडवाइजरी देना है या जो कार्रवाई है, वह हम उसके बाद करते

हैं और वह डिपेंड करता है कि सिचुएशन कितनी ग्रेव है। इसलिए यह डाइनेमिक सिचुएशन है कि हम क्या कदम उठाएंगे और वह हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास राज्य सरकार से रिपोर्ट नहीं आ जाती है।

दूसरे, जो बात हमारी माननीय सदस्य सुष्मिता देव जी ने कही है कि कुछ राज्य बीजेपी रूल्ड हैं और कुछ राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकारें हैं, जब कोई घटना घटती है तो किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार चल रही है, उस रूप से हम नहीं देखते हैं। इसलिए अब जैसे यू.पी. में घटना हुई, हम लोगों ने यह नहीं कहा कि यू.पी. में तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, इसलिए हम उसको अलग नज़र से देखते हैं। ऐसा हम कभी भी नहीं मानते हैं। घटना की गंभीरता को हम देखते हैं और एप्रोप्रिएट एक्शन भी हम लेते हैं।

[अनुवाद]

श्री रविन्द्र कुमार जेना : महोदया, आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो न केवल देश के लिए बल्कि व्यापक तौर पर दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है।

मैं सबसे पहले भारत के संविधान और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर पर चर्चा करने के लिए दो दिनों का विशेष सत्र बुलाने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी पार्टी के मुख्य सचेतक श्री तथागत सत्पथी ने यह विशेष सत्र बुलाने के लिए विचार दिया है।

यह कहते हुए कि, अब गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर आने वाले डेटा पर, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जनवरी से अक्टूबर, 2015 तक सांप्रदायिक हिंसा में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पिछले चार महीनों में ही 300 सांप्रदायिक घटनाएं हुईं, औसतन प्रति माह 75 या प्रति दिन ढाई सांप्रदायिक घटनाएं।

मैं अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25 का उल्लेख करना चाहूँगा। देश में सांप्रदायिक हिंसा की अवधारणा के संबंध में संविधान क्या प्रदान करता है? यही वह मूल प्रश्न है जिस पर हम आज बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 बहुत स्पष्ट है। यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध के बारे में है... (व्यवधान) अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के मुक्त व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार पर है। हमने कल विपक्ष और सत्ता पक्ष से सांप्रदायिक हिंसा के बारे में सुना है।

माननीय अध्यक्ष : कृपया प्रश्न रखें।

श्री रविन्द्र कुमार जेना: मैं उस पर आ रहा हूँ। कल, उस बहस के दौरान आरोप और प्रत्यारोप लगे थे। क्या देशवासियों को इसकी जरूरत है? माननीय गृह मंत्री कल वहां थे। उन्होंने सुझाव मांगे। महोदया, मैं इसे आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री के समक्ष अपना मुद्दा रख रहा हूँ। उसे ओडिशा आने दो। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बालासोर में, पी. एस. बहबलपुर में बगदा गाँव नामक एक जगह है। पिछले 70 वर्षों से, यह पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व कैसे हो सकता है। सभी मुस्लिम त्योहारों के लिए, हिंदू जश्न मना रहे हैं और वे अगुवाई कर रहे हैं और सभी हिंदू त्योहारों के लिए, मुसलमान नेतृत्व कर रहे हैं। यह पिछले 70 वर्षों से हो रहा है। ... (व्यवधान) देश को इसका पालन करना चाहिए। मैं गृह मंत्री को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे स्वयं आकर देखें और इसका प्रचार करें। दादरी एकमात्र मुद्दा नहीं है जिस पर सदन में चर्चा की जा सकती है। इस देश में अच्छी चीजें हो रही हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह सवाल नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? मुझे खेद है। यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। अगले, श्री योगी आदित्यानथा

श्री रविन्द्र कुमार जेना : गृह मंत्री से मेरा सवाल यही है।

माननीय अध्यक्ष: आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। यह पूरक पूछने का सही तरीका नहीं है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम. वैकैया नायडू): महोदया, मैं इस मुद्दे पर नहीं हूँ लेकिन मैं एक छोटा सा सुधार करूँगा। माननीय सदस्य ने अनजाने में कहा कि अम्बेडकर जयंती, संविधान दिवस मनाने का सुझाव मेरे मित्र श्री तथागत सत्पथी ने दिया था। श्री तथागत सत्पथी ने उस विचार का समर्थन किया लेकिन मूल सुझाव श्री भर्तृहरि महताब का था। यह केवल रिकॉर्ड के लिए है।

माननीय अध्यक्ष: यह सब ठीक है। माननीय मंत्री जी, श्री जेना द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया गया है। उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। आप जाकर देख सकते हैं।

श्री रवींद्र कुमार जेना: माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस देश में सांप्रदायिक हिंसा दोबारा न हो? यह मेरा विशिष्ट प्रश्न है।

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, सबसे पहले, मैं माननीय सदस्य द्वारा सुझाई गई जगह पर जरूर जाऊँगा लेकिन वास्तव में उन्होंने अभी तक कोई निमंत्रण नहीं दिया है।

सांप्रदायिक हिंसा के बारे में, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, यदि आप वर्ष 2013 के आंकड़े देखते हैं और अब, इस देश में सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है। माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख नहीं किया है। जैसा कि मैंने प्रश्न के पहले उत्तर में कहा है, कुछ घटनाएं हुईं ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप आगे बढ़ें। माननीय मंत्री के उत्तर के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। हर बार आप चुनाव लड़ते हैं। मुझे खेद है। माननीय मंत्री जी, आप इस पर आगे बढ़ें।

... (व्यवधान)...^{2*}

श्री किरेन रिजीजू: जिस घटना का हमने उल्लेख किया है वह सांप्रदायिक प्रकृति की है और इसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस वर्ष, 2015 में, अक्टूबर के महीने तक केवल चार सांप्रदायिक घटनाएं हैं। मैं

^{2*} कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यू.पी.ए. शासन के दौरान हुई सभी घटनाओं का हवाला देने के लिए दोबारा पीछे नहीं जाना चाहता। मैं इसमें नहीं जाऊंगा... (व्यवधान) चूँकि माननीय सदस्य ने यह कहा है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में, यह कम हो गया है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अभी उस पर आधारित आधे घंटे की चर्चा नहीं हो सकती है। आप बाद में इस पर नोटिस दे दीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... *

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लीजिए, बिना नोटिस आधे घंटे की चर्चा नहीं हो सकती है।

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदया, लोकतंत्र का आधार समता, न्याय और बंधुत्ता होती है। इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर समाज को बांटना अपने आप में महापाप है। मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि वर्ष 1970-71 में इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों के बारे में एक कमेटी गठित हुई थी। उस वर्ष देश में 90 सांप्रदायिक दंगे हुए थे और जब आंकड़े आए थे तो उनमें से 79 दंगे एक वर्ग विशेष द्वारा प्रायोजित किए गए थे। जब आंकड़े आये थे, तो उसमें से 89 दंगे एक वर्ग विशेष के द्वारा प्रायोजित किये गये थे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में 133 दंगे हुए थे और वर्ष 2015 में अक्तूबर तक 139 दंगे हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि कहीं कोई घटना होती है, तो अपराधियों के खिलाफ या दंगाइयों के

खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए स्थानीय प्रशासन कम्युनल वायलेंस के नाम पर बहुसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित करती है और उन्हें अनावश्यक असत्य मुकदमों में बंद करती है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार पिछले पाँच वर्षों के अंदर पूरे देश में हुए दंगों के लिए एक कमेटी गठित करेगी और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करके देश के सामने लाएगी ताकि पता चल सके कि इन दंगों के लिए वास्तव में कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनके चेहरों को समाज के सामने उजागर करने का प्रयास करेगी?... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मंत्री की प्रतिक्रिया के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... *

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप प्रश्न पूछ सकते हैं। रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

... (व्यवधान)... ^{3*}

श्री किरें रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, माननीय महंत आदित्य जी ने जो सवाल उठाये हैं, ... (व्यवधान) देश में बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, ... (व्यवधान) लेकिन कौन-सा कम्युनल है और कौन-सा कम्युनल नहीं है, इनमें से कुछ घटनाएँ राज्य सरकार के अधीन हैं और कुछ घटनाएँ रिपोर्ट के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास आती हैं। ... (व्यवधान) लेकिन वर्तमान में पिछले पाँच वर्ष की घटनाओं की जांच के लिए कमेटी के गठन के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही इस के बारे में कोई निर्णय करने जा रही है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

^{3*} कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)... *

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर: यहां तक कि प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम से पता चलता है कि सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए और उनके पुनर्वास के लिए त्वरित और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसी तरह सांप्रदायिक हिंसा विधेयक में भी कामगारों के मुआवजे के पैटर्न में मुआवजे के हिस्से का उल्लेख था। लेकिन इस पर कुछ नहीं किया गया है। मैं एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। हमारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता में ही पीड़ितों को मुआवजा मिलना एक जटिल और पेचीदा प्रक्रिया है। वहाँ कोई विनिर्देश नहीं है। हाल ही में, मैंने 'मधुबनी' डेली में केरल के मुख्य न्यायाधीश का एक लेख पढ़ा। उनका कहना है कि फ्रांस, रूस और जर्मनी जैसे देशों में पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने का प्रावधान है। साथ ही, उन्हें आपराधिक मामलों का आदेश सुनाया जाता है। मैं जो पूछ रहा हूँ वह यह है। पीड़ितों को आपराधिक मामले में निर्णय के साथ मुआवजा मिलना चाहिए। क्या सरकार उस पैटर्न में सुधार करने के लिए आगे आएगी जिससे पीड़ित को इस तरह की स्थिति में मुआवजा मिल सके?

श्री किरन रिजिजू: सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा देने के लिए हमारे पास पहले से ही प्रावधान हैं। दूसरे सुझाव के संबंध में, मुझे लगता है कि यह माननीय सदस्य का एक बहुत ही सकारात्मक सुझाव है।

प्रो. सौगत राय : मुझे पूरक पूछने के लिए धन्यवाद। मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सांप्रदायिक घटनाएं हैं, उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं; बंगाल में यह बहुत कम है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सांसद सत्ताधारी पार्टी के पास हैं। यह हमारी भावना है कि असहिष्णुता का यह माहौल जो सांप्रदायिक घटनाओं की ओर ले जाता है, राजनीतिक नेताओं के बयानों से प्रशंसित है। गोरखपुर के सांसद के बारे में, गाजियाबाद के सांसद के बारे में शिकायतें आई हैं... ..

माननीय अध्यक्ष: नहीं, यह तरीका नहीं है। आप प्रश्न पूछिए।

प्रो. सौगत राय:...^{4*} और अन्य भगवाधारी सांसद * ... (व्यवधान) कुछ शिकायतें मिली हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि देश में सौहार्द और सांप्रदायिक शांति का माहौल बनाने के लिए, क्या भारत सरकार सत्तारूढ़ दल के सांसदों और अन्य नेताओं द्वारा दिए गए असंयमित बयानों को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाएगी, जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं। ... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, माननीय सदस्य की ओर से कोई विशेष प्रश्न नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह उचित नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है, मालूम है सभी को। यह कोई तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: हर कोई सब कुछ जानता है। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: माननीय सदस्य बहुत सम्मानित सदस्य हैं और मैं अधिकांश समय उनसे सहमत होता हूं। लेकिन यहां मैं उनसे सहमत नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने एक ऐसी स्थिति का उल्लेख किया है जिसे मैं इस देश के कुछ वर्गों के लोगों द्वारा बनाए जा रहे असहिष्णुता के कृत्रिम वातावरण के रूप में वर्णित कर सकता हूँ।

[हिन्दी]

^{4*} कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि जिस-जिस जगह बीजेपी की प्रजेंस ज्यादा है, उन्ही स्टेट्स में ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं? उदाहरण के तौर पर बिहार में वर्ष 2014 में ऐसी इंसिडेंट्स की संख्या 61 थी और इस साल 59 है। उसी तरह गुजरात में पिछले साल 74 और इस साल 47 ऐसी घटनाएं हुई हैं। उसी तरह कर्नाटक में भी हुआ है... (व्यवधान) जिस-जिस जगह बीजेपी की प्रजेंस है, उसी स्टेट के बारे में मैं कह रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में नहीं है, केरल में नहीं है, अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए। आपका प्रश्न हो गया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, दूसरी चीज, कल लेखी जी ने कहा,... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, उस पर नहीं, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ये जो आंकड़े हैं, वर्ष 2014 से ऐसी इंसिडेंट्स कम हो गयी हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे [अनुवाद] यह पिछले साल 644 था और इस साल यह 650 हो गया है। तो यह बढ़ी, कम नहीं हुई और आप आंकड़े दे रहे हैं कि इस बार घटनाओं की संख्या में कमी आई है। यह वह आंकड़ा है जो आपने प्रस्तुत किया है।

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, मैं वर्ष 2013 से ही इस आंकड़े का उल्लेख कर रहा था क्योंकि हमारी सरकार वर्ष 2014 के बीच में ही सत्ता में आ गई थी; हमने वर्ष 2014 के पूरे वर्ष के लिए शासन नहीं किया था। इसीलिए, मैं यह स्पष्ट वक्तव्य दे रहा था। वर्ष 2015 में, जैसा कि मैंने कहा, संख्या थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन वर्ष 2013 की तुलना में, यह नीचे आ गया है। यही मैं कह रहा हूँ। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह पद्धति ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री किरिन रिजीजू : आपके लीडर ने सवाल पूछा है, आप लोग जवाब सुनिए...(व्यवधान) [अनुवाद] महोदया, खड़गे जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही है वह यह है कि जहां भी भाजपा का शासन है, वहां घटनाएं बढ़ी हैं। मुझे लगता है कि यह उस रिपोर्ट से मेल नहीं खाती है जो हमारे पास है। इसके अलावा, आप इसे राज्य सरकारों की जिम्मेदारी से कैसे दूर कर सकते हैं? क्या सांप्रदायिक घटनाओं को नियंत्रित करना सांसदों या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है? इसलिए, यह कहना उचित नहीं है कि जहां भी भाजपा का शासन है, वहां सांप्रदायिक घटनाएं अधिक होती हैं। मुझे लगता है कि विपक्षी दल के माननीय नेता की ओर से यह उचित टिप्पणी नहीं है।

(प्रश्न संख्या 22)

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: अध्यक्ष महोदया, प्रश्न के महत्व और आज के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता के अनुसार, कृषि और अंततः किसानों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारी वित्तीय नुकसान है जो आज किसानों को उठाना पड़ रहा है। इससे अंततः देश में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हो रही हैं जैसा कि हम आज देख रहे हैं। मेरा प्रश्न बहुत विशिष्ट रहा है लेकिन दुर्भाग्य से मंत्री जी का उत्तर सही नहीं है। मैंने देश में किसानों को हुए कुल नुकसान की जानकारी मांगी है। मुझे इसका उत्तर तो मिला नहीं; इसमें केवल उस राशि, सहायता का उल्लेख है जो दी गई है या दी जानी है।

महोदया, वे पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि आई.सी.ए.आर. और सी.आर.आई.डी.ए. ने देश के लगभग 572 जिलों का मानचित्रण किया है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। यहां तक कि परामर्श बैठकें भी चल रही हैं। आकस्मिक योजनाएं बनाई गई हैं जिन्हें तैयार किया गया है। लेकिन वास्तविक स्थिति, जमीनी हकीकत यह है कि जहां तक मंत्री ने उत्तर में जो बताया है, उसका कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है। कागज पर योजनाएं हो सकती हैं।

माननीय अध्यक्ष: आपका सवाल क्या है?

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: लेकिन, जैसा कि मैंने बताया, आत्महत्या करने वाले लोगों की बड़ी संख्या में मौतें जलवायु परिवर्तन और अभाव की स्थिति के कारण हो रही हैं। देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। अंततः किसान की स्थिति अस्त व्यस्त है। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, वहां कुछ भी लागू नहीं किया गया है।

मंत्री जी द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है जिसमें विभिन्न राज्यों को जारी की जाने वाली 'एन.डी.आर.एफ.' राशि का उल्लेख किया गया है। मैं विशेष रूप से यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि कई टीमें विशेष रूप से महाराष्ट्र गई हैं। मैं महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं उस राज्य से हूं। कई टीमें राज्य में जा चुकी हैं। लगभग चार से पांच बार टीमें जा चुकी हैं। उन्होंने स्थिति का आकलन किया है। यहां कुल धनराशि का भी उल्लेख

किया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने करीब रु. 4000 करोड़ राज्य सरकार को जारी करने को कहा है अब लगभग दिसंबर बीत चुका है और अभी तक भारत सरकार द्वारा आंकलित व्यय की कुल आवश्यकता शून्य है। यह दिखा रहा है कि किसी भी राशि का आकलन नहीं किया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि जब महाराष्ट्र राज्य में 3000 से अधिक लोग आत्महत्या कर रहे हैं और भारत की टीमों की सरकार पिछले छह महीने से लगातार वहां जा रही है, तो मंत्रालय इस मुद्दे पर चुप क्यों है? महाराष्ट्र में कमी के कारण उत्पन्न स्थिति से उबरने के लिए राज्य सरकार को पैसा कब जारी किया जाएगा?

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदया, हमने जो विवरण सभा पटल पर रखा है, उसमें माननीय सदस्य के प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया गया है। जहां तक आकस्मिक योजनाओं का प्रश्न है, यह हम राज्यों के सहयोग से बनाते हैं और उन्हीं के सहयोग से क्रियान्वित करते हैं। राज्यों के साथ निश्चित रूप से बैठके हुई हैं और राज्यों में हुई हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए हम राज्यों को देते हैं कि यदि सूखा इतने दिन है, वर्षा नहीं होती है तो कौन सी फसल, कौन सा बीज उपयोगी होगा, ये सारी योजनाएं सौ-सौ जिलों को उपलब्ध करायी गयी हैं। राज्यों के सहयोग से, कृषि विश्वविद्यालय और आईसीएआर के सहयोग से बनाया गया है। जहां तक महाराष्ट्र के सूखे का सवाल है, पिछली बार भी जब सूखा पड़ा था तो हमने भारी सहायता की थी और पूरे महाराष्ट्र के सभी दलों के सांसदों के साथ हमने बैठक की थी। आज तक के इतिहास में उतनी भारी सहायता कभी नहीं की गयी। इस बार सभी राज्यों को हमने स्वयं चाहे वह कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो सभी राज्यों से हमने बात की। कर्नाटक का सबसे पहले आया और वहां सबसे पहले टीम गयी। उन्होंने आकलन दिया और जो एचएलसी है, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी है, उसके माध्यम से 1500 करोड़ रुपये की राशि उनको उपलब्ध करा दी गयी है। महाराष्ट्र से टीम कल लौटकर आयी है। टीम में विभिन्न मंत्रालयों के सदस्य होते हैं। दो-तीन दिनों में उनकी बैठक होगी और उनकी अनुशंसा हाई लेवल कमेटी जो गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में

होती है, उसमें वित्त मंत्री और मैं भी सदस्य हूं। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि महाराष्ट्र को पूरी सहायता दी जाएगी।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: महोदया, यह बात सही है, खुद मंत्री जी ने यहां खुद कबूल किया है कि कोई भी राशि स्टेट को रिलीज नहीं की गई है। आज दिसम्बर माह चल रहा है और यह मामला जून, जुलाई से चल रहा है, इस तरह से छः महीने से भी ऊपर इस इश्यु को हो गये हैं। यह एक बहुत गम्भीर विषय है, क्योंकि तीन हजार से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है और मैं इस मामले में आपकी प्रोटैक्शन चाहता हूं कि जब इतने लोग आत्महत्या कर चुके हैं तो आपको पैसा जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए और मंत्री जी ने यह खुद कबूल किया है कि अब तक कोई पैसा रिलीज नहीं किया गया है।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि आज जवाब यह आ रहा है कि आईसीएआर, निकरा, एनएमएसए की जो स्कीम्स बनाई गई हैं, इनके तहत कुछ लांग टर्म मैजर्स की बातें यहां कही गई हैं। हमारा इसमें यह सुझाव है कि यह लांग टर्म मैजर्स वाला मामला नहीं है, आज देश में क्लाइमेटिक चेंजिज हो रहे हैं, आपको जो लांग टर्म मैजर्स करने हैं, वे जरूर कीजिए, जैसे हाई रेसिस्टेंस सीड्स देना है, खाद देना है, लांग टर्म मैजर्स में जो मामले आपके विचाराधीन हैं, वह आपको करना चाहिए, उसमें दो मत नहीं हैं। लेकिन आज जो इमिजिएटली करने की आवश्यकता है, पूरे भारतवर्ष में खास तौर से जिन राज्यों में सूखे की हालत बहुत गंभीर है, वहां जब तक आप कुछ इमिजिएट मैजर्स नहीं लेते हैं, तब तक वहां किसानों को राहत नहीं मिलने वाली है।

मेरा मंत्री जी से यह स्पेसिफिक सवाल है कि इन किसानों के जो ऋण हैं, जो पैसा उन्होंने बैंक्स से लिया हुआ है, क्या उनका कर्जा माफ करने के लिए सरकार कोई फैसला करेगी या नहीं करेगी, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने यहां से प्रारम्भ किया कि कोई सहायता सूखे की दृष्टि से अभी तक राज्यों को नहीं दी गई है। [हिन्दी] मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सभी राज्यों के पास राज्य आपदा कोष होता है और भारत सरकार की राशि उसमें रहती है। भारत सरकार उसमें राशि एडवांस में

देकर रखती है कि यदि कोई आपदा आए तो उसका इस्तेमाल तुरंत वह राज्य सरकार करे और यदि फिर आपदा की सीमा बढ़ती है तो वह विस्तार से एक मेमोरेंडम यहां दे, तब वहां एक टीम जाएगी, उसका आकलन होगा और तब एचएलसी के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा कोष से भी हम उन्हें सहायता करेंगे।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि राज्य आपदा कोष के मद में महाराष्ट्र को 2013-14 में 512 करोड़ रुपये दिये गये थे।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: मैं आपसे वर्ष 2015-16 की बात कह रहा हूं।

श्री राधा मोहन सिंह : मैं आपसे बता रहा हूं, आप पूरी बात सुनने का थोड़ा धैर्य रखिये। वर्ष 2013-14 में 512 करोड़ रुपये दिये गये और वर्ष 2014-15 में 538 करोड़ रुपये दिये गये और जो आप सुनना चाहते हैं, वर्ष 2015-16 में इस बार 1483 करोड़ रुपये का भारी आबंटन किया गया है और प्रथम किस्त रिलीज कर दी गई है।

श्री नारणभाई काछड़िया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज हमारे देश में मौसम बदलता है, तापमान, जल संसाधन में गिरावट, ओलावृष्टि, चक्रवात इत्यादि के कारण हमारा देश एक भयंकर संकट से जूझ रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला बढ़ रहा है। जिसके कारण हमारे कृषि क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि होने की बजाय उसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है और इसका सीधा असर हमारे देश के किसानों और जीडीपी पर पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज पूरे देश में जो काटन का कुल उत्पादन होता है, उसका तीस प्रतिशत उत्पादन अकेले गुजरात करता है और गुजरात में लगभग 29.50 लाख हैक्टेअर में काटन के बीज बोये जाते हैं। लेकिन आज किसान को फसल के सही दाम नहीं मिलने के कारण किसान बहुत मुश्किल में है और उन्हें बहुत बड़े नुकसान का भुगतान करना पड़ रहा है। इस प्रश्न के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों का एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो आप उसे 820 रुपये बीस किलो का दे रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में आप किसानों का काटन का सपोर्ट प्राइस बढ़ायेंगे या नहीं बढ़ायेंगे, क्योंकि

आज बीस किलो पर एक हजार रुपये से कम किसानों के घर में उसकी लागत नहीं पड़ती है, लेकिन आज किसानों को उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप काटन का एमएसपी बढ़ायेंगे, यदि हां तो कब तक बढ़ायेंगे?

श्री राधा मोहन सिंह : जहां तक गुजरात का सवाल है, वहां के बाजार में जो समर्थन मूल्य है, उससे आधिक दाम वहां के बाजार में हैं। फिर भी वस्त्र मंत्रालय से हमारी बात हुई थी। [अनुवाद] उनकी पूरी तैयारी है और राज्य सरकार से भी मेरी बात हुई है, राज्य सरकार भी कुछ अलग से बोनस देने का निर्णय करने वाली है।

[अनुवाद]

श्री सी. गोपालकृष्णन: माननीय अध्यक्ष, इससे पहले कि मैं अपना पूरक शुरू करूं, सबसे पहले मैं अपने क्रांतिकारी नेता, पुरात्वी थलाइवी अम्मा से प्रार्थना करता हूँ।

महोदया, तमिलनाडु में हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की गंभीरता को महसूस किया। हाल ही में तमिलनाडु में आई विनाशकारी वर्षा ने आम जनता को अनेक कठिनाइयों में डाल दिया। हमारी सक्षम नेता, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने पूरे प्रशासन को राहत कार्यों में जुटाने का निर्देश देकर इस स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला और 'अम्मा' ने कई लोगों की जान बचाई। फिर भी, इस वर्षा ने कई संपत्तियों, पशुधन, खेतों और कृषि भूमि को बुरी तरह नष्ट कर दिया।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, महोदया, क्या सरकार तमिलनाडु में हाल ही में हुई विनाशकारी वर्षा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है और नवंबर 2015 के बाद हुई व्यापक क्षति के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यों से सहायता प्रदान करती है।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, उस राज्य के अंदर शुरू में सूखे का थोड़ा सा प्रकोप था और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि सूखे पर कुछ मैमोरेण्डम आएगा और मैंने एक पत्र भी दिया था। लेकिन बाद में आतिवृष्टि के कारण वहां बाढ़ की तबाही से काफी नुकसान हुआ है और मुझे जहां तक जानकारी है कि बाढ़ के विषय में राज्य सरकार की ओर से गृह मंत्रालय के पास कुछ प्रक्रिया चल रही है, शायद कोई मैमोरेण्डम भी आया है। इस संबंध में पूरी जानकारी गृह मंत्रालय से प्राप्त हो सकेगी, चूंकि मामला अब सूखे से बाढ़ की ओर चला गया है।

[अनुवाद]

श्री थोटा नरसिंहम: मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए धन्यवाद, महोदया।

आजकल जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में बहुत महत्व प्राप्त कर रहा है।

हमने हाल ही में आंबटित भारी बारिश देखी है, जिसने हमारे तटीय जिलों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भी अधिकांश जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। कल भी भारी बारिश हुई थी। एक तरफ हम भारी बारिश से पीड़ित हैं और दूसरी तरफ सूखे के कारण हम पीड़ित हैं। उत्तराखंड में बाढ़, नेपाल में भूकंप और ये सब जलवायु परिवर्तन के उदाहरण हैं। इन्हें व्यापक रूप से और मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय के साथ निपटाया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री से मेरे विशिष्ट प्रश्न इस प्रकार हैं।

डॉ. स्वामीनाथन द्वारा परिकल्पित जलवायु स्मार्ट फसलों को अपनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

तमिलनाडु में चावल गहनता प्रणाली (एस.आर.आई.) का मेडागास्कर मॉडल कम पानी का उपयोग करके सर्वोत्तम परिणाम सूचित करता है। क्या सरकार इसे पूरे देश में बेहतर परिणाम के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति में शामिल करेगी?

पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी. . . (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको केवल एक पूरक प्रश्न पूछना है।

श्री थोटा नरसिंहम: कृपया मुझे एक और डालने की अनुमति दें।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री केवल एक अनुपूरक का उत्तर देंगे।

श्री थोटा नरसिंहम: महोदया, यूरिया पर अधिक सब्सिडी के कारण, निर्दोष गरीब किसानों ने अपने खेतों में यूरिया का उपयोग बढ़ा दिया, जो मिट्टी में विषाक्त पदार्थों को छोड़ देता है और बदले में उत्पादकता को प्रभावित करता है। सरकार को एन.पी.के. सब्सिडी को फिर से तैयार करने की जरूरत है। क्या सरकार एक व्यापक उर्वरक सब्सिडी नीति बनाएगी और टिकाऊ उत्पादकता के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को तर्कसंगत बनाएगी?

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, उर्वरक सहायता नीती के लिए हमारे उर्वरक मंत्री जी हैं और उनके साथ बैठ कर हम चर्चा करेंगे। जहां तक जलवायु परिवर्तन के कारण जो खेती पर चौतरफा संकट उपस्थित हुआ है, पिछले डेढ़-दो वर्षों के अंदर जो कंटीजेंसी प्लान बनाए हैं और उसके तहत जो संभावनाएं सामने आई है, तो इस दो वर्ष के अंदर धान की कई वैराइटीज भी निकली हैं और उसमें एक वैरायटी तो ऐसी है कि यदि बाढ़ है और 20 दिनों तक भी धान यदि पानी में डूबा है तो उसके बाद भी वह खराब नहीं होगा और दूसरा जो शॉर्ट ड्यूरेशन सीड्स हैं, इसके भी कई प्रकार के विस्तृत विवरण हम आपको भेजेंगे। नई-नई वैरायटियां इस बीच में आई हैं, जो जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना कर सकती हैं। [अनुवाद] पूरी सूची हम आपको भेज सकते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का मौका दिया है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि भारत के कृषि क्षेत्रों में भी ग्लोबल वार्मिंग

और कलाइमेट चेंजिस का काफी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने उस संबंध में कहा भी है कि हम कंटिजेंसी प्लान डिस्ट्रिक्ट वाइज़ बना रहे हैं। उन्होंने उत्तर में इसको भी स्वीकार किया है कि आठ राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के 180 जिले सूखे से बहुत ही प्रभावित हैं जिसके कारण किसानों की फसल की क्षति हो गई है। [हिन्दी] अब वे रबी की फसल की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इन 180 जिलों में अकेले उत्तर प्रदेश में 50 जिले सूखे से प्रभावित हैं, जिन्हें सूखाग्रस्त राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है और राज्य सरकार ने भेजा है कि सूखे से इतना नुकसान हुआ है, जो उन्होंने एक्सपेन्डिचर प्रोजेक्ट किया है, वह 2,057 करोड़ है।

मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जैसा अभी महाराष्ट्र के संबंध में उत्तर दिया है कि वहाँ टीम गई है, रिपोर्ट आ रही है, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, क्योंकि सितंबर में बारिश नहीं हुई और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब खेत खाली हो गया, अब रबी की बुआई हो रही है। अब अगर टीम वहाँ गई है तो वह कैसे असेसमेंट करेगी कि किसानों की जो क्षति हुई है, जो फसल का नुकसान है, उसका पैमाना क्या होगा, वह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले पांच वर्षों में उन्होंने राज्य में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से कितना पैसा दिया है? आप कह रहे हैं कि राज्यों में पैसा है, तो 675 करोड़ है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के समक्ष सूखे को लेकर बहुत ही भयंकर स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न हो गया है, पूरा भाषण नहीं देना है।

श्री राधा मोहन सिंह : राज्यों के पास भारत सरकार की ओर से राज्य आपदा कोष के अंदर राशि होती है और जब आपदा आती है तो राज्य सरकार अन्य मदों से भी पैसा निकालकर खर्च करने का काम करती है और लगभग हर सरकार इस काम को करती है। जब टीम जाती है, वह उसका आंकलन करती है और जो भरपाई और करना है, वे उसका हिसाब-किताब करते हैं। देरी से पैसा जाता है, इसके कारण से राहत का काम नहीं रूकता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने पिछले वर्ष 2014-15 में भी सूखे

के लिए 777 करोड़ रुपए दिए और जब भारी ओलावृष्टि हुई तो 1,447 करोड़ रुपए की राशि दी थी। इस बार भी टीम गई है। टीम आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी मदद की जाएगी, वहाँ के किसानों की पूरी मदद की जाएगी। जो भी नुकसान हुआ होगा, राष्ट्रीय आपदा कोष से निश्चित रूप से उसकी भरपाई होगी... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन: महोदया, मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से सहमत हूँ कि इस जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों और किसानों को नुकसान हुआ है। लेकिन साथ ही, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या हमारे देश में लगातार हो रहे इस जलवायु परिवर्तन के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। क्या इसकी वजह पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं या फिर पश्चिमी देश अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं जैसा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया है? लेकिन यह वास्तव में हमारे वायुमंडल और जलवायु को प्रभावित करता है।

तो, कार्बन उत्सर्जन को लेकर पश्चिमी देशों के रुख पर सरकार ने क्या रुख अपनाया है कि वे उत्सर्जन कम करने को तैयार नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, कार्बन उत्सर्जन के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इसमें हमारी सरकार का क्या स्टैंड है, इससे पूरी दुनिया परिचित है। पिछली बैठक में भी आपने देखा है और इस बार भी पेरिस के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमारा स्टैंड बहुत साफ है। जहाँ तक अध्ययन की बात है, किसानों का सवाल है कि कितना नुकसान होता है, तो जब हमने वर्ष 2007-08 में किसान नीति बनाई थी, तब उस समय हमारे सामने संकट नहीं था। अब उसको बने हुए आठ वर्ष हो गए हैं। हमारी यह कोशिश है कि कोई कमेटी बनाकर उसे रिव्यू करें। खेती पर यह जो चौतरफा संकट है, जिसमें जलवायु का संकट हमें ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इस दिशा में हम विचार कर रहे हैं कि कोई छोटी कमेटी बनाकर इसका निराकरण करें।

श्री शरद त्रिपाठी: महोदया, माननीय मंत्री जी के उत्तर के दौरान इतना तो तय हो चुका है कि जलवायु परिवर्तन का असर, विशेषकर भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की कृषि पर इसका विशेष प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में जबकि जलवायु परिवर्तन का असर भारत की खेती पर पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या हमारी सरकार कोई ठोस नीति बनाने जा रही है, विशेषकर दलहन और तिलहन के उत्पादन के बारे में बताइए?

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदया, दलहन और तिलहन का जहाँ तक सवाल है, हम सबको पता है कि इसका उत्पादन अपने देश में कम होता रहा है। [अनुवाद] मोदी सरकार आने के बाद पहला काम हमने यह उठाया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर जो राशि होती है, आधी राशि दलहन तिलहन का उत्पादन करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए हमने राज्यों को निर्देश जारी किया।

दूसरा, जो देश के अंदर कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, पहली बार हमने 300 कृषि विज्ञान केन्द्रों को दलहन की खेती के लिए और 200 कृषि विज्ञान केन्द्रों को तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए राशि दी है जो फ्रंट लाइन एक्सटेंशन का काम करेगा और राज्यों को पैसा दिया है कि फील्ड एक्सटेंशन के माध्यम से किसानों की सहायता करे।

माननीय अध्यक्ष : विनायक राउत जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, आप प्लीज़ बैठिए।

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, इस बार महाराष्ट्र के सारे जिलों में ज्यादा से ज्यादा अकाल की स्थिति निर्माण हुई है। दुर्भाग्य से पूरे देश में महाराष्ट्र के 15747 गांवों में महाराष्ट्र शासन ने दो मास पहले अकाल घोषित किया है। अभी दो दिन हमने सारे मराठवाड़ा में जाकर देखा, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ के किसानों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। अक्टूबर 2015 का अनाज अक्टूबर की 28-29 तारीख को वहाँ के लोगों को मिला।

किसानों को उनके कर्जों का पुनर्गठन वहाँ के बैंकों ने नहीं किया है। किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या का निर्माण हो चुका है। केन्द्रीय टीम कई बार सिर्फ जाती है, आती है, लेकिन महाराष्ट्र के इन जिलों में लोगों को सहायता नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा के लातूर, उस्मानाबाद, बीड़, जालना और बाकी जो जिले हैं जहाँ अकाल घोषित किया है, न क्षेत्रों के किसानों की मदद करने के लिए, फल उत्पादन करने वालों की मदद करने के लिए, केन्द्र शासन इसी हफ्ते में अपना निर्णय लेकर, उनकी क्या क्या और कौन सी मदद करेगी?

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पिछली बार जब सूखा पड़ा था तो हमने महाराष्ट्र की एन.डी.आर.एफ. से पर्याप्त सहायता की थी। इस बार तो जो एस.डी.आर.एफ. है, उसमें भी हमने राशि बढ़ाई है और एन.डी.आर.एफ. में भी जो रिपोर्ट आएगी तो मैंने उस समय भी बताया है कि पूरी सहायता वहाँ के किसानों को इस वर्ष भी की जाएगी और एरिया, तालुका, विलेज कौन से होंगे, वह जो मैमोरंडम राज्य सरकार की ओर से आया होगा, उस पर निर्भर करता है।

माननीय अध्यक्ष : बहुत सारे माननीय सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। सूखा, बाढ़, ये सब महत्वपूर्ण विषय हैं, मैं समझ रही हूँ इसलिए आप इस पर डिसकशन के लिए कोई मार्ग निकालिए, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सभी से संदर्भित यह विषय है।

वीरेन्द्र जी, इस पर आखिरी प्रश्न आप पूछिए। इसके बाद इस प्रश्न को समाप्त करेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इस पर चर्चा दे दूँगी, आप इसके लिए नोटिस दीजिए। मैं समझ पा रही हूँ कि बाढ़, सूखा, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैंने किसानों की तथा कृषि की समस्याओं के लिए बार-बार बहुत दिनों से चर्चा करते देखी है। लेकिन समस्या जहाँ की तहाँ रहती है। मैंने सरकार से उसकी समस्या के समाधान के लिए

और सहायता के लिए जो विषय जाना है, मैं आपके माध्यम से आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि कृषि विभाग और किसान के कल्याण विभाग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कृषि विभाग की कई समस्याएँ कई मंत्रालयों में बँटी हुई हैं। कुछ विभाग कृषि मंत्रालय का गृह मंत्रालय से है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी सवाल क्लाइमेट चेन्ज का है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मेरी पूरी बात सुन लीजिए, इसके बाद जो डायरेक्शन करना है, वह कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : ये बातें आप चर्चा में बोलिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : कुछ विभाग वित्त मंत्रालय से है, कुछ विभाग वाणिज्य मंत्रालय से है, कुछ विभाग उर्वरक मंत्रालय से है और जो बचता है वह राज्य सरकार को चला जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कृषि मंत्रालय रेल मंत्रालय की तरह मुकम्मल मंत्रालय क्यों नहीं बनता है? कृषि मंत्रालय का इनफ्रास्ट्रक्चर रेल मंत्रालय से हमारे देश में बढ़ा है तो कृषि मंत्रालय का बजट भी बढ़ा होना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह इस प्रश्न से संदर्भित नहीं है। आप बैठिये। आपके प्रश्न का क्लाइमेट चेन्ज से कोई संबंध नहीं है। इनका जो सवाल है कि विभिन्न मंत्रालयों से मेरे विभाग का सम्बन्ध है, हम समय-समय पर उन मंत्रालयों के साथ बैठते हैं, उनसे विचार-विमर्श करते हैं और हमारा उनके साथ पूरा समन्वय है। उस समन्वय के आधार पर कृषि राज्य विषय जरूर है, लेकिन राज्यों के साथ भी लगातार सम्पर्क में रहकर हम काम करते हैं और जहां तक रेल मंत्रालय की तरह कृषि मंत्रालय का सवाल है, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

(प्रश्न.23)

श्री परेश रावल: धन्यवाद मैडम, आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर ऑफ कैमीकल एण्ड फर्टीलाइज़र से जानना चाहूंगा कि भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में गत तीन सालों में यूरिया और अन्य फर्टीलाइज़र वितरित किया गया है और अगर किया गया है तो उसके बारे में जानकारी दी जाये? मैं मंत्रालय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या फसल बुवाई के समय यूरिया एवं अन्य फर्टीलाइज़र के वितरण में विलम्ब की जानकारी मिली है? यदि ऐसी जानकारी मिली है तो भी प्रोवाइड की जाये।

श्री अनन्तकुमार: माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा, उन पूरे प्रश्नों का लिखित जवाब उनके समक्ष हम दे चुके हैं।

श्री परेश रावल : ज्यादातर फर्टीलाइज़र की डिमांड में हिसाब से कम सप्लाई हुई है तो मंत्रालय से यह भी जानना चाहेंगे कि फर्टीलाइज़र उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आयोजन किया गया है, क्योंकि बारिश भेजने वाले तो भगवान होते हैं, लेकिन फर्टीलाइज़र टाइम पर पहुंचे, वह तो गवर्नमेंट कर सकती है।

श्री अनन्तकुमार: अध्यक्ष जी, पिछले कई सालों में हर बार यूरिया की कमी होती थी, लेकिन पिछले साल एक साल में हमने कई ऐसी शुरुआत कीं, इनीशिएटिव्स किये। नम्बर-1, इस साल हमने यूरिया की प्री-पोजीशनिंग कर दी, यानि सभी मुख्यमंत्रियों को हमने दो बार पत्र लिखा, वहां के कृषि अधिकारियों को भी हमने पत्र लिखा, हमारे सचिव के द्वारा भी हमने पत्र लिखवाये और बार-बार रिमाइंडर्स डालकर के उनको कहा कि हम आपको जनवरी, फरवरी और मार्च में, जो लीन पीरियड होता है, तब हम आपको यूरिया दे देंगे, आप प्री-पोजीशनिंग करो। इसलिए पहली बार भारत में आज के दिन में 22 लाख मीट्रिक टन का यूरिया का प्री-पोजीशनिंग हो गया। इसके कारण इस बार यूरिया की कमी या किसी फर्टीलाइज़र की कमी किसी प्रदेश में नहीं है। उसके लिए हमने मोदी सरकार में एक नई पहल भी नीम कोटिंग ऑफ यूरिया, यानि नीम लेपित यूरिया शुरू की, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज के दिन में एक दिसम्बर को जो यूरिया हम 320 लाख मीट्रिक टन

इस्तेमाल करते हैं, पूरा 320 लाख मीट्रिक टन का नीम लेपित आज सम्पन्न हो चुका है, यह कहते हुए मुझे बहुत खुशी है। जो इम्पोर्ट होता है, उस इम्पोर्टेड यूरिया का भी आज के दिन में नीम कोटिंग हो रहा है। नीम कोटिंग के कारण 10 परसेंट कम खपत होती है और 10 परसेंट ज्यादा पैदावार होती है। जो डाइवर्शन होता था, पेंट इंडस्ट्री में, प्लाइवुड इंडस्ट्री में और डाईज़ में, वह सारा डाइवर्शन हमने इससे पहले से रोक दिया है। एक खुशी की बात है कि जो न्यू यूरिया पॉलिसी हम पांच साल के लिए लेकर आये हैं, उस न्यू यूरिया पॉलिसी के तहत हमने इंसेंटिक्स दिये हैं, इनर्जी एफीसिएंसी के लिए हमने इंसेंटिक्स दिये हैं, गैस प्राइस पूलिंग किया है, इन सारे कारणों के कारण पिछले साल हम 225 लाख मीट्रिक टन इंडीजिनस यूरिया हमने बनाया था, इस बार 20 लाख टन आतिरिक्त यूरिया पूरे देश में बनने वाला है। इन सारे हमारे उपक्रमों के कारण यूरिया की कोई कमी आज के दिन में नहीं है और आने वाले दिनों में भी नहीं रहेगी और ऐसे हम कई रिवाइवल कर रहे हैं, यानि गोरखपुर का कर रहे हैं, बरौनी का कर रहे हैं, सिंदरी का कर रहे हैं, नामरूप का कर रहे हैं, तालचेर का और रामगुंडम का कर रहे हैं।

उसके साथ-साथ नांगल से लेकर मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी नया फर्टिलाइज़र कारखाना शुरू करने का हमने निर्णय लिया है। इन सारे निर्णयों के कारण आने वाले दिनों में भारत यूरिया डेफिसिट देश नहीं रहेगा। मोदी जी के 'मेक-इन-इंडिया' इनिशिएटिव के कारण भारत यूरिया सरप्लस देश बनेगा और हम यूरिया इम्पोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम यूरिया एक्सपोर्ट करने वाले हैं।

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा: अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी से सवाल है कि क्या सरकार ने वर्ष 2015 में गुजरात के किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक यूरिया सप्लाई की है? यदि सप्लाई की है, तो उसकी जिलेवार जानकारी दें। आने वाले वर्ष 2016 में गुजरात के किसानों को समय पर यूरिया और अन्य फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो, इसके लिए मंत्रालय द्वारा कोई आयोजन या कोई परमानेंट सिस्टम अगर बनाया गया है तो उसकी जानकारी दें।

अभी-अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ विदेश में जॉर्डन जाने का अवसर मिला। जॉर्डन में महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों जिफको प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसमें 52% हिस्सा भारत के इफको का है। इसके चलते आने वाले दिनों में भारत और भारत के किसानों को इसका क्या फायदा मिलेगा, यह भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष जी, गुजरात में यूरिया हो, डी.ए.पी. हो, एम.ओ.पी. हो, एन.पी.के. फर्टिलाइजर हो, सभी की हमने वहां जरूरत से ज्यादा सप्लाई की है। मैं एक ही आंकड़ा यूरिया के संबंध में दूंगा। वहां 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खरीद हुई है, लेकिन हमने वहां 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया मुहैया किया है। इसी तरह, डी.ए.पी., एम.ओ.पी. और एन.पी.के. फर्टिलाइजर्स को भी हमने ज्यादा मात्रा में मुहैया किया है।

माननीय सदस्य ने इफको के नए प्लांट के बारे में प्रश्न पूछा है, तो वहां गैस-ग्रिड और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी स्थिति को देखकर और गुजरात सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके हम उसके बारे में निर्णय लेंगे।

[अनुवाद]

श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी: मुझे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के समक्ष पूरक प्रश्न उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद महोदया।

उर्वरक का अर्थ केवल रासायनिक उर्वरक नहीं होता। जैव उर्वरक न केवल पौधों और पशुओं के लिए लाभकारी हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी हितकारी हैं, क्योंकि यूरिया या तो आयात किया जाता है या फिर आयातित पेट्रोलियम उत्पादों से बनाया जाता है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे जैव उर्वरक को उर्वरक के रूप में मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि यदि इसे उर्वरक के रूप में चिह्नित नहीं किया गया तो यह गलत प्रस्तुति मानी जाएगी और लोग जेल भी जा सकते हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार रासायनिक उर्वरकों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने और जैव उर्वरकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या सरकार जैव उर्वरकों के उपयोग और प्रोत्साहन के लिए यूरिया मूल्य निर्धारण की तर्ज पर कोई अलग नीति बनाने की योजना रखती है?

श्री अनंत कुमार : हमने पहले ही इस संबंध में पहल की है। 'कचरे से खाद बनाना' माननीय प्रधान मंत्री मोदी का दृष्टिकोण है। इस परियोजना के तहत हमने शहरी विकास मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लिया है कि जिस भी शहर में कचरा होगा, उसे खाद में बदला जाएगा। वह खाद किसानों को खेती के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

आज की तारीख में प्रति टन यूरिया पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) रु. 5360 है। यदि प्रति टन खाद रु. 5500 या रु. 6000 होगी तो किसान इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए, खाद को उपयोगी बनाने के लिए मेरे मंत्रालय की ओर से एक प्रस्ताव है और एक कैबिनेट नोट प्रचलन में है कि हमें खाद पर भी सब्सिडी देनी चाहिए।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय निश्चित रूप से जैविक उर्वरकों और जैव-उर्वरक को मान्यता देता है। हम संतुलित निषेचन के पक्षधर हैं। इसलिए इसके एवज में अगर जैविक खाद पर सब्सिडी देने की जरूरत पड़ी तो भारत सरकार इसके लिए तैयार है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदया, यहां मंत्री जी ने जवाब दिया कि पिछले सालों में हरियाणा में 1,010 मिलियन मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड थी और 1,187 मिलियन मीट्रिक टन वहां पहुंची। आप लोगों ने भी देखा था कि थाने में लाइन में खड़े होकर लोगों को, महिलाओं को भी यूरिया लेनी पड़ी। इस विषय में मंत्री जी

से कई बार चर्चा हुई। मंत्री जी कहते हैं कि रैक उतरते हैं, मगर कहीं न कहीं फर्टिलाइजर खेतों में पहुंचने के बजाय फैक्ट्रियों में जाते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कोई एडवाइजरी प्रदेश सरकार को जारी की है कि यूरिया जो प्रदेश में पहुंचती है, वह किसान के खेत में पहुंचे, न कि फैक्ट्रियों में जाकर किसी और उपयोग में आए?

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष जी, पिछले साल तक यह हालत थी। आज के दिन में यह स्थिति नहीं है, क्योंकि नीम कोटिंग के कारण उस यूरिया का कोई डायवर्सन नहीं कर सकता है। यदि वह डायवर्सन करके पेंट में इस्तेमाल करेगा, प्लाईवुड में, डैश बोर्ड या पॉलीयूरिथीन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करेगा, तो वह सेट नहीं होगा। इसलिए जो यूरिया सरकार किसानों को मुहैया करा रही है, वह किसानों को ही मिल रही है। इस बार दस लाख मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट हरियाणा से थी, जबकि 11 लाख 10 हजार मीट्रिक हमने मुहैया कराया है।

5* प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 24 से 40
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460)

^{5*} प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।

<https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.02 बजे**सभा पटल पर रखे गए पत्र**

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे - श्री राम विलास पासवान।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं आवश्यक वस्तु आधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों पर (अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध) निराकरण दूसरा संशोधन) आदेश, 2015, जो 28 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का0आ02642(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों पर (अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध) निराकरण (संशोधन) आदेश, 2015, जो 18 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का0आ02857(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3211/16/15]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3212/16/15]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) ऑफिस ऑफ दि चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद् डिस्एबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) ऑफिस ऑफ दि चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद् डिस्एबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों पर ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3213/16/15]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3214/16/15]

(2) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त और विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त और विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3215/16/15]

अपराह्न 12.03 बजे**रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति****13 वां से 16 वां प्रतिवेदन**

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): महोदया, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों वर्ष (2015-16) के बारे में छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।
 - (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।
 - (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'जन औषधि योजना' विषय पर चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।
 - (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।
-

अपराह्न 12.03 1/4 घंटे**परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति****(1) 224^{वां} प्रतिवेदन**

[हिन्दी]

श्रीमती आर्पिता घोष (बालूरघाट) : महोदया, मैं वाणिज्यिक पोत-परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 224वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

(2) 225^{वां} और 226^{वां} प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती अर्पिता घोष (बालूरघाट): महोदया, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 218वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 225वां प्रतिवेदन।

(2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 219वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 226वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 1/2 घंटे

कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन पर प्रस्ताव

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

[अनुवाद] "कि यह सभा 30 नवम्बर, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद] माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 30 नवम्बर, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब, 'शून्य काल' - श्री मुकेश राजपुत।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुकेश राजपूत (फरुखाबाद) : अध्यक्ष महोदया, आज आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान) भारत कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में दालों की बहुत बड़ी समस्या है। रोज समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात होता है कि दाल 200 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। आज दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। हमारे देश का अन्नदाता दलहन उत्पादन नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। किसानों की दलहन की फसल की आधिक से आधिक दाम 20 रुपये से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में मिलते हैं, हमारा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि यदि भारत सरकार दाल के दाम 60 रुपये से 70 रुपये प्रति किलो कर दे तो हमारे देश के किसान दाल का उत्पादन ज्यादा करेंगे और हमारे देश में दाल का उत्पादन ज्यादा होगा। जो पैसा हमारे देश से बाहर जाता है, हमें दाल आयात करनी पड़ती है, इससे हमारे देश के किसान मजबूत होंगे और देश का पैसा बाहर नहीं जायेगा, यह ज्यादा सही होगा। हमारा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, श्री शिवकुमार उदासि, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री पी.पी.चौधरी को श्री मुकेश राजपूत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने अपने संसदीय क्षेत्र की एक समस्या रखना चाहता हूँ। राजस्थान प्रदेश का खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है, चाहे वह तीरंदाजी हो, बास्केट बॉल या अन्य खेल हों, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश में एक खेल विश्वविद्यालय की बहुत महती आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि खेल को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे प्रदेश में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सी.आर.चौधरी को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री एम. बी. राजेश (पालक्काड़): महोदया, मैं आपके माध्यम से भारतीय रेलवे के संशोधित टिकट वापसी नियमों के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मैं स्वीकार करता हूँ कि इन बदले हुए नियमों में कुछ सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन अभी भी कई नकारात्मक पहलू हैं और सभी सांसदों को रद्दीकरण शुल्क में अत्यधिक वृद्धि के संबंध में यात्रियों से बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। आरक्षित टिकटों के मामले में, पहले हम ट्रेन के स्टेशन से जाने के बाद भी टिकट रद्द कर सकते थे, लेकिन संशोधित नियमों के अनुसार तीन स्लैब हैं और अंतिम स्लैब चार घंटे से कम समय में रद्द करना है। आखिरी स्लैब के अनुसार टिकट रद्द करने का चार्ज लगभग दोगुना कर दिया गया है और लगभग पूरा टिकट किराया रद्द करने के चार्ज के तौर पर लिया जाएगा। इसलिए, इससे यात्रियों को बड़ी कठिनाई और समस्या हुई है, और हमें यात्रियों से हर दिन सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं। रद्दीकरण शुल्क को दोगुना करना यात्रियों के शोषण के अलावा और कुछ नहीं है, और इससे रेल यात्रियों के लिए 'अच्छे दिन' नहीं आएंगे।

इसलिए, मैं सरकार और माननीय मंत्री से इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने का अनुरोध करता हूँ; रद्दीकरण शुल्क कम करें; और पुराने रद्दीकरण शुल्क को बहाल किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय महोदया।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, कृपया मुझे इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, क्या आप संबद्ध करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हां, श्री के.सी. वेणुगोपाल श्री एम.बी. राजेश द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राजीव सातव, श्रीमती पी.के. श्रीमथी टीचर, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री पी.के. बीजू, एडवोकेट जॉएस जॉर्ज, और श्री पी.पी. चौधरी को श्री एम.बी. राजेश द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): अध्यक्ष महोदया, राजस्थान में उदयपुर शहर है। मैं उदयपुर लोक सभा संसदीय क्षेत्र से निवारचित हो कर आया हूं। उदयपुर ऐतिहासिक दृष्टि से महाराणा प्रताप और राणा पुंजा की जन्म और कर्मस्थली रही है। उदयपुर के तीनों ओर झीलें हैं। उसे झीलों का शहर और झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर लगभग पांच लाख की आबादी वाला शहर है। नेशनल हाइवे - 8 दिल्ली से मुंबई तक जाती है, जो उदयपुर शहर के मध्य से होकर गुजरती है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मुख्य सड़क एनएच-8 है, जो भुआना से लेकर वाया डेबारी और काया को बाईपास रोड के रूप में पीपीपी मोड में स्वीकृत कराने के लिए सरकार से मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री वी. एलुमलाई (अरानी): अध्यक्ष महोदया, मुझे 'शून्य काल' के दौरान तत्काल जनहित के मामले को उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने 03/06/2014 को माननीय प्रधान मंत्री के साथ एक बैठक की और कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका से वापस लाने और श्रीलंकाई नौसेना कर्मियों द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की लगातार हो रही गिरफ्तारी को रोकने पर जोर दिया। लेकिन बार-बार श्रीलंका नौसेना और श्रीलंका की सरकार तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार करने में शामिल है। दिनांक 29/11/2015 को, नेदुन्तीवु के पास बक चालुचंडी पर मछली पकड़ने वाले आठ मछुआरों को गिरफ्तार किया गया, जो हमारे अपने समुद्री क्षेत्र में हैं।

पहले से ही 29 तमिल मछुआरे श्रीलंका की जेल में थे। यह दिन-प्रतिदिन हो रहा है। गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की सुरक्षित रिहाई और उनकी जब्त मछली पकड़ने वाली नौकाओं की बरामदगी सुनिश्चित करने के लिए कुल 37 मछुआरों और 53 नौकाओं का उपयोग किया गया है। यह वर्ष 1974 और वर्ष 1976 के समझौतों के तहत है कि कच्चाथीवू को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया है। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. अम्मा ने इस पहल की सराहना की है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री से आग्रह करूंगा कि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए और श्रीलंका से कच्चाथीवू को वापस लाना चाहिए। कच्चाथीवू हमारे क्षेत्र का हिस्सा होना चाहिए जैसा कि यह पहले था। मैं केंद्र सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री अम्मा की मांग के अनुसार प्रति वर्ष रु. 10 करोड़ आबंटित करके और रु. 1520 करोड़ के कुल परियोजना परियोजना के साथ भारतीय तट के साथ मछली पकड़ने के क्षेत्रों को गहरा किया जाए ताकि विशेषकर तमिलनाडु के हजारों भारतीय मछुआरों की आजीविका सुरक्षित रहे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री वी.एलुमलाई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदया, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट की परियोजनाएं पहले भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलती थीं। विभिन्न प्रांतों में बहुत सारी योजनाएं इस स्कीम के अंतर्गत शुरू हुई थीं। हमारे राजस्थान में भी कुल मिलाकर 37 परियोजनाएं इस स्कीम के अंतर्गत सैंक्शन हुईं और चालू हुईं। उन परियोजनाओं को 80 प्रतिशत फंडिंग उस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती थी, 10 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट देती थी और बची हुई 10 प्रतिशत राशि स्थानीय निकाय को देनी होती थी। पिछली सरकार के समय कुल मिलाकर ऐसी 37 परियोजनाएं राजस्थान में सैंक्शन हुईं जिनकी कुल लागत 609 करोड़ रुपये थी। ठीक इसी तरह जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण के प्रोग्राम के तहत पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ऐसी तीन परियोजनाएं राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और अजमेर में शुरू हुईं [अनुवाद] जो आधी परियोजनाएं हो चुकी थीं, स्टेट गवर्नमेंट अपनी राशि लगा चुकी है, निकाय भी लगा चुकी है, केन्द्र सरकार पहली किश्त की राशि दे चुकी थी, लेकिन वर्तमान में जो अमृत योजना को लिंक कर दिया गया है, उसके कारण स्थानीय निकाय पर प्रदेशभर में लॉयबिलिटीज खड़ी हो गईं और सारे प्रोग्राम बीच में रुके हुए हैं। [हिन्दी] भारत सरकार ने तय कर दिया है कि अब हम अमृत योजना के फंडिंग पैटर्न के अनुरूप केवल 10 प्रतिशत राशि ही उन निकायों को देंगे। यदि 10 प्रतिशत निकायों को राशि दी जाएगी तो न तो वे योजनाएं पूरी हो पाएंगी और जिस मोटिव के साथ हम शहरों का विकास करना चाहते हैं, न ही वह मोटिव पूरा हो पाएगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार इसकी पुनःसमीक्षा की जानी चाहिए। राजस्थान और राजस्थान जैसे अन्य प्रदेशों में इस निर्णय को बदलने के कारण जिस तरह की लॉयबिलिटी खड़ी हो गई है, एक बार जो लॉयबिलिटीज खड़ी हैं, उन्हें पूरा कर दिया जाए, उसके बाद अमृत के फंडिंग पैटर्न के हिसाब से यदि काम किया जाएगा तो स्थानीय निकायों को शहरों के संसाधनों के सुदृढ़ीकरण में आसानी होगी और सहूलियत भी होगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, श्री पी.पी.चौधरी, श्री सी.आर.चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुँवर पुपेन्द्र सिंह चन्देल, और श्री अर्जुन लाल मीणा को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र बक्सर, शाहबाद सहित बिहार के विभिन्न जिले जहां धान की आधिकतम पैदावार होती है, वहां के किसानों के साथ राज्य सरकार के सौतेले रवैये के कारण धान क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है। पिछले एक माह से धान की फसल की कटाई शुरू हो गई है किन्तु अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई भी धान क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह राज्य का मामला है।

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे : नहीं महोदया। हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर में पिछले दिनों किसानों की महापंचायत लगी थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था। जब प्रत्येक पंचायत में मतदान केन्द्र हो सकते हैं तो धान क्रय केन्द्र क्यों नहीं हो सकता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र बक्सर, शाहबाद सहित बिहार के विभिन्न जिले जहां धान की आधिकतम पैदावार होती है, वहां के किसानों के साथ राज्य सरकार के सौतेले रवैये के कारण धान क्रय केन्द्र नहीं खुल पाया है। पिछले एक माह से धान की फसल की कटाई शुरू हो गई है, किन्तु अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई भी धान क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है...(व्यवधान) हमारे संसदीय क्षेत्र दिनारा (सासाराम) में विगत 22 नवम्बर, 2015 को हम लोगों ने धान क्रय हेतु किसान महापंचायत लगाई थी, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी पंचायतों में यदि मतदान केन्द्र हो सकते हैं तो किसानों के हित में धान क्रय केन्द्र क्यों नहीं खोले जा सकते हैं? किसानों के हित में यह काम आवश्यक है, पिछले वर्ष का भी भुगतान राज्य सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, जिससे किसान आत्महत्या, भूखमरी एवं बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, बिचौलियों के द्वारा धान को औने-पौने दाम पर क्रय किया जा रहा है। किसानों के धान का समर्थन

मूल्य पिछले वर्ष का करीब 200 करोड़ रुपये का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अभी तक डीजल अनुदान राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है। बिहार राज्य को छोड़कर सभी राज्य जहां धान की फसल आधिक होती है, वहां राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार की समुचित व्यवस्था की गई है लेकिन बिहार सरकार अभी भी कुंभकरणी निंद्रा में सोई हुई है। किसान तड़प-तड़प कर मर रहे हैं और राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के विभिन्न जिलों में पंचायत स्तर पर धान क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जाए, साथ ही पिछले वर्ष के बकाये राशि का भी भुगतान किया जाए और भंडारण की समुचित व्यवस्था की जाए। हाल में बिहार सरकार ने प्रति किसान के लिए 100 क्विंटल धान क्रय करने की व्यवस्था की है जो सर्वथा अनुचित है। किसानों के लिए उनके ऊपज के आधार पर धान क्रय करना सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 300 रुपये बोनस के बदले 500 रुपये प्रति क्विंटल निधाररित करना चाहिए चाहिए। [अनुवाद] साथ ही, केंद्र सरकार को भी बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए धान/रबी के समर्थन मूल्य को बढ़ाने हेतु गंभीरता से विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री भरोण प्रसाद मिश्रा को श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबंध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मृत्युदंड को समाप्त करने की आवश्यकता को शून्यकाल के तहत उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मृत्युदंड को निवारण के एक प्रभावी साधन के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। पिछले 30 वर्षों के आँकड़े बताते हैं कि मृत्युदंड की सजा की संख्या और अपराधों की रोकथाम के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में, लोगों को फांसी देना अपराध को रोकता नहीं है।

विधि आयोग ने भी मृत्युदंड पर अपने पूर्ववर्ती अवलोकन को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, भारत में 'दुर्लभतम मामलों' की अवधारणा के तहत मृत्युदंड के प्रयोग ने विषयात्मकता और पक्षपात की संभावना को

खुला रखा है, जो कि किसी इंसान की जान लेने के लिए एक चिंताजनक आधार है। राज्य को हत्याओं के स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के 70 से अधिक सदस्य देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है और लगभग 25 प्रतिशत देशों ने पिछले 10 वर्षों से इसका प्रयोग नहीं किया है। यह दंड हमारे देश में मुख्य रूप से वंचित और हाशिये पर खड़े तबकों को प्रभावित करता है, जो कि एक मजबूत लोकतंत्र में एक विकृति है।

मैं देख रहा हूँ कि गृह राज्य मंत्री महोदय भी सदन में उपस्थित हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मृत्युदंड को समाप्त करने का एक प्रावधान लाया जाए और उसकी जगह निवारक तथा सुधारात्मक न्याय प्रणाली को सशक्त किया जाए। यही वह एकमात्र रास्ता है जिससे हम महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुरूप अपने समाज का निर्माण कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष: श्री दुष्यंत चौटाला, एडवोकेट जॉएस जॉर्ज और श्री शिवकुमार उदासी को डॉ. शशि थरूर द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती वीणा देवी (मुंगेर): महोदया, मैं बिहार राज्य में कम वर्षा के कारण किसानों द्वारा खेती का कार्य नहीं कर पाने की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मोकामा-बड़हिया टाल क्षेत्र के किसान साल में एक ही फसल दलहन का पैदावार कर पाते हैं, इस साल कम वर्षा के कारण बाढ़ का पानी भी नहीं आया जिससे टाल क्षेत्र में दलहन की खेती नहीं हो पाई है क्योंकि इस टाल क्षेत्र में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार राज्य के पटना ग्रामीण, लखीसराय, नालन्दा, जमुई, शेखपुरा, नवादा, गया सहित 7-8 जिला आधिक सुखा प्रभावित है। बिहार राज्य के किसान बहुत परेशान और आत्महत्या के कगार पर है।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करती हूँ कि बिहार राज्य को सुखाड़ घोषित कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को जो ट्रेन सेवा से संबंधित है उठाने का मौका दिया। रांची से जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलती है, रांची बोकारो धनबाद होते हुए मिथिलांचल जाने वाली यह एकमात्र ट्रेन है। रांची-बोकारो-धनबाद में मिथिलांचल के लाखों लोग रहते हैं वहाँ बराबर आना-जाना किया करते हैं लेकिन धनबाद से आने की बहुत दिक्कत है इसलिए जिस दिन से ट्रेन शुरू हुई है इस ट्रेन को प्रति चलाया जाए। अतः माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि रांची-जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में दिन के स्थान पर प्रति चलाए जाने की व्यवस्था की जाए जिससे रांची-बोकारो-धनबाद में रहने वाले लाखों लोग मिथिलांचल के ट्रेन का पूर्ण लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री रवींद्र कुमार पांडे को श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री आर. पी. मरुथराजा (परम्बलूर): सबसे पहले, मैं माननीय अध्यक्ष महोदया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित सदन में अपने निर्वाचन क्षेत्र परम्बलूर की जनता की ओर से अपना अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा को भी अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

मैंने 'शून्य काल' के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया है और संबंधित मंत्रालय को कई पत्र भी लिखे हैं, ताकि तमिलनाडु में अरियालुर से नामाक्कल के बीच, परम्बलूर, थुरैयुर और थट्टैयंगारपेट्टई के रास्ते एक एक नई रेलवे लाइन बिछाने और एक नई ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग पर कार्यवाही हो सके। लेकिन अब तक इस विषय में कोई उत्तर नहीं मिला है। अतः मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस नई रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान करें और इस योजना को आगामी बजट में शामिल करने की कृपा करें।

यदि आप इस बहुप्रतीक्षित योजना पर विचार कर आवश्यक कदम उठाएँगे तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की एक लम्बे समय से चली आ रही आकांक्षा पूरी होगी। धन्यवाद।

श्रीमती वी. सत्यबामा (तिरुपुर) : धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया। आपकी अनुमति से, मैं यहाँ कुर्सी पर बैठकर अपनी बात बोल रही हूँ।

तमिलनाडु सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी डॉ. अम्मा के सक्षम नेतृत्व में, तिरुपुर को बुना हुआ कपड़ा उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए एक अत्यंत उपयुक्त और अनुकूल स्थल बनाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रही है। किंतु बुना हुआ कपड़ा उद्योग से संबंधित अधिकांश विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इस उद्योग के विकास हेतु केंद्र सरकार तिरुपुर को भारत के बुना हुआ कपड़ा उद्योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

तिरुपुर को भारत की बुना हुआ कपड़ा उद्योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। तिरुपुर से बुना हुआ कपड़ा निर्यात वर्ष 2014-15 में ₹20,730 करोड़ तक पहुँच चुका है और यह 2016-17 तक ₹36,000 करोड़ के लक्ष्य को छूने की संभावना रखता है। वर्तमान में, बुना हुआ कपड़ा निर्यात में तिरुपुर की अखिल भारतीय बाजार हिस्सेदारी 44.29 प्रतिशत है और जब यह उद्योग कृत्रिम वस्त्रों का निर्यात प्रारंभ करेगा, जिसकी वैश्विक बाजार में साल भर मांग रहती है, तब यह हिस्सेदारी और अधिक बढ़ेगी। भारत से कुल बने हुए वस्त्रों का निर्यात 2014-15 में पहली बार ₹1 लाख करोड़ को पार कर ₹1.03 लाख करोड़ (यूएस \$16.82 बिलियन) तक पहुँच गया, जिसमें ₹46,801 करोड़ का बुना हुआ कपड़ा निर्यात शामिल था, जिसकी हिस्सेदारी 45.43 प्रतिशत रही। वर्तमान में तिरुपुर में लगभग 3,000 निर्यात इकाइयाँ कार्यरत हैं और इससे जुड़ी सहायक औद्योगिक इकाइयाँ 5.5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रही हैं।

बुना हुआ कपड़ा उद्योग जो निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करता है, के पास उसके विकास और विस्तार पर केंद्रित कोई विशेष संस्था नहीं है। अतः यह अत्यंत आवश्यक और उपयुक्त

होगा कि तिरुप्पुर में आधारित एक विशेष 'बुना हुआ कपड़ा बोर्ड' की स्थापना की जाए, जो इस महत्वपूर्ण उद्योग की वृद्धि के अवसरों को प्रोत्साहित कर सके। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र हरिद्वार-ऋषिकेश की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। हरिद्वार सारी दुनिया की आध्यात्म और आस्था की राजधानी है और वहां चारों धामों --गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरी और केदरानाथ का प्रवेश द्वार है। वह हरिद्वार गंगोत्री से 300 किलोमीटर दूर गंगा के तट पर बसा है।

अध्यक्ष जी, यह वह हरिद्वार है, जहां हर छः वर्ष में कुंभ का मेला लगता है और हर बारह वर्ष में महाकुंभ का मेला लगता है। मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तराखंड का मुख्य मंत्री था तब मुझे वर्ष 2010 में महाकुंभ का आयोजन करने का अवसर मिला। इस महाकुंभ में विश्व के 150 देशों के लगभग साढ़े आठ करोड़ से भी अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया था और एक ही दिन में 1 करोड़ 66 लाख लोगों की उपस्थिति ने धरती के इतिहास में एक अभिनव, अद्भुत प्रयोग दिखाया था। ऐसा स्थान जो सारे विश्व का केन्द्र है, उस स्थान पर यातायात का अभाव है। यहां चिकित्सा का अभाव है। यहां प्रतिवर्ष चार से छः करोड़ लोग तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए आते हैं। मेरा निवेदन है कि रुड़की से ऋषिकेश तक ओवर ब्रिज बनाया जाए। मेट्रो रेल स्थापित की जाए। चिकित्सा क्षेत्र को सशक्त किया जाए और एंबुलेंस दी जाएं। मैं सरकार से ऋषिकेश और हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र स्थापित करके सभी अवस्थापनाओं को सुदृढ़ करने अनुरोध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया। मैं आज अपने लोक सभा क्षेत्र के साथ हर सांसद के क्षेत्र से संबंधित एम्पीलैड का मुद्दा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मेरे द्वारा पिछले डेढ़ साल में 600 से ज्यादा कार्य के एस्टीमेट बनने के लिए

नोडल अफसरों को लिखा गया लेकिन मेरे पास केवल 275 के ही एस्टीमेट बनकर आए हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में तीन जिले संबंध रखते हैं, नोडल अफसर से अलग जो जिले हैं, वहां मैंने आठ कार्यों के लिए सूचित किया लेकिन इनमें से छः कार्य आज तक सूचित नहीं हुए हैं। एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा एमपीलैड फंड से हम पैसे देते हैं और दूसरी ओर अफसरों की कोताही के कारण निरंतर डिले किया जाता है।

महोदया, आपके संज्ञान में यह मुद्दा है कि जब हम ऑन लाइन पोर्टल देखते हैं, तो अनेक बार कई एमपीज का कार्य शुरु भी नहीं होता है। यहां माननीय समिति के चेयरमैन डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हैं, मैं मांग करता हूं कि इस कानून परिवर्तन किया जाए ताकि एमपीलैड में जैसे ही एमपी द्वारा निधारित कार्य शुरु हो, आधिकारी उसे तुरंत पूरा करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजे।

माननीय अध्यक्ष : श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री शिव कुमार उदासि, श्री नाना पटोले, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री राजीव सातव, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री केशप्रसाद मौर्य को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस विषय में सभी आपके साथ हैं।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली): महोदया, धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से मैं एक लंबे समय से लंबित मांग को आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहती हूँ। यह मांग है कि कटवा और सियालदह के बीच के क्षेत्र में दो भागों वाली ईएमयू लोकल ट्रेन चलाई जाए। यह क्षेत्र मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है और बड़ी संख्या में यात्री प्रतिदिन सुबह इस मार्ग से यात्रा करते हैं और शाम को लौटते हैं। यदि यह ट्रेन सेवा

शुरू की जाती है, तो यह न केवल मौजूदा ईएमयू लोकल ट्रेनों पर दबाव को कम करेगी बल्कि यात्रियों को भी बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगी।

कुंतीघाट में एक सबवे के निर्माण की भी आवश्यकता है, जो कि लंबे समय से लंबित है। आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से इन महत्वपूर्ण, वास्तविक और लंबे समय से लंबित मामलों पर ध्यान देने का आग्रह करूंगी, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आति महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो मेरे संसदीय बाँका से जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार ने बिहार राज्य के पिछड़े जिले बाँका को अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु भूमि आधिग्रहण के लिए चिह्नित किया है। बिहार सरकार ने 2012 में लगभग 4440 एकड़ जमीन अधिकृत की है और बिहार सरकार ने तत्परता दिखाई है। यह अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। मैं लगातार राज्य और केंद्र सरकार से पत्राचार कर रहा हूँ। मैंने कई बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से पत्राचार भी किया है लेकिन अभी तक भूमि आधिग्रहण के लिए जो राशि आबंटित होनी चाहिए थी केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार धनराशि मुहैया कराए। भूमि आधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया गया है, मैं मांग करता हूँ कि इसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार राशि दे ताकि कार्य प्रारंभ किया जा सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि झारखंड और अन्य प्रदेशों को भी बिजली मुहैया कराई जाएगी।

मेरा पुनः निवेदन है कि केंद्र सरकार उदासीनता खत्म करे और बाँका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कार्य का शुभारंभ करने के लिए जल्द से जल्द राशि उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाए।

[अनुवाद]

श्री निनोंग एरिंग (अरुणाचल पूर्व): महोदया, मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। हाल ही में चीन ने ग्याचा में स्थित जांगबो हाइड्रो प्रोजेक्ट को चालू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, वे त्सांगपो नदी पर — जिसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है — तीन और बांधों का निर्माण कर रहे हैं। ये बांध डागू, जिए शू और जिया चेन स्थानों पर बनाए जा रहे हैं।

मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि चीन के साथ हमारा कोई नदी जल समझौता नहीं है। यह लंबे समय में बहुत विनाशकारी साबित होगा क्योंकि इससे न केवल अरुणाचल प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पानी की कमी होगी। माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री ने चीन में अपने समकक्षों के साथ कुछ बातचीत की थी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वे इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं तो यह निकट भविष्य में बहुत विनाशकारी होगा।

अतः मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इसकी कुछ द्विपक्षीय बैठकें होनी चाहिए और सियांग और ब्रह्मपुत्र नदियों के पानी के बंटवारे के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश चन्द्र कौशिक - उपस्थित नहीं।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय अध्यक्ष जी, नई पीढ़ी को जन्म देने वाली 15 से 19 वर्ष की बालिकाओं में राजस्थान में प्रदेश में खून की कमी के कारण एनीमिया की भयंकर बीमारी एक सर्वे के माध्यम से प्रकाश में आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार राजस्थान के अंदर 65 प्रतिशत बालिकाओं में जिनकी उम्र 15 से 19 वर्ष है, खून की कमी के कारण एनीमिया हो रहा है।

यह विषय इसलिए भी चिंता का है कि 19 वर्ष के बाद जब उनकी शादी होने वाली होगी और जब वे नये बच्चे को जन्म देगी, तो उससे खून की कमी के कारण उस बच्चे के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उस खून की कमी के कारण उस बच्चे में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम होगी। यह विषय इसलिए भी

चिंता का है कि एक तरफ यूनिसेफ और कई सारे संगठन देश विदेश के अंदर लगातार सेहत की चिंता कर रहे हैं, हम खुद भी पूरे देश के अंदर शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को जन्म देने वाली उस बालिका पर खून की कमी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होगी तो निश्चित रूप से इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह है कि राजस्थान में स्पेशल सर्वे कराकर एनीमिया की कमी से जूझ रही उन बालिकाओं के लिए एक स्पेशल प्लान योजना बनाई जाए और एक मापदंड के तहत जिन लड़कियों में भी खून की कमी है, उनको विशेष रूप से आयरन और जो भी आवश्यक मेडिकल की सुविधाओं के आधार पर जो मेडिकल सलाह देते हैं, उसके आधार पर खून की कमी को रोकने के बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री देवजी एम.पटेल, डॉ. किरीट सोलंकी, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री राहुल कस्वां और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री ओम बिरला द्वारा उठाये गये विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे साबरकांठा लोक सभा मतक्षेत्र में अहमदाबाद-खेडब्रह्मा ए.पी.रेलवे चल रही है। यह विस्तार के नजदीक सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां अम्बाजी का मंदिर है जो समग्र भारत में आस्था का केंद्र है और अम्बाजी के बिल्कुल नजदीक राजस्थान में माउंट आबू की तलेटी में विश्व प्रसिद्ध शांति केंद्र है जहां ब्रह्माकुमारी का बड़ा परिसर है और जहां पूरे भारत और विश्व के लोग आते हैं। माउंट आबू स्वयं एक सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। गुजरात और दक्षिण भारत के लोग अहमदाबाद से होते हुए अम्बाजी और माउंट आबू आते हैं।

इसलिए मैं अहमदाबाद से खेडब्रह्मा की रेलवे लाइन को अम्बाजी से आगे आबू रोड तक विकसित करने की जरूरत है जिससे धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोड ट्रैफिक कम करने में लाभदायी रहेगा।

आपके माध्यम से मैं खेडब्रह्मा से अम्बाजी और आबू तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन शुरु करने की मांग रेल मंत्रालय से करता हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदया, उत्तरी बंगाल में चाय बगीचों के मजदूर मौत की कगार पर खड़े हैं। पिछले दो महीने में दो सौ से ज्यादा चाय बगानों के मजदूरों की मौत हो चुकी है। उनके घर में न तो पानी है, न खाना है, न बिजली है और न ही उनके स्वास्थ्य का कोई प्रावधान है। उनकी हालत देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि हिंदुस्तान में ऐसी जगह है जहां भुखमरी से मौतें हो रही हैं। ये चाय बगीचे छोटे-छोटे सोमालिया में तब्दील हो चुके हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री स्वयं को चाय बेचने वाले का बेटा कहकर गर्व करते हैं और यह गर्व होना भी चाहिए। लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है। चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री जी के ज़माने में बंगाल के चाय बगीचों के मजदूरों की जिस हालत में मौत हो रही है, इसके संदर्भ में मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि उन्हें बचाने के लिए सूबे की सरकार के साथ मिलकर काम करे क्योंकि सूबे की सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। चाय बगीचों के मालिक मजदूरों को प्रोविडेंट फंड नहीं देते हैं, मिनिमम वेज नहीं देते हैं और दूसरी सुविधाएं भी नहीं देते हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि चाय बगीचे के मजदूरों को बचाए जो कि आज मौत की कगार पर खड़े हैं।

[अनुवाद] **माननीय अध्यक्ष:** श्री मोहम्मद सलीम और राजीव सातव आप उनके साथ संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी] श्री मोहम्मद सलीम और श्री राजीव सातव को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं तमिलनाडु में बाढ़ से राहत के संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पूरे तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है, खासकर तमिलनाडु के चार तटीय जिले, कुड्डालोर, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेन्नई, जो बुरी तरह प्रभावित हैं।

पूरे राज्य में इस वर्ष 20 नवंबर तक 480 मि.मी. से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्यतः उत्तर-पूर्वी मानसून के पूरे मौसम — जो कि हर वर्ष दिसम्बर तक चलता है — के दौरान होने वाली कुल वर्षा से अधिक है।

पिछले दो दिनों से तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अम्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए युद्ध स्तर पर सभी उपाय कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी 23.11.2015 को माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखकर राहत कार्यों हेतु तुरंत धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि केंद्र सरकार की एक टीम तमिलनाडु भेजी जाए ताकि भारी वर्षा से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। एक केंद्रीय टीम ने तमिलनाडु का दौरा किया और झे उम्मीद है कि अब तक उस टीम ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी होगी।

माननीय मुख्यमंत्री ने 23.11.2015 तक रु. 8481 करोड़ तत्काल जारी करने का अनुरोध किया है। वर्तमान में धन की आवश्यकता कहीं अधिक होगी। इसलिए मैं केंद्र से राहत और बचाव कार्यों के लिए तुरंत धन जारी करने का अनुरोध करना चाहूंगा।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती वी. सत्यभामा को डॉ. पी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर ध्वस्त कानून व्यवस्था की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पार्षद श्री शिवसेठ की हत्या कर दी गई। मेरे जनपद इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित जिला पंचायत की सदस्य के पति की 21 दिनों के अंदर हत्या कर दी गई... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश के अंदर

मेरे जनपद में ही एक बाहुबली पूर्व सांसद ...^{6*} ने कसारी-मसारी के अंदर बुलडोजर लेकर पुलिस और प्रशासन को धत्ता बताते हुए कई मकानों को ढहाने का काम किया...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद मौर्य : महोदया, इसकी जांच कराई गई और इस जांच के बाद भी दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती गई...(व्यवधान) वहां सुरक्षा नहीं है। मैं सदन के माध्यम से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सप्ताह से ऐसी ही घटनाओं के विरोध में काशी में धरना दिया जा रहा है। एक सप्ताह हो गया है लेकिन एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी न होने का कारण है कि उन्हें प्रदेश सरकार में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात कह दी है।

... (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद मौर्य : महोदया, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। वहां छात्र संघ के कार्यक्रम का उद्घाटन था। वहां अन्य लोगों को आने से रोका गया था लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में वहां की पुलिस ने मुझे जाने से रोका। मैं अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं नहीं सुन सकता। मेरे विशेषाधिकारों का भी हनन किया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश का शासन जनहित विरोधी है और जनता की किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने, अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करता हूं।

^{6*} कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपराह्न 12.40 बजे**नियम 377 के अधीन मामले - सभा पटल पर रखे गए^{7*}**

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है व जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(1) ताज एक्सप्रेस ट्रेन (आगरा-झांसी) का नाम लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : वर्तमान में हजरत निजामुद्दीन से आगरा होते हुए झांसी तक एक गाड़ी 'ताज एक्सप्रेस' का संचालन होता है जो 1964 में नई दिल्ली से आगरा के बीच शुरू की गई थी और इसीलिए इसका नाम आगरा के ताजमहल के नाम पर 'ताज एक्सप्रेस' रखा गया था। फिर यह गाड़ी पहले ग्वालियर अब झांसी तक बढ़ाई गई। चूंकि अब इस गाड़ी का संचालन झांसी तक होता है और झांसी 'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिंदु रहा है, जिसकी शुरुआत वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने की थी। इसलिए इसके नाम को महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है।

अतः मेरा माननीय रेलमंत्री जी से अनुरोध है कि ताज एक्सप्रेस का नाम झांसी की शान रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस रखा जाए। यदि ऐसा हुआ तो बुंदेलखण्ड की जनता केंद्र सरकार की सदैव आभारी रहेगी।

^{7*} सभा पटल पर रखा माना गया।

(2) बरवाडीह-चिरीमिरी रेललाइन परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : चतरा लोक सभा क्षेत्र में आज़ादी से पूर्व बरवाडीह-चिरीमिरी रेलवे लाईन परियोजना प्रस्तावित थी। चिरीमिरी-बरवाडीह रेल लाइन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1935-36 में शुरू हुई थी। चिरीमिरी से आम्बिकापुर तक रेलवे लाइन बन चुकी है। बरवाडीह से आम्बिकापुर तक की यह परियोजना झारखंड के पलामू संभाग को छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से जोड़ती है। जनजातीय बाहुल्य सरगुजा एवं झारखण्ड का क्षेत्र सीधे मुंबई-हावड़ा से जुड़ता है और अन्य मार्गों की अपेक्षा इस मार्ग से मुंबई-कोलकाता की दूरी सैंकड़ों किलोमीटर कम होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए रेल बजट वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में 10-10 लाख रूपए आबंटित किया गया है तथा यह पहले से स्वीकृत प्रोजेक्ट है, मात्र गति प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए पुनः सैद्धांतिक एवं तकनीकी स्वीकृति, अन्य सहमति आदि बिंदुओं को उठाकर और ज्यादा समय लगाने की जानकारी मिल रही है।

बरवाडीह-चिरीमिरी रेल लाइन के संबंध में मेरे द्वारा लगातार विभाग के मंत्रियों एवं अधिकारियों और लोक सभा में विभिन्न नियमों के तहत ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। जैसे कि:-

1. दिनांक 02.07.2014 को तत्कालीन रेल मंत्री को रेल भवन कार्यालय में झारखण्ड के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ ज्ञापन दिया गया,
2. दिनांक 05.07.2014 को रेल बजट 2014-15 पर चर्चा के दौरान विषय को उठाया गया,
3. दिनांक 11.08.2014 को लोक सभा में नियम 377 में उठाया गया,

4. 17 एवं 18 अक्टूबर, 2014 को तत्कालीन रेल मंत्री के चतरा, झारखण्ड दौरे के दौरान रेलवे अधिकारियों से रिपोर्ट मांगकर इस योजना पर विस्तृत चर्चा हुई,
5. दिनांक 08.12.2014 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2414 के माध्यम से,
6. दिनांक 15.12.2014 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 के माध्यम से,
7. दिनांक 17.01.2015 को रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री तथा अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा,
8. दिनांक 12.03.2015 को रेल बजट 2015-16 पर चर्चा के दौरान विषय को उठाया गया,
9. दिनांक 19.03.2015 को लोक सभा में नियम 377 के तहत विषय उठाया गया,
- 10 दिनांक 23.07.2015 को रेल भवन में रेलवे के अधिकारी से परियोजना पर चर्चा की गई
 . तथा
- 11 दिनांक 26.08.2015 को रेल मंत्री को पत्र लिखकर जानकारी चाही गई।
 .

आजादी के पूर्व से प्रस्तावित बरवाडीह-चिरीमिरी (अम्बिकापुर) रेलवे लाइन परियोजना के संबंध में अब तक हुई प्रगति रिपोर्ट से माननीय रेल मंत्री सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। इसी तरह चतरा-गया रेलवे लाईन का भी 20 साल से काम चल रहा है, लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण काम अधूरा पड़ा है। इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जायें। साथ ही, यह भी अनुरोध है कि आगामी रेल बजट में इस योजना के निर्माण के लिए आवश्यक पर्याप्त धन का आबंटन कर एक समय-सीमा में कार्य पूरा करवाया जाये।

(3) सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों में चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में भर्ती किए जाने संबंधी नए दिशानिर्देश बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर): विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहर के छात्र आई.टी.आई. के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण लेना पसंद करते हैं जो एक छोटी अवधि का पाठ्यक्रम है। यह देखा गया है कि विभिन्न सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और सरकारी उपक्रमों जैसे आयुध निर्माणी, रेलवे आदि में प्रशिक्षु अधिनियम के तहत आई.टी.आई. प्रशिक्षित प्रशिक्षु को शामिल करने की नियमित प्रथा है। छात्र इस अप्रेंटिसशिप मार्ग को इसलिए अपनाते हैं ताकि उन्हें जल्दी रोजगार मिल सके, और वह भी किसी सरकारी संस्था में। हाल ही में ओएलएफ देहरादून में नियुक्तियों में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। हाल ही में आयुध निर्माणी वरनगांव में जहां कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भर्ती से संबंधित एक अधिसूचना जारी की गई, नियमित सरकारी भर्ती प्रक्रिया की तरह ही लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया गया और यहां तक कि 67 अर्द्ध-कुशल औद्योगिक कर्मचारियों की अंतिम चयन सूची भी फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शित कर दी गई। लगभग हर आयुध निर्माणी और ऐसे सरकारी संगठनों में विशेष रूप से प्रशिक्षु अधिनियम और नियमित श्रेणी डी रिक्तियों के तहत भर्तियों में अनियमितताओं और गलत प्रथाओं का इतिहास रहा है। मैं संबंधित मंत्री से इन कमियों और अनियमितताओं को दूर करने के लिए नए दिशानिर्देश बनाने का अनुरोध करती हूं जो नियमित श्रेणी डी रिक्तियों के लिए भर्ती अभियान में कदाचार का कारण बनते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षुओं और श्रेणी डी भर्ती के लिए, स्थानीय क्षेत्र के उम्मीदवारों को भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(4) बिहार के कैमूर जिले में भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर उर्वरकों के परिवहन के लिए रेक प्वाइंट बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : मेरे संसदीय क्षेत्र का कैमूर जिला (बिहार) कृषि के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है जहां उर्वरकों की बड़ी खपत होती है। कैमूर जिले में उर्वरक परिवहन का रेक प्वाइंट नहीं होने के कारण सासाराम से उर्वरक का परिवहन काफी खर्चीला एवं विलंबित होता है जिससे जिले के किसानों को उँची कीमत पर उर्वरक की खरीद करनी पड़ती है तथा समय पर उर्वरक की आपूर्ति भी नहीं हो पाती है। समय पर उर्वरकों की आपूर्ति नहीं होने से किसानों की खेती बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। उल्लेखनीय है कि भभुआ रोड स्टेशन पर पूर्व से ही भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) से संबंधित खाद्य सामग्री के परिवहन हेतु रेक प्वाइंट उपलब्ध है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि रेलवे मंत्रालय एवं रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को कैमूर जिला में भभुआ रोड स्टेशन पर मोहनियाँ में उर्वरक परिवहन की रेक प्वाइंट बनाने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

(5) उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में किसानों को राहत धनराशि का पूरा भुगतान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्रा (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चित्रकूट एवं बांदा (उत्तर प्रदेश) जिलों में अभी तक लगभग एक तिहाई किसानों को व एक चौथाई ग्रामों में पिछली केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहत राशि को जिला प्रशासन द्वारा नहीं बांटा गया है। जिन किसानों को राहत राशि बांटी भी गयी है, उन्हें केवल 9 हजार रूपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से दिया गया है जबकि केंद्र सरकार द्वारा 13 हजार 500 रूपए प्रति हैक्टेयर दिया गया है। इसलिए फसल बीमा का पैसा भी सभी को नहीं दिया जा रहा है। बैंक कहते हैं कि बीमा कंपनी बता सकती है। बीमा कंपनी बैंक पर जिम्मेदारी डाल देती है। इस वर्ष सूखा पड़ गया है। किसान बहुत ही परेशान व हताश है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य सरकार व जिला प्रशासन को अविलंब किसानों का पिछला संपूर्ण पैसा व फसल बीमा का पैसा दिलाने हेतु निर्देश देने की कृपा की जाए।

(6) राजस्थान के जयपुर और अजमेर में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी अवसंरचना और शासन के विकास हेतु बकाया निधियों को जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना के यू.आई.जी. घटक हेतु 12 परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत 1083.74 करोड़ रूपए स्वीकृत है, जिसमें भारत सरकार की हिस्सा राशि 693.59 करोड़ रूपए है। भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना के अंतर्गत मिशन शहरों में जयपुर एवं अजमेर पुष्कर को चयनित किया गया है। वर्तमान में 5 कार्य (4 जयपुर व 1 अजमेर) पूर्ण हो चुके हैं। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों को अमृत योजना में सम्मिलित करते हुए मार्च 2017 तक इन कार्यों को पूर्ण करने की स्वीकृति प्रदान की है। भारत सरकार ने इन अपूर्ण कार्यों हेतु 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राशि स्वीकृत की है। इस निर्णय से राज्य सरकार को 44.42 करोड़ रूपए कम प्राप्त होंगे। इससे इन कार्यों की प्रगति विपरीत रूप से प्रभावित होगी। यू.आई.जी. घटक की स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति की राशि में से भारत सरकार ने दिनांक 26.07.2011, 31.03.2012 एवं 04.09.2013 को 10 प्रतिशत राशि रिफार्मस नहीं होने के कारण काट ली है। भारत सरकार को काटी हुई राशि (39.86 करोड़ रूपए) राज्य सरकार को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया जाए ताकि कार्य की प्रगति में रुकावट न हो।

एम.ओ.यू.डी., भारत सरकार द्वारा जो कार्य 31.03.2012 से पूर्व में स्वीकृत हुए हैं, उनकी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि 31.03.2014 के बाद जारी नहीं की जा रही है जिससे प्रगतिरत कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः मेरा माननीय शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि यू.आई.जी. परियोजनाओं के अंतर्गत लंबित बकाया राशि को आतिशीघ्र जारी करने की कृपा की जाए।

(7) पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषतया राज्य के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा बीज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) : मेरे संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश) से लेकर पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश भयंकर सूखे की चपेट में है जिसके चलते खरीफ की फसल तो बर्बाद हुई अब रबी की फसल की बुवाई भी वर्षा न होने के कारण परेशानी का सबब बन रही है।

एक तो किसान सूखे की चपेट में है, दूसरी तरफ उन्नत बीजों के संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए और किसानों को राहत नहीं पहुंचायी गयी तो भविष्य में भारी खाद्यान्न संकट से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस ओर सरकार तत्काल ध्यान दें और सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए विशेष कदम उठाए।

(8) ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : मैं सीधी संसदीय क्षेत्र (मध्य प्रदेश) से संबंधित अत्यंत पुरानी रेल परियोजना ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के निर्माण कार्य की गति, इसकी आवश्यकता व तात्कालिक समाधान के विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के लोग स्थानीय रेल व्यवस्था के अभाव में अपनी गुजर-बसर काफी कठिनाइयों से कर रहे हैं। इन्हें यदि दिल्ली अथवा भोपाल (जो सवारधिक आवश्यकता के केन्द्र हैं) की यात्रा करनी होती है तो ट्रेन पकड़ने नजदीक के रीवा रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है जिसकी दूरी 90 किलोमीटर है। अगर दिल्ली की यात्रा किसी चिकित्सा या विभागीय कार्य के प्रयोजन से करनी पड़ती है तो एक दिन पूर्व पहुंचना पड़ता है क्योंकि रीवा से आनन्द विहार (दिल्ली) के लिए चलने वाली ट्रेन संख्या 12427/12428 आधिकांशतः काफी लेट रहती है। इन सभी नियमित समस्याओं के बाद भी क्षेत्र की जनता सीधी में रेलवे लाइन की उम्मीद लगाए हुए है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को द्रुतगति प्रदान करते हुए सिंगरौली छोर से भी कार्य चालू करवाने व सिंगरौली से नियमित दिल्ली व भोपाल के लिए ट्रेन चलवाने की कृपा करें।

(9) सूखा प्रभावित राज्यों विशेषतया झारखंड में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने तथा उनके द्वारा लिए गए ऋण की वसूली पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : झारखण्ड सहित देश के छह राज्य सूखे की चपेट में हैं तथा अन्य 18 राज्यों पर सूखे का संकट मण्डरा रहा है। झारखण्ड के 24 जिलों में से 22 जिलों की स्थिति काफी खराब है। राज्य में सूखे का असर इतना है कि राज्य में इस साल धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। गढ़वा और पलामू में अकाल की स्थिति बन गई है। किसानों की हालत भूखे मरने तक पहुँच गई है। जिन किसानों ने खेती के लिए कर्जा लिया था, उनके सामने कर्जा चुकाने का संकट आ गया है। किसान अपने हाथ से लगाई फसल को खुद ही उजाड़ रहे हैं। धान की सूखी फसल को जानवर तक खाने को तैयार नहीं है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों को अविलंब वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाए तथा किसानों को दिए गए अल्पकालीन ऋण की अवधि दीर्घकालिक कर ऋण वसूली पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा राज्य आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अधिकाधिक राशि किसानों को उपलब्ध कराई जाए।

(10) गुड़गांव, हरियाणा में खेड़की दौला से मानेसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर सर्विस रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने तथा भारी वाहनों के लिए दिल्ली और जयपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर एक अलग सड़क बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) : मैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से से माँग करता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग-08 पर गुड़गांव क्षेत्र के खेड़की दौला क्षेत्र से लेकर मानेसर तक रोड के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाने के लिए 60.60 मीटर जमीन का आधिग्रहण करना है और दोनों तरफ इसका कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की माँग करता हूँ ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग-08 पर आए दिन जाम की समस्या से निजात मिले और भारी वाहनों के लिए अलग से सड़क बनायी जाए जिससे निजी वाहनों को दिल्ली से जयपुर आने-जाने में जो परेशानी उठानी पड़ती है, उससे निजात मिल सके।

(11) स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किए जाने तथा कृषकों को कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कृषि आयोग गठित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : देश के किसानों द्वारा पैदा किये गए धान, अनाज व अन्य फसलों पर सूखे की मार के चलते उत्पादन में कमी तथा पैदा की गई चीजों को मण्डी में लागत से कम कीमत मिलने के फलस्वरूप किसान परिवारों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है जिसके कारण किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा व विदर्भ सहित देश में वृद्धि हुई है। इन आत्महत्याओं का सिलसिला रोकने के लिए किसानों को उचित दाम मिलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके तुरंत अमल में लाने की आवश्यकता है। साथ ही, देश के किसानों के हित में कृषि आयोग का गठन किया जाए जिसके माध्यम से किसान अपने कर्जा माफी, पेयजल संकट, बिजली संकट व आर्थिक संकट के मामलों से सरकार को अवगत करा सकें।

(12) राजस्थान से एक सदस्य भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : दिनांक 31.12.1981 को पंजाब-हरियाणा-राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में समझौता हुआ था जिसमें राजस्थान का हिस्सा 52.65 प्रतिशत तय किया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी राजस्थान के अधिकारी को बी.बी.एम.बी. में सदस्य पद पर नियुक्त करने से हमेशा इंकार किया जाता रहा है। अध्यक्ष, बी.बी.एम.बी. आरम्भ से ही सदस्य राज्यों से नहीं होकर अन्य राज्यों से नियुक्त किये जाते रहे हैं लेकिन भारत सरकार द्वारा सदस्य, ऊर्जा की नियुक्ति पंजाब राज्य से एवं सदस्य, सिंचाई की नियुक्ति हरियाणा राज्य से की जाती रही है। सदस्यों को केवल पंजाब एवं हरियाणा राज्य से ही नियुक्त किया जाए, बी.बी.एम.बी. में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। सदस्यों की नियुक्ति सदस्य राज्यों से रोटेशन से की जानी चाहिए। बी.बी.एम.बी. की 122वीं बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि एक सदस्य राजस्थान का होना चाहिए। जनवरी 2011 में राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति के सदस्यों के साथ हुई मीटिंग में भी यह मुद्दा उठाया गया था लेकिन बी.बी.एम.बी. ने राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति को दिये इस आश्वासन को भी पूरा नहीं किया है। राजस्थान सरकार के बार-बार आग्रह करने के बावजूद आज तक बी.बी.एम.बी. में सदस्य, राजस्थान की नियुक्ति नहीं की गई है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ऊर्जा मंत्रालय बी.बी.एम.बी. को निर्देशित करे कि सचिव/सदस्य पद पर नियुक्ति राजस्थान कैडर के अधिकारी से की जाये ताकि राजस्थान के हितों की रक्षा की जा सके।

(13) एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत झारखंड के नक्सल प्रभावित दुमका, गोड्डा, देवघर, जामतारा, पाकुर और साहिबगंज जिलों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : संथाल परगना-दुमका, गोड्डा, देवघर, मतारा, पाकुर और साहिबगंज के छह जिले बेहद पिछड़े हैं और ये दशकों से उपेक्षा का शिकार रहे हैं। इन जिलों के समग्र विकास के लिए एक व्यापक एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे (रेल/सड़क, हवाई), बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, उद्योग, जल प्रबंधन, कृषि उद्योग के लिए अधिक स्वचालन, बेहतर संचार सुविधाएं और रोजगार अनुकूल शिक्षा के माध्यम से समान और उत्तम अवसर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, यह क्षेत्र नक्सलवाद के प्रभाव में है। इसमें कोई संदेह नहीं है, नक्सलवाद का प्रसार संथाल परगना क्षेत्र के बड़े हिस्से में व्याप्त हताशा और अलगाव की भावना का संकेत है, जिन्हें न केवल व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा गया है, बल्कि अपनी ही मातृभूमि में क्रूरतापूर्वक शोषण और बेदखल कर दिया गया है।

इस प्रकार, नक्सलवाद से गंभीर रूप से प्रभावित संथाल परगना के सभी छह जिलों (दुमका, गोड्डा, देवघर, मतारा, पाकुर और साहिबगंज) को एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.)/सुरक्षा संबंधी व्यय जिलों में शामिल किया जाना चाहिए।

(14) झारखंड के बोकारो जिले में नक्सलवाद की समस्या पर काबू पाने के लिए पर्याप्त अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : जुलाई, 2015 में बोकारो जिला के अंतर्गत बी. एण्ड के. के क्षेत्र क खासमहल परियोजना में दर्जनों ट्रकों में माओवादी उग्रवादियों द्वारा आग लगा दी गई। ट्रकों (डम्परों) में कोयला लदा हुआ था, जिसके कारण करोड़ों की क्षति हुई है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मामले को दिनांक 04.08.2015 को नियम 377 के अंतर्गत उठाया गया है और संबंधित विभाग से उत्तर भी प्राप्त हुआ है, परंतु उत्तर संतोषजनक नहीं है। भारी संख्या में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के पश्चात इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की कई बार पुनरावृत्ति हुई है। घटना के समय समीप के सरकारी लोक उपक्रम द्वारा आग्निशामक उपलब्ध नहीं कराया गया और आज की तिथि तक घटनास्थल और प्रभावित क्षेत्र में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती नहीं की गई है और घटना में हुए संपत्ति के नुकसान का मुआवजा पीड़ित पक्ष को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती, आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण (आग्निशामक) आदि उपलब्ध कराते हुए नक्सली हमले में हुई क्षति का मुआवजा प्रदान कराने की व्यवस्था की जाए।

(15) न्यूनतम मजदूरी विनियमों के अनुसार मिड-डे मील वर्कर्स के मानदेय तथा वेतन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी.के. सुरेश (बेंगलौर ग्रामीण) : मिड-डे मील वर्कर्स काफी समय से अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वर्तमान वेतन मुख्य रसोइया के लिए रु. 1700 और सहायक रसोइया के लिए रु. 1600 है। ये वेतन न्यूनतम वेतन नियमों के अनुसार नहीं हैं। देश भर में लगभग 26 लाख मिड-डे मील वर्कर्स हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं।

मिड-डे मील वर्कर्स सप्ताह में 5 दिनों के लिए दिन में 6 घंटे से अधिक काम करते हैं। ये कम वेतन पाने वाले कर्मचारी ही मिड-डे मील कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। जब तक इन श्रमिकों को पर्याप्त भुगतान नहीं किया जाता, सीखने और स्कूल में उपस्थिति में सुधार करने वाली योजना प्रभावित होगी।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने घोषणा की थी कि मानदेय रु. 1000 से बढ़ाकर रु. 2000 प्रति माह किया जाएगा। हालांकि इस वृद्धि को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

मैं भारत सरकार से मानदेय बढ़ाने के निर्णय को लागू करने और न्यूनतम वेतन विनियमों के अनुसार मध्याह्न भोजन श्रमिकों के वेतन में भी जल्द से जल्द वृद्धि करने का आग्रह करता हूँ।

(16) रबड़ बोर्ड का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने तथा देश में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा) : मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया रबड़ बोर्ड के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त करें। प्राकृतिक रबड़ के बड़े पैमाने पर आयात और कीमतों में गिरावट के कारण रबड़ क्षेत्र कठिनाईयों का सामना कर रहा है। कीमतों में निरंतर, लगातार और भारी गिरावट के कारण, उत्पादक रबड़ की खेती से पीछे हट रहे हैं। उनमें से अधिकांश लेटेक्स का दोहन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उत्पादन लागत रबड़ की खेती से मिलने वाले रिटर्न से अधिक है। इसके परिणामस्वरूप पिछले महीने अक्टूबर 2014 की तुलना में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में 11 प्रतिशत की गिरावट आई। देश में मुख्य टैपिंग मौसम अक्टूबर से जनवरी के दौरान फैला हुआ है, इसलिए, इस मौसम में उत्पादन में गिरावट रबड़ उत्पादकों की संभावनाओं को प्रभावित करेगी। यह समय देश में रबड़ उत्पादकों को समर्थन देने का है, अन्यथा देश में रबड़ की खेती कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया रबड़ बोर्ड के पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति करके और प्राकृतिक रबड़ की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देकर रबड़ क्षेत्र में सुधार करें और उसके लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करें।

(17) कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की हवाई पट्टी की मरम्मत/रिकार्पेंटिंग के कार्य में तेजी लाए जाने तथा एयर इंडिया की कालीकट-दिल्ली विमान सेवा को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वडकारा) : दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पहल पर शुरू किया गया कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे लाभदायक हवाई अड्डों में से एक है। विदेशों, विशेषकर खाड़ी देशों के लिए जाने वाले हजारों यात्री केरल के मालाबार क्षेत्र में स्थित इस एकमात्र हवाई अड्डे पर निर्भर हैं। शुरुआत से ही, इस हवाई अड्डे के प्रति नागर विमानन मंत्रालय की उदासीनता और पूर्ण लापरवाही ने इसे दुखद स्थिति में डाल दिया है। इस टेबलटॉप हवाई अड्डे पर केवल एक रनवे है और यहां तक कि अच्छी तरह से अनुभवी पायलट भी यहां उतरने में शामिल जोखिमों की शिकायत करते हैं। स्थिति यह हो गई है कि मरम्मत/री-कार्पेंटिंग के लिए रनवे को दिन में भी बंद कर दिया जाता है। घरेलू और विदेशी सभी निजी विमान अपने परिचालन को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करती हैं। केवल एयर इंडिया ही है जो इसमें बुरी तरह विफल रही है, और इसकी प्रतिष्ठित कालिकट-दिल्ली उड़ान इसकी शिकार बनी है। मैं नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वह दिल्ली के लिए उड़ान को पुनः शुरू करे और रनवे के कार्य को शीघ्र पूरा कराने की दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए।

(18) तमिलनाडु के सलेम में टैपियोका बोर्ड बनाए जाने तथा वहीं इसका मुख्यालय बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. सुन्दरम (नामाक्कल) : टैपियोका को 'कसावा', 'मंडीका' के रूप में जाना जाता है, जो एक सूखी वर्षा आधारित वार्षिक कंद की फसल है। अब, इसकी खेती तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में की जाती है।

इसे पौधे के तने को काटकर उगाया जाता है। यह शुष्क और अर्ध-शुष्क परिस्थितियों में, निम्न गुणवत्ता वाली सीमांत भूमि पर एकल, अंतरवर्ती या मिश्रित फसल के रूप में उगाया जा सकता है। यह निम्न ऊँचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे, सीमांत और बंटे हुए खेतों वाले किसानों की मुख्य फसल है। यह फसल रोगों और कीटों के हमले को भी सहन कर सकती है।

खाद्य पदार्थ के रूप में कंद टैपियोका को उबालकर सीधे खाया जाता है। कंदों का उपयोग स्टार्च निकालने और निकाले गए स्टार्च से साबूदाना बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है।

इथेनॉल उत्पादन के लिए टैपियोका स्टार्च बहुत अच्छा स्रोत है। इसका उपयोग कागज उद्योग और कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। टैपियोका मोती जिसे आमतौर पर साबूदाना कहा जाता है, पकाया जाता है और भोजन के रूप में लिया जाता है। इन्हीं कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका के 'मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन' ने यह पहचान की है कि यह फसल 'टैपियोका' तीसरी दुनिया के देशों के लिए भविष्य की फसल होगी।

कई कारणों से टैपियोका की कीमत में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश में टैपियोका किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने चाय और कॉफी किसानों के कल्याण के लिए चाय बोर्ड और कॉफी बोर्ड का गठन किया है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से टैपियोका बोर्ड का गठन करने और टैपियोका किसानों को बचाने का आग्रह करता हूं। बोर्ड को सलेम में स्थापित किया जा सकता है क्योंकि यह टैपियोका उत्पादों का व्यापार केंद्र है।

(19) तमिलनाडु में हुई भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की

आवश्यकता

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची) : तमिलनाडु के लोगों ने पिछले महीने उत्तर पूर्व मानसून के कारण अभूतपूर्व और निरंतर भारी बारिश का अनुभव किया है। बारिश ने चेन्नई शहर और कुड्डालोर, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, विल्लुपुरम और नागपट्टिनम जैसे कई जिलों को जलमग्न कर दिया। सौ से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों लोगों ने अपने घर और मवेशी खो दिए। एक लाख एकड़ से अधिक जमीन और फसलें पानी में डूब गई हैं। राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, रेलवे ट्रैक, पुल, नहरें और जल निकाय जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। बिजली के खंभे उखड़ गए और केबल क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके परिणामस्वरूप चेन्नई शहर और सैकड़ों गांवों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई।

तमिलनाडु सरकार ने तुरंत एहतियाती और राहत कार्य शुरू कर दिए। प्रभावित क्षेत्रों में हजारों लोगों को निकाला गया और भोजन, दवा और अस्थायी आश्रय प्रदान किए गए हैं। क्षतिग्रस्त अवसंरचना जैसे सड़कों, बिजली, नहरों, झीलों आदि की मरम्मत चौबीसों घंटे राज्य की मशीनरी द्वारा युद्धस्तर पर की जा रही है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए शुरुआत में रु. 500 करोड़ जारी करने का आदेश दिया है।

राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों में लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। केंद्र सरकार को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए और प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता, मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा, नष्ट हुए घरों, मवेशियों और संपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा सड़कों, पुलों, नहर के किनारों और जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए तुरंत पर्याप्त धनराशि जारी करनी चाहिए। इसके साथ ही, केंद्र सरकार को आगे आकर राष्ट्रीयकृत बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों से लिए गए कृषि और किसान ऋणों को भी माफ करना चाहिए।

(20) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शौचालय तथा पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की**आवश्यकता**

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली) : जब हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं, तो जो बात सबसे पहले ध्यान में आती है, वह है शौचालय तथा पेयजल की सुविधाओं की अनुपस्थिति। राष्ट्रीय राजमार्गों पर शौचालयों के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। वर्ष 2010 में, राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर शौचालय बनाने की योजना शुरू की गई थी। उस बात को पांच साल बीत चुके हैं। तब राष्ट्रीय राजमार्गों पर उचित और स्वच्छ शौचालयों का कोई अता-पता नहीं है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अनेक लोगों ने मुझसे इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का अनुरोध किया है ताकि देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर जल्द से जल्द शौचालयों और पेयजल की सुविधाओं का निर्माण कराया जा सके। इस दिशा में युद्धस्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए और शौचालयों के त्वरित निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए। मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जोरदार आग्रह करती हूँ कि नेशनल हाईवे पर शीघ्र शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

(21) ओडिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत मेगा पेयजल परियोजनाएं बनाए जाने की

आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर) : मैं सरकार का ध्यान पेयजल में फ्लोराइड संदूषण की बढ़ती समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसने ओडिशा में और विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र, बालासोर के रेमुना ब्लॉक के पत्रीपाल पीएस में एक विकराल समस्या का रूप ले लिया है। ओडिशा देश के उच्च फ्लोराइड प्रभावित राज्यों में से एक है। पिछड़े गाँवों में प्रदूषण के कारण भयावह बीमारियाँ पैदा हो गई हैं और कृषि, जो लोगों का मुख्य आधार भी है, कठिन हो गई है। जबकि ओडिशा सरकार ने इस खतरे को रोकने के लिए वास्तव में परियोजनाएं शुरू की हैं, केंद्र से अतिरिक्त मदद की आवश्यकता है। मैं सरकार से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि सहायता की तर्ज पर और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत बालासोर के लिए मेगा पेयजल परियोजनाओं के निर्माण के लिए कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

(22) महाराष्ट्र के लोनावाला में केन्द्रीय रेल संस्थान के भवन को हैरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिए जाने तथा इस भवन के परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे म्यूजियम स्थापित किए जाने की

आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : पुणे और मुम्बई इन दो बड़े शहरों के बीच मेरे संसदीय क्षेत्र मावल (महाराष्ट्र) के अंतर्गत लोनावाला हिल स्टेशन आता है। इस हिल स्टेशन का काफी पुराना इतिहास है। लोनावाला परिसर “यादव साम्राज्य” का एक भाग था, उसके बाद मुगलों ने इस परिसर का महत्व जानकर इसे दीर्घकाल तक संरक्षित रखा। मराठा साम्राज्य में भी लोनावाला एवं मावल एक महत्वपूर्ण परिसर था। लोनावाला के नजदीक ही कार्ला और भाजे कलात्मक आविष्कार का एक उच्चतम उदाहरण है। पहली और पांचवी शताब्दी के बीच बनाई गई गुफाएं आज भी मौजूद हैं। अंग्रेज शासन में लोनावाला को हिल स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ। इस लोनावाला में तकरीबन 135 साल पहले अंग्रेजों ने सेन्ट्रल रेलवे इंस्टीट्यूट की एक नायाब इमारत बनवाई थी। इस इमारत के इलाके में काफी सारी जमीन खाली पड़ी है। लोनावाला शहर में रेलवे का इन्टरनेशनल म्यूजियम बनने वाला था। इस विषय अनुरूप एक प्रदर्शनी भी लगवाई गई थी। इस म्यूजियम की वजह से बाधित होने वाले रेल कर्मचारियों के लिए अलग जगहों पर पाँच इमारतें भी बनाई गई हैं।

मैं इस परिसर का सांसद होने के नाते माननीय रेलमंत्री जी से यह माँँग करता हूँ कि सेन्ट्रल रेलवे इंस्टीट्यूट की 135 साल पुरानी इस इमारत को भारतीय पुरातत्व विभाग से हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिलाने के लिए उचित कार्रवाई करे और लोनावाला शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इस हेरिटेज बिल्डिंग के साथ ही उसके परिसर में रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाये, जिसमें भारतीय रेलवे की भूत, वर्तमान और भविष्य की प्रगति के साथ-साथ “यादव साम्राज्य” से आज तक लोनावाला शहर और परिसर के विकास की सारे बातें मौजूद हों। आज लोनावाला में भारतीय पर्यटक तो आते ही हैं, इस म्यूजियम के बनने के बाद विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी बढ़ावा मिलेगा।

(23) आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की

आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री केसिनेनी श्रीनिवास (विजयवाड़ा): मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आंध्र प्रदेश राज्य के 13 में से 7 जिलों के 196 मंडल अल्पवृष्टि के कारण गंभीर रूप से सूखे की चपेट में आ गए हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून की अवधि (1 जून 2015 से 30 सितम्बर 2015 तक) के दौरान राज्य में केवल 519.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि सामान्य वर्षा 549.1 मिमी होनी चाहिए थी। इस प्रकार वर्षा में 5.4 प्रतिशत की कमी हुई है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि पूर्ववर्ती वर्ष (2014) की इसी अवधि में केवल 375.7 मिमी वर्षा हुई थी, जो कि 32 प्रतिशत की भारी कमी को दर्शाती है।

अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखे के कारण प्रमुख फसलों की उपज में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश में सूखे के कारण सोयाबीन, कपास और मोटे अनाज के साथ-साथ दालों जैसी वर्षा आधारित फसलों के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है, जिनकी कीमतें पिछले महीने में बढ़ी हैं।

यह सूखा लगातार दूसरे वर्ष पड़ा है, जिससे किसानों की आमदनी में कमी और कृषि क्षेत्र में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराने जैसे कई उपाय किये हैं। हालाँकि, और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए। मैं भारत सरकार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ।

**(24) असम के पंचग्राम में हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कचार पेपर मिल इकाई का पुनरुद्धार
किए जाने की आवश्यकता**

श्री राधेश्याम बिस्वास (करीमगंज): कचार पेपर एमडबल्यू, असम के पंचग्राम में हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक इकाई, बराक घाटी के पिछड़े क्षेत्र के साथ-साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एकमात्र भारी उद्योग है। कचार पेपर मिल कुछ साल पहले तक लाभ कमाने वाली और विभाजित भुगतान करने वाली कंपनी थी और उस समय यह एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल थी। अब, इसे कई कारणों से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है जैसे मिजोरम से फाइबर की उपलब्धता में कमी, मेघालय से कोयले की कम आपूर्ति, क्षेत्र की खराब सड़क की स्थिति और सबसे ऊपर, आधुनिकीकरण की कमी। जबकि नवीनतम तकनीक के साथ काम करने वाले अन्य कागज निर्माण उद्योग कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले कागज का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन पंचग्राम इकाई पुरानी और अप्रचलित मशीनरी से जूझ रही है।

मेरे प्रश्न क्रमांक 3748 दिनांक 16.12.2014 के उत्तर में भारी उद्योग मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि वे उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशील पूंजी, परिवहन सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। यद्यपि फाइबर उपलब्धता और कोयला आपूर्ति में समस्या को नियमित किया जा रहा है, फिर भी यह बहुत चिंता का विषय है कि कचार पेपर मिल वित्तीय संकट के कारण बंद होने जा रही है।

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से उद्योग को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

(25) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु एक पेयजल परियोजना विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़) : मेरे लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) के मुख्यालय में आज भी जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकियों उपलब्ध नहीं है। शहर में स्थित 13 नलकूपों व पुरानी पाइप लाइन के माध्यम से नगर पालिका प्रतापगढ़ जनता को दूषित पेयजल उपलब्ध करा रही हैं। नतीजतन लोगों को अनेक जलजनित बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। भूगर्भ जल की गुणवत्ता हेतु कराए गए सर्वे के नमूने में जल में उपस्थित हानिकारक तत्व जैसे फ्लोराइड, टी.डी.एस. एवं आयरन इत्यादि के साथ-साथ खारे पानी की समस्या भी गंभीर है। जनपद प्रतापगढ़ में 17 विकास खण्ड हैं जिनमें 12 विकास खण्ड 'डार्क जोन' (आति दोहित) में आते हैं। मुख्यालय में मीठे पाने की समस्या को लेकर जनता बेहद परेशान है एवं आधिकतर विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर शहर की तीन चौथाई जनता पेयजल से वंचित रह जाती है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) हेतु विस्तृत 'पाइप पेयजल योजना' जिसमें पानी की टंकियों एवं पाइप लाइनों का समावेश हो, उस हेतु धन आबंटित कराते हुए शहर के भूगर्भ जल का रासायनिक परीक्षण पुनः करा लिया जाए। जन सेवक होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं प्रतापगढ़ की जनता को मीठा व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराऊँ।

अपराह्न 12.41 बजे**नियम 193 के अधीन चर्चा**

देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में ... **जारी**

माननीय अध्यक्ष: अब सभा में नियम 193 के अधीन चर्चा होगी।

श्री पी. कुमार।

[हिन्दी] सभी लोग समय का ध्यान रखें तथा अपनी बात संक्षेप में कहें।

[अनुवाद]

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदया, 'देश में असहिष्णुता की बढ़ती घटनाओं' के मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

स्वतंत्र भारत में पहली बार, सभी प्रकार के लोगों ने खुलेआम हमारे देश में बढ़ती अधीरता या असहिष्णुता की संस्कृति पर आक्रोश व्यक्त किया है। भारत एक विशाल, विषम और विविध देश है और दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। एक अरब से अधिक लोगों को सद्भाव और शांति के साथ रहने और काम करने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी आबादी के साथ, यहां तक कि भारत में एक 'अल्पसंख्यक' समूह की आबादी है जो कई देशों की आबादी से बहुत बड़ी है। यह तथ्य कि सामाजिक, भाषाई और धार्मिक समूहों का ऐसा विविध समूह शांतिपूर्ण ढंग से एक साथ रहने में सक्षम है, इसे कभी भी एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में कम नहीं आंका जाना चाहिए।

साथ ही, निरंतर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एक ऐसी चीज है जिसे कम नहीं समझा जा सकता है, न ही इसे बलपूर्वक या कठोर कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। यह सभी लोगों का इच्छुक सहयोग है और इस देश में रहने वाले सभी लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा का हिस्सा महसूस करने की आवश्यकता है जो इस स्थिति को जारी रखने के लिए बहुत आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा कि यह नाजुक संतुलन गर्म दिमाग वाले बयानों या विभाजनकारी विचारों की असंयमी अभिव्यक्तियों से परेशान या बाधित न हो।

इस देश में बड़ी संख्या में सामाजिक समूह रहते हैं। उनकी भावनाओं और भावनाओं और भारत के विचार के साथ एकता की भावना को संरक्षित और सावधानीपूर्वक पोषित करने की आवश्यकता है। उस अर्थ में, सहिष्णुता एक दोतरफा रास्ता है, जिसे शुरू में जो बोला या व्यक्त किया जाता है और जिस तरीके से कोई व्यक्ति दूसरों की अभिव्यक्ति पर प्रतिक्रिया करता है, दोनों में स्पष्ट होना चाहिए। परिपक्वता और संवेदनशीलता होनी चाहिए जिसे सार्वजनिक स्थान पर हर किसी को प्रदर्शित करना होगा, चाहे वे लोक सेवक हों, राजनेता हों, लेखक हों, कलाकार हों, मीडियाकर्मी हों या सामुदायिक नेता हों। ऐसे समय होते हैं जब संतुलन और परिपक्वता की यह भावना कुछ हद तक विषम हो जाती है, जिससे समाज के अन्य वर्गों में आक्रोश की भावना पैदा होती है।

इसलिए, सभी पक्षों पर परिपक्वता और संयम एक ऐसी चीज है जो संतुलन की भावना को बहाल करने के लिए बहुत आवश्यक है जो सार्वजनिक रूप से विभिन्न विचारों और राय को व्यक्त करने में बहुत आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि यह बहस देश में संतुलन की भावना को बहाल करने में मदद करेगी।

फिर भी एक और महत्वपूर्ण तत्व यह है कि किसी भी मामले में हिंसा को धारणा की ऐसी किसी भी समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता है। जो भी उकसावे की पेशकश की जाती है, हिंसा का सहारा कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंसा पर अंकुश लगाए और दृढ़तापूर्वक उसका दमन करे। राज्य मशीनरी को इस उद्देश्य के लिए तैयार रहना होगा। कुछ मामलों में, राज्य मशीनरी को

भी हिंसा या अशांति को रोकने के लिए पहले से कार्रवाई करनी पड़ती है। इसलिए, संवेदनशील मुद्दों पर सभी संबंधित पक्षों द्वारा जिम्मेदारी, परिपक्वता और संयम के साथ राय व्यक्त की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां यह संतुलन और संयम कुछ हद तक खो जाता है, सरकार को कदम उठाने की जरूरत है।

यह एक विडंबना है कि जिन लोगों ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की कसम खाई है, वे स्वयं भड़काऊ बयानों और नफरत भरे भाषणों से अल्पसंख्यकों में डर पैदा करके संविधान को चुनौती दे रहे हैं।

समाचार पत्रों में कुछ लेख प्रकाशित हुए, जिनमें यह कहा गया कि ये घटनाएं केवल इक्का-दुक्का थीं, अपवादस्वरूप थीं या फिर केवल कानून-व्यवस्था की समस्याएं थीं। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को आघात पहुंच रहा है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि ऐसी घटनाएं भारत की धर्मनिरपेक्ष संरचना को क्षति पहुंचा सकती हैं।

यह जानकर अधिक दुख होता है कि इसका हमारे देश के आर्थिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, शीर्ष भारतीय व्यापारिक नेताओं का कहना है कि यदि अल्पसंख्यकों के प्रति शत्रुता बढ़ रही है, तो यह डर है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत में अपना पैसा लगाने का आकर्षण कम हो जाएगा। इससे भारत में आर्थिक विकास और निवेश प्रवाह खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए, भारतीय संसद के लिए यह उचित होगा कि वह एक आश्चस्त संदेश भेजे ताकि आर्थिक रूप से हमें नुकसान न हो।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में हाल के विकास ने भी इस मुद्दे को जटिल बना दिया है। सोशल मीडिया के उपयोग से, जो मूल रूप से व्यक्तिगत विचार हैं, उन्हें बहुत व्यापक पैमाने पर प्रसारित किया जा सकता है। व्यक्तिगत विचार होने के कारण, वे कभी-कभी असंयमित तरीके से या पर्याप्त संयम के बिना व्यक्त किए जाते हैं जिससे उनकी अपनी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इससे सोशल मीडिया पर भी आक्रोश मचा हुआ है। दुर्भाग्य से, मुख्यधारा का मीडिया सोशल मीडिया क्या कहता है इस पर बहुत ध्यान देता है, हालांकि सोशल मीडिया अक्सर मुख्यधारा के मीडिया को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। इसलिए, एक समाज के रूप में, हमें इस बारे में

सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम विचारों को व्यक्त करने के इस नए-नए साधनों को कैसे अनुकूलित करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, तमिलनाडु ने, माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व में, सदा से शांति और सौहार्द वाले राज्य के रूप में कार्य किया है, जहाँ साम्प्रदायिक सौहार्द हमेशा बनाए रखा गया है।

कल माननीय सदस्य श्री महताब ने अपने भाषण के दौरान तमिलनाडु में श्री कोवन की गिरफ्तारी का उल्लेख किया। उन्होंने सदन को गलत जानकारी दी... (व्यवधान) मुझे इसे पूरा करने दीजिए। उन्होंने सभा को गलत जानकारी दी क्योंकि तमिलनाडु सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठा रही है। ... (व्यवधान)

महोदय, मैंने अपना भाषण पूरा नहीं किया है। पूरा होने के बाद, आप जवाब दे सकते हैं। इस संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि श्री कोवन तमिलनाडु में शांति भंग करने के लिए अपनी गतिविधियों के माध्यम से कुछ व्यक्तियों को उकसा रहा है। इसी वजह से तमिलनाडु सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यह श्री कोवन की गिरफ्तारी में सच्चाई है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैं बस इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि श्री जयंत महापात्रा को उद्धृत कर रहा था, जिन्होंने भारत के माननीय राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। यह मेरी राय नहीं थी और न ही मैं सदन को कोई गलत जानकारी दे रहा था। ओडिशा में श्री जयंत महापात्रा ने जो लिखा है, उसकी बड़ी संख्या में ओडिशा के साहित्यकारों ने निंदा की है। मुझे नहीं पता कि देश के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, बड़ी संख्या में ओडिशा के साहित्यकारों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इसकी निंदा की है। वह ओडिशा के एक अकेले सदस्य हैं जिन्होंने ऐसा लिखा है और अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है। वह एक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने कहा कि “मैं अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा रहा हूँ।” इससे और भ्रम पैदा हुआ है। तो यह मेरा इरादा नहीं था। व्यक्तिगत रूप से, एक पत्रकार होने के नाते, मैं जानता हूँ कि कोवन तमिलनाडु में किस प्रकार का

संदेश दे रहे थे। कार्रवाई की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं केवल श्री जयंत महापात्र जी ने जो लिखा था, उसका उल्लेख कर रहा था। यही मेरा इरादा था।

श्री पी. कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, कोवन के मामले में तमिलनाडु सरकार अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रही है। इस संबंध में तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री जो भी कदम उठाना चाहें, वे उठा सकती हैं।

महोदया, मैं अब अपना भाषण जारी रखूंगा। इस बात को याद किया जा सकता है कि जब 6.12.1992 को बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी, और पूरे देश में बड़े पैमाने पर अशांति थी, तो भी तमिलनाडु में कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी।

भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्वयं की राह खोजनी होगी कि देश के सभी सामाजिक वर्ग आपस में सौहार्दपूर्वक रहते रहें। पश्चिमी देशों के जो मूल्य तुलनात्मक रूप से एकसमान समाजों पर लागू होते हैं, उन्हें भारत जैसे अत्यंत विविधतापूर्ण और विषम समाज में सीधे तौर पर लागू करना अधिक कठिन होता है। हमें आशा है कि इस चर्चा के माध्यम से हम इस संबंध में एक सही मार्ग तलाश पाएंगे और देश में सार्वजनिक विमर्श और बहस में जो अत्यंत आवश्यक संतुलन और संयम है, वह पुनः स्थापित हो सकेगा। भारत सरकार की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि किसी भी कीमत पर यह संतुलन और संयम बना रहे।

मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। इसका उल्लेख करने के लिए कई उदाहरण हैं। श्रीरंगम मंदिर में, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, मुख्य गर्भगृह के साथ में एक मंदिर है, जो एक इस्लामी राजकुमारी थुलुक्का नाचियार को समर्पित है। वर्ष में एक बार, रंगनाथ के साथ तुलुक्का नाचियार का कल्याणा उत्सव (विवाह उत्सव) बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

तमिलनाडु में नागौर नामक एक अन्य स्थान 500 से अधिक वर्षों से अपने धार्मिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। संत कादिर वाली को व्यापक रूप से नागौर दरगाह के रूप में जाना जाता है, जहां सभी धर्मों के लोग आस्था के साथ आते हैं और समस्याओं का इलाज चाहते हैं। लोगों का मानना है कि उनकी सभी बीमारियों

का इलाज मिल जाता है। चमत्कार 16 वें शताब्दी से हो रहा है और यह अभी भी जारी है। जब 16वीं शताब्दी के तंजौर के राजा अच्युतप्पा नायकर लकवाग्रस्त स्ट्रोक के बाद बिस्तर पर पड़े थे, तो एक संत कादिर वली ने राजा का स्वास्थ्य ठीक किया। ऐसे समय में जब दुनिया धर्म के नाम पर गंभीर खतरों का सामना कर रही है, यह उल्लेखनीय है कि नागौर अभी भी सद्भाव पर कायम है। कादिर वाली ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से सभी धर्मों के लोगों की सेवा की। नागौर दरगाह का निर्माण राजा अच्युतप्पा नायक द्वारा दान की गई भूमि पर किया गया था। दरगाह के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को गैर-मुस्लिमों के उदार दान द्वारा बनाया गया था। यह दिखाता है कि यह धार्मिक समरसता का प्रतीक है। भारत विशाल विविधता का देश है, अनेक मान्यताओं का सामंजस्य है, सार्वभौमिक सत्य साधक का मार्ग है और गहरी आध्यात्मिकता का देश है।

मेरे राज्य के नागपट्टिनम जिले में आवर लेडी ऑफ वेलंकन्नी का श्राइन बेसिलिका दुनिया का एक और लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। इस शानदार तीर्थस्थल पर, जाति, पंथ, रंग और धर्म की परवाह किए बिना दुनिया भर से लोग साल भर प्रार्थना करने और वेलंकन्नी की धन्य वर्जिन मैरी से अपनी भलाई के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते रहते हैं। वास्तव में गैर-ईसाई ईसाइयों की संख्या ईसाइयों से अधिक है, और इस प्रकार, वेलंकन्नी राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एकीकरण और सार्वभौमिक भाईचारे के लिए आदर्श माना जाता है।

माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा के कुशल नेतृत्व में तमिलनाडु एक शांतिपूर्ण स्वर्ग और सांप्रदायिक सद्भाव का निवास स्थान बन गया है। एक शासक गैर-पक्षपातपूर्ण और व्यावहारिक होना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीर्थयात्रियों को जो कैलाश-मानसरोवर, मुक्तिधाम के पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं, और ईसाई तीर्थयात्री जो यरूशलेम की यात्रा करते हैं तथा हज पर जाने वाले मुस्लिम को भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं।

समापन से पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कहना उचित होगा कि तमिलनाडु निश्चित रूप से अन्य

राज्यों के लिए अनुकरण और अनुसरण करने के लिए एक आदर्श है, खासकर सांप्रदायिक और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने में। मुझे सरकार चाहिए। ऐसी हत्याओं की निंदा करके, 'अनेकता में एकता' के सिद्धांत को मान्यता देकर और यह कहकर कि वे भारत के संविधान के साथ खड़े हैं, सभा और देश को फिर से आश्वस्त करना है। हमने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारा लोकतंत्र बहुत जीवंत और बहुत सहिष्णु है। धन्यवाद, महोदया।

डॉ. तंबिदुरै (करूर): महोदया, मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि श्रीरंगम मंदिर के अंदर मुख्य गर्भगृह के पास में एक अलग मंदिर है, जो एक इस्लामी राजकुमारी थुलुकका नाचियार को समर्पित है। माननीय सदस्य ने अभी-अभी जिस एकता का उल्लेख किया, वह हमारे भारतीय संस्कृति का एक सुंदर उदाहरण है, जहाँ हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई आपस में सौहार्द्रपूर्वक रहते हैं। श्रीरंगम मंदिर के भीतर एक अलग मुस्लिम मंदिर है और वहां प्रतिवर्ष उत्सव भी मनाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

महोदया, भारत में असहिष्णुता पर चर्चा करना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक इस पर गम्भीरता से सोच-विचार कर असहिष्णुता को समाप्त करने के लिए उपाय करना, चर्चा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। असहिष्णुता एक ऐसी स्थिति है, जिस पर बहुत से वादी और प्रतिवादी आज की चर्चा में अपनी बात रख चुके हैं। भारत सरकार तथा देश की सभी न्यायपालिका स्वाभाविक रूप से असहिष्णुता रोकने के सभी प्रयास करती हैं। आज भी बहुत सारे कानून सारे देश में कार्यान्वित हैं, जैसे एट्रासिटी कायदा, मानवाधिकार कायदा, डोमैस्टिक वायलेंस आदि कायदे हैं, जो आज भी इस देश में हर स्टेट में जारी हैं।

समाज के पत्रकारों, साहित्यिक, फिल्मी कलाकारों, राजकीय और सामाजिक नेताओं को अपनी बातें सावधानी से रखनी चाहिए। सामाजिक उत्तंडवाद फैलाने वालों को अपनी जुबान पर रोक लगानी चाहिए।

असहिष्णुता फैलाने में यही लोग कारणीभूत होते हैं। बहुत सी जातियों, धर्मों और भाषाओं से समृद्ध हमारे भारत देश में हरेक समुदाय और पंथ की अपनी श्रद्धा रहती है और इसके खिलाफ आपत्तिजनक भावना भड़काने वाले और समाज में विध्वंस फैलाने का दुष्कार्य यही लोग करते हैं। सम्मान लौटाने का काम करने वाले और देश छोड़ने की भाषा बोलने वाले लोग देशवासियों का अपमान करते हैं। हमारी श्रद्धा पर अश्लीलता का भाष्य करने वालों पर रोक लगाना अत्यधिक जरूरी है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने ऐलान किया था कि इलाज बताइये, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखकर उन पर रोक लगाने और कायदे से कार्रवाई करने की जरूरत है।

महोदया, हिंदू, देवी-देवताओं की उपासना पूजा-अर्चना करने के विरुद्ध बोलने वाला क्या अपराधी या दोषी नहीं होता है। कोई वक्ता देश की परम्परा, धर्म या रुढ़ि के विरुद्ध बोलकर हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस और दुख पहुंचाता है। लेकिन ऐसे वक्ताओं के विरुद्ध बोलना क्या असहिष्णुता फैलाना होता है?

जादू-टोटका आदि इस प्रकार की चीजों का विरोध करना स्वागतयोग्य है, परंतु विरोध करते समय कभी-कभी किसी धर्म का अपमान या उनकी भावनाओं को दुख पहुंचता है, ऐसे समय पर दुख पहुंचाने वाले का विरोध करना क्या असहिष्णुता होती है? पाकिस्तानी खिलाड़ियों और गायकों के लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। पाकिस्तानी लेखकों की किताबों का प्रकाशन हिंदुस्तान में धूमधाम से किया जाता है। लेकिन इनका विरोध करने पर असहिष्णुता याद आती है। पिछड़ी आदिवासी जनता का औषधोपचार करने के बहाने उनका धर्मांतरण करना जायज है, परंतु धर्मांतरण करने वाले का विरोध करना क्या असहिष्णुता होती है? गौहत्या बंदी लागू होते हुए भी गौहत्या करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना क्या असहिष्णुता बन जाती है?

डा. बाबासाहेब अम्बेडकर जी के विरुद्ध बोलने वाले के चेहरे पर कालिख लगाई जाती है। अब कालिख लगाने वाला अपराधी है या डा.बाबासाहेब अम्बेडकर जी के विरुद्ध अपशब्द बोलने वाला अपराधी है।

अध्यक्ष महोदया, मैं महाराष्ट्र की गौरवशाली बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में सामाजिक अभिसरण बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डा.बाबासाहेब अंबेडकर, राजश्री साहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, अहिल्यादेवी होलकर जैसे महापुरुषों तथा ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, संत गाडगेबाबा जैसे संतों के विचारों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में सहिष्णुता का निर्माण हुआ है।

हाल ही में सऊदी अरब, यमन, इजिप्त, फ्रांस में हुई घटना क्या दर्शाती है, कौन असहिष्णुता फैलाते हैं, इसका भी विचार होना चाहिए। सहिष्णुता हिंदुस्तानियों के स्वभाव का एक हिस्सा बन गया है। परंतु कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसका क्या कारण है, इसका भी विचार होना अति आवश्यक है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होती है, मैं समझता हूँ कि उससे असहिष्णुता रुक जायेगी। राजकीय लाभ के लिए सरकार के विरुद्ध जनता का मन कलुषित करने के लिए वर्तमान में कुछ देश विरोधी शक्तियां देश में जातिवाद का विष फैला रही हैं।

महोदया, मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि ऐसी घातक घटनाएं होती हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु ऐसी घटनाओं के लिए मुख्य रूप से जवाबदार दोषियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता इसका अर्थ किसी धर्म की प्रथा या परम्परा पर टीका-टिप्पणी करना नहीं है। ऐसे समाज विरोधी कार्य करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग करके मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): महोदया, आपने मुझे असहिष्णुता के विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महाद्वीपीय विचलन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका से अलग हुआ, हिंद महासागर को पार करता हुआ एशिया से आकर टकराया, जिससे महान हिमालय, हिंदूकुश और अन्य आस-पास की पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। ये पर्वतमालाएँ लाखों वर्षों तक भारत में प्रवेश के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनी रहीं। जैसे-जैसे मनुष्यों ने इन अवरोधों को पार करना सीखा, भारत की ओर प्रवास शुरू हुआ और इस प्रकार भारत विश्व का पहला विविध संस्कृतियों का संगम स्थल बन गया।

इस दुनिया में केवल तीन शुद्ध जातियाँ हैं: नेग्रोइड जो अफ्रीका के लोग हैं और दुनिया के अन्य हिस्सों के आदिवासी हैं, कॉकेशॉइड जो ज्यादातर यूरोप के कॉकेशियाई लोग हैं, और मंगोलॉयड जो प्राच्य लोग हैं। भारतवासी इन तीन में से किसी एक शुद्ध नस्ल के नहीं हैं। हम मिश्रित जाति के लोग हैं। यदि इंद्रधनुष के सभी रंगों को आपस में मिला दिया जाए तो कौन-सा रंग प्राप्त होता है? भूरा रंग प्राप्त होता है, और वही हम हैं- हम भूरे रंग के मिश्रित नस्ल के लोग हैं।

युगों-युगों से लोगों के बड़े समूह भारत आते रहे हैं, लेकिन किसी भी समूह ने कभी भी सामूहिक रूप से भारत नहीं छोड़ा है। मैंने भारतीय शरणार्थी शब्द के बारे में कभी नहीं सुना। हमारे देश के इतिहास में कभी भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण लोगों को भारत से भागना नहीं पड़ा।

हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिसकी जड़ें 5,000 साल पहले, प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही हैं। यह विभिन्न भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं का संलयन या संश्लेषण है। वैदिक काल के बाद 500 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच हिंदू संश्लेषण का विकास शुरू हुआ, इसी दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म की भी स्थापना हुई। यहूदी धर्म पहली बार भारत में लगभग 500 ईसा पूर्व आया, ईसाई धर्म 50 ईस्वी में आया, इस्लाम सातवीं शताब्दी की शुरुआत में आया। 15 वें शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में सिख धर्म की स्थापना की गई थी। भारत हमेशा इन सभी धर्मों के साथ खुद को एकीकृत करने के लिए तैयार था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश साम्राज्य, विशेषकर सफल साम्राज्य, लोगों को अपनी पसंद के धर्म की पूजा करने

की आज़ादी दी, चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक थे। कोई भी साम्राज्य या साम्राज्य जो कम हो गया यह स्वतंत्रता लंबे समय तक नहीं चली और इसका पतन देखा है।

भारत सदियों से अपनी सहिष्णुता के लिए जाना जाता रहा है। क्षमा और शांति सह-अस्तित्व हमारी संस्कृति, परंपरा और लोकाचार में जन्मजात और अंतर्निहित हैं। पृथ्वी पर सबसे विविध देश होने के नाते, हम एक-दूसरे के प्रति सहनशील हैं विचार, आदर्श और विश्वास, जब तक कि कुछ धार्मिक या राजनीतिक पितृसत्तात्मक समूह मतभेदों को संघर्ष में बदलने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण हमें ब्रिटिश शासन के दौरान देखने को मिला, जब उन्होंने 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत जाति, क्षेत्र और धर्म का प्रयोग किया। निश्चित रूप से, ऐसी कुत्सित और कृत्रिम चालें कई बार सफल भी हुईं, लेकिन वे क्षणिक थीं और अधिक समय तक टिक नहीं पाईं। यही हमारे देश की शक्ति है, और यही भारत की सुंदरता भी है।

हमारे पूर्वजों, हमारे पूर्वजों ने, जिनमें मेरे दादा भी शामिल थे जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इस सम्माननीय सदन के सदस्य भी रहे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह महसूस किया कि भारतीय समाज में क्या कमजोरियाँ थीं और कैसे हम अंग्रेजों की चालों में फँसते चले गए। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जब तक हम पहले भारतीय के रूप में एकजुट नहीं होंगे, हम सफल नहीं हो सकते। यही हमारी आपसी एकता थी जिसने हमें सदियों की विदेशी हुकूमत के बाद स्वतंत्रता दिलाई। इसलिए, हमें इस एकता को हर कीमत पर बनाए रखना होगा।

हमने अभी-अभी उन परिस्थितियों पर चर्चा पूरी की है जिनके अंतर्गत भारतीय संविधान की रचना की गई थी — एक ऐसा समय जब देश विभाजन की भीषण त्रासदी से गुजर रहा था, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा के कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस पृष्ठभूमि में बना यह संविधान सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र से हों, सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को प्रतिष्ठित करता है। कुछ समय तक ये आदर्श प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित हुए। लेकिन

इसके बाद देश में वोट बैंक की राजनीति का दौर शुरू हो गया। हम सभी जानते हैं कि यह कब शुरू हुआ था, और किसके द्वारा शुरू किया गया। सत्ता में बने रहने के लालच के कारण इस देश को बांटने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है। वंचितों और कमजोरों का शिकार वर्ग, बेईमान तत्व देश को और बांटने के लिए 'धर्मनिरपेक्षता' और 'असहिष्णुता' जैसे शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे हैं जातिगत राजनीति करना और अल्पसंख्यकों का शोषण करना बैंक; इसे रोकना होगा। यदि नहीं, तो हमारा राजनीतिक वर्ग न केवल असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए बल्कि अपरिहार्य के लिए भी जिम्मेदार है धार्मिक चरमपंथ का उदय चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान। शिया और सुन्नियों के बीच मुसलमानों और यहूदियों के बीच इस प्रकार की असहिष्णुता, उन युद्धों को हवा देती है जो हम मध्य पूर्व में देखते हैं।

महोदया, पश्चिमी समाजों में अलग-अलग आस्थाओं के लोगों और गैर-पश्चिमी देशों से आए नागरिकों के प्रति जो असहिष्णुता देखने को मिल रही है, वह अत्यंत चिंताजनक है। वे अपने बमों और सैन्य शक्ति के बल पर सरकारों को गिराने का जो खेल खेलते हैं, उसमें वे यह सोचने की भी परवाह नहीं करते कि उनके पीछे छोड़े गए शून्य में आम लोगों का क्या होगा। यही रवैया, जो द्वेष और घृणा को जन्म देता है, धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद दोनों को ही बढ़ावा दे रहा है। अब समय आ गया है कि विश्व यह समझे कि सभी आतंकवादी एक जैसे ही होते हैं।

आतंकवाद के कारण हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। लेकिन, हम इस्लाम विरोधी रैलियां नहीं कर रहे हैं और न ही हमें 'इस्लामाफोबिया' शब्द के बारे में पता है। जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री ने संविधान पर अपने संबोधन में बताया, इस्लाम में 72 संप्रदाय हैं और भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां सभी 72 संप्रदाय मौजूद हैं।

हाल ही में, मैंने देखा है कि आई.एस.आई.एस. झंडे आजकल गुमराह युवाओं द्वारा जम्मू और कश्मीर में भी दिखाए जाते हैं। हम केवल उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे

आई.एस.आई.एस. जाल में न फंसे और उनके करियर को नष्ट न करें, लेकिन हम उन्हें प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं।

एक समय स्पेन और पुर्तगाल भी मुस्लिम देश थे। फिर, स्पेनिश अधिग्रहण के दौरान, मुसलमानों को क्रूरता से बाहर निकाला गया। हम ऐसा नहीं करते। हमने ऐसा कभी नहीं किया। बल्कि, हम वास्तव में अपने मुगल राजवंश का जश्न मनाते हैं और यह काल हमारी संस्कृति और इतिहास का उतना ही हिस्सा है जितना किसी अन्य काल का। और, भारतीय व्यापारी भी दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लाम फैलाते हैं। यह सब नहीं है। हम न्यायवाद, पारसीवाद, इस्लाम, तिब्बती बौद्ध, प्रारंभिक ईसाई धर्म आदि जैसे प्रताड़ित समुदायों का घर रहे हैं। मुझे लगता है, ये उदाहरण पर्याप्त संकेत देते हैं कि भारत न केवल अन्य संस्कृतियों के लिए सहिष्णु है, बल्कि उनका सम्मान, सराहना और जश्न भी मनाता है।

यह यहाँ हर किसी का अनुभव है जब घर पर दो भाई-बहन होते हैं; यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि थोड़ा विरोधाभास और असमानता मौजूद है। उसी तरह, जब विभिन्न आस्थाएं एक ही राजनीतिक या भौगोलिक क्षेत्र में सह-अस्तित्व में होती हैं, तो कभी-कभी कुछ मतभेद भी मौजूद होते हैं। और, इस तरह के विरोधाभास या मतभेद भारत के लिए नए नहीं हैं, लेकिन उनके मध्यकालीन और आधुनिक काल में मौजूद हैं। लेकिन समस्या तभी पैदा होती है जब कोई किसी राजनीतिक उद्देश्य को हासिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी 'विशेष अवधि' के दौरान बढ़ती असहिष्णुता पर बहस को 'स्विच-ऑन' कर देता है और तब 'स्विच-ऑफ' हो जाता है जब वह 'विशेष अवधि' समाप्त हो जाती है और उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। यह भारत जैसे देश में स्वीकार्य नहीं है।

पिछले आठ से दस महीनों में हुई कुछ घटनाओं की बात करें तो चाहे वह दादरी हत्याकांड हो या अलग विचारधारा वाले लोगों के चेहरे पर स्याही फेंकना हो या कलबुर्गी या ढाबोलकर की हत्या या ऐसी ही अन्य घटनाएं, हमारी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, न तो कभी सदस्यता लेता है, न ही समर्थन करता है, न ही ऐसी चीजों को उचित ठहराता है और हम कड़ी से कड़ी भाषा में उनकी निंदा करते हैं। लेकिन, साथ ही, मैं आपसे पूछता

हूँ: "केंद्र की एनडीए सरकार ऐसी घटनाओं के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है?" कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। यदि ऐसी कोई घटना होती है, तो संबंधित राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। कार्रवाई करने के बजाय, केंद्र सरकार को दोष देना कैसे उचित है? यदि केंद्र सरकार की भूमिका है, तो भारत सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से पहले इसे साबित कर दें। इसलिए, राज्य सरकारों की अक्षमता को माननीय प्रधान मंत्री या माननीय गृह मंत्री की विफलता के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इसलिए, मैं केवल यही चाहता हूँ कि राज्य उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अन्यथा इस बात की पूरी संभावना है कि इस तरह की घटनाएं अन्य राज्यों में भी दोहराई जाएंगी, जो इस देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए अधिक खतरनाक है।

महोदया, मुझे ऑस्ट्रियाई-ब्रिटिश दार्शनिक, सर रेमंड पॉपर और उनके "असहिष्णुता के विरोधाभास" की याद आ रही है, जो कहता है: 'अनिवार्य रूप से जो असहिष्णुता के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है वह प्रतिद्वंद्वी विचारों के प्रति असहिष्णु हो रहा है।' हमें असहिष्णु होने की जरूरत है लेकिन ऐसा क्या है जिसके बारे में हमें असहिष्णु होने की जरूरत है? हमें भ्रष्टाचार, गरीबों, कमजोरों और हाशिये पर पड़ी ताकतों के शोषण या प्रेरित धर्म परिवर्तन; आतंकवाद; महिलाओं और बच्चों का यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार; पूर्वाग्रह; अवसरों की असमानता; किसानों को कर्ज के जाल में फँसाना; पुलिस बर्बरता; दहेज उत्पीड़न; जातीय संघर्ष; विकास में बाधा डालना और धर्म, जाति, पंथ, क्षेत्र, रंग और भाषा के आधार पर भेदभाव के प्रति असहिष्णु होने की जरूरत है।

मैं डॉ. तंबिदुरै के इस सुझाव का पूर्ण समर्थन करता हूँ कि सभी भाषाओं को एक साथ अनुवाद के साथ संसद में एक स्थान मिलना चाहिए, और यह भी सुझाव देना चाहिए कि इसे लोक सभा टीवी और राज्य सभा टीवी पर प्रसारण तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। दर्शकों के लिए अपनी पसंद की भाषा चुनने के लिए तकनीक उपलब्ध है। सभी नागरिकों को संसद में कार्यवाही को देखने और समझने का अधिकार होना चाहिए। इसे केवल

उन लोगों तक ही सीमित क्यों किया जाना चाहिए जो हिन्दी या अंग्रेजी समझते हैं? यह भेदभाव है महोदया, जिसे आसानी से हल किया जा सकता है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा न किया जाए।

अंत में, मैं इस चर्चा पर विचार करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ समय लेना चाहूंगा। सहिष्णुता हमारा परम लक्ष्य क्यों होना चाहिए? हम एक-दूसरे को क्यों बर्दाश्त करें? महोदया, क्या यह हमारा लक्ष्य है? सहिष्णुता केवल सबसे कम आम भाजक है। बल्कि, हमें स्वीकृति, सम्मान और प्यार के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो शांति और सद्भाव में रहता हो।

धन्यवाद, महोदया। जय हिंद!

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 13.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई।

अपराह्न 14.13 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बजकर तेरह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में ...जारी

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों, आइए नियम 193 के तहत चर्चा जारी रखें।

अब, श्री ए. पी. जितेंदर रेड्डी। कृपया बहुत संक्षिप्त रहें क्योंकि हमारे पास समय कम है।

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): मैं एक ही मिनट में खत्म कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है।

[अनुवाद] महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस हर महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

[हिन्दी] असहन और सहन के बारे में यह चर्चा जो आज चल रही है, दूसरे लोगों ने जो बात की, दूसरों के माफिक धर्म, मजहब के बारे में मैं नहीं जाना चाहता। तेलंगाना राज्य में हमारे जो मुख्यमंत्री के.सी.आर. जी हैं, अब राज्य का गठन होने के बाद डेढ़ साल हो रहा है। तेलंगाना के अन्दर एक गंगा-जमुनी तहजीब से हम

चल रहे हैं। हम मानते हैं कि तेलंगाना में हिन्दू और मुस्लिम इतने सदियों से साथ मिलकर रह रहे हैं। हर त्यौहार या जो भी खुशी का मौका है, हर मौका हम लोग दोनों साथ मिलकर मनाते हैं।

अगर दीवाली में 'अली' नहीं आए, तो दीवाली नहीं होती है। उसी तरीके से अगर रमज़ान में 'राम' न हो तो रमज़ान नहीं होगा। इस तरह से हम लोग दीवाली मनाते हैं और रमज़ान भी मनाते हैं। यह हम लोगों की गंगा-यमुना तहज़ीब है, जिसके तहत हम लोग आज तेलंगाना में साथ-साथ चल रहे हैं।

हम लोगों को थोड़ी-सी असहमति है। हमने पहले ही दिन बताया था कि हमारा जो राज्य है, यह नया राज्य है। इसका थोड़ा पोषण कीजिए। हमें थोड़ी सहायता कीजिए। साठ सालों तक हमारे राज्य में दूसरे प्रदेश के लोगों ने जो रूलिंग किया था, तो हमारा पानी, हमारा इम्प्लॉयमेंट और हमारा जो पूरा कोष था, वह पूरा हम लोगों से लुट गया था। हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री से मांग की थी। हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। हम दूसरे का हक भी छीनना नहीं चाहते हैं। तेलंगाना में पहले से यह भावना है कि हमारी जो चीज़ है, हम उसी के हद में रहना चाहते हैं।

आंध्र प्रदेश रि-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो है, वह सब हमें दीजिए, जैसे हाईकोर्ट का बाइफरकेशन है, प्राणहिता चवेल्ला के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट है, एम्स के लिए बजट है इत्यादि। हाल ही में जो डॉट उभर कर आया है, तो बहुत सालों के बाद हमारे तेलंगाना क्षेत्र में आज अकाल की परिस्थिति पैदा हुई है। 231 मंडल आज अकालग्रस्त है। इसके लिए हमने इम्मीडेटली 500 करोड़ रुपए का रिलीफ मांगा है। वहां कॉटन फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए कॉटन का प्रॉपर एम.एस.पी. प्राइस नहीं मिल रहा है। वहां पर उसका प्रॉपर बाइंग यूनिट्स भी नहीं है। इसी तरीके से, छः मेट्रो सिटीज़ को जो 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य हम असहिष्णुता के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : नहीं सर, यह हमारी असहमति है, जिसे हम बताना चाह रहे हैं। मैंने पहले से ही बताया है कि मैं मज़हब और धर्म के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। हमारा जो नया राज्य बना है, इसके आइटम्स के ऊपर [अनुवाद] एफ.आर.बी.एम. में 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। [हिन्दी] हमने अरुण जेटली जी को एक पत्र भी लिखा है। डेढ़ सालों से हमारे सारे एम.पी., हमारे चीफ मिनिस्टर, हर आदमी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आप इन चीजों को किसी अन्य अवसर पर उठा सकते हैं। आपको इन चीजों को उठाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य अवसर पर।

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : सर, यह हमारी असहमति है। [अनुवाद] विषय असहिष्णुता है। [हिन्दी] इसलिए हम इनटॉलरेंस के ऊपर हम यह बात बता रहे हैं। मैंने टॉलरेंस के ऊपर बता दिया। अभी हमारे एम.पी. आए हुए हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट रि-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि [अनुवाद] एक वैगन फैक्ट्री होगी जो वारंगल के पास काजीपेट में बनाई जाएगी। [हिन्दी] आज उन्होंने बोला कि इसे नहीं करेंगे। वहां स्टेट गवर्नमेंट ने उसके लिए लैंड खरीदी है। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया है। [अनुवाद] आज, वे कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको यह वैगन फैक्ट्री नहीं देंगे। [हिन्दी] यह जो हमारी असहमति है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमसे जो टॉलरेट नहीं हो रहा है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं।

[अनुवाद] मा

ननीय उपाध्यक्ष: आप गृह मंत्री को भूल गए हैं। आप केवल वित्त मंत्री को देख रहे हैं। यही समस्या है।

श्री ए. पी. जितेंदर रेड्डी: न केवल उनके लिए, बल्कि हमें कई समस्याएं भी हो रही हैं। [हिन्दी] एमपीलैड्स की असहमति का नहीं है, मेरी वह प्रॉब्लम नहीं है। ...(व्यवधान) [अनुवाद] मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि मेरा

राज्य एक नवगठित राज्य है और हम इसे विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी मंत्रालयों के आस-पास जा रहे हैं। हम सभी मंत्रियों से मिल चुके हैं और हमने उन्हें अपनी समस्याएं बताई हैं। लेकिन फिर भी हम किसी के आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। हमने कहा है कि हम अपना राज्य बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ही बिजली की समस्या का समाधान कर दिया है। आज हम 24/7 बिजली दे रहे हैं।

पेयजल के संबंध में, हमने पंचायती राज मंत्री जी से पहले ही हमें उसके लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए कहा है लेकिन आज तक कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम यह सब सहन नहीं कर रहे हैं। हम खुद को किसी भी व्यक्ति के आने और उसे हमें देने की प्रतीक्षा करने के अधीन नहीं कर रहे हैं। पहले से ही एक जलग्रिड कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसी तरह से हम उमा भारती जी से भी मिले हैं। हमने उसे अपने जल संसाधन कार्यक्रमों के लिए धन देने के लिए कहा है। हमारे पास कुछ नहीं है। फिर भी हमने अपना काकतीय मिशन शुरू कर दिया है और हम सभी झीलों और तालाबों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। यहां तक कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी, विशेषकर प्राणहिता चेवेल्ला के लिए, कुछ भी नहीं दिया गया। उन्होंने वादा किया है कि हर राज्य को एक राष्ट्रीय परियोजना दी जाएगी। आज भी उन्होंने नहीं दिया। हालांकि, हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए, राज्य में हो रही सभी प्रगति को देखते हुए, हम माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं। हम गृह मंत्री के पास जा रहे हैं और उनसे उच्च न्यायालय के विभाजन के लिए अनुरोध कर रहे हैं। किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तक कार्यालयों का विभाजन लंबित है। तो, मैं जो कह रहा हूँ, वह यह है कि यह असहिष्णुता है।

दूसरे विषय के संबंध में मैं यहां यह नहीं बता रहा हूँ कि मेरे लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। [हिन्दी] यहाँ पर नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे देश में जाकर उन लोगों को बसने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरे मुख्यमंत्री जी सबका आदर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इधर-उधर क्यों जाते हो, हमारे पास आकर बसो। दूसरे देश में क्यों जाते हो, हर चीज हम यहाँ पर देने वाले हैं। इस पूरी चीज के लिए मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो इनटॉलरेंस है, यह जो हमसे वादा किया और जो आइटम्स हैं, इन आइटम्स के ऊपर आप हमारा

भरपूर सहयोग कीजिए। जो आपने वादा किया है, मैं कोई नया नहीं पूछ रहा हूँ, हमको जरूरत भी नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, किसी का कुछ छीनने का भी हमारा इरादा नहीं है। मैं आपको पहली बात बताता हूँ, इनटालरेंस की बात जो बोल रहे हैं, [अनुवाद] संसद के पहले दिन, इस सभा में एक अध्यादेश पारित किया गया और आदिवासियों के खिलाफ तेलंगाना के सात मंडल हमसे छीन लिए गए हैं। आदिवासी रोते-बिलखते आए हैं। वे कहते हैं कि हम तेलंगाना में रहना चाहते हैं। सभी गांव जलमग्न हो गए हैं। तो, यह असहिष्णुता है। लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम सब बर्दाश्त करेंगे। हम सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ने जो भी वादा किया है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो हमारी ओर से कोई असहिष्णुता नहीं होगी। आप जो भी कह रहे हैं, उसे हम आज तक भी बर्दाश्त कर रहे हैं।

महोदय, आपने आज तक देखा है कि हमने सदन को बाधित नहीं किया है। हमने सभा को स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं किया है। हमने स्वयं अपने पैरों पर संपूर्ण पीड़ा ली है और हम वहां खड़े हुए हैं। हम, हमारे सभी 11 सांसद, वहाँ घंटों-घंटों एक साथ खड़े रहे। लेकिन सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। हमने खुद को सहन किया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे असहनीय स्तर पर न आने दें। फिर से, अपने तेलंगाना के लोगों की ओर से, अपने मुख्यमंत्री की ओर से और सभी सांसदों की ओर से, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अधिनियम में जो भी वादा किया गया है और जो भी तेलंगाना के लिए आवश्यक है, वह हमें प्रस्तुत करें। तब यह सहनशील होगा। यदि नहीं, तो यह असहनीय होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो अपना लिखित भाषण सदन के पटल पर रखने में रुचि रखते हैं, उन्हें सदन के पटल पर रख सकते हैं।

वर्तमान चर्चा 31 नवंबर को श्री मोहम्मद सलीम द्वारा उठाए गए देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में पर है। इसलिए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल चर्चा से संबंधित मुद्दे ही उठाएं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यह नोटिस श्री पी. करुणाकरन और के.सी. वेणुगोपाल के नाम पर है और एजेंडा भी उसी तरह से आया है। श्री मोहम्मद सलीम ने चर्चा शुरू की क्योंकि उन्होंने उसे अधिकृत किया।

माननीय उपाध्यक्ष: लेकिन, प्राधिकरण अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्हें श्री पी. करुणाकरन की ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया गया था। इसलिए, एजेंडे में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे श्री पी. करुणाकरन और श्री के. सी. वेणुगोपाल के नाम पर जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी. करुणाकरन ने अपना मौका छोड़ दिया और मोहम्मद सलीम को बोलने के लिए अधिकृत किया।

... (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): मैंने भी नोटिस दिया है। मेरा नाम सूची में है। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: यह ठीक है। लेकिन मैंने केवल वही नाम बताया जिसने बहस शुरू की। आप यह भी कहते हैं कि इसकी शुरुआत मोहम्मद सलीम ने की थी। कल आपने भी उसी तरह से बात की थी।

... (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल: मेरा नाम सूची में ही है।... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है। जो भी आपने उठाया है, उसे जोड़ा जा सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है।

अब, श्री वरप्रसाद राव हैं।

श्री वरप्रसाद राव वेलागपल्ली (तिरुपति): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या मुझे इस सीट से बोलने की अनुमति दी जा सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है, आप वहां से बोल सकते हैं।

श्री वरप्रसाद राव वेलागपल्ली: महोदय, भारत दुनिया भर में अपनी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। वास्तव में, हाल ही में कई देश अपने जीवंत लोकतंत्र और सच्ची धर्मनिरपेक्षता के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। पिछले आठ महीने में देर से जो हो रहा है वह थोड़ा परेशान करने वाला है और हम जैसे लोग शीर्ष पर बैठे लोगों से इस तरह के रुझान को रोकने का अनुरोध करते हैं ताकि दुनिया में भारत का जो भी नाम है उसे जारी रखा जा सके।

सबसे पहले, यह *घरवापसी* से शुरू हुआ। भारत में पहले से ही सौ करोड़ से अधिक हिंदू हैं जो बेहद गरीब हैं और हजारों मंदिर बहुत ही जर्जर स्थिति में हैं जहां पूजा और *अर्चनाएं* नहीं की जा रही हैं। यदि वे वास्तव में हिंदू धर्म में रुचि रखते हैं और इसकी रक्षा करना चाहते हैं, तो इस तरह के विवाद में आने के बजाय वे मंदिरों के नवीकरण और मंदिरों में पूजा और *अर्चनाओं* के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

मैं यहां अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूं। जब मैं तमिलनाडु में एक आई.ए.एस. अधिकारी था। महोदय, जयललिता ने शुरू में धर्मांतरण विरोधी कानून के साथ कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने तुरंत धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लिया और लोगों की भावनाओं का सम्मान किया। फिर, उसने मंदिरों का नवीनीकरण किया है, पूजा शुरू हुई है और कई मंदिरों में *आर्चिका अन्नधनम* की नियुक्ति की है। इस प्रकार उन्होंने हिंदुत्व को सामने लाने में मदद की। अगर वे वास्तव में हिंदू धर्म की सेवा करना चाहते हैं, तो उस तरह के कदम उच्च स्तर पर भी उठाए जाने चाहिए।

इसके बाद गौमांस खाने का मामला सामने आया। सदियों से लोग अपनी पसंद का खाना खाते रहे हैं। हमारा एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है। किसी भी सरकार को, चाहे उसके पास कितना भी बहुमत हो, यह मानते हुए कि उसके पास 545 सीटें हैं, संविधान की बुनियादी संरचना के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। वास्तव में, एक बात की सराहना की जा सकती है जब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री माननीय श्री किरेन

रिजीजू ने कहा: 'मुझे गौमांस खाने का पूरा अधिकार है और अगर कोई उन्हें रोक सकता है तो उन्होंने इसे चुनौती दी है।'

इसका मतलब है कि खाना एक व्यक्तिगत विकल्प है। दादरी में हुई लिंगिंग (किसी व्यक्ति को एक अनुशासनहीन भीड़ के द्वारा तब तक पीटा जाता है जब तक की उस की मृत्यु न हो जाए) और अन्य घटनाओं में जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में हुई, तीनों लोग अल्पसंख्यकों के थे। शीर्ष पर कोई भी इसकी निंदा नहीं कर सकता है। कम से कम दादरी की एक घटना में, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि इसके पीछे एक बीजेपी पदाधिकारी था। यह मेरा नजरिया नहीं है। ... (व्यवधान) मुझे पूरा करने दीजिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया। इसलिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा।

मैंने किसी को चुनौती नहीं दी। मैंने अभी मिजोरम में नागरिक समाज के सामने, जहां एक विशेष समुदाय का प्रभुत्व है, एक बयान दिया था कि खाना एक व्यक्तिगत पसंद है और कोई भी आकर आपको घर पर मजबूर नहीं करेगा कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। इसलिए, मीडिया में, यह ऐसा सामने आया जैसे कि मैं रास्ते से बाहर चला गया हूं और लोगों को चुनौती दी है कि 'आओ और मुझे रोको'। यह गलत धारणा बनाई गई थी।

दूसरी बात, उन्होंने दादरी की घटना के बारे में बयान दिया। वह यहां एक निर्णायक टिप्पणी नहीं कर सकते कि एक बीजेपी सदस्य शामिल था। जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक वह कैसे बयान दे सकते हैं कि वहां कोई बीजेपी सदस्य शामिल था? ... (व्यवधान) नहीं, लेकिन वह सदन में गलत तथ्यात्मक बयान नहीं दे सकते। ... (व्यवधान)

श्री वरप्रसाद राव वेलागपल्ली: माननीय मंत्री जी को भी इस बात की सराहना करनी चाहिए कि मैं केवल वही कह रहा हूं जो अखबारों में छपा है। यदि ऐसा है, तो आप इसकी निंदा भी कर सकते हैं। यदि आप पाते हैं कि इसमें कोई भा.ज.पा. पदाधिकारी शामिल नहीं है, तो आप यह भी कह सकते हैं और आपकी छवि बढ़ जाएगी। मैं इतना ही कह सकता हूं।

मैं न तो भाजपा के खिलाफ हूँ और न ही किसी सरकार के। हमारी पार्टी बहुत छोटी है और पूरी तरह से राजनीतिक रूप से तटस्थ है। हमारा कोई राजनीतिक टिप्पणी करने का इरादा नहीं है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि भारत हमेशा से इसी तरह का देश रहा है कि विविधताओं और मूल्यों वाला। वर्तमान भाजपा सरकार को अतीत की भाजपा सरकार से एक 'स्वर्णिम पन्ना' लेना चाहिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात दंगों के संदर्भ में कहा था कि "यह लोकतंत्र पर एक धब्बा है", जबकि उस समय केंद्र में और गुजरात में दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। फिर भी वे यह कह सके। हमें ऐसे ही नेतृत्व की आज आवश्यकता है ताकि विश्व समुदाय भारत की सराहना कर सके। मैं यहां राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा केवल यह अनुरोध है कि क्यों न हम वाजपेयी जी के जीवन के उस स्वर्णिम पृष्ठ से कुछ सीखें?

महोदय, तर्कवादी विचारधारा रखने वाले कलबुर्गी, दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्याएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता/चाहती हूँ कि हम यहां राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हमने समाचार पत्रों में देखा है कि इन तीनों घटनाओं के पीछे बजरंग दल से जुड़े लोगों का हाथ बताया गया है। चौथे तर्कवादी को भी चेतावनी दी गई थी कि अगर वह अपने विचार नहीं बदलते, तो उनका भी वही हाल किया जाएगा जो इन तीनों का हुआ। ... (व्यवधान) यदि ऐसा है, तो शायद यह सही है। ... (व्यवधान) हम इसे नकारते नहीं हैं। फिर, ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं? इन पर खुलकर विरोध क्यों नहीं किया जाता? मेरा कहना केवल इतना ही है।

अब मैं पुरस्कारों की वापसी पर आता हूँ। एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को अपनी पीड़ा व्यक्त करने के अलग-अलग तरीके हैं क्योंकि हमारे पास बहुत स्वतंत्रता है। हम सभी ने इसका आनंद लिया। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें यह स्वतंत्रता दी है; यह संविधान में निहित है। यह अभूतपूर्व है कि 45 से अधिक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं और पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं ने अपने पुरस्कार लौटाए हैं। उन्हें यह कहकर अपमानित नहीं करना चाहिए कि वे लोग अपना संरक्षण चुकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आखिरकार, उन्हें बहुत मेहनत से पुरस्कार मिला है। जिस तरह हम जीवन भर राजनीति के लिए काम करते हैं, उसी तरह इन लेखकों

ने भी लोगों का मनोरंजन करने और जागरूकता पैदा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इसलिए, यह चिंता करने के बजाय कि 50 लोगों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए हैं, फिर भी उनकी आलोचना करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन जैसे लोगों ने कहा कि इस तरह के स्थान पर रहना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अतीत में भारत बेहद शांतिपूर्ण और सहिष्णु था, और वर्तमान में यह असहिष्णु होता जा रहा है। उनकी कोई राजनीति नहीं है, और हमें बस आंखें खोलने वाले की जरूरत है। लोगों ने अद्भुत फैसला दिया है और आपके पास इन छोटी-छोटी बातों में पड़ने के बजाय विकास और अन्य चीजें करने के लिए बहुत सी चीजें हैं।

फिर से, राजनीतिक असहिष्णुता और कई सांसदों और मंत्रियों द्वारा दिए गए बयानों की आवश्यकता नहीं है और एक लोकतांत्रिक देश में एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है, जिससे बचा जा सकता है। इस तरह के बयान देकर, वास्तव में, जानबूझकर, मामलों के शीर्ष पर कुछ लोग सोते हुए प्रतिद्वंद्वियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, इससे शीर्ष पर बैठे लोग बच सकते थे। उदाहरण के लिए, मैं फिर से उल्लेख कर सकता हूँ कि कांग्रेस उपाध्यक्ष अपना होमवर्क नहीं करते हैं या कांग्रेस के पुनरुद्धार का कोई संकेत नहीं है या वामपंथी पार्टी अपनी प्रासंगिकता खो रही है। इस तरह की सभी प्रकार की राजनीतिक असहिष्णुता, यदि वास्तव में ऐसा होता है, तो और भी अधिक खुशी की बात है क्योंकि आप इसे और अधिक वर्षों तक जारी रख सकते हैं। इसलिए, इस तरह की अन्य राजनीतिक दलों की भावनाओं को आहत करने से बचा जा सकता है।

18 महीनों और 'घर वापसी' जैसे कई अन्य विवादों के बाद एक अच्छा रुझान देखने को मिला है। अब, माननीय प्रधान मंत्री ने महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं को आमंत्रित करने का विकल्प चुना है। यह एक बहुत अच्छी रुझान है। अब, यह महसूस किया गया है कि बहुमत के शासन के बजाय व्यापक सहमति की सलाह दी जाती है। यह एक सकारात्मक परिवर्तन है, और मुझे आशा है कि शेष कार्यकाल में सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो संसद का संचालन भी सुचारु रूप से होगा और संसद देश के विकास में एक वास्तविक योगदान दे सकेगी, खासकर जहां गरीबी उन्मूलन जैसे लंबित मुद्दे मौजूद हैं। इस विषय पर हमने कई बार वायदे

किए हैं। यह सदन सभी का है, लेकिन पिछले 18 महीनों में, कम से कम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो एक भी घर बनता हुआ मैंने नहीं देखा। क्या इसी तरह के विकास की हम अपेक्षा करते हैं?

मैं उन व्यक्तियों में से एक था जो दृढ़ता से मानते थे कि बीजेपी अनुशासित पार्टियों में से एक है, और वे उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं जैसा कि अतीत में था। भविष्य में भी वे उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं और लोग इसके बारे में निर्णय करेंगे। हाल ही में, पाकिस्तान के कवि, फहमिदा रियाज़ ने कहा कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकलो। आप तो हमारे जैसे ही निकले, मतलब पाकिस्तान की धरती से बोल रही हैं और ये कहने की हिम्मत रखती हैं। इसका मतलब यह है कि वे सभी भारत को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। 18 महीने की घटनाओं को देखने के बाद वह कह सकती थी कि आप हमारे जैसे ही निकले। यह वास्तव में हमारे लिए एक आंख खोलने वाला है। आइए हम बाकी दुनिया को उस तरह की छाप न दें।

कुछ पहले के वक्ता यह कह रहे थे कि किसी राज्य में जो कुछ भी हो रहा है, वह राज्य का विषय है, जैसे कि कानून और व्यवस्था आदि। लेकिन हम में से कई लोग इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार, चाहे जो भी कहा जाए, एक शक्तिशाली संस्था है। इसके पास हर राज्य में आई.ए.एस. अधिकारी हैं। वर्तमान में लोग इस बात से काफी वाकिफ हैं। भले ही कुछ हद तक बीजेपी की आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी मौजूदगी न हो, फिर भी केंद्र में बीजेपी निचले स्तर पर आवाज उठाती है। इसलिए, वर्तमान लोकतंत्र को अधिक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए, सरकार अपनी पार्टी के नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों और मंत्रियों को कोई भी भड़काऊ बयान न देने के लिए कह और सलाह दे सकती है। जब माननीय मंत्री श्री वी.के. जैसे व्यक्ति भारतीय सेना के प्रमुख जैसे उच्च सम्मानित पद पर रहे सिंह आए दिन इस तरह की टिप्पणियाँ दे रहे हैं, इंसानों का अपमान कर रहे हैं, इंसानों की तुलना कुत्तों से करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ... (व्यवधान)

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): उन्होंने ऐसा नहीं किया। ... (व्यवधान)

श्री वरप्रसाद राव वेलागपल्ली: हो सकता है कि आप इसकी जाँच कर लें। हम जैसे लोग यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कुछ मनुष्यों की

तुलना कुत्तों से करना अत्यंत निंदनीय है। इस तरह के बयानों से बचा जाना चाहिए। लोगों ने जनादेश केवल संविधान की मर्यादा के भीतर शासन करने के लिए दिया है, न कि उससे बाहर जाने के लिए।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

8*डॉ. सुभाष रामराव भामरे (धूले) : मुझे नहीं पता कि मैं इन दिनों भारत के असहिष्णु होने के बारे में क्यों पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि भारत कोई असहिष्णु राष्ट्र नहीं है। मुझे लगता है कि यह मीडिया के कुछ वर्गों का केवल दुष्प्रचार है। मेरी राय में इस मामले की सच्चाई यह है कि भारत को कोई असहिष्णुता नहीं मिल रही बल्कि अधिक संवेदनहीन और असंवेदनशील हो रही है।

औसत भारतीय न तो बहुत सहिष्णु है और न ही असहिष्णु है, लेकिन ज्यादातर जाति या समुदाय के मामलों के प्रति उदासीन है, जब तक कि यह निश्चित रूप से उसके तत्काल या रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार, कोई भी औसत भारतीय, अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने विश्वास को कायम रखते हुए और अन्य जाति या समुदाय के लोगों के बारे में कुछ अस्पष्ट रूढ़िवादिता को बनाए रखते हुए, आम तौर पर हर दिन दंगों में शामिल नहीं होता है या हिंसक हत्या की होड़ में नहीं जाता है।

पक्षपात और उसके रक्तरंजित परिणामों के दिनों से ही, भारत में बड़े और छोटे सांप्रदायिक दंगे तथा जातिगत टकराव समय-समय पर होते रहे हैं। लेकिन फिर भी इनमें से अधिकांश झड़पें सख्ती से स्थानीयकृत थीं और उनके मूल में किसी भी कट्टर सांप्रदायिक उन्माद की तुलना में व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता या बुनियादी आजीविका के मुद्दे थे। आम जनता ने ऐसी शत्रुता को कभी अनुमोदित नहीं किया।

हाल की अवधि में भी, गृह मंत्रालय (एमएचए) के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2013 में सांप्रदायिक हिंसा के 823 मामले, वर्ष 2014 में 644 और इस साल अक्टूबर तक 633 मामले सामने आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हाल के दिनों में इन घटनाओं में कोई तेजी नहीं आई है और उप-नियम के तहत स्थिति लगभग समान या अधिक रही है।

8* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

तो, मामलों की सच्चाई यह प्रतीत होती है कि भारत शुरू से ही उतना ही सहिष्णु या असहिष्णु रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति को अधिक चिंताजनक बनाने वाला पहलू है समाचार चैनलों का व्यापक प्रसार और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी कानफोड़ आवाज़ और उत्तेजक प्रस्तुति की शैली।

विशेष रूप से, सोशल मीडिया द्वारा निभाई गई भूमिका, जिसमें परेशानी पैदा करने और घटनाओं पर समान रूप से तीखी प्रतिक्रिया देने में प्रामाणिकता या जवाबदेही दोनों की कमी लगती है, ने पूरे परिदृश्य को अत्यधिक नाटकीय बना दिया है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे देश दिन पर दिन असहिष्णु होता जा रहा है। भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को सबसे ज्यादा खतरा गैर-जिम्मेदार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से है।

हमारे दूरदर्शी दिवंगत राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भी इस बात का अहसास था कि भारतीय मीडिया बहुत नकारात्मक है। हम भारत में अपनी ताकत, अपनी उपलब्धि को पहचानने के लिए इतने शर्मिंदा क्यों हैं? हम एक महान राष्ट्र हैं। हमारे पास कई अद्भुत सफलता की कहानियां हैं लेकिन हम उन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं। क्यों ? और जब दुनिया में भारत के खिलाफ नकारात्मक प्रचार की बात आती है, तो हमारा मीडिया सूची में सबसे ऊपर है। यह विनिर्मित असहमति है। और ब्याज बर्बाद करने वाले सभी लोग श्री मोदी के विकास के एजेंडे को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं।

^{9*}श्री पी. सी. मोहन (बेंगलोर सेन्ट्रल) : असहिष्णुता का यह विषय हमारे देश के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। इस देश में इस प्रकार की अनेक घटनाएँ पहले भी घट चुकी हैं। जब देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, उस समय बड़ी संख्या में मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान की ओर पलायन कर रही थी। लेकिन जो मुस्लिम भारत में रह गए, उन्हें यहाँ रहने और संघर्ष करने में मदद करने का कार्य इसी देश के सहिष्णु हिंदू समाज ने किया। अतः यह धारणा बनाना कि हिंदू असहिष्णु हैं, पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन है।

यह कांग्रेस शासन के दौरान था कि हजारों सिखों को कांग्रेस के गुंडों द्वारा मार डाला गया था, जो नरसंहार के पीछे थे। अभी भी इस हत्याकांड के पीछे मुख्य कांग्रेसी नेताओं को सजा नहीं हुई है। विपक्ष इस कृत्य को कैसे समझा सकता है? हजारों कश्मीरी पंडितों को अपनी पूरी ज़मीन और संपत्ति छोड़कर उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें घर लौटने की इजाजत नहीं थी।

वर्ष 2010 में, जब केरल में वामपंथी सत्ता में थे, तब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा एक कॉलेज प्रोफेसर, श्री टी.जे. जोसेफ पर हमला किया गया और उनका हाथ काट दिया गया। जब वह प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो कक्षा में मार्क्सवादियों ने एक शिक्षक श्री के. टी. जयकृष्णन को बर्बरतापूर्वक मार डाला।

जब उन्होंने कम्युनिस्ट नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया तो मार्क्सवादियों ने श्री टी. पी. चन्द्रशेखरन की भी निर्मम हत्या कर दी थी। इन सभी घटनाओं के दौरान किसी ने असहिष्णुता की बात नहीं की, किसी भी बुद्धिजीवी ने अपना पुरस्कार नहीं लौटाया, न तो कांग्रेस के लोगों ने और न ही कम्युनिस्टों ने पीड़ितों के प्रति सहानुभूति का कोई कार्य दिखाया।

यह आपातकाल के दौरान राज्य प्रायोजित असहिष्णुता के कृत्य अपने चरम पर पहुंच गए थे। काले नियमों के खिलाफ आंदोलन करने वाले लाखों नागरिकों को सलाखों के पीछे रखा गया और उन्हें प्रताड़ित

^{9*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

किया गया। संसद के कई सदस्यों और नेताओं को एम.आई.एस.ए. के तहत गिरफ्तार किया गया और डेढ़ साल की यातना के बाद ही रिहा कर दिया गया।

अब यहां-वहां की छोटी-छोटी घटनाओं पर भी प्रकाश डाला जा रहा है ताकि विकास के कदमों में खतरे डालने के लिए मोदी के नेतृत्व वाली नंदा सरकार को खराब रोशनी में दिखाया जा सके। भले ही इनमें से कई घटनाएं, उदाहरण के लिए, दादरी हत्या, कुलबुर्गी हत्या, पानसरे हत्या आदि सभी कांग्रेस और शासन के तहत राज्यों में हुए। यह सब संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति से छेड़छाड़ के कारण हुआ है, जिससे इस देश की छवि दुनिया के सामने खराब हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व वाली वर्तमान केंद्र सरकार देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने और दुनिया के सामने अपनी गौरवशाली छवि वापस लाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार की गतिविधियाँ इस देश को अग्रणी विकासशील देशों के मानचित्र पर स्थापित करने के सरकार के संकल्प में बाधा नहीं बनेंगी। इस देश के लोगों को भारत को आगे ले जाने और हमें विकसित देशों के समकक्ष खड़ा करने के लिए हमारे महान नेता के दृढ़ नेतृत्व पर भरोसा है। उनके प्रयासों में सहयोग देना सांसदों का पुरजोर प्रयास होना चाहिए।

[हिन्दी]

^{10*} **श्री हुकुम सिंह (कैराना)** : सदन में यह चर्चा उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या वास्तव में देश में कोई इस प्रकार का सामाजिक या धार्मिक तनाव है जो चिंता का विषय बना हुआ है। यदि निष्पक्षता से विश्लेषण करें तो यह चर्चा राजनैतिक दलों के नेताओं या फिर हमारे देश के स्वतंत्र एवं सजग मीडिया तक सीमित है। देश का कोई गांव हो या नगर हो वहां के निवासी, अपवाद छोड़कर अपने-अपने कामों में लगे हैं। सामाजिक रिश्तों को भी निभाते हैं और एक-दूसरे के काम में हाथ भी बंटाते हैं। कुछ स्थानों पर इस प्रकार की घटनायें अवश्य हुई हैं जिनको मजहबी रंग देकर जोर-शोर से चर्चा का विषय बनाया गया है। चर्चाओं को आतिरंजित किया गया। सोचे-समझे बिना आरोप और प्रत्यारोप लगाये गये। समस्या के समाधान पर ध्यान कम और अपने-अपने तरीके से इसको बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोशिश होती रही, जो अभी भी जारी है। आज की चर्चा भी यदि इस दिशा में जारी रही और हम अपने निजी या दलगत राजनीति को चमकाने के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे तो तो चर्चा का प्रभाव समस्या को और गहरा करने में योगदान देगा न कि उसका समाधान करने में। सामाजिक क्षेत्र में मुझको भी लगभग 35 वर्ष काम करने का अवसर मिला है। इस दौरान देश-प्रदेश और यहां तक कि क्षेत्र में भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई हैं। घटना होने के तुरंत बाद सभी दल अपने वोट बैंक को और मजबूत करने मैदान में उतरें, भले ही उससे क्षेत्र में सामाजिक खाई बने, इसकी चिंता नहीं की गई। इस परिपेक्ष्य में यह भी कहना चाहूंगा कि 1947 में देश का विभाजन भी ऐसे तत्वों द्वारा कराया गया जो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को बांटना चाहते थे। बांटने का आधार एक वर्ग विशेष में असुरक्षा का भाव पैदा करके उनके मन में नफरत और घृणा को उकसाकर समस्त देश का वातावरण साम्प्रदायिक बनाने का था। जो परिणाम हुआ, वह स्पष्ट है। लाखों लोगों की जानें गईं। पारस्परिक सौहार्द समाप्त हुआ। विश्वास की जगह आविश्वास पैदा हुआ। करोड़ों सम्मानित नागरिक शरणार्थी बनने को मजबूर हुए। कुछ समय बाद उसकी पुनरावृत्ति कश्मीर में हुई। हजारों परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। हाल ही में, देश में भी कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई हैं जिनको राजनैतिक दलों ने

^{10*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अपने-अपने हित साधने के लिए जमकर प्रचारित किया। जनमानस पर इनका प्रभाव होना स्वाभाविक है। कहीं न कहीं मन में डर का भाव भी बैठता है परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या हम लोगों का दायित्व केवल चर्चा करने तक ही सीमित है या समाज में पारस्परिक विश्वास स्थापित करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी हमारी भूमिका होनी चाहिए या क्या हो सकती है? यह भी चर्चा का महत्वपूर्ण पक्ष बनाया जाये तो अच्छा होगा। इस देश में कम से कम 10000 से अधिक जनता के द्वारा निवारचित महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतिनिधि, चाहे सांसद हो या विधायक के रूप में हो या स्थानीय निकाय के जिम्मेदार पदों पर बैठने वाले व्यक्ति हो इस समस्त वातावरण को देशहित में बनाने के लिए सक्षम हैं। दुर्भाग्य से परिस्थितिवश भूमिका सकारात्मक न हो कर नकारात्मकता की ओर आधिक अग्रसित है। कारण स्पष्ट हैं, दूसरों को बदनाम करके ही अपने या अपने दल का प्रभाव बढ़ाने की मानसिकता आधिक प्रभावी होती जा रही है। हम लोगों ने संविधान की मर्यादाओं के पालन की शपथ ली है परंतु इन शब्दों के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिन्ह है। आज की चर्चा को हम यदि इस बिंदु तक सीमित रखें कि कथित असहिष्णुता या सामाजिक तनाव को समाप्त करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका किस प्रकार प्रभावी हो तो निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण पहल होगी।

संसद हो या राज्यों के विधानमंडल विभिन्न विषयों पर चर्चाओं तक सीमित हैं। हम लोग अभी तक सैंकड़ों साल पुराने उस ब्रिटिश पैटर्न से ऊपर नहीं उठ पाये जहां सांसद केवल सदन में चर्चा करते थे। क्षेत्र में कोई भूमिका निर्वहन करना उनकी प्राथमिकता नहीं होती थी। वर्तमान में वैज्ञानिक विकास के कारण जीवन शैली में परिवर्तन आया है। विभिन्न साधनों से सम्पर्क की गति बढ़ी हैं। अब जनप्रतिनिधि के रोल में भी परिवर्तन आना आवश्यक है। यदि सदन चाहें सरकार और प्रतिपक्ष सहमत हो तो सभी प्रतिनिधि केवल एमपीलैड्स तक सीमित न रहकर क्षेत्र की समस्त गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बने। विकास से लेकर शांति व्यवस्था में भी उनकी भूमिका और आधिक हो। अपना जनाधार बढ़ाने के लिए उनके रचनात्मक कार्य को महत्ता बढ़ाने के लिए। उनके रचनात्मक कार्य की महत्ता बढ़े न कि भड़काऊ भाषण की। एक सर्वदलीय वरिष्ठ नेताओं का वाच ग्रुप भी ऐसा हो, जो इस बात की समीक्षा कर सके कि किस सांसद ने क्षेत्र में शांति पैदा करने का काम किया है।

जो जनप्रतिनिधि देश की संवैधानिक व्यवस्था तथा समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करता हो, उसके सदस्य बने रहने पर भी प्रश्नचिन्ह लगे।

मैं यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि यदि जनप्रतिनिधि की भागीदारी क्षेत्र के विकास में और आधिक बढ़ेगी तो आम जनता विकास को ही पैमाना मानेगी। अतः एमपीलैड्स या विधायक निधि के वर्तमान स्वरूप पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे भी जनपद हैं जहाँ सरकारी आधिकारी इस कार्य में पूर्ण अवरोध पैदा करते हैं और जनता की अपेक्षा के अनुरूप वहाँ के प्रतिनिधि परिणाम नहीं दे पाते। पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने बारे में कहा था कि मैं 2019 में अपना रिपोर्ट कार्ड देश के सामने प्रस्तुत करूँगा। इसी प्रकार हर जनप्रतिनिधि भी अपने 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड क्षेत्र के सामने प्रस्तुत करे, जिसमें इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख हो कि उनके प्रयास के कारण क्षेत्र में कोई साम्प्रदायिक घटना या तनाव नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता बढ़ जायेगी। देश की जनता की सोच बदलेगी। ऐसे में मिस्त्रीफ मोंगर्स, जो साम्प्रदायिक चिंगारी फैलाने के माहिर हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।

11* श्री राजीव सातव (हिंगोली) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में लगातार बढ़ती जा रही असहिष्णुता और सार्थक संवाद की कम होती जा रही संभावना के खिलाफ विरोध अब केवल कुछ मुट्ठी भर लेखकों, फिल्मकारों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों तक ही सीमित नहीं रह गया है। देश में व्याप्त स्थिति पर चिंता जताने वालों में ये भी शामिल हैं- नोबल पुरस्कर विजेता कैलाश सत्यार्थी, पूर्व नौसेनाध्यक्ष एडमिरल रामदास, पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जीनियस माने जाने वाले कंडक्टर जुबिन मेहता, शीर्ष फिल्म आभिनेता शाहरुख खान, चोटी के सरोदवादक अमजद अली खान, उद्योग जगत के एन.आर. नारायणमूर्ति, किरण शॉ मजूमदार, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक पी.एम. भार्गव, भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाद देसाई, देश के दिग्गज इतिहासकार जैसे इरफान हबीब और रोमिला थापर एवं नब्बे वर्षीय वयोवृद्ध साहित्यकार कृष्णा सोबती जैसी करिश्माई हस्ती।

यह अकारण नहीं है कि देश के राष्ट्रपति, जिन पर संविधान की रक्षा करने का दायित्व है, पिछले एक माह में तीन बार सरकार और देश में बढ़ती जा रही असहिष्णुता के प्रति आगह कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी मोदी सरकार को लगातार बिगड़ती जा रही स्थिति और उसके आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के प्रति चेताया है। ये सभी सरकार के राजनीतिक विरोधी नहीं हैं और इनकी चेतावनी को केवल “बनावटी विरोध” या “राजनीति-प्रेरित विरोध” कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद अभी तक सरकार की ओर से इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है और न ही किसी से इस विषय पर कोई संवाद किया गया। उल्टे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता पदमभूषण लौटने की घोषणा करने वाले वैज्ञानिक पी.एम. भार्गव को “सोनिया गांधी का नगाड़ा बजाने वाला” बता चुके हैं, तो एक दूसरे बड़े नेता उन्हें नक्सल समर्थक की उपाधि से विभूषित कर चुके हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा लेखकों की पृष्ठभूमि की जांच करवाने की जरूरत बता चुके हैं और कह चुके हैं कि अगर उन्हें इतनी ही दिक्कत है तो वे लिखना बंद

11* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

क्यों नहीं कर देते। बिहार चुनावों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बी.जे.पी. के भड़काऊ विज्ञापनों पर स्वयं निर्वाचन आयोग प्रतिबंध लगा चुका है।

वित्त और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभालने वाले मंत्री अरूण जेटली कह रहे हैं कि स्वयं मोदी ही “वैचारिक असहिष्णुता” के सबसे ज्यादा शिकार हैं और विरोध “प्रायोजित और निर्मित” यानी बनावटी है। ऐसे में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक और अन्य बयान धमरनिरपेक्षता के ऊपर देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया।

आज के परिपेक्ष्य में जब हम अपने संविधान के प्रति वचनबद्धता प्रकट करते हैं तो निश्चित रूप से उन सवालों को नकारा नहीं जा सकता, जो आज राष्ट्रभर में उठाए जा रहे हैं।

पिछले 18 महीनों की इस सरकार की कारगुजारी को आप देखें तो इतने बड़े पैमाने पर संविधान की आत्मा पर चोट लगी है, जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला है। संकड़ों की तादाद में जो राष्ट्र की आत्मा की आभिव्यक्ति करते हैं, चाहे वे साहित्यकार हों, फिल्मकार हों या कोई भी उन्होंने अपने राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्र को वापस लौटाए हैं। मैं नहीं जानता कि पहलें कभी आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर रोष व्यक्त किया हो, देश की आत्मा की जो आभिव्यक्ति करते हैं। ये लोग एक तरह से राजनीति से ऊपर हैं और अपने विचारों से राष्ट्र को दिशा-निर्देश देते आए हैं, अपने काम-काज के द्वारा। आज जब इस तरह के महानुभाव जिनके कामों से देश गौरवां वित्त हुआ है, उनके काम से समाज गौरवां वित्त हुआ, आज वे अपने जो सम्मान के चिन्ह हैं, उनको लौटाने पर मजबूर हो जाएं तो कहीं न कहीं संविधान की रक्षा करने का दायित्व जिनके ऊपर है, उनकी कारगुजारी पर सवाल उठते हैं।

आज हमको चिंतन करना होगा, देखना होगा कि हम संविधान में निहित मूल मर्यादाओं के लिए सच में वचनबद्ध हैं या नहीं। सरकार की जवाबदेही, ये कह देना कि ये चीज इस प्रदेश में हुई है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी नहीं है या ये कह देना कि यह तो बनावटी है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए हो नहीं सकती है, बजाए कि आहत भावनाओं पर मरहम लगाया जाए। हम दिन-प्रतिदिन जो सुलगते जख्म हैं उनकी भरपाई न

करते हुए, उनको और दर्दनाक बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे पहले इतनी संवेदनहीनता सरकार के द्वारा पहले कभी नहीं देखी गई।

देश के अंदर वातावरण प्रदूषित हुआ है, राजनीतिक संवाद के द्वारा और विशेष तौर से सत्ताधारी दल बीजेपी, आर.एस.एस. और उनके सहयोगियों ने एक ऐसा वातावरण देश के अंदर बनाया है, जिससे देश में गहरी चिंता है और भारत की छवि पूरे विश्व में खराब हो रही है।

महीनों से इस सरकार के आने के बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे संवैधानिक अधिकारों को आघात पहुंचा है। स्वतंत्र बोलने की, विचार व्यक्त करने की और असहमति दिखाने पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे प्रताड़ित होकर भारत के बहुत से लेखकों ने और जिन्होंने भारत के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके विरोध में उन्होंने अवार्ड वापस कर दिए हैं। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और सत्ताधारी दल ने इस स्थिति पर गंभीरता से सोचने की बजाए, लोगों की शिकायत सुनने की जगह, उनको अपमानित किया है। यहा तक कि अगर देश की उच्चतम न्यायालय ने, वो भी उनकी संवैधानिक पीठ ने कुछ टिप्पणियां की हैं, उस पर भी सरकार को आपत्ति है। यह एक ऐसी परिस्थिति बन गई जिससे भारत के राष्ट्रपति जी को भी भारत की संस्कृति, मूल्य, भारत के सिद्धांत और भारत की परम्पराओं के बारे में देश को 15 दिन के अंदर दो बार याद दिलाना पड़ा कि हमारे देश की रचना क्या है, हम बहुधर्मी, बहुराष्ट्रीय हैं, हमारे यहाँ पर विविधता है, उसके बावजूद यहाँ पर एकता है। यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति रही है। भारत में सहनशीलता है और हर धर्म के लोग सदियों से भारत में मिलकर रहते हैं।

सरकार की जो भी अभी तक प्रतिक्रिया है, उससे यह देश संतुष्ट नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं नहीं बोले, जब तक कि राष्ट्रपति जी नहीं बोले। पी.एम. जी ने केवल यही कहा कि जो भी राष्ट्रपति जी ने कहा वह सही है। पिछले, कल और आज के सत्ताधारी दलों के बयान केवल चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए दिए जा रहे हैं। चाहे बीजेपी अध्यक्ष का बयान हो, चाहे वित्तमंत्री जी का बयान वहीं तक सीमित है।

भारत की सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं उठाए। तमाम वे संगठन जो इसके लिए दोषी हैं, को उनका संरक्षण है, क्योंकि वे इन्हीं के परिवार से जुड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री जी, वित्तमंत्री और सरकार गंभीर हैं तो वह देश को आश्वस्त करने के लिए तमाम ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो उनक दल में है, चाहे संसदीय दल में हों, उन पर कार्यवाही करें, तभी देश को एक संदेश जाएगा कि जो देश के पी.एम. कहते हैं, वे सही मायने पर उस पर अमल करते हैं।

आज तक श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे वे लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं, उनको आश्वासन मिल सके। उनके संवैधानिक अधिकार, बोलने के अधिकार, विचार व्यक्त करने के अधिकार आज भी प्रजातंत्र के संविधान में है।

आखिर क्यों सरकार के विरोध में खड़ा हर व्यक्ति देशद्रोही या पाकिस्तानी हो जाता है? क्यों जीती न जा सकने वाली हर बहस देशप्रेम और राष्ट्रवाद की तरफ खींच ली जाती है? असल में यह एक जबरदस्त मारक क्षमता वाली रणनीति है। इसी नकली राष्ट्रवाद का सहारा लेकर हिटलर सत्ता में आया था।

[अनुवाद]

^{12*} **श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले)** : मानव इतिहास और सभ्यता के पिछले 5000 वर्षों में, दुनिया ने बहुत उच्च स्तर की असहिष्णुता देखी है - चाहे वह धार्मिक, जाति, उप-जाति, भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक, लिंग, क्षेत्रीय, भाषा आदि हो। दुनिया ने असहाय होकर असहिष्णुता के कारण एक के बाद एक लड़ाई लड़ते हुए देखी है। स्वामी विवेकानन्द ने वर्ष 1893 में शिकागो में अपने पहले भाषण में कहा था और मैं उद्धृत कर रहा हूँ "सांप्रदायिकता, कट्टरता और उसके भयानक वंशज, धर्मांधता ने लंबे समय से इस खूबसूरत पृथ्वी पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है, इसे बार-बार मानव रक्त से सराबोर किया है, सभ्यता को नष्ट कर दिया है और पूरे राष्ट्र को निराशा में भेज दिया है। यदि ये भयानक राक्षस न होते तो मानव समाज अब की तुलना में कहीं अधिक उन्नत होता।"

भारत जैसे देश में, जहां हम अपनी सहिष्णुता के उच्च स्तर का दावा करने में कोई समय नहीं गंवाते हैं, अक्सर उदाहरण देते हैं कि कैसे हमने यहूदियों, ईसाइयों, पारसियों आदि को आश्रय दिया और उन्हें प्रेरित किया, जब तक कि महात्मा ठीक 100 साल पहले दक्षिण अफ्रीका से भारत नहीं लौट आए, किसी ने नहीं इस बात का एहसास होने लगा कि हमारा समाज किस तरह से दलितों को अछूत मानकर उन्हें अलग करता है, अपने अधीन रखता है और उनका शोषण करता है, उन्हें उनके ही धार्मिक स्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं देता है।

संवैधानिक उदार लोकतंत्र बनने के बाद भी क्या हमने कोई सबक सीखा है? हां, हमारे पास संविधान द्वारा गारंटीकृत और न्यायालयों द्वारा संरक्षित अधिक स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन, देश में कितने लोगों को न्याय मिल रहा है? हमारी जनसंख्या का 10 प्रतिशत भी नहीं। जाति असहिष्णुता, लिंग असहिष्णुता, भाषा असहिष्णुता आदि में कमी नहीं आई है। आज भी देश के अधिकांश हिस्सों में दलितों विशेषकर महिलाओं को परेशान और

^{12*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अपमानित किया जाता है। खुलेआम जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। दुःख की बात है कि उन्हें हमारे पहले से ही विभाजित समाज में स्वीकृति मिल रही है।

राजनीतिक असहिष्णुता की तो बात ही छोड़ दीजिए! उस समय की कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 356 का अनेक बार दुरुपयोग किया और बहुत ही कमजोर आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर दिया। क्या जनता पार्टी की सरकार, जो ऊँचे आदर्शों का वादा करके सत्ता में आई थी, उसने भी नौ लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को एक झटके में बर्खास्त नहीं किया था?

यह बात समझ में आती है कि संपूर्ण विपक्ष चाहता था कि श्रीमती गांधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए पद से इस्तीफा दें। लेकिन क्या विपक्ष उन बीस दिनों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, जो अदालत ने उन्हें अपील के लिए दिए थे? कम से कम जब उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर स्थगनादेश दे दिया, तब विपक्षी दलों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए उनके इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को रोक देना चाहिए था। इसके बजाय, कुछ कद्दावर नेताओं ने पुलिस और सेना से सरकार के तथाकथित अवैध आदेशों को नजरअंदाज करने की अपील की। यह क्या था? सहिष्णुता या असहिष्णुता? इन मुद्दों पर शासन करने के बजाय, श्रीमती गांधी इन आलोचनाओं के प्रति अत्यधिक असहिष्णु हो गईं और राष्ट्रव्यापी आपातकाल लगाया और 18 महीनों के लिए जेलों में हजारों लोगों को रखा, जिनकी कोई भूमिका नहीं है! कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध उदार लोकतंत्र में असहिष्णुता के अलावा यह कैसे संभव था! कितना दुःखद है !

हम सभी ने देखा है कि कैसे सिर्फ इसलिए कि श्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस पार्टी से बाहर चले गए और एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की, उनके खिलाफ मामले बनाए गए; सभी संवैधानिक और सरकारी एजेंसियों का उनके खिलाफ दुरुपयोग किया गया। सी.बी.आई. की 28 टीमों ने उनके आवासीय और कार्यालय परिसरों पर छापे मारे, चुनिंदा तरीके से मीडिया को यह बताया कि उन्होंने एक लाख करोड़ रुपये की आय अर्जित की है, जबकि विस्तृत जांच के बाद दायर आरोप पत्र उनके दावे के प्रतिशत का अंश भी नहीं

जोड़ते हैं। जब भी जमानत की अर्जी अदालतों के सामने आती है, तो सीबीआई कहती है कि उसे 16 महीने के लिए जमानत न देना भारत का सबसे बड़ा घोटाला था।

27 मई 2012 को श्री जगनमोहन रेड्डी की उस समय गिरफ्तारी, जब वे आंध्र प्रदेश में एक लोक सभा सीट और 18 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हेतु अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। 'द हिंदू' ने 29.5.2012 को प्रकाशित अपने संपादकीय शीर्षक 'पैटी स्किमिंग, बिग बुलिंग' में टिप्पणी की, यदि कांग्रेस को वास्तव में जगन की चुनौती का सामना करना है, तो उसे यह राजनीतिक रूप से करना होगा, न कि जाँच एजेंसियों के असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग के माध्यम से। क्या हम इस बात से अवगत नहीं हैं कि सहिष्णुता के वर्तमान समर्थकों ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने के लिए राज्यपालों की संस्था का दुरुपयोग कैसे किया?

अब चल रही बहस सांस्कृतिक असहिष्णुता पर केन्द्रित है। चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, भारत एक बहुलवादी, बहु-धार्मिक, बहु-जातीय, बहु-भाषी और बहु-सांस्कृतिक देश है। हमारे पास सद्भाव में एक साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने प्रदर्शित किया है कि हम इन सभी वर्षों में शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

अब अक्सर सुनी जाने वाली शिकायत यह है कि सरकार अपने कुछ सदस्यों और सहयोगियों को उत्तेजक बयान देने से रोक नहीं रही है। जैसा कि हम सभी भारत के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, सार्वजनिक विमर्श, विशेष रूप से सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा, इसके सदस्यों और संबद्धों को विकास के अलावा कुछ नहीं बोलना चाहिए। गौमांस जैसे अप्रासंगिक मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श से बाहर होने चाहिए। जो प्रधान मंत्री भारत की विकास गाथा चला रहे हैं, उन्हें बुद्धिजीवियों और सार्वजनिक हस्तियों की चिंताओं को समझने में कुछ समय देना चाहिए और उन्हें सक्रिय रूप से संलग्न करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। अन्यथा, ऐसा लगता है कि इन बहुत छोटे मुद्दों से देश की अच्छी छवि खराब होने की संभावना है। मैं मीडिया से भी अपील करता हूँ, जिसने हमारे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रहा है, उसे देश की

छवि को प्रभावित करने वाले कुछ मामलों में संयम बरतना चाहिए। किसी भी कीमत पर असहिष्णुता की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

13* श्री सी. आर. चौधरी (नागौर) : अब सवाल उठ रहा है कि क्या हम इन दिनों असहिष्णु हैं! यह भारत में लोकतंत्र के मंदिर संसद के लिए देश के कुछ बुनियादी मूल्यों पर चर्चा करने का ऐतिहासिक अवसर है, जिन पर हमारी पूरी सभ्यता की इमारत सदियों से मजबूती से खड़ी रही है।

हम अब इस महत्वपूर्ण चौराहे पर पहुंचे हैं, समाज के कुछ वर्गों के लिए धन्यवाद - विशेष रूप से कुछ हाशिये के तत्व मुख्य रूप से राजनीतिक समूहों, मीडिया, धार्मिक समूहों और निहित स्वार्थों से प्राप्त हुए हैं - जो विशेष रूप से अपने हितों के लिए, अब असहिष्णु की छवि के माध्यम से भारत को चित्रित करके हमारी सभ्यता मूल्यों की एक खेदजनक तस्वीर ला रहे हैं। हमें सुरक्षात्मक होने की आवश्यकता है; हमें भारत माता पर लगाए गए इस तरह के झूठे आरोपों के खिलाफ डटकर खड़े होने की आवश्यकता है। हमें इन बुरी ताकतों से बचना होगा। मेरे विचार से ऐसी ताकतों के खिलाफ सबसे अच्छी लड़ाई हमारे सभ्यतागत मूल्यों पर विचार और जागरूकता पैदा करना और संवाद में संलग्नता के माध्यम से उनके झूठे प्रचार को नकारना और संसदीय लोकतंत्र में हमारी ताकत पर बहस करना है।

असहिष्णु भारत पर बहस का दिलचस्प हिस्सा देश में उन ताकतों द्वारा धकेल दिया जाता है जो या तो सरकार के एजेंडे के लाभार्थी बन जाते हैं या एक या कुछ राजनीतिक और सामाजिक समूहों के साथ अपवित्र संरक्षण करके लाभ प्राप्त करते हैं, जो अब विपक्ष में बैठे हैं। वही लोग जो किसी न किसी बहाने से अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं, उन्हें अब इस सवाल का जवाब देना होगा कि आजादी के बाद से असहिष्णुता की कई घटनाओं पर वे पिछले कांग्रेस शासनकाल के दौरान लंबे समय तक चुप क्यों रहे। यह एक मजाक है जो वे खुद बना रहे हैं। सामान्य ज्ञान से पता चलता है कि उन्होंने अपनी पहचान और आत्माओं को देश के एक विशेष राजनीतिक शासन को बेच दिया है और वे एक देशभक्त, मेहनती और लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए एक विशेष राजनीतिक दल के वैकल्पिक राजनीतिक साधन की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो जनादेश के माध्यम से निर्वाचित है! समाज का एक विशेष वर्ग अब हमारी सरकार की जन-केंद्रित गतिविधियों के प्रति इतना असहिष्णु

13* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है कि वे देश में सरकार-विरोधी राय बनाने में लगे हुए हैं। हालाँकि, हमें पहले की तरह दृढ़ रहना होगा जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है "गांधी और बुद्ध की भूमि में असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं है और असहिष्णुता के किसी भी कृत्य से देश के कानून के तहत निपटा जाएगा।"

"सहिष्णुता" हमारा मूल मूल्य है और हमारी वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। हमारी वैदिक संस्कृति, जिसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, कई लोगों को इसे संक्षिप्त या पर्याप्त तरीके से परिभाषित करना मुश्किल या असंभव लगता है। हिंदू धर्म बहुलतावादी है। दूसरे शब्दों में, यह किसी एक भविष्यवक्ता या उद्धारकर्ता का दावा नहीं करता है; इसमें भगवान के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है; यह किसी एक दर्शन या हठधर्मिता की सदस्यता नहीं लेता है; इसमें विचार के विभिन्न स्कूल और आध्यात्मिक सत्य को समझने के तरीके शामिल हैं; इसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार या संस्कार शामिल हैं; यह किसी विशेष ग्रंथ को बाहर नहीं करता है जो किसी व्यक्ति को भगवान और आध्यात्मिक सत्य के बारे में अधिक समझने में मदद कर सकता है; और यह नहीं कहता है कि आपके पास केवल एक ही जीवन है जिसमें आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण बनना है या आप शाश्वत लानत में जाएंगे। इस प्रकार, वैदिक दर्शन एक धर्म की तुलना में जीवन जीने के तरीके और जीवन पर एक दृष्टिकोण से अधिक है। हमारी संस्कृति की ऐसी व्यापक प्रकृति है कि इस देश में असहिष्णुता का कोई मामला पनप नहीं सकता।

हमारी सभ्यता संस्कृति में विभिन्न प्रकार के रीति-रिवाज, विचार और दार्शनिक शामिल हैं। यह लोगों को हमारी आध्यात्मिक पहचान और पारलौकिक सच्चाई को आगे बढ़ाने और समझने की अनुमति देने के लिए दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करता है। यह सभी को किसी की समझ बढ़ाने के लिए शास्त्रों पर सवाल उठाने की अनुमति देता है और किसी एक व्यक्ति या पैगंबर को पूर्ण सत्य पर एक अनन्य दावा करने के रूप में पहचानता है। हर कोई भगवान से संपर्क करने के लिए एहसास की एक प्रणाली का पालन कर सकता है, क्योंकि यह सभी का अधिकार और भाग्य है। यह लचीलापन उन कारणों में से एक है जिसके कारण कई हजारों वर्षों तक वैदिक संस्कृति जारी रही है। यही कारण है कि दार्शनिक विचार या धर्म के स्कूलों की कई

भिन्नताओं को सनातन-धर्म की उसी महान नदी की शाखाओं या सहायक नदियों के रूप में देखा जा सकता है, जो सार्वभौमिक आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्यास है जो वैदिक साहित्य की आवश्यक शिक्षाएं हैं। इस तरह के आध्यात्मिक ज्ञान को धर्म या उनके शास्त्र के कई रूपों में पहचाना जा सकता है। इसके कारण, इसका यह भी अर्थ है कि किसी को भी हिंदू या वैदिक दर्शन से बाहर या बहिष्कृत नहीं किया जाता है। कोई विधर्मी नहीं है, लेकिन सभी के लिए जगह है और उन सभी के लिए सम्मान है जो आध्यात्मिक खोज और समझ के अपने मूल सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। यह भी एक कारण है कि आमतौर पर हिंदू अन्य धर्मों के साथ मिलते हैं, हालांकि कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मिलनसार स्वभाव का अनुचित लाभ उठाया है।

हमारी सहिष्णुता मूल्य प्रणाली पर पहले भी कई हमले हो चुके हैं। मुगलों और विदेशी आक्रमणों के दौरान, हिंदुओं को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों और उनकी प्रथाओं को अपना लिया। ब्रिटिश सरकार ने भी सहिष्णुता के हमारे मूल्यों के साथ राजनीति की। उनके दुष्ट मंसूबों को देश के उन्हीं लोगों ने परास्त किया और हमें आजादी दिलाई। और अब भी समाज का कुछ वर्ग उस समय की लोकप्रिय सरकार को असहिष्णु बताकर उसी योजना पर कायम है। इस डिजाइन को उन्हीं लोगों द्वारा हराया जाएगा जिन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. को सत्ता में वोट दिया था।

14* **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वडकारा):** असहिष्णुता की बढ़ती घटनाओं ने बड़ी चिंता और भय पैदा कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत में संघ लग गई है।

भारत सदियों से धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद का पालना रहा है और हमारा इतिहास बताता है कि हमने विभिन्न धर्मों और आस्थाओं को स्वीकार किया है और उन्हें आत्मसात किया है।

ईसाई धर्म यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में जड़ें जमाने से बहुत पहले भारत में आया था। यीशु के शिष्य सेंट थोमस ने 52 ईस्वी में केरल तट का दौरा किया और केरल के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

भारत में इस्लाम का इतिहास पैगंबर मोहम्मद के दिनों का है। यहूदियों का केरल में पहला आराधनालय भी था। इस महान देश द्वारा विभिन्न अन्य धार्मिक संप्रदायों और आस्थाओं को भी स्वीकार किया गया।

भारत विश्व का शायद एकमात्र देश है जो विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं, जातियों और पंथों से जुड़े लोगों का घर रहा है। विविधता में एकता हमारे महान राष्ट्र की पहचान है। हमने सभी धर्मों और संस्कृतियों को अपने लोकाचार में आत्मसात किया है और धर्मों के बीच सह-अस्तित्व हमारी विरासत की लचीली विशेषता है। यह मुख्य रूप से अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों को हिंदुओं द्वारा दिखाई गई सहिष्णुता के कारण है।

अब हमारे साथ क्या हुआ? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सभी समझदार और सही सोच वाले लोगों के दिमाग को परेशान कर रहा है। हाल ही में, भारत को गलत कारणों से देश के बाहर जाना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में हमने जो धार्मिक असहिष्णुता देखी है, वह आज हमारे समाज के सामने जिस दुर्भावना का सामना कर रहा है, उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

धार्मिक श्रेष्ठता और अन्य धार्मिक आस्थाओं के प्रति असहिष्णुता हमारे सामाजिक परिवेश को नुकसान पहुंचा रही है। हिटलर के शासनकाल में इस तरह की स्थिति थी। ट्यूटोनिक आरोहण या आर्यों की श्रेष्ठता या

14* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आर्य रक्त की शुद्धता वह दर्शन था जिस पर नाज़ी आदर्शों की स्थापना की गई थी। क्या हम अपने देश को नाज़ी दिनों में ले जा रहे हैं? क्या हमने अपने देश को चतुरवर्ण काल में ले जाने का फैसला किया है? 'सर्व धर्म सम भाव' और 'वासुदेव कुडुम्बक' हमारी सांस्कृतिक विरासत के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

लगभग सोलह महीने पहले वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से हमारे देश में जो स्थिति बनी हुई है, उस पर गौर करें। असहिष्णुता की घटनाओं को हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर सीधा हमला माना जा सकता है।

डॉ. एम. एम. कलबुर्गी, प्रसिद्ध बौद्धिक और तर्कवादी द्वारा क्या अपराध किया गया था? उन्होंने मूर्ति पूजा की प्रथा पर सवाल उठाया। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता के समान पवित्र है। धर्माभिमानी हिंदुओं का आरोप है कि वह लाखों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहा है और इसलिए इसे खत्म करने का हकदार है।

गोविंदा पनासरा और नरेन्द्र डोबोलकर को भी अंधविश्वासी प्रथाओं की आलोचना करने के लिए उसी भाग्य का सामना करना पड़ा। प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को कुछ हिंदू परंपराओं पर अपनी टिप्पणियों के लिए ऊंची जाति के हिंदू तत्वों के कड़े विरोध के कारण लिखना छोड़ना पड़ा।

एक ईरानी फिल्म 'मोहम्मद-द मैसेंजर ऑफ गॉड' के लिए संगीत तैयार करने के लिए धार्मिक असहिष्णुता के परिणामस्वरूप रहमान को भी कष्टों का सामना करना पड़ा है। रजनीकांत और गिरीश कर्नाड को टिप्पू सुल्तान से संबंधित मुद्दे पर डराया गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति, बराक ओबामा ने भारत की अपनी यात्रा पर टिप्पणी की कि भारत में प्रचलित धार्मिक असहिष्णुता ने महात्मा गांधी को चौंका दिया होगा। जब वह अमेरिका वापस आये तो उन्होंने अपना बयान दोहराया।

धार्मिक असहिष्णुता भारत की धर्मनिरपेक्ष साख और बहुलता पर एक धब्बा है। माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब कुमार मुखर्जी को देश में व्याप्त धार्मिक असहिष्णुता पर टिप्पणी करनी पड़ी। इस विपत्तिपूर्ण स्थिति में उनकी एकमात्र शांत आवाज़ थी।

हमारे प्रधान मंत्री ने धार्मिक असहिष्णुता की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करने का विकल्प चुना। उन्होंने ब्रिटिश संसद के समक्ष ही अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की है। उसकी चुप्पी का कारण क्या था? क्या प्रधानमंत्री भारत में खुद को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं थे?

दूसरे दिन, इस महती सभा के पटल पर, राष्ट्र के आक्रोशित मनोदशा को भांपते हुए प्रधान मंत्री ने धार्मिक असहिष्णुता का हल्का संदर्भ दिया।

गौमांस खाने के आरोप में मोहम्मद अकलाख की पीट-पीट कर हत्या एक वीभत्स घटना है जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। सतर्क गोरक्षा दस्ते द्वारा लेखकों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर हमले, सभी नापाक खेल का हिस्सा रहे हैं। मुंबई में बीजेपी विचारक सुधेंद्र कुलकर्णी के चेहरे को काला करने से यह डर बढ़ गया कि असहिष्णुता लगातार बढ़ रही है।

लगभग 40 लेखकों द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कारों की वापसी न केवल धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए थी, बल्कि भारत को फासीवादी हमलों से बचाने के लिए एक गंभीर अपील भी थी।

समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है और यह एक अस्वास्थ्यकर विकास है जो हमारे लोकतंत्र के आधार को नुकसान पहुंचा रहा है।

दिल्ली की राजधानी ने ईसाई चर्चों में तोड़फोड़ देखी, जिससे ईसाइयों में घबराहट और अशांति पैदा हुई। बीजेपी नेताओं, मंत्रियों और सांसदों दोनों के गैर-जिम्मेदाराना बयानों ने भी समाज में दरार पैदा कर दी।

देश क्षितिज पर छाए काले बादलों की अनदेखी नहीं कर सकता। एक बहुलवादी और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में भारत की छवि को और खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे।

हमारे राष्ट्रपति की राष्ट्र से अपील कि "भारत की सभ्यता के मूल मूल्य जो विविधता, बहुलता और सहिष्णुता का जश्न मनाते हैं, को खत्म नहीं होने देना चाहिए" - इस अवसर के लिए सबसे उपयुक्त है। आइए, हम सब इस महान राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष राजनीति को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ें।

[हिन्दी]

^{15*} **श्री पी. पी. चौधरी (पाली)** : भारत उदार देश है या नहीं, इस पर बहुत बड़ा विवाद उठाया जा सकता है। हमारी सभ्यता की प्रमुखता यह है कि इसमें अनेक समुदाय, दर्शनों और वैश्विक विचारों की एकता है। आज ही के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में भारत घूमने आए विदेशियों के भारत को लेकर पूछे गए सवालों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारत एक ऐसा देश है, जहाँ के लोग हर पल खुश रहते हैं और बहुत से जो जीवन देश सेवा में खपाने में विश्वास रखते हैं।

हमारा देश हिंदू, बौद्ध, जैन और सिक्ख धर्म, चार प्रधान वैश्विक धर्मों का जन्म स्थान है। यदि हमारी सभ्यता की प्रधान प्रवृत्तियों में सहिष्णुता और उदारता नहीं हुई होती तो यह संभव नहीं हो सकता था। आज के समय में यह प्रचारित किया जा रहा है कि यह सहिष्णुता नष्ट होती जा रही है। यदि यह सत्य है तो इसके उत्तरदायी कौन हैं? स्वतंत्रता के पश्चात् किसने हमारे देश का शासन संभाला था? स्वतंत्रता के पश्चात् लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस केंद्र में सत्ता में रही है और वही आधिकांश राज्यों में भी सत्ता में रही है। जो सहिष्णुता हमारी मातृभूमि की प्रवृत्तियों में आनुवांशिक रूप से गहरे ढंग से समा गई हो, वह सहिष्णुता क्या मोदी के डेढ़ वर्ष के शासन में नष्ट की जा सकती है? पिछले कई दशकों से कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति में सांप्रदायिकता एक आदर्श के रूप में रही है। साहित्यकारों और फिल्म निर्माताओं द्वारा पुरस्कारों और राष्ट्रीय सम्मानों को वापस कर देने की जो प्रवृत्ति हाल ही में देखने को मिल रही है उससे उन्हें प्रदान करने वाली संस्थाओं पर देशभर के नागरिकों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है।

ये पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किये जाते हैं जिन्होंने कला, संस्कृति व साहित्य द्वारा राष्ट्रीय जीवन को महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। हाल ही में सम्पन्न कुछ विशेष घटनाओं पर राजनैतिक दृष्टि से विचार किया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि उन लोगों ने उन्हें यह प्रश्न करने का दबाव डाला कि क्या उसके निर्णय

^{15*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राजनैतिक रूप से आभिभूत है या नहीं। यदि कलाकार उस व्यवस्था अथवा व्यक्तियों के प्रति भयानक नफरत के कारण उनका विरोध करने लगे तो सामाजिक क्षेत्र के लोग उनके उस विरोध पर प्रश्न लगाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो उन संस्थाओं के सम्मान एवं समग्रता के विरुद्ध अपनी असहनीयता के कारण एक मत होकर कटु आवाज उठाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाने की वजह से प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, परंतु उनमें अवश्य ही कुछ अगुवा करने वाले लोग विद्यमान हैं। कुछ का सही मार्गदर्शन किया जाता है और कुछ का गलत मार्गदर्शन।

28 सितंबर, 2015 को दादरी में जो घटना घटी, उसमें गौमांस खाने और रखने के जुर्म के लिए आम जनता द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई करने से उसकी मृत्यु हो गयी थी। नेतागण उस घटना स्थल पर गए, जिनमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गाँधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, ऑल इण्डिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदउद्दीन औवेसी और संघ के सांस्कृतिक मंत्री डॉ. महेश शर्मा आदि अनेक नेतागण शामिल थे। जहां डॉ. महेश शर्मा अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वहां गए, बाकी सभी लोग घटना स्थल पर राजनीतिक करने गये थे।

दादरी में अल्पसंख्यक जाति के सदस्य को बिना कानूनी कार्यवाही के प्राण दण्ड देना एक बहुत ही दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसे कार्य का कोई भी सही व्यक्ति न तो समर्थन कर सकता है और न ही विरोध किये बिना रह सकता है। ऐसी घटनाएं देश को बदनाम कर देती हैं। इस घटना के पश्चात् साहित्य अकादमी द्वारा दिये गये पुरस्कार वापस किये जा रहे हैं। कदाचित इन लेखकों की यह चेष्टा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के प्रति विरोध को प्रतिबिंबित करती है। फलस्वरूप देश में असहशीलता का वातावरण व्याप्त हो गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले गुलाम नबी ख्याल और नयनतारा सहगल को क्या 1984 के सिख विरोधी दंगों, 2002 में जम्मू कश्मीर के रघुनाथ मन्दिर और कासिम नगर नरसंहारों या 1993 के मुंबई दंगों और 2008 में किसी तरह की असहिष्णुता नज़र नहीं आई। भारत में असहिष्णुता का आरोप लगाने वाले लेखक स्पष्ट रूप से वामपंथी-माओवादी विचारधारा के हैं। यह मिथ्या प्रचार है कि पुरस्कार लौटाने वाले लेखक उदारवादी हैं और उनका कोई वैचारिक झुकाव नहीं है।

किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा निश्चित रूप से की जानी चाहिए। दादरी की घटना भर्त्सना के योग्य ही हैं। किन्तु हमें याद रखना चाहिए कि भारत में पिछले 10 वर्षों में दलित महिलाओं और बच्चों के प्रति अमानवीय हिंसा की अनेक घटनाएं भी हुई हैं, दंगे भी हुए और लूटपाट भी हुई हैं। वामपंथी लेखकों ने उन्हें एक कदम हाशिये पर रखा और सोची-समझी राजनीतिक रणनीति के तहत पूरी बेशर्मी के साथ चुप रहे। इस रणनीति का जाल दुनिया भर में है। भारत में असहिष्णुता की गहराई और उसके विस्तार पर देशव्यापी सार्वजनिक बहस होने दी जाए। ऐसी बहसों को दबाकर भारत में बढ़ती सहिष्णुता का वर्तमान तर्क वास्तव में एक राजनीतिक एजेंडा है, जो राष्ट्रवाद के प्रति बैर भाव का परिणाम है।

अंत में, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत की जनता समझदार है और मुझे विश्वास है कि वह इस विद्वेषपूर्ण प्रचार को समझेगी और यह देश उनको उचित उत्तर देगा। जनता विकास चाहती है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ऐसी कोई घटना घटित होते नहीं देखना चाहते, जिससे सरकार का ध्यान विकास से हट जाए।

16* श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में है असहिष्णुता। विपक्ष का मानना है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आयी है तब से इस देश में असहिष्णुता बढ़ी है, मीडिया की ओर देखे तो वह भी यही कहती दिख रही है। आखिर क्या है यह असहिष्णुता? अगर व्याकरण के आधार पर इस शब्द का अर्थ निकला जाए तो सहनशीलता का अभाव जिसमें उत्पन्न हो जाता है वह असहिष्णु हो जाता है और जब से एन.डी.ए. की सरकार इस देश में आई है तब से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इतना घबरा गया है कि वह सरकार को काम ही नहीं करने दे रहा, अब यदि भाषाई और प्रचलित आधार के मतलब से देखा जाए तो मोदी सरकार के आने के बाद सबसे ज्यादा असहिष्णु यदि कोई हुआ है तो वह कांग्रेस ही है। अब इस प्रकार की असहिष्णुता पर क्या कार्यवाही करनी चाहिए यह तो विपक्ष स्वयं निधाररित करे। आज देश स्थिर राजग सरकार के नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रहा है जो विपक्ष और उसके सहयोगी संगठनों को हजम नहीं हो रहा है। अभी तक जिन तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया है वे तमाम मुद्दे या तो मीडिया द्वारा आधे सच और आधे झूठ से पैदा किये गये थे या फिर उनके लिए राज्य सरकारें दोषी थीं। वे राज्य सरकारें जहां एन.डी.ए. और उसके घटक दल सरकार में है ही नहीं। फिर देश में बढ़ रही असहिष्णुता के लिए केंद्र को क्यों घेरा जा रहा है। सरकार विरोधी विपक्ष और उसके सहयोगी संगठन यह मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें अब तक न तो इस सरकार के काम में भ्रष्टाचार मिला और न ही किसी और मोर्चे पर सरकार की कोई कमजोर कड़ी, क्योंकि जब गलती है ही नहीं तो मिलेगी कहां से। मैं देश को बताना चाहता हूँ कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से न तो केंद्र में भ्रष्टों को जगह मिली और न ही सरकार ने कोई ऐसा काम किया है, जो इस देश या सवा सौ करोड़ देशवासियों के खिलाफ हो।

यह तमाम विरोध दरअसल सत्ता सुख से दूर उन लोगों को व्यक्तिगत कष्ट है जो बड़े-बड़े पदों पर बैठक जनता के पैसों पर मजे करके वी.आई.पी. कल्चर के आदी हो गए थे। यह कांग्रेस की रणनीति है कि उसने

16* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमेशा जनता के पैसे से तमाम लोगों को लॉलीपॉप दी है। यह तमाम अवार्ड वापस करने वाले लेखक कांग्रेस सरकार में अकादमियों और समितियों के सदस्य और अध्यक्ष पद पर रह कर मजे कर रहे थे। जब भाजपा सत्ता में आई उसने यह कल्चर खत्म कर दिया और यही रार आज असहिष्णुता बन गई है। मुझे खुशी होती कि जब विपक्ष संसद में अशिक्षा, आतंकवाद, महिला सुरक्षा और विकास जैसे विषयों को मुद्दा बनाता। जनता की बात करता मगर इस विपक्ष ने राजनीतिक गरिमा का सम्मान किये बिना ऐसे मुद्दे उछाले हैं जिनका लोक महत्व अशिक्षा, आतंकवाद, महिला सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों के सामने है ही नहीं। इस सदन में विपक्ष के लोग भी जनता द्वारा ही यहां भेजे गये हैं यह किसी परिवार या पार्टी की कृपा नहीं इसलिए इस सदन में बैठे प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि वह देश और जनता को पहली प्राथमिकता प्रदान करे न कि ऐसे मुद्दों को जिनका कोई औचित्य है ही नहीं।

^{17*} **श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद)** : मई 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार बनी है तब से देश में तथाकथित असहिष्णुता का कृत्रिम वातावरण बनाया जा रहा है। आज दर्जनों लेखक, कलाकार और जाने माने बुद्धिजीवी अपने राष्ट्रीय पुरस्कार लौटा रहे हैं, कथित माहौल का झूठा शोर मचाने वाले क्या यह बता सकते हैं कि जब डी.आई.आर. मीसा लगी थी लोगों के मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए थे तब क्या असहिष्णुता नहीं थी और जब 1984 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 3800 से ज्यादा सिक्खों की हत्या हुई थी तब क्यों नहीं पुरस्कार, सम्मान लौटाए क्या तब असहिष्णुता नहीं थी? जब फिल्मों में काम पाने के लिए युसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा था।

आजकल कुछ दिनों से सहिष्णुता-असहिष्णुता को पत्र-पत्रिकाओं में काफी जगह मिल रही है, यह दो शब्द बहुत पुराने हैं और यह एक चिर निरंतर प्रक्रिया है, चाहे सास-बहु के झगड़े के टीवी सीरियल हो जिसमें सहिष्णु घर में कभी सास पर असहिष्णु व्यवहार होता है तो कभी बहू अपने पति से सास के असहिष्णु रवैये से धमकी देती है और चाहे फिल्मों में काम पाने के लिए युसुफ खान को भी दिलीप कुमार बनना पड़ता है, लेकिन तब चर्चा नहीं हुई और जब एक आतंकवादी के जनाजे में मुंबई में हज़ारों की भीड़ पहुंचती है तो भारतवर्ष से प्रेम करने वाले करोड़ों भारतीय नागरिकों के सहिष्णु व्यवहार पर किसी सेलिब्रिटी को ऐतराज नहीं हुआ।

किसी मसले पर कोई क्या सोचता है इस पर किसी का वश नहीं है सबको अपने हिसाब से अपनी सोच-समझ विकसित करने और राय बनाने का अधिकार है। इस लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, यह अधिकार आम आदमी को भी है और नेता-अभिनेता सभी भी हैं। लेकिन ऐसा करते समय शायद वह यह जानबूझकर भूल जाता है कि उनके कहने का क्या और कैसा असर समाज पर होगा। वह न केवल देश में असहिष्णुता बढ़ने के कुछ खास लोगों के दावे पर मुहर लगाते हैं। बल्कि लोग अपनी पत्नी के एक विचित्र कथन का हवाला देकर उसकी गंभीरता भी रेखांकित करते हैं, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी

^{17*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पत्नी कभी न कभी अपने घर परिवार में असहिष्णुता की शिकायत अपने पति से न करती हो। कभी सासु माँ की वजह से तो कभी ननद, देवर, देवरानी आदि की वजह से घर छोड़ने की बात करती है तो क्या हम उनके इस भय के कारण देश छोड़ दें और छोड़कर कौन से देश जाए, क्या बात की गारंटी है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा या नहीं होता है। देश छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है यह एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होने जैसा भी नहीं है। पत्नी की बात का ढोल पीटने वाले पहले यह समझ ले कि वे कौन लोग हैं, जिनके सामने सचमुच देश छोड़कर जाने की नौबत आ गई है। वे सीरिया और इराक के लोग हैं, वे पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भी हैं, क्या देश छोड़ने वाले लोग अपने को उसी दशा में पा रहे हैं जिन हालातों में इराक, सीरिया के वाशिंदे या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं। यदि लोग अपनी पत्नी की आड़ में अपनी कुंठित सोच का परिचय नहीं दे तो फिर इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं है कि उनका अपना कोई खास एजेंडा है और उसके तहत देश को बदनाम करने से भी नहीं चूकते।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गठित सरकार में एक भी कोई बड़ी सांप्रदायिक हिंसा की घटना नहीं हुई जैसा कि पिछली सरकारों में होती थी, देश पहले से ज्यादा सहिष्णु हुआ है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद भले ही असहिष्णुता को लेकर शोर बढ़ गया हो लेकिन अगर आंकड़ों को देखें तो तस्वीर एक दम उलट दिखाई देती है। मोदी सरकार मई 2014 में सत्ता में आई, 2013 में 823 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की तुलनाओं में 2014 में केवल 644 ही घटनाएं दर्ज की गईं वही इस वर्ष अक्टूबर तक मात्र 603 ही हिंसक झड़पें हुई हैं। साहित्य के माध्यम से विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को राष्ट्र की एकता को एक सूत्र में पिरोने का एक अत्यंत गौरवशाली प्रयास किया गया। आज कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा असहिष्णुता का बयान देकर असहज स्थिति पैदा की जा रही है। अगर कुछ समस्याएं हैं तो मिल-बैठकर समाधान करना चाहिए। आज राजनीति सत्ता का विरोध और बचाव की कार्यशैली बनती जा रही है, जबकि समस्याओं के समाधान की तरफ सोचना कोसो दूर है, जरूरत है इनसे दूर रहकर राष्ट्र को प्रगति पथ पर ले जाने की।

अतः यदि किसी को यह लग रहा है कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, उस अमुक व्यक्ति के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई इसकी निष्पक्ष जांच करायी जाये। इस देश में रहने वाला कोई भी नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म, मज़हब का हो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और यदि किसी के अंदर कोई भय या छद्मय भय हो तो उसकी भी जांच कराकर भय दूर किया जाये और यदि कोई देश में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से यह प्रपंच फैला रहा हो तो उसके विरुद्ध भी जांच कराकर कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे कि इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को किसी की नज़र न लगे। राजनीतिक रूप से निवारसित लोगों द्वारा इस वक्त की जा रही असहिष्णुता की बात गले नहीं उतरेगी, सच तो यह है कि कथित असहिष्णुता की बात खोखली और मूर्खतापूर्ण लगती है।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। यह वास्तव में इतिहास की विडंबना है जब हम इस बहस को देखते हैं, तो हमें निश्चित रूप से आश्चर्य होगा कि हम दो दिनों तक संविधान दिवस पर चर्चा कर रहे थे और उसके तुरंत बाद, हम भारत में असहिष्णुता पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है, यह वास्तव में एक अजीब घटना है। बड़ी निराशा के साथ, मैं इस बहस में भाग लेने के लिए यहां खड़ी हूँ।

भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है। जब इस सरकार का जनादेश आया, तो हम सबको उम्मीद थी कि हम एक विकसित भारत की तलाश में हैं। लेकिन आज अगर आप कोई अखबार पढ़ते हैं या कोई चैनल देखते हैं, तो वास्तव में हम एक विभाजित भारत को देख रहे हैं। यह सतही स्तर पर हो सकता है, लेकिन यह अभी भी हर किसी के दिमाग में मौजूद है। समाज के विभिन्न वर्गों से बहुत गंभीर चिंताएं हैं। आज सहिष्णुता और असहिष्णुता पर बहस हो रही है। दुनिया के हर समाज में सहिष्णुता और असहिष्णुता है। मैं माननीय गृह मंत्री के बयान की सराहना करती हूँ जब उन्होंने यह कहकर बहस शुरू की कि आइए इसे राजनीतिक न बनाएं, आइए हम वास्तव में उन लोगों के बारे में बात करें जिन्होंने इसका सामना किया है और इसका समाधान खोजें। मैं आभारी हूँ कि वह आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि मैं एक ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करती हूँ और ऐसी जगह से आती हूँ जो असहिष्णुता की स्थिति से गुजर रहा है। असहिष्णुता का मतलब रक्तपात और मृत्यु नहीं है, जैसा कि दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में हुआ था। महाराष्ट्र में हमें अपनी परंपरा पर बहुत गर्व है। हम एक असाधारण आधुनिक राज्य से आते हैं जिसने इस राष्ट्र में परिवर्तन लाने की दिशा दी, चाहे वह महिलाओं के अधिकार हों, चाहे वह दलित के अधिकार हों। हम भाषणों में सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर जी की बात नहीं करते हैं। लेकिन वे वास्तव में एक सामाजिक सुधार लाए हैं और उन्होंने भारत में दशकों से इस देश को दिशा दी है। हमें अपनी विरासत पर बहुत गर्व है।

लेकिन आज महाराष्ट्र में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मेरे राज्य में जो कुछ भी हुआ है, मुझे कहना होगा कि मैं शर्मिदा हूँ। हम पूरे देश की यात्रा करते हैं। आज पहला सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि [हिन्दी] अरे, तुम्हारे

महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? [अनुवाद] कारण यह है कि श्री सुदेन्द्र कुलकर्णी जी का क्या हुआ? हो सकता है कि मैं उनकी सभी विचारधाराओं से सहमत न हो। मुझे 'बर्दाश्त' शब्द पर आपत्ति है। हमें एक-दूसरे को क्यों बर्दाश्त करना चाहिए? हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते जहां हम एक-दूसरे को सुनते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सही है या गलत, चाहे हम इसे मानते हैं या नहीं। सिर्फ इसलिए कि आप और मैं असहमत हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक दुश्मन हैं और मुझे आपको बर्दाश्त करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे बर्दाश्त करने और असहिष्णु होने के मूल विचार पर आपत्ति है। श्री सुदेन्द्र कुलकर्णी जी के साथ जो हुआ, वह केवल मुझे शर्मिंदा करने वाला नहीं था। इस कार्यक्रम की दिल्ली में सभी दलों द्वारा सराहना की जाती है और इसमें भाग लिया जाता है, लेकिन मुंबई में एक समस्या है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। हमारे पास एक युवा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री है। वह वास्तव में इसके लिए क्या कर रहे हैं? यह मेरी व्यक्तिगत निराशा है।

मैं सहमत हूँ...। (व्यवधान) क्रिकेट के प्रति मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे दादा ने क्रिकेट खेला और मुझे इस पर बहुत गर्व है और यहीं मेरी रुचि रहती है। लेकिन जैसे भी, सामाजिक स्तर पर बी.सी.सी.आई. में जो होता है वह पूरी तरह से निंदनीय है। दूसरी बात जो होती है वह संगीत कार्यक्रम को रद्द करना है। दुनिया भर से लोग प्रदर्शन करने आते हैं। मुझे लगता है कि संगीत और भाषाओं में कोई संस्कृति नहीं है; वे पूरी दुनिया को एक साथ बांधते हैं। रद्द होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और कहा, 'मैं आपको सुरक्षा दूंगा।' अगर उनके पास यह मौका था, तो वह आगे क्यों नहीं गए और एक बिंदु साबित करने के लिए शो में शामिल नहीं हुए कि, 'हां, मेरे राज्य में, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह बहुत मिश्रित संकेत देता है। इसलिए, पूरा मुद्दा यह है कि उन्हें जो यह पूरा जनादेश मिला है ... (व्यवधान) मैं आपको सत्ता के बारे में एक बात बताती हूँ।

जब हम सामान्य नागरिक हैं, तो हम जो चाहें कह सकते हैं। लेकिन जब हम निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, तो हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब हम यहां आते हैं तो संसद में एक निश्चित मर्यादा होती है, खासकर जब हम असहिष्णुता पर बहस कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि खासकर वे लोग जो सत्ता में हैं... (व्यवधान) महोदय, यहाँ मेरी आपत्ति है। जो भी देश का नेतृत्व करता है, वह देश का पिता तुल्य होता है और

वह परिवार के मुखिया की तरह होता है। जब कोई परिवार का मुखिया होता है, तो उसे देखने के तीन तरीके होते हैं। मैं इसे अपने बच्चों को देखकर समझती हूँ। यदि मेरे बच्चे कुछ गलत करते हैं, यदि मैं उस कृति में सहभाग कर रही हूँ। अगर सहभाग नहीं कर रही हूँ, कुछ बोलूँ नहीं तो उसे कहते हैं, अनुमोदन कर रही हूँ। अगर मैं मौन रहूँ तो भी आप बोलेंगे, गलती तुम्हारी है, तुम मां हो, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा?

यह मेरी सरकार से आपत्ति है। माननीय गृह मंत्री यहां बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। उसके सभी सदस्य क्यों नहीं सुन सकते? यही इस पार्टी की समस्या है। ... (व्यवधान) यह समस्या की जड़ है। उनका वरिष्ठ नेतृत्व पूरी तरह से विभाजित है। जो मुझे दर्द देता है। ... (व्यवधान) मैं श्री किरन रिजिजू जी की बात की सराहना करती हूँ। मैं कल बहुत धैर्य से सुन रही थी कि मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा। वह मेरी अच्छी दोस्त हैं। इस बात की सराहना करती हूँ कि उन्होंने वास्तव में बहुत अध्ययन किया है और यहां आई हैं। यह पूरी चर्चा इस बात पर नहीं है कि गौमांस पर प्रतिबंध है या किसने प्रतिबंध लगाया है या नहीं। यह सवाल नहीं है। यहां तक कि अगर इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है और जिसने भी इस पर प्रतिबंध लगाया है, तो हमें आपत्ति है। इस पर हमारे मतभेद हो सकते हैं। मैं सराहना करती हूँ कि श्री किरन रिजिजू ने खड़े होकर स्पष्ट किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है; प्रत्येक व्यक्ति को जो पसंद हो वह खाना चाहिए और जिस राज्य में वह रहता है उसी राज्य में रहना चाहिए। मैं महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ। महाराष्ट्र में यह प्रतिबंधित है, लेकिन गोवा में यह प्रतिबंधित नहीं है। तो, महाराष्ट्रियन गोआ जा सकते हैं और इसे खा सकते हैं, जो हमारे साथ भी ठीक है। लेकिन इस प्रतिबंध से वास्तव में क्या होता है कि जब वे सभी ऐसे प्रगतिशील बयान देते हैं - अरुणजी प्रगतिशील बयान देते हैं - तो पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं, यही तो है। आप कृति में भाग में नहीं लेते शायद अनुमोदन भी नहीं करते, लेकिन जब मौन रखते हैं, तब यह हमें बताता है कि यह यहाँ एक खेल चल रहा है।

एक अंग्रेज़ी कहावत है, 'एक अच्छा पुलिसवाला और एक बुरा पुलिसवाला।' तो कुछ लोग अच्छे पुलिसवाले की भूमिका निभाते हैं और कुछ लोग बुरे पुलिसवाले की। ऐसे में, इस सरकार का वास्तव में स्वच्छ एजेंडा क्या है? मेरा मानना है कि अब वह समय आ गया है जब आपको इस अवसर का लाभ उठाते हुए राष्ट्र

के समक्ष स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि आप सब कुछ साफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ... (व्यवधान) यह उनके लिए एक अवसर है क्योंकि वे स्मार्ट सिटी की बात करते रहते हैं। अगर आप हमारे सभी शहरों को स्मार्ट बना रहे हैं तो हमें खुशी है। यदि आप भारत को डिजिटल बना रहे हैं तो हमें बहुत खुशी है। लेकिन क्या गौमांस प्रतिबंध और घर वापसी जैसे मुद्दे वास्तव में डिजिटल भारत और आधुनिक भारत में आते हैं जिनका आप सपना देखते रहते हैं? आप हमें एक सुंदर सपने पर ले गए; आपने पूरे देश को उस सपने के साथ जोड़ दिया। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने कहे हुए शब्दों को दिल से निभाना होगा और जिन परिणामों का आपने वादा किया था, उन्हें वास्तव में ज़मीन पर उतारना होगा। मुझे लगता है कि आपको वास्तव में आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह सिर्फ लौटने के बारे में नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि साहित्यकार पुरस्कार लौटा रहे हैं। यदि एक बार में इतने सारे पुरस्कार वापस आ रहे हैं, तो कम से कम इस पर पुनर्विचार करें कि यह क्या है। श्री जयदेव गल्ला ने अपने भाषण में जो कहा वह आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार है तो केंद्र में सरकार कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कैसे है? यदि वही सरकार केंद्र में है - भाजपा की या किसी और की - और महाराष्ट्र राज्य में भी जो भाजपा की है, तो मैं किसकी ओर रुख करूँ? जब मैं अपने अधिकारों की तलाश करना चाहती हूँ और मेरे राज्य में ये सभी गलत चीजें हो रही हैं, तो मैं किसकी ओर रुख करती हूँ? दोनों एक ही पार्टी के हैं। जब आप कहते हैं, यह केवल राज्य का विषय है, यह केवल राज्य का विषय नहीं है; जब वे हर चीज के लिए मदद के लिए केंद्र के पास आते हैं, तो आप इस मुद्दे पर ध्यान क्यों नहीं देते, खासकर जब उनके अपने सहयोगी लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं? तो, यह वह उत्तर है जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ। ... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह, मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। आपने कहा, मुझे समाधान दो। मेरा समाधान है, 'कृपया संसद के अपने सदस्यों और अपने सम्मानित मंत्रियों को बात करने से पहले सोचने के लिए कहें। यही एकमात्र उपाय है। अगर वे बात करना बंद कर देते हैं, तो हमें इस बहस की आवश्यकता नहीं होगी। ... (व्यवधान) यह

केवल समाज की बात नहीं है। [हिन्दी] वह कहां जाएगा? देश छोड़कर वह बेचारा कहां जाएगा? [अनुवाद] वह वास्तव में दो वक्त के भोजन के लिए कड़ी मेहनत करता है और अपने बच्चों को बेहतर जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करता है। ये दो फिल्म अभिनेता हैं जिनका 'मेक इन इंडिया' में योगदान बहुत अच्छा है तो, आइए हम शाहरुख खान और आमिर खान पर ध्यान न दें। उन्होंने भारत के लिए वैश्विक स्तर पर काफी योगदान दिया है।

ऐसी खबरें बनाने के लिए किसी ग्लैमरस व्यक्ति का होना क्यों ज़रूरी है? भले ही यह एक आम व्यक्ति हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम उन लोगों के ऋणी हैं। यदि वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो यह आपका कर्तव्य है क्योंकि आप सत्ता की स्थिति में हैं और ऐसा करना आपका काम है। इसलिए, मैं इस अवसर का उपयोग केवल उन्हें याद दिलाने के लिए करती हूँ।

एक और बात जो लगातार विभिन्न भाषणों में आ रही है, वह है विभिन्न लोगों की मौता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चाहे श्री धाबोलकर हों, श्री पानसरे हों या श्री कलबुर्गी हों, वे सभी इस धरती के बहुत उदार तीन पुत्र हैं। उन पर निश्चित रूप से किसी न किसी प्रारूप द्वारा हमला किया गया जो असहिष्णुता का है। अधिकतर होता यह है कि महाराष्ट्र में सनातन संस्था नाम का एक समूह है जो अंतहीन बातें करता है। श्री अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह जानते हैं कि इस विचारधारा से कितनी परेशानी होती है। उन सभी ने इस पर काम किया। यहां तक कि केंद्र सरकार के पास भी गया। इसलिए, मैं श्री राजनाथ सिंह से आग्रह करती हूँ कि वे पता लगाएं कि सनातन संस्था की फाइल में क्या है। वे महाराष्ट्र में महान और आधुनिक लोगों को धमकाते रहते हैं। वे उन्हें पत्र लिखते हैं। दुर्भाग्य से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा एकमात्र आग्रह यह है कि दो गलतियाँ एक सही नहीं बनतीं। ... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: आप गृह मंत्री से सनातन संस्था पर स्पष्टीकरण देने के लिए कह रहे हैं। हमने जो फाइल देखी है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तत्कालीन गृह मंत्री श्री चिदम्बरम ने फाइल में स्पष्ट रूप से कहा

था कि उस संस्था पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं है। तो, यह तत्कालीन गृह मंत्री का निर्णय है। आप हमारे पाले में गेंद नहीं फेंक सकते। ... (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले: अब आप सरकार हैं। ... (व्यवधान)

श्री किरें रिजिजू: उन्होंने अदालत में भी एक हलफनामा दायर किया है।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया शान्त रहें।

... (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले: इसका मतलब है कि हमने जो कुछ भी किया वह सही था और वे उन्हीं नियमों का पालन करेंगे। धन्यवाद, श्री रिजिजू। इसका मतलब है, आप आश्चर्य कर रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री ने जो कुछ भी किया वह सही था। आपके इस अप्रत्यक्ष प्रशंसा के लिए धन्यवाद! तो बस, उसी रास्ते पर चलते रहिए।

ये मुद्दे हैं। यह कोई मुद्दा नहीं है कि वे सरकार में थे या हम सरकार में थे। जब कुछ गलत होता है, तो यह कहने के लिए बहुत दृढ़ विश्वास और साहस की आवश्यकता होती है कि भले ही मैं मामलों का मुखिया था, जो हुआ वह गलत था। हमने इसे स्वीकार किया। जब श्री ढाबोलकर को गोली मारी गई, तो हमारी सरकार ने स्वामित्व लिया और कहा कि यह गलत है और हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह करेंगे। यहां तक कि हमने केंद्र में गृह मंत्रालय से संपर्क किया और उनसे यह पता लगाने में मदद करने के लिए कहा कि ये हत्यारे कौन थे। मैं इस अवसर पर आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया श्री पानसरे और श्री कलबुर्गी के साथ जो हुआ उस पर गौर करें क्योंकि ये वास्तव में इस धरती के पुत्र हैं जिन्हें हमने असहिष्णुता के कारण खो दिया है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि वे आपके या हमारे या किसी और के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं।

पुरस्कारों के बारे में भी, बहुत कुछ कहा गया है। जब गुजरात दंगे हुए, श्री वाजपेई यहां मामलों के शीर्ष पर थे। वहां कुछ भी वापस नहीं किया गया क्योंकि लोग आश्चर्य थे कि केंद्र में कार्यभार संभालने वाला व्यक्ति एक उदार व्यक्ति था। भारत यही खोज रहा है। ... (व्यवधान) मैं सहमत हूँ, आपके पास एक हरा-भरा भारत

और एक स्वच्छ भारत होगा लेकिन अगर एक महिला के रूप में यह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, तो हम इसकी तलाश नहीं कर रहे हैं। मैं यहां एक महिला के रूप में बोल रही हूँ। चाहे मंदिर प्रवेश के लिए हो या कुछ पूजा के लिए, कुछ नई प्रवृत्ति शुरू हुई है। यह शायद वहाँ था लेकिन यह उबल नहीं रहा था। इसलिए, जिस बर्तन की आवश्यकता नहीं है उसे हिलाएं नहीं। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम एक मॉडल की तलाश में हैं। आप सभी कहते रहते हैं: 'सबका साथ सबका विकास'। यहां तक कि हम महिलाएं उस 'साथ' में रहना चाहती हैं। ये बड़े नारे हैं। ... (व्यवधान) हरियाणा ने अभी ऐसा किया है।

मुझे लगता है, महोदय, इस अवसर पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। हमें तुच्छ राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पास कई अन्य मुद्दे हैं। मेरे पूर्व अध्यक्ष ने जो कहा है, वह सच है। कुपोषण की चुनौतियाँ, शिक्षा की चुनौतियाँ और स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियाँ मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से केवल एक विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ, कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके मंत्रीगण किसी भी संदर्भ से हटकर ऐसी बातें न करें जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ। यही कार्य उन्हें करने के लिए जनता ने नहीं चुना है। उन्होंने संविधान की शपथ ली है। यदि हम संविधान पर बहस कर रहे हैं, तो कम-से-कम उसे पढ़ें और उसका पालन करें। बस, इतना ही हमारा सुझाव है। धन्यवाद, महोदय।

18* **श्रीमती बुद्धा रेणुका (करनूल)** : यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत के पास एक समृद्ध विरासत और इतिहास है और हर भारतीय को इस पर वास्तव में गर्व है। हम बहुलवाद, बहुजातीयता, बहु-संस्कृति और न जाने क्या-क्या के विचार का सम्मान करते हैं और जहां तक मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक लोकाचार का सवाल है, हमने हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान लिया है। प्राचीन काल से भारत ने विभिन्न धर्मों, पंथों, वर्ग और भाषाओं से संबंधित दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोगों का स्वागत किया है, जिन्होंने भारत को अपना घर बना लिया है और भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है।

इतनी समृद्ध विरासत और पृष्ठभूमि के साथ भारत को एक असहिष्णु देश के रूप में पेश करने वाली कुछ आवाजों को सुनना दर्दनाक है। मेरा मानना है कि इससे हमारी छवि पर गंभीर असर पड़ेगा और हमारे आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा।

मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करती हूं कि असहिष्णुता का संबंध दूसरों की राय के प्रति पूर्वाग्रह से है और हमारा ऐतिहासिक रूप से सहिष्णु समाज और राष्ट्र है, इसे आगे बढ़ाना अनुचित होगा। मीडिया को भी घटनाओं को सनसनीखेज बनाने के बजाय सही तरीके से बचाने में रचनात्मक भूमिका निभानी होगी जो हमें बाहरी दुनिया के सामने बुरी तरह पेश करेगी। छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना बंद करना होगा। यहां तक कि राजनीतिक दलों को भी दुर्लभ घटनाओं, यदि कोई हो, से राजनीतिक लाभ लेना बंद करना चाहिए, जिनकी यथासंभव कठोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। संकीर्ण पक्षपातपूर्ण राजनीतिक लाभ के लिए भारत के विचार से समझौता नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, हमें समाज के प्रभावित वर्गों की चिंताओं को दूर करके लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए।

दुनिया दिन-ब-दिन सिमटती जा रही है और भौगोलिक तथा अन्य बाधाएँ—जैसे धर्म, जाति, पंथ और भाषा—अब धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही हैं। ऐसे में संकीर्ण मानसिकता को त्यागना अनिवार्य है, यदि हमें वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विश्व पहले ही भारत को हर दृष्टिकोण से एक प्रभावशाली शक्ति के

18* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रूप में मान्यता दे चुका है। आज हमें गर्व है कि हमारे कई लोगों ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति के संस्थानों में नेतृत्व के पदों को संभालने वाले उत्कृष्टता का दर्जा प्राप्त किया है, चाहे वह माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, पेप्सी हो और कई अन्य हों।

मुझे यकीन है कि आप मुझसे सहमत होंगे जब मैं कहती हूँ कि स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों की तुलना में सहिष्णुता का स्तर बढ़ा है। इसका कारण दुनिया भर में हो रहे विभिन्न विश्वासों और प्रवासन की शिक्षा और दुनिया के संपर्क में आना है। हमें अभी भी लोगों को अन्य मान्यताओं के प्रति सहिष्णु होने के लिए शिक्षित करने की प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है और यह निश्चित रूप से दुनिया भर में अवसरों की तलाश में लोगों के आंदोलन के साथ होगा। लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया है।

समय की मांग है कि समाज के उन वर्गों में विश्वास पैदा किया जाए जो असुरक्षित हैं और विशेषकर अल्पसंख्यकों में असहिष्णुता का खतरा महसूस करते हैं। यह कई तरीकों से किया जा सकता है, सबसे अच्छा होगा कि उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल किया जाए, उनकी चिंताओं को समझा जाए और उनका समाधान किया जाए। सरकार इस संबंध में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। मुझे यकीन है कि यह सरकार इस अवसर पर आगे आएगी और इस बुराई से निपटने के लिए कदम उठाएगी और दुनिया भर में मजबूत संदेश देगी कि भारत प्राचीन काल से एक सहिष्णु समाज रहा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। हमें हर तरह से मजबूत बनाने के लिए भारत के बारे में दुनिया की धारणा सकारात्मक होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि हम सभी की भूमिका है क्योंकि यह भावनात्मक मुद्दा वर्तमान और लंबे समय में हम सभी को प्रभावित करता है।

[हिन्दी]

^{19*} **श्री देवजी एम. पटेल (जालौर)** : आज देश में, विशेष रूप से मीडिया के माध्यम से यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जब से देश में मोदी जी की सरकार आई तब से असहिष्णुता अर्थात् इनटॉलरेंस को बढ़ावा मिला है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या देश में किसी अल्पसंख्यक की पहली बार हत्या हुई है। क्या बहुसंख्यकों की हत्या नहीं होती। मैं पुरस्कार लौटाने वालों से पूछना चाहता हूँ कि जब 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद बड़ी संख्या में हुए सिक्खों के कत्लेआम के समय देश में असहिष्णुता नहीं बढ़ी थी। क्या गोधरा हत्याकांड में निर्दोष हिंदुओं को जलाकर मार डालने में इनटॉलरेंस का कोई हाथ नहीं था। क्या नब्बे के दशक में कश्मीर से लाखों पण्डितों को मार-पीट कर भगाने में असहिष्णुता का कोई हाथ नहीं था। उस समय इन साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार क्यों नहीं लौटाए थे।

देश के सुपर स्टार शाहरुख खान, जिन्हें देश की जनता ने अपन सिर माथे पर बैठाया, मान-सम्मान और वैभव प्रदान किया, वहीं शाहरुख खान आज कहते हैं कि देश में असहिष्णुता अपने चरम पर है। दूसरे सुपर स्टार आमिर खान का कहना है कि समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी नज़र में दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा है जहां पूरी तरह धार्मिक स्वतंत्रता और बोलने की आज़ादी सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध है। हमारे संविधान ने देश के सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक आजादी से रहने का अधिकार प्रदान किया है।

बड़े कष्ट की बात है कि हमारी राष्ट्रीय अखंडता पर तरह-तरह के कुठाराघात प्रतिदिन की दर से होते हैं। क्या राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात अक्षम्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता? यदि आता है तो ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के लिए क्या सजा मुकर्रर है? राष्ट्रीय गीत का कतिपय लोगों द्वारा बार-बार अपमान किये जाने की घटनाओं ने हमारे लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। संसद में सत्र स्थगित होने के दौरान वंदेमातरम की धुन बजते ही हमारे

^{19*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कुछ सहयोगी इतने अप्रसन्न होते हैं कि वे तत्काल संसद छोड़कर निकल जाते हैं। वे वंदेमातरम को अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि वाकई वे बड़े विषम काल में जी रहे हैं, जहां देश से बड़ा धर्म माना जाने लगा है। क्या वाकई राष्ट्र से बड़ी अवधारणा धर्म की होती है? क्या हमारा देश धार्मिक गुरुओं के आदेशों से संचालित होने लगा है? यदि नहीं तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति क्या दर्शाती है? ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग इस तरह के निंदनीय कृत्य बार-बार करने का दुस्साहस कैसे कर पाते हैं? फिर भी वे हमारे देश को असहिष्णु होने का दावा करते हैं। इस निंदनीय कृत्य के लिए अब तक किसी को भी किसी प्रकार की सजा नहीं दी गई थी। क्या यह देश की सहिष्णुता का प्रतीक नहीं है। जहां तक प्रश्न है वंदे मातरम गीत का तो इसकी किसी भी लाईन में किसी भी धर्म का मान या अपमान नहीं किया गया है। ये गीत हमारी मातृभूमि को हमारे नमन से जुड़ा है। ये गीत हमारी राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक है। [अनुवाद] ये गीत हमें हमारे राष्ट्रीय धर्म का बोध कराता है। [हिन्दी] इस सब के बावजूद हमारी राष्ट्रीय भावनाओं पर कुठाराघात का दुस्साहस कैसे जुटा पाते हैं ये चरमपंथी? क्या यह हमारे देश की सहिष्णुता का प्रतीक नहीं है? बहरहाल वंदे मातरम का विरोध कोई नयी बात नहीं है। आजादी के पूर्व से ही इस तरह की अलगाववादी मानसिकता के लोग इस गीत पर विरोधी राग छेड़ते रहे हैं। यहां प्रश्न ऐसे व्यक्तियों के दुस्साहस का नहीं वरन् हमारे सेक्युलर कर्णधारों की नपुंसकता का है। धर्म निरपेक्षता के ठेकेदार इस मुद्दे पर जुबां खोलने से कतराते रहे हैं। इस सबके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्र की अखंडता सदैव रही है और रहेगी। डॉ. अम्बेडकर ने जो चेतावनियां दी थीं- एक प्रजातंत्र में जन आंदोलनों का स्थान, करिश्माई नेताओं का अंधानुकरण और मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र की सीमाएं- वे आज भी प्रासंगिक हैं। दो विपक्ष शासित राज्यों में अल्पसंख्यक वर्ग के दो व्यक्तियों की हत्या होने से केंद्र सरकार पर असहिष्णु होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ऐसी स्थिति में राज्यों में हुई किन्हीं घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है।

मेरे विचार से देश में कोई एक सांप्रदायिक घटना होना भी चिंता की बात है और सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए। कतिपय असामाजिक तत्व समाज में आपसी सौहार्द को समाप्त करना चाहते हैं ताकि केंद्र सरकार

को बदनाम किया जा सके। विविधता, सहिष्णुता और बहुलता भारत के मूल्यों में शुमार है और उन्हें मिटने नहीं दिया जा सकता। हम अपने देश के संस्कार नष्ट नहीं होने देंगे। हम सबको मिलजुल कर रहना होगा और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखना होगा। हमें मिलजुल कर जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह सुरक्षित है और अपने मन की बात सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं- उसकी निजी स्वतंत्रता पर कट्टरवादियों का पहरा नहीं है। हमारी सरकार किसी भी तरह की सांप्रदायिक कट्टरता के सख्त खिलाफ है।

पहले भी दलितों पर अत्याचार होते रहे हैं और लेखकों की हत्याएं भी हुई हैं। आज कुछ क्षेत्रों में असहिष्णुता की वर्तमान स्थिति से कड़ाई से निपटना होगा। लेकिन इस बारे में न तो कोई धारणा तय की जानी चाहिए और न ही देश को गलत दृष्टि से पेश करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सहिष्णुता संविधान का ही सम्मान है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें दूसरों की धारणाओं और आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए तथा आरोपों-प्रत्यारोपों से बचना चाहिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के अंदर धार्मिक असहिष्णुता पर सदन में चर्चा हो रही है। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास और हमारे देश के महापुरुषों की गौरवशाली विचारधारा, जिस विचारधारा के दम पर चाहे जो भी धर्म देश के अंदर रहे हों, सभी के प्रति आपस में इतना प्रेम भाव, एक-दूसरे के लिए स्थान, एक-दूसरे के लिए सम्मान, एक-दूसरे की बात मानने का काम हुआ है। हमारे महापुरुष चाहे सूरदास हों, तुलसी जी हों, रहमान हों, रसखान हों हमारे देश में महापुरुषों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। देश के समाज में बहुत-सी कुरीतियां भी रहीं। समय-समय पर उन कुरीतियों को राजा राम मोहन राय साहब, स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर खुसरो तक बहुत सारे महापुरुषों ने दूर करने का काम किया है।

महोदय, जब हमारा देश परतंत्र था, देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में किसी ने यह नहीं देखा कि हम किसी हिंदू के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या मुसलमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमने संविधान पर हुई चर्चा में गृह मंत्री जी का बयान सुना था। बाबा साहब के योगदान की चर्चा की गई। हम गृह मंत्री जी की बात से सहमत हैं कि उन्होंने बहुत कष्ट झेले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी देश छोड़ने की बात नहीं कही थी। लेकिन गृह मंत्री जी हम इस बात पर भी शर्मिंदा हैं कि उस समय धर्म के जो ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों की जो कुरीतियां थीं, जो दलितों के प्रति भाव था, उससे त्रस्त हो कर बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ कर बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया था। आप इस सच्चाई को नकार नहीं सकते हैं। चाहे उस समय का दौर रहा हो या आज का दौर है, जो फरीदाबाद में घटना हुई है जिसमें हमारे दलित भाई-बहनों, बच्चों की हत्या हुई है। उन हत्याओं पर आपके मंत्री का बयान आता है, इस बारे में सुप्रिया जी ने भी कहा है, गृह मंत्री जी इस पर भी आपका जवाब आना चाहिए और आपके मंत्रियों पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। यह मामूली घटना नहीं है। इस देश में कभी मंदिर आंदोलन को लेकर, कभी धारा-370 को लेकर, कभी किसी न किसी मुद्दे को लेकर देश के अल्पसंख्यकों

को हमेशा डराने का, धमकाने का, भयभीत करने का प्रयास हुआ है। कभी घर वापिसी के नाम पर, कभी लव-जेहाद के नाम पर क्या-क्या घटनाएं इस देश में नहीं हुई हैं, यह आपसे छुपा नहीं है।

महोदय, आपसे यह भी छुपा नहीं होगा कि किस तरह दादरी की घटना हुई। घटना के लिए लोग कहते हैं कि प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। आपके माध्यम से भारत सरकार के मंत्री का इस घटना पर जो वक्तव्य आया है, वह मैं सदन और देश के सामने रखना चाहता हूँ। जब अखलाक के साथ दादरी के अंदर अन्याय हुआ, तो वहाँ के सांसद जो भारत सरकार में मंत्री भी हैं, शर्मा जी का बयान आया कि " आपने

देखा होगा कि जब गौ हत्या की फुसफुसाहट होती है तो लोग, मीडिया और सभी गौ-प्रेमी दौड़ पड़ते हैं और अखलाक की घटना उसकी प्रतिक्रिया थी। आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था राज्य का काम है। देश के मंत्री जा कर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करें। मैं रिकार्ड में यह बात कह रहा हूँ। वहाँ के सांसद और मंत्री जवाब दें। उनकी लोक सभा का भी मामला है। मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। देश में केंद्र के मंत्री जनता को भड़काने का काम करते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

देश के केन्द्र के मंत्री जाकर भड़काने का काम करते हैं। यही नहीं, आगे उस भीड़ के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं कि साबित हो जाएगा, बीजेपी के नहीं थे। क्या कहा आपके मंत्री ने, कि दानिश, जो अखलाक के बेटे हैं, और जिसको गंभीर चोटें आई थीं, उसकी चोटों से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि भीड़ उसकी जान लेना चाहती थी। ये श्री महेश शर्मा जी के वक्तव्य हैं कि भीड़ का इरादा पीट-पीटकर हत्या करने का नहीं था। ये प्रमाण दे रहे हैं, दानिश के लिए, जो अखलाक के बेटे हैं। देश के मंत्री कानून-व्यवस्था की बात करते हैं। यदि कानून-व्यवस्था प्रदेश का सवाल है, तो जो 10 मुजरिमों पर, जिनके नाम दर्ज किये गये, उनको जेल में भेजने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया। लेकिन, आज जब असहिष्णुता पर चर्चा हो रही है, तो मैं आपके माध्यम से देश की सरकार से कहना चाहता हूँ कि जहाँ हर नागरिक की जिम्मेदारी है, पर जो सदन में बड़े पदों पर बैठे

लोग हैं, उनकी और बड़ी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए आज इस मौके पर मैं श्रीमती सुप्रिया जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी हैं, देश के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। हम चाहते हैं कि इंटरनेट उनके प्रति हो, इंटरनेट गरीबी के प्रति हो, हम चाहते हैं इंटरनेट बेरोजगारी के प्रति हो, हम चाहते हैं कि किसानों के सामने जो संकट हैं, उनके लिए हमारा इंटरनेट होना चाहिए। लेकिन, हमारे देश की सरकार देश को कौन-सी दिशा देने जा रही है, आज सदन में इस बात पर भी चिन्तन होगा, यह बात भी आनी चाहिए।

एक नहीं अनेक घटनाएँ हैं। जिस तरह से, मैं समझता हूँ कि यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब एक नहीं, दो नहीं, लगभग 45 लोगों ने, अपने जीवन की तपस्या के बाद, पूरे जीवन की मेहनत के बाद लोग सम्मान पाते हैं, पद्मश्री पाते हैं और तमाम तरह के पदक पाते हैं, यह कोई मामूली बात नहीं है, उनके दिल के दर्द का अहसास कर लीजिए कि आखिर अपने पूरे जीवन की साधना-तपस्या को वे आज क्यों वापस कर रहे हैं? देश के बुद्धिजीवियों की बात को जब-जब नज़रअंदाज़ किया गया, ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव: वे कोई समाजवादी पार्टी के नेता नहीं हैं। ...(व्यवधान) देश के बुद्धिजीवी, साहित्यकार, वैज्ञानिक...(व्यवधान) मेरी आवाज बहुत तेज है, आप इनकी चिन्ता न कीजिए दादा। ...(व्यवधान) हम भले ही संख्या में कम हों, लेकिन इनके लिए बहुत हैं।...(व्यवधान)

साहित्यकार अपना सम्मान लौटा रहे हैं, वैज्ञानिक अपना सम्मान लौटा रहे हैं, ...(व्यवधान) कलाकार लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यह कोई मामूली बात नहीं है। ...(व्यवधान) क्या फ़र्क पड़ता है गुलाम अली जी को, मुम्बई में आपकी सरकार थी, आपने कार्यक्रम नहीं करने दिया, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई

देता हूँ, उन्होंने तीसरे ही दिन लखनऊ में गुलाम अली को बुलाकर सम्मानित करने का काम किया। यह है हमारे हिन्दू-मुस्लिम की गंगा-जमुनी तहजीबा ...(व्यवधान) हम बात करते हैं गांधी जी की। गांधी जी के सफाई आभियान को आपने स्वीकार किया, जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन असहिष्णुता के लिए गांधी जी ने क्या नहीं किया, क्या आपने इतिहास नहीं पढ़ा है? क्या आपको इस बात का अहसास नहीं है कि गांधी जी ने इस देश के अंदर क्या-क्या नहीं किया है? जब देश को आजादी मिल रही थी, 15 अगस्त, 1947 को जहाँ हम भारत का तिरंगा फहरा रहे थे, वहीं गांधी जी देश की असहिष्णुता के लिए बंगाल में लड़ने का काम कर रहे थे। हम चाहते हैं कि आप गांधी जी की उन बातों को भी स्वीकार करें। गांधी जी की केवल सफाई की बात के लिए, और वो भी सफाई कितने बाद, आज मैं कहना चाहता कि माननीय गृह मंत्री जी, जो लोगों की सोच है, आप कितना भी झाड़ू लगा लें, लेकिन जो कत्लेआम और दंगों का जो खून है, वह कभी झाड़ू से नहीं छूटेगा, यह मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूँ। यह है कत्लेआम, गुजरात से लेकर, राम मंदिर के आंदोलन से लेकर, बाबरी मस्जिद के शहादत के नाम पर किसके समय आपने कत्लेआम को बढ़ावा नहीं दिया। आज आप बात करते हैं कि आप लोग सहिष्णु हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी इन सब घटनाओं की पुरजोर निन्दा भी करती है और आपके माध्यम से मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूँ कि लड़ाई लड़िए गरीबी के लिए, लड़ाई लड़िए बेरोजगारी की, लड़ाई लड़िए किसानों की समस्याओं की, लड़ाई लड़िए बुनकरों की समस्याओं की, हम समाजवादी लोग आपका साथ देंगे। लेकिन, यह लड़ाई आप लोग नहीं लड़ेंगे। यह लड़ाई आप नहीं लड़ना चाहते हैं। हमारे आदरणीय नेताजी कहते हैं कि कई मुँह हैं, कोई उदारवादी चेहरा बना लेगा और कोई कट्टरपंथी चेहरा बना लेगा। जब कट्टरपंथी के रूप में बोल देगा, तो कह देंगे कि हमारी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। ये सब चीजें अगर देश के अंदर होंगी, तो निश्चित रूप से यह बहुत चिन्ता का विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सरकार से और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, हम लोगों के सामने बहुत-सी चुनौतियाँ हैं, देश के सामने संकट है, कृपा करके उनका मुकाबला करके देश को आगे ले जाने का प्रयास कीजिए।

यदि आपका कोई मंत्री कुछ कहेगा, कोई मंत्री रामजादे की बात करेगा, कोई मंत्री जाकर दादरी में लोगों को भड़काने का काम करेगा, कोई मंत्री दलितों का अपमान करेगा, अगर भारत सरकार की ओर से इस तरह के वक्तव्य आएंगे तो हिन्दुस्तान का समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) बहुत सारी बातें हैं। ... (व्यवधान) असहिष्णुता पर बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। ... (व्यवधान) पार्टी ने मौका दिया है, बोलूंगा। ... (व्यवधान) पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने ... (व्यवधान) यह समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, देश के महामहिम राष्ट्रपति, जिनको हमने, आपने, हम सबने मिलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है, ने एक बार नहीं, कई बार इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि देश के अंदर असहिष्णु माहौल बढ़ रहा है और इस पर कंट्रोल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप अगर राष्ट्रपति महोदय की बात मानने को तैयार नहीं हैं, राष्ट्रपति जी का सम्मान करने को तैयार नहीं हैं, तब तो फिर भगवान ही मालिक है। मैं नहीं समझता है कि देश के अंदर किसी भी नागरिक को यह हक है कि महामहिम राष्ट्रपति की भावना को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाए। महामहिम राष्ट्रपति ने इसके बारे में कहा। ... (व्यवधान) देश में एक नहीं, अगर मैं उनके नाम और उनके बयान पढ़ना शुरू करूंगा तो तमाम विद्वानों ने, साहित्यकारों, लेखकों, वैज्ञानिकों एवं कलाकारों ने क्या-क्या नहीं कहा। कुलबुर्गी साहब की चर्चा की गयी, ... (व्यवधान) आजम साहब इस सदन के सदस्य नहीं हैं और जिस सदन के वह सदस्य हैं, वहां आपके लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। ... (व्यवधान) वहां आपके लोग आजम साहब का जवाब नहीं दे पाते हैं। ... (व्यवधान) वहां जवाब नहीं दे पाओगे। ... (व्यवधान) मेरी एक आपत्ति और है, आज सुबह गृहमंत्री जी एक सवाल के जवाब पर चर्चा कर रहे थे, उस समय कहा जा रहा था कि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। उसके बाद सदन के अंदर राज्य की चर्चाएं भी होंगी और चर्चाओं के बाद हम लोगों को जवाब देने का भी मौका नहीं मिलेगा। दिल्ली से सरकार के मंत्री लोग जाकर कानून-व्यवस्था बिगाड़ेंगे। इनकी यह चित-पट, ऊपर-नीचे सब बराबर नहीं हो सकती है, कोई न कोई एक रास्ता लेना होगा। ... (व्यवधान) हम खोलेंगे नहीं, मौर्या जी चुप बैठिए। ... (व्यवधान) बनारस के सभासद की हत्या क्यों हुई, किन्होंने की, किस कारण से की, आपको भी पता है, मैं इस सदन में बोलना नहीं चाहता हूँ ऐसी अशोभनीय बातें। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार उत्तर प्रदेश को...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश के अंदर ...(व्यवधान) शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। जिस पर्यावरण की चिंता की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पेरिस गए हैं, मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि जलवायु के लिए पेरिस न जाए, उत्तर प्रदेश में आइए, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दिन में साढ़े दस लाख पेड़ लगाकर जलवायु के संरक्षण का काम किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उत्तर प्रदेश का नाम मुख्यमंत्री जी ने दर्ज करा दिया है। एक नहीं अनेक मुद्दों पर, ...(व्यवधान) स्वच्छता के मुद्दे पर, ग्रीन के नाम पर...(व्यवधान) सड़कों के नाम पर, बिजली के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम करके दिखा दिए हैं, हिन्दुस्तान की कोई सरकार नहीं कर पाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, पार्टी ने और आदरणीय नेता जी ने मुझे मौका दिया, मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, किसानों की समस्याओं के खिलाफ यदि आप इनटॉलरेंस करेंगे तो जरूर हम सभी को खुशी होगी और हम सभी का सहयोग मिलेगा, लेकिन अगर धार्मिक असहिष्णुता करेंगे तो हिन्दुस्तान, गंगा-जमुनी तहजीब को मानने वाला यह देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी भावना के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

^{20*} **कुमारी शोभा करंदलाजे (उडुपी चिकमंगलूर):** मैं भाजपा और केंद्र के खिलाफ असहिष्णुता को बढ़ावा देने के कांग्रेस पार्टी के आरोप को हमारे प्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी द्वारा अपनाए जा रहे विकास के एजेंडे से देश के लोगों का ध्यान हटाने की एक भयावह साजिश के रूप में देखती हूँ।

कांग्रेस पार्टी को अपने पिछले दस वर्षों के शासनकाल में गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है; उनके कार्यकाल में तो केवल बहु-हज़ार करोड़ रुपये के घोटाले ही देखने को मिले। और अब 2014 के चुनावों में भाजपा की सहज बहुमत की जीत को पचाने में असमर्थ और अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सफलता को पचाने में असमर्थ कांग्रेस पार्टी ने इस सहिष्णुता और असहिष्णुता बहस का सहारा लिया है।

मैं कांग्रेस पार्टी पर कुछ छद्म-धर्मनिरपेक्ष लेखकों और कुछ छद्म-बुद्धिजीवियों की मदद से अपने स्वार्थ के लिए इस गैर-मौजूद मुद्दे का 'निर्माण' करने का आरोप लगाती हूँ। मैं यह भी आरोप लगाती हूँ कि कांग्रेस ने ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में अपनी बेहतर असहिष्णुता प्रदर्शित की है।

आज कांग्रेस पार्टी डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के प्रति अपने प्रेम और सम्मान की दुहाई ऊपर-ऊपर से देती है। लेकिन जब डॉ. अम्बेडकर ने वर्ष 1952 का आम चुनाव बम्बई-उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा तो उनके प्रति कांग्रेस का रवैया क्या था? कांग्रेस ने उस चुनाव में डॉ. अम्बेडकर का विरोध किया; कांग्रेस उम्मीदवार नारायण करजोलकर ने अम्बेडकर के खिलाफ जीत हासिल की।

मेरा सीधा आरोप है कि कांग्रेस पाखंडी पार्टी है, यह दोहरे मापदंड की पार्टी है।

अब मैं अपने तर्क को और प्रबल करने के लिए हाल के इतिहास की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत के इतिहास में कांग्रेस सबसे अधिक असहिष्णु पार्टी रही है।

^{20*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वर्ष 1984, दो मामलों में एक बड़ी त्रासदी का वर्ष था; एक, केंद्र को खालिस्तान आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के लिए मजबूर किया गया था; दो, इसके परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी; यह कई आयामों की त्रासदी थी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी कांग्रेस नेता की उनकी हत्या पर क्या प्रतिक्रिया थी? ".....हाँ.....हाँ.....जब कोई बड़ा पेड़ ज़मीन पर गिरता है, तो थोड़ी बहुत हलचल तो होती ही है..." यह बात राजीव गांधी ने कही। यह मीडिया में रिकॉर्ड पर है।

क्या कोई ऐसा बयान दे सकता है? क्या यह देश के सर्वोच्च नेता से आने वाले उच्चतम स्तर की असहिष्णुता नहीं थी? हजारों सिख भाई मारे गए; राजीव गांधी ने यह कहकर इसे उचित ठहराया कि "जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो यह अशांति पैदा होती ही है। अगर यह असहिष्णुता नहीं है, तो हमें इसे क्या कहना चाहिए? कांग्रेस नेताओं को अपने गिरेबान में झांककर विचार करना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं द्वारा फैलाई गई इस तबाही के लिए माफी मांगी है।

इसके बाद, हजारों कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई; घाटी में उनके घरों से निकाल दिया गया; महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। आज कश्मीरी पंडित अपनी ही मातृभूमि में शरणार्थी बन गए हैं।

जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया जा रहा था, तब ये महान संवेदनशील और समझदार कांग्रेसी नेता कहाँ थे? इन छद्म बुद्धिजीवियों और छद्म-धर्मनिरपेक्ष लेखकों द्वारा पुरस्कार वापसी क्यों नहीं की गई?

क्या वे यह कहना चाहते हैं कि हिंदुओं का जीवन सस्ता, अप्राप्य और टिप्पणी के लायक नहीं है? क्या यह पाखंड नहीं है? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? क्या यह कांग्रेस की दोगली भाषा नहीं है?

कांग्रेस को छद्म बुद्धिजीवियों और छद्म धर्मनिरपेक्ष लेखकों की मदद से देश में 'निर्मित' असहिष्णुता पर बोलने का क्या नैतिक अधिकार है?

मैंने ऊपर जो तथ्य बताए हैं, उनके आधार पर मैं एक बार फिर दोहराती हूँ कि यह कांग्रेस ही है जो देश की सबसे असहिष्णु पार्टी है; इस गैर-मौजूद मुद्दे को आगे बढ़ाने में कांग्रेस का निहित स्वार्थ है;

पूरे देश में हमारे समाज में कोई असहिष्णुता नहीं है। असहिष्णुता तथाकथित बुद्धिजीवियों, छद्म-धर्मनिरपेक्ष लेखकों के मन में है क्योंकि उन्हें मोदी जी के शासन में सरकारी निकायों में अधिक वेतन, भत्ते, आवास और आरामदायक पद नहीं मिल सकते हैं;

मेरा आरोप है कि इन छद्म बुद्धिजीवियों और छद्म धर्मनिरपेक्ष लेखकों का भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार को बदनाम करने का एक गुप्त उद्देश्य है। यह भी मेरा आरोप है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार को बदनाम करने की यह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है।

कांग्रेस पार्टी, जो वैचारिक रूप से दिवालिया और राजनीतिक रूप से प्रभावी है, ने खुद को प्रासंगिक रखने के लिए इन बदनाम लेखकों को टैग किया है। यह 130 साल पुरानी कांग्रेस के लिए शर्म की बात है कि वह अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए इन छद्म-धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों और लेखकों पर निर्भर है।

^{21*} **श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरमबाग) :** भारत विविधता में एकता का देश है, लेकिन असहिष्णुता में वृद्धि चिंता का विषय है और भारत की वैश्विक छवि के लिए एक खतरा भी है। हाल ही में, देश के विभिन्न कोनों से असहिष्णुता के बढ़ते मामलों को लेकर आवाजें उठ रही हैं। जब-जब असहिष्णुता की घटनाएँ होती हैं, तब-तब यह शारीरिक हिंसा और जीवन के प्रति खतरे का कारण बनती हैं। हर माध्यम में आज इस विषय पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार असहिष्णुता बढ़ रही है।

मई 2014 में प्रधानमंत्री ने सबका साथ-सबका विकास के नारे के साथ जनादेश प्राप्त किया था और महज 1 और 1/2 साल में ही विकास का नारा नजर नहीं आ रहा है और विभाजन की घटनाएँ फैल रही हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ही कम समय में केंद्र सरकार की सारी शक्ति खत्म हो गई है।

भारत में सांप्रदायिक घटनाएँ बढ़ रही हैं और मूल्यवान मानव जीवन की हानि एक बड़ी चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार, इस वर्ष अक्तूबर तक 630 सांप्रदायिक घटनाएँ हो चुकी हैं। बीजेपी सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर चुप रहे हैं। घर वापसी, लव जिहाद और सांप्रदायिक नफरत जैसे मुस्लिम विरोधी दुष्प्रचार का प्रोत्साहन है, "यदि आपको यहां पसंद नहीं है, तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं।"

भारत में धर्म परिवर्तन का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। दलित और अन्य निचली जाति के हिंदू और आदिवासी, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, मुख्य रूप से जातिगत अन्याय और उत्पीड़न से बचने के लिए इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. दलित परिवार में जन्मे अम्बेडकर ने हिंदू धर्म में जाति-उत्पीड़न से बचने के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया।

मई, 2015 में बल्लभगढ़ के अतली गाँव में हिंसा हुई थी, जहाँ एक विवादित मस्जिद को जला दिया गया था और गाँव के 400 मुस्लिमों को भागने के लिए मजबूर किया गया था। प्रसिद्ध लेखक, प्रोफेसर और शोध

^{21*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विद्वान डॉ. एम. कलबुर्गी को 30 अगस्त, 2015 को मूर्ति पूजा और हिंदू अनुष्ठानों पर उनके विचारों के लिए गोली मार दी गई थी। श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री, मध्य प्रदेश ने कहा कि बलात्कार एक सामाजिक अपराध है जो कभी सही और कभी गलत होता है और सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि महिलाओं के साथ बलात्कार न हो। राज्य मंत्री निरंजन ज्योति ने कहा कि लोगों को यह तय करना होगा कि दिल्ली को राम से पैदा हुए लोगों की सरकार मिलेगी या नाजायज तरीके से पैदा हुए लोगों की।

सितंबर, 2014 में दादरी में गाय की हत्या के संदेह में एक मुस्लिम व्यक्ति की क्रूर हत्या एक शर्मनाक सांप्रदायिक घटना थी। केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा सांसदों और विधायकों की गैर-जिम्मेदाराना और विवादास्पद टिप्पणियों ने भारतीय नागरिकों को सदमे में डाल दिया।

पूर्व बीजेपी नेता, स्तंभकार, अध्यक्ष, पर्यवेक्षक अनुसंधान फाउंडेशन श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी को 12 अक्टूबर, 2015 को उनके चेहरे और शरीर में स्याही से हिंसक रूप से काला किया गया था। इसे पूरी दुनिया में प्रसारित किया गया।

आर.बी.आई. गवर्नर श्री रघुराम राजन ने सरकार को असहिष्णुता के प्रति आगाह करते हुए चेतावनी दी है कि यदि मौजूदा स्थिति बनी रही तो भारत की दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाएं प्रभावित होंगी।

कई फिल्मी हस्तियों ने सांप्रदायिक तनाव की बढ़ती घटनाओं और सरकार द्वारा यह दबाव डालने पर टिप्पणी की है कि लोगों को भारत में क्या खाना चाहिए।

भारत और विदेशों में पढ़ाने वाले लगभग 200 शिक्षाविदों ने बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया है।

असहिष्णुता की जलवायु के विरोध में 40 से अधिक लेखकों/साहित्यकार ने अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर दिए हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले कभी इतने सारे लेखकों ने अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता की रक्षा करने और धार्मिक असहिष्णुता को रोकने में सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध व्यक्त नहीं किया था।

हमारी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा है कि "सहिष्णुता ही जीवन है, असहिष्णुता को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हर धर्म और वेदों में सहिष्णुता के बारे में बताया गया है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं कि वह इस देश के सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार करें, उनके विकास और कल्याण के लिए काम करें, भले ही वे किसी भी जाति या धर्म के हों।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : डिप्टी स्पीकर साहब, जब इस हाउस में इनटॉलरेंस पर चर्चा हो रही है, भारत जैसे देश में इनटॉलरेंस की बात हो तो इस देश में ही नहीं, दुनिया भर में आश्चर्य होता है क्योंकि इस देश की संस्कृति, इस देश के लोगों का व्यवहार, आचरण सहनशीलता से भरा हुआ है। यह भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण और गुरु नानक जी की धरती है। इस देश के लोगों ने गुरु नानक की वाणी से सुना है - "एक पिता, एकस के हम बारिका "

मैं नहीं कहता, डिप्टी स्पीकर साहब, बड़े-बड़े लोगों ने कहा है और डॉ.राधाकृष्णन जी जब एम्बेसडर बनकर रसिया गए तो उनसे स्टालिन जी ने पूछा कि आप इस देश को कैसे चलाएंगे, वहां अलग-अलग भांति के लोग हैं, पहनावा, बोली और धर्म अलग-अलग है, तो उन्होंने दो उदाहरण दिए थे। मैं चर्चा में आश्चर्य की बात कर रहा हूं, मुझे यह भी आश्चर्य हो रहा है, जो लोग टोलरेन्स की बात करते हैं, इस हाउस में वही इनटोलरेन्स दिखा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सत्तापक्ष अपने आपको सोचने लगता है, जब दलितों पर, किसानों पर, अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार होता है, ये अपने पुराने गुनाहों के बारे में समझते हैं कि देश के लोगों ने वे माफ कर दिये। ... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं, मैंने दो उदाहरण दिये थे, आपको वे सुनने चाहिए। डा. राधाकृष्णन जी ने गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण दिया कि हमारे पास गुरु गोविंद सिंह जी का टोलरेन्स का इतिहास है। जब गुरु गोविंद सिंह जी के चार बेटे कुर्बान हो गये, उनके पिता बलिदान हो गये, उनकी माता बलिदान हो गईं तो गुरु गोविंद जी से उनकी धर्मपत्नी ने पूछा कि मेरे बेटे कहां हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी ने देश के लोगों की तरफ हाथ करके कहा था - "इन पुत्तन के शीश पर वार दिये सुत चार, चार हुए तो क्या हुए, जीवित कई हजार।" उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने टोलरेंस कहां से सीखी, वह उन्होंने अपने पिता जी से सीखी। गुरु तेगबहादुर का शीश औरंगजेब काट रहा था, औरंगजेब ने संदेशा भेजा कि आप इतने शक्तिशाली हो तो कोई करामात करके दिखाओ तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा था - मैं काहू को देत नहीं, न मैं मानताना। वे उस सोच पर चलने वाले लोग थे और यहां सबसे बड़ी सहनशीलता गुरु अर्जन देव साहब ने सिखाई - तत्ते तवे पर तत्ता रेत डाला जा रहा था। साई मिया मीर बोले, यदि मुझे इजाजत दें तो मैं लाहौर की ईंट से ईंट बजा देता हूं। फिर गुरु अर्जन देव साहब ने कहा था - मैं जबर का मुकाबला सबर से करूंगा। मैं समझता हूं कि सबका साथ, सबका विकास का जो स्लोगन श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिया है, उस विचारधारा से ही दिया है और जिन लोगों ने उस विचारधारा पर डाउट किया है। मैं महाराजा रणजीत सिंह जी का एक उदाहरण देना चाहता हूं, महाराजा रणजीत सिंह जिसे खालसा राज कहते थे, उस राज में किसी को फांसी नहीं दी गई, किसी गरु की हत्या नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि तब लोग गरु नहीं खाते थे, परंतु प्रजा

देखती थी कि राजा क्या सोचता है। किसी महिला का बलात्कार नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई। एक खोते को सोने का हार डालकर लाहौर के बाजार में भेजा गया, लेकिन किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया। यह हमारा इतिहास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह चर्चा जरूरी थी और जरूरी इसलिए थी कि यह सच है कि आज देश के दलित लोगों और माइनोरिटीज में जो भय है, असुरक्षा है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि यह सब कुछ आज हुआ है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि वह सहनशीलता दिखायें। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में कहां असहनशीलता हुई, कब हुई, कैसे हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसका क्या उपाय हो सकता है। मैं तीन-चार उदाहरण देना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब असहनशीलता हुई तो देश का बंटवारा हुआ। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि उस समय के राष्ट्रीय नेताओं ने यदि तब मास्टर तारा सिंह का साथ दिया होता, जिन्होंने लाहौर पर पाकिस्तान का झंडा फाड़ा था और जिन्ना के साथ उन्होंने उस समय मीटिंग रख ली थी, हमारे राष्ट्र के नेताओं ने उस समय वह मीटिंग कैंसिल करवा दी थी। यदि ऐसा न हुआ होता तो आज पाकिस्तान न होता। हजारों-लाखों लोगों को उजड़ना न पड़ता, उसकी बर्बादी हमें झेलनी पड़ी और राज ये लोग करते रहे। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जब देश आजाद हुआ, सबसे पहले आप चिट्ठियों की बात करते हैं, पत्रों की बात करते हैं, उस समय राज पर कौन था, जब देश के गृह मंत्रालय से एक सीक्रेट पत्र गया कि जो सिख समाज के लोग पाकिस्तान से आए हैं, उन पर निगाह रखी जाए, वे जरायम पेशा हैं। जो उस समय डिप्टी कमिश्नर होते थे, उन्होंने वह लैटर देखा तो असहनशीलता नहीं होती तो और क्या होता।

दूसरी बात, जब भाषा के नाम पर प्रदेश बने तो उस समय पंजाबी के आधार पर सूबा नहीं बना। सबसे बड़ी बात, ये कहते हैं कि वहां साक्षी महाराज नहीं थे, वहां नरेंद्र मोदी भाई नहीं थे, तो कौन था राज में? जब दलित सिखों को रिजर्वेशन का आधिकार नहीं दिया। वह एक नीति थी कि ये अपना धर्म छोड़ देंगे। इससे बड़ी इनकी बदनीयति क्या हो सकती है? इससे बड़ी असहनशीलता क्या हो सकती है? [अनुवाद] दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस देश ने सबसे बड़ी असहनशीलता रिजर्वेशन के समय दिखाई है।

डिप्टी स्पीकर साहब, यह लोक राज है, हमारी अदालतें फैसला करती हैं, मैसेज देती हैं। उस समय के प्रधान मंत्री के विरोध में यदि अदालत ने फैसला दे दिया तो प्रधान मंत्री जी आग बबूले हो गए। उन्होंने जजिस को भी सजा देने की बात कही। सारे मुल्क को जेल में डाल दिया। जो बोले उनको अंदर कर दिया गया। ... (व्यवधान) हमें भी अंदर कर दिया। ... (व्यवधान) दूसरी बात, राजसी असहनशीलता कब से शुरू हुई? वैसे तो मिज़ोरम, असम और अन्य प्रदेशों की बात कर सकता हूँ। अभी मैं केवल तीन प्रदेश - जम्मू कश्मीर, पंजाब

और केरल की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में श्री शेख अब्दुल्ला जी उस समय इलैक्टिड प्रधान मंत्री थे। इन लोगों ने राजसी विरोध के कारण उनकी सरकार डिस्मिस कर दी। यह मैं सन् 1983 की बात कह रहा हूँ। इन्होंने उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्रधान मंत्री बना दिया था। उस समय से जम्मू कश्मीर सड़ रहा है। जब डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल करेंगे तो लोग कैसे चुप रहेंगे? उसके बाद फारूख अब्दुल्ला आए। उसके बाद इन्होंने देश में डिफेक्शन शुरू की। बाद में सरकार तोड़ कर फारूख अब्दुल्ला के बहनोई जी.एम. शाह को बना दिया। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी कहां रह गई? ऐसा ही मैं पंजाब का उदाहरण देना चाहता हूँ। जितनी भी रीजनल पार्टियाँ हैं, जितने भी माइनोरिटीज हैं, उनको चिंता की बात है। इन लोगों ने 117 के हाऊस में से, प्रकाश सिंह बादल के साथ सन् 1980 में 103 लोग थे, इनके साथ 14 थे, रात को वे चीफ मिनिस्टर बन कर सोते हैं, सारे लोग उनके साथ थे, सवेरे उनकी सरकार तोड़ दी। सन् 1985 में सरदार सुरजीत सिंह बरनाला, मैं कैबिनेट मंत्री था, हम रात को वजीर थे, हमारे साथ 117 में से 75 मँबर थे। रात को सरकार तोड़ दी और सवेरे हमें संतरी बना दिया। ऐसे ही सबसे पहले राजनीतिक विरोध में नंबूदरीपाद जी की सरकार 356 धारा के तहत इन्होंने सिर्फ राजसी बदला लेने के लिए तोड़ थी। हमारे साथ इमरजेंसी में विरोध करने का बदला लिया गया। रिपेरिअल लॉ के विरोध में, डिप्टी स्पीकर साहब इस देश में पानी के बंटवारे का एक कानून है, विधान है। उसको छोड़ कर हमारा पानी लूट लिया। सन् 1977 में हमारी सरकार आई। बादल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। सन् 1980 में कांग्रेस की सरकार आ गई। उस समय के प्रधान मंत्री ने उस समय के मुख्य मंत्री दरबारा सिंह को बोला या तो इस्तीफा दे दो या सुप्रीम कोर्ट से केस वापास ले लो। फिर उसके बाद पंजाब जलता रहा, बर्बाद हुआ तो इन लोगों ने आग लगाई। ये अपनी बातों पर चुप रहते हैं, आज भी ऐसे कह रहे हैं। आज थोड़े ही दिन हुए हैं, अमरनाथ डिस्ट्रिक्ट के चंबा में सरबत खालसा के नाम से एक सम्मेलन हुआ। ... (व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : डिप्टी स्पीकर साहब, ये क्या बताएंगे। सन् 1983 में दरबार साहब पर अटैक हुआ, किसी के जज्बात होते हैं, उस समय की प्रधान मंत्री का कत्ल हो गया तो ... (व्यवधान) सारे पगड़ीदारों को कत्ल कर दिया। ... (व्यवधान) सारे पगड़ीदारों को मार डाला और जो जहां मिला उसी जगह मार डाला। ... (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, इससे बड़ी असहनशीलता क्या हो रही है? ... (व्यवधान) बच्चों के गलों में टायर पाए जा रहे थे। ... (व्यवधान) विलाप हो रहा था, इनका नेता कह रहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है, धरती काँपती है। ... (व्यवधान) हमारी बात सुनिए, आपको क्या मालूम है? ... (व्यवधान) आप इनसे पूछिए। ... (व्यवधान) ये सहनशीलता का शब्द देश के लोगों को सिखाएंगे। ... (व्यवधान) इनके नेता ऐसा कहते हैं। ... (व्यवधान)

महोदय, जिन्होंने कत्ल किए, उन्होंने उनको एम.पी. बनाया...(व्यवधान) उनको वजीर बनाया...(व्यवधान) बैठ जाइए...(व्यवधान) आखिर में मैं तीन बातें कहना चाहता हूँ...(व्यवधान) मुझे पता था, मुझे मालूम था कि ये सहनशीलता नहीं दिखा पाएंगे...(व्यवधान) ये शब्द सुनकर ही चिल्लाते हैं...(व्यवधान) दूसरों पर दोष लगाते हैं...(व्यवधान) अपनी तरफ नहीं देखते कि इनके क्या-क्या गुनाह रहे हैं...(व्यवधान) मैं तीन बातें कहना चाहता हूँ...(व्यवधान) बात सुन लीजिए...(व्यवधान) यदि आप सहनशीलता दिखाना चाहते हैं तो मैं इस हाउस को कहना चाहता हूँ...(व्यवधान) यदि ईमानदारी के साथ आप देश में सहनशीलता चाहते हैं...(व्यवधान) यदि आज सहनशीलता के साथ इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो मैं तीन बातें कहना चाहता हूँ आज तक जो दंगे-फसाद हुए हैं, आज तक जो खून-खराबा हुआ है, आज तक दलितों, किसानों और अल्पसंख्यकों के साथ जो जुर्म हुए हैं, उन सबके लिए माफी माँगें और पछतावा हो...(व्यवधान) दूसरी बात, जो 1984 का कत्लेआम हुआ है, उसकी इस हाउस में सर्वसम्मति से निंदा की जाए। तीसरी बात मैं भरे मन से कहना चाहता हूँ ... (व्यवधान) कि आज तक दो शब्द इस हाउस में श्रद्धांजलि के तौर पर हजारों बेगुनाहों के मरने के बाद भी नहीं कहे गए, उनकी सहानुभूति के लिए दो शब्द नहीं कहे गए...(व्यवधान) मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि जब ये गृह मंत्री बने, इन्होंने उनकी बात सुनी, उनके लिए मदद की...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि इस हाउस में मत लेकर आएँ, सहानुभूति के लिए भी, श्रद्धांजलि के लिए भी, उसकी निंदा के लिए भी...(व्यवधान)

अंत में, मैं कहना चाहता हूँ कि एक उपचारिकता बननी चाहिए, एक उपचारिकता होनी चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाएं, ऐसे इंसीडेंट्स देश में न हों, तभी मैं समझता हूँ कि देश सुखी होगा और देश की तरक्की के रास्ते में हम योगदान दे पाएंगे।

[अनुवाद] ^{22@}जब कांग्रेस पार्टी के नेता देश में असहिष्णुता के बारे में कहते हैं तो यह "उल्टा चोर कोतवाल को डाटें" लगता है। इसी सोच के आधार पर भाषाओं को धर्म से जोड़ा गया है। तमिल भाषा को पंजाबी भाषा के बजाय हरियाणा में दूसरी भाषा के रूप में पेश किया गया था क्योंकि हरियाणा में 25 प्रतिशत लोग पंजाबी बोलते हैं जबकि एक भी व्यक्ति तमिल भाषा नहीं बोलता है।

कांग्रेस ने सिख मामलों में कैसे दखल दिया? जत्थेदार संतोख सिंह को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिरी अकाल तकत साहब न जाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के चाँदनी चौक में व्यवस्था कर सकते हैं।

1984 में एक नारा दिया गया था "बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की"।@

^{22@}....@*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्वर): 26 और 27 नवम्बर, 2015 संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर एक ऐतिहासिक बहस शुरू हुई। डॉ. अम्बेडकर की स्मृति में जो ऐतिहासिक होता, वह धर्मनिरपेक्ष शब्द की व्याख्या पर बहस में बदल गया।

माननीय गृह मंत्री ने कहा कि यह 42 वें संशोधन है जिसने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द पेश किए। वह भूल जाते हैं कि ये शब्द केशवानंद, मिनर्वा मिल्स और बोम्मई मामले में वर्ष 1973 से सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में समय का मूल पाठ रहे हैं। वर्ष 1977 में अधिक महत्वपूर्ण रूप से, जनता सरकार ने 44^{वें} संशोधन लाया लेकिन धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को बरकरार रखा। इसलिए, मैं इस सरकार के इरादों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर हूँ, बाबा साहेब का मानना था कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी हमारे समाज में शामिल थे।

ऐतिहासिक रूप से, 26 नवम्बर, 2015 को गृह मंत्री का भाषण असहिष्णुता पर बहस के साथ पढ़ा जाएगा।

कोई भी इस बात पर विवाद नहीं कर सकता कि भारत एक सहिष्णु देश है। अन्यथा अस्थिर क्षेत्र में, भारत सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में खड़ा है।

आज हमारे राष्ट्र की सहिष्णुता की ही देन है कि बढ़ती असहिष्णुता का अनुपालन अहिंसक विरोध से हो रहा है।

मुझे यह विडंबनापूर्ण लगता है कि यह सरकार कम सांप्रदायिक हिंसा के सभी आंकड़ों का श्रेय तो लेना चाहती है, लेकिन राज्य के विषय के रूप में सभी सांप्रदायिक हिंसा की बदनामी राज्य सरकारों पर थोपना चाहती है।

माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि 'भारत पहला है' और सरकार केवल एक पुस्तक - संविधान का अनुसरण करती है। जब मैंने सुना कि एक ऐसी सरकार जिसे उच्च विकास दर रोजगार और समृद्धि का वादा करते हुए जनादेश मिला है लेकिन

क्या भारत का विचार घर वापसी है

क्या भारत का विचार लव जिहाद है

क्या भारत का विचार मुझे यह बताना है कि क्या पहनना है

क्या भारत का विचार मुझे यह बताना है कि क्या खाना है

यदि मैं सत्ता में पार्टी का समर्थन नहीं करती तो मुझे छोड़ने के लिए कहने के बारे में भारत का विचार क्या है

मेरे सोच में, भारत का विचार हर पल बदल रहा है, लेकिन इसे भारत के बजाय बेहतर, प्रगतिशील भारत के लिए बदलने दें जो प्रतिगामी और दमनकारी है।

वह उदाहरण तत्कालीन सरकार द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन हमने सरकार के मंत्रियों और उसके सदस्यों के विभाजनकारी बयान ही देखे हैं।

मुझे उम्मीद है कि प्रधान मंत्री महोदय भारत के बारे में अपने विचार के बारे में बात करेंगे और महसूस करेंगे कि इन मामलों पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदय, एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय पर सदन के अंदर चर्चा हो रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म शताब्दी के अवसर पर दो दिन तक बहस चली। देश और दुनिया ने लोकतंत्र के इस मंदिर से लोकतंत्र की आवाज सुनने का काम किया। आज पुनः असहिष्णुता पर बहस हो रही है। हम एक-दूसरे की बातों को सुनें और रास्ते को तलाशें। गंभीर चर्चा हो रही है। यह जरूर है कि जब बहस हो रही है तो देश की आजादी को हम याद करते हैं। इस देश को आजाद कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, एक लंगोटी वाला, एक लाठी वाला, जिसके तन पर कपड़े नहीं थे, लेकिन उसने लाठी लेकर गोरी सल्तनत को सात समुन्दर पार करने का काम, देश के बलिदानियों के बल पर, देश के आवाम के बल पर, हिंदुस्तान के नौजवान और किसान के बल पर, समाज की सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के बल पर गोरी सल्तनत के छक्के छुड़ाकर सात समुन्दर पार कराने का काम किया।

महोदय, हमें सहिष्णु होना है, सहिष्णु रहना है, यह हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। पल-पल हमारी रगों में, नसों में वह खून दौड़ता है। इस देश को आजाद कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, इस देश को आजाद कराने में जितना खून हिन्दू भाइयों ने बहाया, उतना ही खून इस देश को आजाद करने में मुसलमान भाइयों ने, सिख भाइयों ने बहाने का काम किया। सबके खून से बना हुआ यह हमारा चमन है, यह हमारा बगीचा है, यह हमारा बागबां है। इसमें असहिष्णुता कहीं से आती नहीं है। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है, उस धर्म का निर्वाह नहीं करके हमारे माननीय सांसदों ने सभी चर्चा करने का काम किया। जो भड़काऊ बयान दिए गए, उसकी चर्चा हम बार-बार नहीं दोहराएँगे। आप नाम लेने पर बोलेंगे कि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो आज भारत के निज़ाम बने हैं, लेकिन निज़ाम का मिजाज नहीं बदला है। आज वी.के.सिंह का बयान देश के लिए दुखद है, शर्मसार कर रहा है, दुनिया में हमारा माथा झुका रहा है कि एक दलित की तुलना बाबा भीमराव अंबेडकर, जो संविधान देता है, गरीब परिवार से आते हैं, महार जाति से आते

हैं, दलित परिवार से आते हैं, उस संविधान निर्माता की बिरादरी की आप कुत्ते से तुलना करते हैं। डूब मरना चाहिए। यह बहुत बड़ा अन्याय है।

आज योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ...^{23*} और उनकी फिल्म भी कोई देखने वाला नहीं है। अजब की बात है? हम किरदार को देखने जाते हैं, हम शाहरुख खान को देखने नहीं जाते हैं। हम हिन्दू और मुसलमान को देखने नहीं जाते हैं। यह गजब की बात है। कैसा बगिया बनाना चाहते हैं, कैसा चमन बनाना चाहते हैं, कैसी फुलवारी बनाना चाहते हैं?

महोदय, यहाँ फिल्मकार और फिल्मों के महान आभिनेता आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे हैं। फिल्म बैजू बावरा में कहा गया - मन तड़पत हरि दरसन को आज। इसे किसने गाया? गाया रफ़ी ने ...(व्यवधान) धैर्य से सुनिये। इसको गाया रफ़ी ने, लिखा शकील बदायूनी ने और संगीत दिया नौशाद ने। याद कीजिए कि यही हमारा चमन है, यही बागीचा है। तू हिन्दू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हम इंसान की औलाद हैं लेकिन हमारी इंसानियत खत्म हो गई।

हमें याद करना चाहिए कि ओबामा साहब यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ आकर एलर्ट किया था, सावधान किया था और चलते चलते सिग्नल दिया था कि यह देश असहिष्णु हो रहा है, यहाँ धर्म पर आधारित राजनीति की जा रही है। वक्त का तकाजा है कि इसको रोकना चाहिए। फिर दोबारा व्हाइट हाउस से भी बोले थे। लेकिन नहीं माने। ओबामा साहब को मानें या न मानें लेकिन इस मुल्क के राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने कहा था ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया जाए, ऐसा समय बार बार नहीं आता। उन्होंने भी कहा था कि असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ...(व्यवधान)

मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बंच ऑफ थॉट्स किताब से जो आर.एस.एस. के सरसंचालक एम.एस.गोलवल्कर की लिखी है। संचालक ने दलित और पिछड़ों के आरक्षण खत्म करने की जो शांतिर पहल की, वह संघ की ब्राह्मणवादी सोच का हमेशा हिस्सा है। सन् 1966 में आज से लगभग 50 साल पहले इनके

^{23*} अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

गुरु गोलवलकर ने दलितों एवं पिछड़ों के लिए अपनी किताब में लिखा कि सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण से अलगाव बढ़ता है, इसलिए जातीय आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इससे अगड़े समाज की ईर्ष्या समाप्त होगी। फिर उन्होंने लिखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश पर अगर कोई दलित या हिन्दू नेता प्रचार और घोषणा करके मंदिर आता है तो सवर्ण समाज का प्रतिरोध और आक्रोश जायज़ है। फिर संघ ने कहा वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में कुछ भी बुरा नहीं है। इसके लिए भारत को मजबूत किया है, भारत दृढ़प्रतिज्ञ है। उन्होंने लिखा कि भारत के संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, इधर-उधर से जोड़कर बिना मतलब का दस्तावेज बनाया गया है। यह बाबासाहेब भीमराम अम्बेडकर का अपमान है। एक मुस्लिम भाई अगर मदीना जाता है तो क्या कहता है। मदीने तक में हमने मुल्क के लिए दुआ मांगी, किसी से पूछ लो, इसको वतन का दर्द कहते हैं। यह हिन्दु मुसलमान का जो अपनापन है, हजारों साल से आरक्षण के सवाल पर, दूसरे सवालों पर और यह कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। यही ... [अनुवाद] (व्यवधान)... ^{24*} बिहार के चुनाव में क्या कहा, बिहार का चुनाव हुआ और लोकतंत्र के महासमर में महापराजय आपकी हुई। इन्हीं कारणों से पराजय हुई, आमित शाह जी ने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन चुनाव जीतेंगा तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। पाकिस्तान नहीं, हिन्दुस्तान के हर राज्य में पटाखे छूटेंगे और छूटा... [अनुवाद] (व्यवधान)... *आपका मटियामेट होने वाला है। याद रखिये, आप टिकने वाले नहीं हैं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अगर कुछ भी आपत्तिजनक है, तो मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

^{24*} कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : राजू साहब, पूरा आगे भी विनाश होगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में और गठबंधन का जिंदाबाद हुआ। इसीलिए हाय-तौबा मत मचाइये, धीरे से रहिये। इसीलिए कहा गया है,...(व्यवधान) आपका सर्वनाश होगा।

‘रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय,

टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाया।’

यह बगिया एक है, यहां हिन्दु मुस्लिम भाई-भाई हैं।... [अनुवाद] (व्यवधान)... *

[अनुवाद]

^{25*} **श्री पी. करुणाकरण (कासरगोड)** : मैं असहिष्णुता के संबंध में 193 के तहत चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

हमारे देश ने स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी असहिष्णुता के बहुत गंभीर और दर्दनाक अनुभव देखे हैं। असहिष्णुता एक पहलू तक सीमित नहीं है। लेकिन इसमें सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव है, इसमें राजनीतिक, धार्मिक, जातीय आधार, सामाजिक और अन्य पहलुओं का प्रभाव है।

यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय जगत में मार्टिन लूथर किंग की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वह पिछड़े समुदाय से थे। जॉन कैनाडी की उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण हत्या कर दी गई। एलेन्डी की हत्या राजनीतिक कारणों से की गई थी। मुजीब रहमान अपने धर्मनिरपेक्ष चेहरे के कारण मारा गया था। हम ऐसे कई उदाहरणों को उजागर कर सकते हैं।

राष्ट्रपिता महात्माजी की हत्या आर.एस.एस, के जाने-माने नेता नाथूराम विनायक गोडसे ने की थी। निःसंदेह, यह धर्मनिरपेक्ष अवधारणा के कारण था कि उन्होंने सभी धर्मों को उचित सम्मान के साथ मानते हुए

^{25*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उनका पालन किया है। यह महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत विचार और दर्शन के प्रति बहुसंख्यक सांप्रदायिकता की असहिष्णुता का परिणाम था।

दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या एक भयानक अनुभव था जिसे देश ने देखा। यह सिख समुदाय में चरमपंथी की कार्रवाई के कारण था, हालांकि सिख समुदाय जिम्मेदार नहीं है।

एक और दर्दनाक अनुभव एल.एल.टी.ई. की अन्य चरम ताकतों द्वारा दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या है। कई मामलों में राजनीतिक कारण और धार्मिक कट्टरता भी है।

हालाँकि हमारी स्वतंत्रता के 68 साल बीत चुके हैं, फिर भी हम अपने देश के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक बुराइयों को देखते हैं। हमारे कई राज्यों में जाति व्यवस्था अभी भी मौजूद है। पिछड़े समुदाय को हाल के दिनों में ही मंदिरों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता मिली है। यह भी एक लंबे संघर्ष के बाद था। अब भी कुछ मंदिरों में कर्नाटक में, त्योहारों के समय उच्च वर्ग के लोग अपने खाद्य पदार्थों को पूरी गरिमा के साथ लेते हैं और शेष भोजन को बाहर फेंक दिया जाता है और यह पिछड़ों की जिम्मेदारी है कि वे न केवल इन खाद्य पदार्थों को लें बल्कि उन पत्तियों को भी रोल करें जिन्हें फेंक दिया गया था। यहां हम उच्च वर्ग के लोगों की असहिष्णुता देखते हैं।

यद्यपि हमारे पास स्वतंत्रता संग्राम के समय और उसके बाद भी पर्याप्त सबक हैं, फिर भी हमने हाल के दिनों में असहिष्णुता के अप्रत्याशित और अकल्पनीय उदाहरण देखे हैं।

उत्कृष्ट विद्वानों और लेखकों को ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ रहा है के.एस. कलबुर्गी, कर्नाटक के प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक, जिन्होंने लगभग 400 पुस्तकें और 150 थीसिस प्रकाशित कीं, और वह कर्नाटक विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, इस क्रूरता का कारण क्या था? क्या कोई इसे सही ठहरा सकता है?

सरकारी पानसरे और नरेन्द्र डाबोलकर, जो प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट विद्वान भी थे, की हत्या कर दी गई थी। ये तीनों और कई अन्य विद्वान प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का अनुसरण कर रहे थे।

एम. एफ. हुसैन, सबसे करिश्माई कलाकार जिन्हें भारत के पिकासो के रूप में माना जाता है, को इतनी आलोचना का सामना करना पड़ता है और यहां तक कि देश छोड़ने के लिए भी कहा जाता है। उन्होंने गांधीजी, मदर टेरेसा, जीसस क्राइस्ट और कई अन्य लोगों के साथ काम किया है। उन्होंने रामायण से कुछ पात्र भी लिए। उनके प्रति दिखाई गई असहिष्णुता का मुख्य कारण यही था।

कुछ दिन पहले, एक प्रसिद्ध फिल्म कलाकार आमिर खान को भी ऐसे ही अनुभव का सामना करना पड़ा है क्योंकि उन्होंने एक साक्षात्कार में अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त किए थे। हमारा संविधान लिखना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है लेकिन इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

हरियाणा के दादरी में अनुसूचित जाति के दो छोटे बच्चों को उस समय जला दिया गया जब वे अपने घर में सो रहे थे। जब एक अनुसूचित जाति के युवक ने मंदिर में प्रवेश किया तो उसे रोका गया और पीटा गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। गौमांस के सवाल पर हमने कितनी देर बात की है। लोगों का खाना खाने का अपना-अपना स्वाद होता है। इसी मुद्दे पर एक मुस्लिम युवक की भी बिना वजह हत्या कर दी गई।

हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान कि अगर कोई गौमांस खाना चाहता है तो वह पाकिस्तान जा सकता है। केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री द्वारा दिए गए एक अन्य बयान में कहा गया कि पिछड़े समुदाय पर हमलों में कुछ भी गलत नहीं है और यह कुत्तों पर पत्थर फेंकने के बराबर है। हम इन मुद्दों को कैसे उचित ठहरा सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं? क्या ये मुद्दे सरकार के लिए विश्वसनीय हैं या अविश्वसनीय हैं, वे फैसला कर सकते हैं।

भारत एक विशाल देश है जिसमें 125 करोड़ लोग हैं। हम बड़ी संख्या में धर्म जाति, उपजाति, भाषा और हज़ारों त्योहारों की विविधताओं को देखते हैं। यह कोई निराशाजनक चित्र नहीं है, बल्कि एक आशाजनक और सुंदर चित्र है। हम इन विविधताओं को न्याय कैसे दिखा सकते हैं, यह मुख्य प्रश्न हमारे पास एक संविधान है, जो लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष धारणा वाला है, जबकि पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर अपना संविधान बनाया है। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है: विद्रोह, आई.एस.आई.एस. की उपस्थिति, दूसरों के प्रति असहिष्णुता। लेकिन, भारत अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र के साथ सीमांकित है। लेकिन, आजकल हम कमजोर होते जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि भारत में फासीवाद है, लेकिन असहिष्णुता हमें फासीवादी प्रवृत्तियों की ओर ले जा सकती है। जितनी जल्दी हम इसे समझ लें, राष्ट्र के लिए उतना ही बेहतर होगा।

भारत के पहले प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में उनके पास सबसे अधिक बहुमत के बारे में अपना विचार व्यक्त किया। जिस समय पहले विपक्षी नेता ए.के. गोपालन ने सरकार के कामकाज पर एक महत्वपूर्ण विश्लेषण किया था, उस समय नेहरू ने कहा, लोकतंत्र में जिनके पास बहुमत है वे सरकार बनाते हैं और वे शासन करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बहुमत के फैसले के संबंध में अल्पसंख्यक कैसा महसूस करते हैं।

मैं इस सभा में बहस का उत्तर देते हुए 27 तारीख को प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए भाषण की सराहना करता हूँ। वह सहमत थे, यह बहुमत का सवाल नहीं है, लेकिन हमें आम सहमति की जरूरत है। मुझे याद है कि हमारे प्रधान मंत्री ने 16वीं लोक सभा की शुरुआत में जो कहा था, उसकी सभी ने सराहना की थी।

लेकिन, इन दोनों भाषणों के बीच बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाले उदाहरण हुए हैं। इस सभा में ही महात्मा गांधी की तुलना गोडसे से की गई थी। अनिवार्य धर्म परिवर्तन को लेकर कई हिस्सों में बहस चल रही है। पुणे की फिल्म अकादमी में इतिहास परिषद के अध्यक्ष और निदेशक में बदलाव का कड़ा विरोध हुआ। विद्वानों पर हमले और हत्या ने सदन को हिलाकर रख दिया है। अल्पसंख्यकों और एस.सी., एस.टी. लोगों पर

भी हमले देखे गए। हमारे प्रधानमंत्री पूरे दिन चुप रहे। लंबे समय के बाद उनका कुछ बयान सामने आया। दूसरी ओर तर्क और औचित्य थे, इससे अल्पसंख्यकों में चिंता पैदा हुई और सभी वर्गों ने कड़ा विरोध किया।

प्रधानमंत्री सही हैं जब उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी भी देश के विकास में बाधक है, खासकर आई.एस.आई.एस. एक चुनौती है। मैं बयान से पूरी तरह सहमत हूँ लेकिन साथ ही आंतरिक विद्रोहों, सांप्रदायिक संघर्षों और विद्वानों और अन्य वर्गों पर हमलों ने भी विकास के रास्ते को नुकसान पहुंचाया है।

मैं डॉ. अंबेडकर के उस ऐतिहासिक वक्तव्य को उद्धृत करना चाहता हूँ, जो उन्होंने 4 नवम्बर 1948 को संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय दिया था। उन्होंने कहा था कि निदेशक सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्य हैं क्योंकि ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए दिशा-निर्देश का कार्य करते हैं। जो भी सत्ता में आएगा, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकेगा। उसे इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा; वह इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। हो सकता है कि इन सिद्धांतों के उल्लंघन पर अदालत में कोई सजा न हो, लेकिन चुनाव के समय जनता के सामने उसे निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा।

जब हम अपने संविधान के दायित्वों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो हमें इनके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब दूसरी यू.पी.ए. सरकार विफल हुई तो लोगों ने उन्हें 5 साल बाद खारिज कर दिया। लेकिन डेढ़ साल में, एक ही प्रवृत्ति के संकेत बढ़ते जा रहे हैं। सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक कट्टरता और जनविरोधी कदम एक साथ मिल गए हैं।

हमारे प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया भाषण इन तथ्यों का प्रतिबिंब है, लेकिन आप अपने पीछे उन ताकतों को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं जो इन सभी समस्याओं को पैदा करते हैं। दूसरी यू.पी.ए. सरकार के कई मंत्रियों ने उनकी हार में अपना योगदान दिया। अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपकी अपनी सेनाएं आपकी सरकार की कब्र खोद रही हैं। बेहतर होगा आप सरकार और देश के लिए बेहतर महसूस करें। इसका स्वाद आप यू.पी. और बिहार में पहले ही चख चुके हैं।

^{26*} **श्री पी.के. बीजू (अलथूर)** : यह शायद भारत के इतिहास में पहली बार है कि असहिष्णुता जैसा मुद्दा संसद के केंद्र में है। मैं हमारे देश के लोकतांत्रिक लोकाचार और असहिष्णुता पर बहस के लिए दिखाई गई सहिष्णुता को बरकरार रखते हुए संसद में ऐसा सत्र आयोजित करने के लिए सरकार की सराहना करता हूँ।

इस देश के साथ जो हो रहा है वह पूर्वानुमानित, दुर्भाग्यपूर्ण और इसलिए टालने योग्य है। असहिष्णुता भारत के सामाजिक-मनोविज्ञान का सामान्य स्वभाव बन गया है।

भाजपा नेतृत्व द्वारा अपने असहिष्णु कार्यकर्ताओं के प्रति दिखाई गई घोर असंवेदनशीलता से असहिष्णु माहौल काफी बढ़ गया। मंदिर की राजनीति का स्थान नैतिकता और गाय की राजनीति ने ले लिया। खाने-पीने की आदत के नाम पर एक निर्दोष व्यक्ति की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या, उदारवादी सोच और धर्मों के अंधेरे पक्ष के खिलाफ लड़ाई के कारण बुद्धिजीवियों को गोली मारना, अपने धर्म और देश के नाम पर कलाकारों पर प्रतिबंध लगाना। यह सब दर्शाता है कि असहिष्णुता सांप्रदायिक हिंसा के आंकड़ों में नहीं, बल्कि हमारे समाज के वातावरण में समाई हुई है। एक ऐसा माहौल बन गया है जो डर फैलाता है, और जो लोगों को विचारों की एकरूपता के लिए मजबूर करता है। इस भय के वातावरण ने हमारे देश को कसकर जकड़ लिया है।

इन अनहोनियों का परिणाम क्या है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे ज्यादा खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? इससे किसका फायदा होगा? यह स्पष्ट है कि सरकार का प्रयास देश को सामंतवाद के उन दिनों में वापस ले जा रहा है जहां कुलीन लोगों के पास पूरा अवसर है।

हाल ही में, आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा करने की वकालत की है, जो हमारे देश में निम्न जाति समूहों और अल्पसंख्यकों की अंतिम उम्मीद है। कम से कम दो बार, पहले वर्ष 1981 में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में और फिर वर्ष 1985 में अखिल भारतीय कार्यकर्ता मंडल में,

^{26*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आर.एस.एस. ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किए थे - सितंबर 2015 में पांचजन्य और ऑर्गनाइजर को दिए अपने साक्षात्कार में वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा दोहराया गया रुखा।

सरकार सामाजिक कुरीतियों की पुरानी और अप्रचलित प्रथाओं को वापस लाना चाहती है और इसे उस देश के नागरिकों पर जबरन थोपना चाहती है जो हमेशा अपनी विविधता में एकता पर गर्व करता है। वे हिंदुत्व और हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं। लेकिन नन्दा सरकार दलितों पर लगातार हो रहे अत्याचारों पर कोई रुख नहीं अपना रही है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले चार वर्षों में दलित महिलाओं के साथ मारपीट, हत्या और यौन उत्पीड़न, विशेष रूप से सामूहिक बलात्कार की घटनाओं से संबंधित मामलों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। यह विडंबना है कि ऐसे अपराधों में केवल 50 प्रतिशत आरोपियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

भारत के शीर्ष लेखक इस देश में असहिष्णुता की बढ़ती संस्कृति और किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के बारे में मुखर रहे हैं। लगभग 400 कलाकार अब मोदी सरकार की विचारधारा के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं।

सरकार द्वारा चुने गए 14 सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों में प्रमुख पदों को भरा गया था। एन.डी.ए. सरकार का अति-उत्साही हस्तक्षेप चिंताजनक है और यह हमारे देश के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास को प्रभावित करेगा। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की निदेशक परवीन सिंकलेयर ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से दो साल पहले पिछले साल अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया था।

इस साल की शुरुआत में प्रधान मंत्री कार्यालय ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी संदीप त्रिवेदी की नियुक्ति को "तकनीकी आधार" पर खारिज कर दिया था, जिससे यह पहली बार हुआ कि किसी निदेशक की नियुक्ति को पीएमओ द्वारा वीटो कर दिया गया है। रोपड़, भुवनेश्वर और पटना में आई.आई.टी. के लिए निदेशकों के चयन पर मानव संसाधन विकास मंत्री

के साथ मतभेद की प्रतिवेदन के बाद, परमाणु वैज्ञानिक, अनिल काकोडकर ने मार्च में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के शासी निकाय से इस्तीफा दे दिया।

लगभग हर सरकार ने सांस्कृतिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों का नेतृत्व करने के लिए या तो लचीले व्यक्तियों को नियुक्त करके या वैचारिक रूप से उससे जुड़े लोगों को नियुक्त करके उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया है। ऐसा लगता है कि नई सरकार भी अलग नहीं है। हालांकि, जो बात उनकी राजनीतिक नियुक्तियों के आसपास असुविधा को बढ़ाती है, वह प्रक्रिया की अनुपस्थिति है। अधिकांश भाग के लिए, इनमें से कई नियुक्तियाँ यह वैचारिक विश्वास भी साझा करती हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति के बजाय एक बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र के रूप में बेहतर होगा।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में गैर-राजनीतिक हस्तियों, विशेषकर लेखकों और बुद्धिजीवियों ने, देश में बढ़ती 'असहिष्णुता' पर सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता व्यक्त नहीं की। अब तक लगभग तीन दर्जन लेखक अकादमी को अपने पुरस्कार लौटा चुके हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी असहिष्णुता दिख रही है। सरकार ने स्पष्ट रूप से विकास के अपने वादों को बदल दिया है। एनडीए सरकार की विकासात्मक पहलों का लाभ केवल कॉर्पोरेट क्षेत्र तक सीमित रह गया है। असली मुद्दा यह नहीं है कि भारत के लिए पूंजीवाद या समाजवाद बेहतर आर्थिक नीति है या नहीं। असली मुद्दा यह है कि भाजपा ने अपने घोषणापत्र और चुनावी भाषणों में क्या वादे किए थे, और सत्ता में आने के बाद कितने यू-टर्न लिए हैं।

आइए हम अपनी असहमति, अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं और यहां तक कि पुराने कुलीन वर्ग को उनकी सही स्थिति में लाने का लक्ष्य भी रखें। लेकिन यह कार्य गैर-जिम्मेदाराना और असहिष्णु रवैये से नहीं किया जा सकता। भय का वातावरण बनाने के बजाय, सरकार को अपने तौर-तरीकों में सुधार करना चाहिए ताकि देश के सभी वर्ग स्वतंत्र रूप से, पूरी ऊर्जा और प्रसन्नता के साथ अपना जीवन जी सकें।

27 **श्री मो. बदरुद्दोजा खान (मुर्शिदाबाद):** अब यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारत में असहिष्णुता पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश के प्रख्यात तर्कवादी दाबोलकर, पनासरे और कलबुर्गी की हत्या हुई। दादरी में "अखलाक की हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इन तथ्यों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुछ प्रख्यात हस्तियों जैसे उदय प्रकाश, नयनतारा सहगल, अशोक वाजपेई, सारा जोसेफ और 37 अन्य जिन्हें साहित्य अकादमी और अन्य इसी तरह के संगठन द्वारा सम्मानित किया जाता है, ने अपने पुरस्कार लौटाए। स्वतंत्र भारत में, कई लेखक, निबंधकार, वैज्ञानिक सरकार और उसकी चुप्पी के खिलाफ विरोध करने के लिए एक साथ नहीं आते हैं। इतना ही नहीं मीडिया में कुछ मंत्रियों का बयान खतरनाक हो गया। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि दादरी हत्या एक दुर्घटना है। माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर टिप्पणी की कि लेखकों का विरोध 'विनिर्मित कागज विद्रोह का मामला' है। हमारे प्रधान मंत्री लंबे समय तक चुप रहे और अंत में उन्होंने लोगों को माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के बयान का पालन करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने स्वयं ऐसी हत्याओं और असहिष्णुता के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। सरकारी पक्ष के कुछ अन्य सांसद भी बहुत बुरी तरह से टिप्पणी करते हैं। यहीं असहिष्णुता का मूल है। दरअसल, महंगाई, कालाधन, रोजगार जैसे कुछ मुद्दों पर सरकार ने कुछ नहीं किया। वे कॉर्पोरेट की सेवा करने में व्यस्त हैं। इसलिए वे हिंदुत्व जैसे किसी अन्य क्षेत्र की ओर जनता की नजरें आकर्षित करना चाहते हैं और उद्देश्यपूर्ण तरीके से असहिष्णुता पैदा करना चाहते हैं।

वास्तव में भारत के हिंदू और मुसलमान असहिष्णु नहीं हैं। वे कभी एक-दूसरे पर हमला नहीं करना चाहते। वे कुछ राजनीतिक दलों जैसे भाजपा और शिव सेना के शिकार हैं। कुछ राजनीतिक दल धर्म के नाम पर लोगों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होता। राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहीं संकट है। धर्म कोई समस्या नहीं है लेकिन जब राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह खतरनाक हो जाता है। अब समय आ गया कि दोनों पक्षों के सभी सांसदों को एकजुट

²⁷*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

होकर असहिष्णुता की निंदा करनी चाहिए। धार्मिक गतिविधियों को सरकारी प्रशासन से अलग करें और संसद के अंदर और बाहर असहिष्णुता संबंधी टिप्पणियों पर रोक लगाएं। इसके साथ, मैं समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। ... (व्यवधान) थोड़ा सुन लीजिए। मैं 21वीं सदी का नागरिक होने के नाते और विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते इस चर्चा में भाग ले रहा हूँ।

अपराह्न 3.33 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

कोई माने न माने, राजनैतिक सुविधा के कारण, असुविधा के कारण कोई इसको बड़ा बनाये, छोटा बनाये, पर असलियत यह है कि पिछले साल डेढ़ साल में लगातार हमारे देश में यह परसैप्शन ही नहीं है, अकेली अनुभूति ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक तथ्य है कि हमारे देश में असहनशीलता बढ़ी है और इसकी चर्चा देश-विदेश में हुई है, राजनैतिक दलों में हुई है, समाज में हुई है और ओबामा से लेकर हमारे राष्ट्रपति जी तक, हमारे उद्योगपतियों से लेकर दूसरे जो कला वाले, साहित्य वाले लोग हैं, सभी ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले डेढ़ साल से शिक्षा से लेकर विज्ञान तक, कला से लेकर साहित्य तक और जिंदगी के अलग-अलग क्षेत्रों में जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, वहां एक विशेष किस्म का मध्ययुगीन वातावरण रचा जा रहा है, जो कि देश के हित में, देश की प्रगति के हित में बिल्कुल नहीं है।... (व्यवधान) मैडम, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पहली बार बोल रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आपके पास ज्यादा टाइम ही नहीं है।

श्री धर्म वीर गांधी : मैडम, चाहे वह पी.के. फिल्म पर बैन लगाने का मामला हो, चाहे वह तमिल लेखक मुरुगन को कलम छोड़ने का मामला हो, चाहे वह चंडीगढ़ के कलाग्राम से कलाकृतियां उठाने का मामला हो, चाहे वह गिरिजाघरों को जलाने का मामला हो, चाहे वह दादरी जैसे दुर्दांत घटनाओं के घटने का मामला हो और चाहे वह कलबुर्गी जैसे एक वैज्ञानिक और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की हत्या का मामला हो। इन सभी के

चलते देश में एक वातावरण जरूर पैदा हुआ है, एक असुरक्षा की भावना अल्पसंख्यकों में और वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्तियों में जरूर पैदा हुई है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं...(व्यवधान)

मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत कभी भी पूरा सहनशील देश नहीं रहा है। वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2015 तक लगातार यहां पर मज़हबी दंगे होते रहे हैं, जात-पात के नाम पर दंगे होते रहे हैं और अलग-अलग पार्टियों ने इन लोगों के पिछड़ेपन को भुनाया है। कभी सॉफ्ट हिन्दुत्व का एजेंडा लेकर, चाहे वह राम मंदिर का ताला खुलवाने की बात हो, चाहे वह शाह बानो केस की बात हो, वहां कांग्रेस ने यह काम किया था और आज कोई दूसरी पार्टी यह काम कर रही है। हमारे देश में अलग-अलग पार्टियों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को भुनाया है।

माननीय अध्यक्ष : अब आप कंकलूड कीजिए।

श्री धर्म वीर गांधी : मैडम, मुझे सिर्फ तीन मिनट का समय दीजिए।

मैडम, हमारी जनता के जो डेमोक्रेटिक और सेक्युलर क्रेडेंशिएल्स हैं, वे बहुत वीक हैं। हम में से बहुत पढ़े-लिखे लोग यहां बैठे हैं। आप उसे थोड़ा कुरेद कर देखिए, आपको बीच में कहीं हिन्दू निकल आएगा, कहीं सिख निकल आएगा, कहीं मुसलमान निकल आएगा, कहीं सवर्ण जाति का, कहीं कुछ और निकल आएगा। पश्चिम के समाजों ने वहां के फ्यूडल सिस्टम के साथ लड़ कर के उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आत्मसात किया था। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बहुत ही पुराने संस्कारों के ऊपर एक नया संविधान थोप दिया गया, जबकि लोगों के मन में वह पुरानी संस्कृति, वे पुराने विचार हमेशा कायम रहे और ये राजनीतिक पार्टियां उन विचारों को अपने फायदे के लिए हमेशा भुनाती रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : बस अब आप एक मिनट में कंकलूड कीजिए।

श्री धर्म वीर गांधी : मैडम, मैं बस तीन बातें कहूंगा। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना अल्पसंख्यकों का काम नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना बहुसंख्यकों का काम है। दलितों की रक्षा करना केवल दलितों का काम

नहीं है। गैर दलित अगर उनकी रक्षा करेंगे, तब यह काम होने वाला है। औरतों की रक्षा केवल औरतें नहीं कर सकतीं, जब तक मर्द आगे नहीं आएंगे। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बहुसंख्यक, औरतों के लिए मर्द, और दलितों के लिए गैर दलित जब तक आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारे देश का कल्याण नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं आज यहां भारत में तथाकथित बढ़ती असहिष्णुता पर इस बहस में भाग लेने के लिए खड़ी हूँ। मैं इस बात पर सवाल उठाना चाहती हूँ कि वे कहते हैं कि असहिष्णुता बढ़ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, किसकी तुलना में और किस समय की तुलना में यह बढ़ रही है? क्योंकि जब आप कहते हैं कि असहिष्णुता बढ़ रही है, तो आपको यह भी बताना चाहिए कि किस संदर्भ में यह बढ़ रही है। क्या हम पहले इससे अधिक सहिष्णु थे? क्या हमारे पास हाल के इतिहास में कोई संदर्भ बिंदु है? दादरी में अखलाक के साथ जो हुआ या अन्य स्थानों पर विचारकों के साथ जो घटनाएं हुईं – वे निंदनीय हैं और किसी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस देश में ऐसे इक्का-दुक्का हादसे वर्षों से होते रहे हैं। अजीब बात यह है कि हमारे सम्माननीय बुद्धिजीवी अब अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं; ये वही लोग हैं जिन्हें हम बहुत आदर करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब इतने वर्षों में ऐसी अनेक घटनाएँ हुईं जिन्होंने उनकी अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए था, तब वे कहाँ थे? तब उनकी चेतना क्यों नहीं जागी? आज वे कह रहे हैं कि यह देश रहने लायक नहीं रह गया। मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जब कश्मीरी पंडितों का जातीय सफाया हो रहा था, तब वे कहाँ थे? जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1989 से अब तक 209 कश्मीरी पंडितों की आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई, जिनमें से 1990 में ही 109 लोग मारे गए। और 25 वर्षों में केवल 24 मामले दर्ज किए गए जबकि 110 से अधिक मामले आज भी सुलझे नहीं हैं।

टी.डी.पी. के मेरे मित्र ने आज कहा कि आपको कहीं भी भारतीय शरणार्थी नहीं मिलते हैं, और मुझे उनसे सहमत होने पर गर्व है। लेकिन, दुख की बात है कि अपने ही देश में, हम जम्मू-कश्मीर के हिंदू

अल्पसंख्यकों को अपने ही देश में शरणार्थी पाते हैं। लेकिन, तब किसी भी बुद्धिजीवी ने बात नहीं की। शायद, वे पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं थे; शायद यह वोट बैंक के बारे में बात करने के लिए बहुत छोटा है।

आइए हम उन सिखों का मामला लें जिनका नरसंहार किया गया था। मेरा विश्वास करें, यह दंगा नहीं था; यह वर्ष 1984 में सत्ता के एक क्रूर प्रदर्शन में एक नरसंहार था। मेरे मित्र श्री मोहम्मद सलीम कल बहुत नाटकीय रूप से कह रहे थे, [हिन्दी] 'पंजाब में आग लगी हुई है।' मोहम्मद सलीम साहब, आप तब कहां थे, जब पंजाब में असल में आग लगी हुई थी, 1980 के दशक में जब आग लगी हुई थी... (व्यवधान)

[अनुवाद] महोदया, भिंडरावाले को कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था। जब चीजें उनके नियंत्रण से बाहर हो गईं, तो वह स्वर्ण मंदिर में चले गए... (व्यवधान) तत्कालीन प्रधान मंत्री, जो कि कांग्रेस पार्टी से थीं, उन्होंने सेना और टैंकों को सिखों के सबसे पवित्र स्थल, स्वर्ण मंदिर, में भेज दिया... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या बोला है? मैं देख लूंगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती किरन खेर : महोदया, तत्कालीन प्रधान मंत्री की बेहद दुखद हत्या के बाद - क्योंकि यह सिख अंगरक्षकों द्वारा किया गया था - बहुत सारे सिखों, नई दिल्ली में लगभग 3,000 सिखों और पूरे भारत के 40 शहरों में 8000 से अधिक सिखों का नरसंहार किया गया था। उनके परिवार के सदस्यों की चीखें और विलाप अभी भी सुनी जा सकती हैं, लेकिन ये ज़िंदगियाँ समय के गर्त में खो गईं, और वह दौर वास्तव में असहिष्णुता से भरा हुआ था... (व्यवधान) बावजूद इसके, कई बुद्धिजीवियों ने तब की कांग्रेस सरकार से पुरस्कार और सत्ता के पद स्वीकार किए। क्या तब उनका अंतःकरण नहीं जागा था? क्या तब असहिष्णुता उन्हें नहीं दिखाई, या फिर सिख समुदाय को उन्होंने एक छोटा वोट बैंक समझ कर अनदेखा कर दिया? ... (व्यवधान) मैं इस तथाकथित असहिष्णुता पर सवाल उठाती हूँ। उस मामले के लिए, आइए वर्ष 1975 में आपातकाल की अवधि को देखें। परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबंदियाँ कराई गईं। ये नसबंदियाँ तो जर्मनी में हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों से भी ज्यादा थीं। आँकड़े बताते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत में 11,04,426 पुरुष नसबंदियाँ और 46 लाख महिला नसबंदियाँ (ट्यूबेक्टॉमी) कराई गईं। ... (व्यवधान) क्या इसे एक लोकतांत्रिक और सहिष्णु राष्ट्र की नीति कहा जा सकता है? जो भी व्यक्ति इसका विरोध करता था चाहे वे विपक्षी नेता हों, प्रेस के सदस्य हों, सिविल सोसाइटी के सदस्य हों या बुद्धिजीवी हों उन्हें या तो जेल में डाल दिया गया या उनकी आवाज को दबा दिया गया। प्रेस को किस तरह कुचला गया, यह भी हमारे सामने इतिहास का एक कड़वा सच है। ... (व्यवधान) तो अब सवाल यह उठता है कि अचानक ये लोग कहाँ से आए हैं, जो आज देश में असहिष्णुता के नाम पर विरोध दर्ज करा रहे हैं? हमें समझना होगा कि इन प्रदर्शनों के पीछे क्या उद्देश्य है और देशभर में जो एक कृत्रिम असंतोष की लहर फैलाई जा रही है, उसकी वास्तविकता क्या है। हमें एक क्षण

रुककर सोचना होगा कि यह आक्रोश आखिर किसलिए है?... (व्यवधान) इन लोगों का विवेक अचानक कैसे जाग गया है? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)...^{28*}

माननीय अध्यक्ष: मोहम्मद सलीम जी, कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्रीमती किरण खेर: सलीम साहब, आपकी मित्र श्रीमती सुप्रिया सुले ने अभी हमें बताया। [हिन्दी] काइंडली थोड़ी शांति से, सहनशीलता से, टॉलरेंस से हमारी बात सुनिए। ... (व्यवधान) थोड़ी सी टॉलरेंस दिखा दीजिए। हमने आपके बहुत तंज सुने हैं। हमने आपकी बहुत बातें सुनी हैं। ... (व्यवधान) क्षमा कीजिए, आपको बुरा लगता है। हमें भी बात कहने का हक है। ... [अनुवाद] (व्यवधान) बात यह है कि भारतीय राजनीति में एक आदर्श बदलाव आया है। सोशल मीडिया में एक ध्रुवीय बदलाव आ रहा है; जिस तरह से लोग आज भारत को समझते हैं; और यही बात उन पार्टियों को परेशान कर रही है जो हर बार बहुत सारे वादे करके चुनाव में उतरी थीं। दुर्भाग्य से, वे शासन प्रदान नहीं कर सके। हर बार जब वे धर्मनिरपेक्षता पर वापस आ जाते हैं। वे ऐसी प्राथमिकताएँ बनाने का प्रयास करते हैं जिनमें शासन के संबंध में लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कहना सबसे आसान है। आप इसे कैसे साबित करते हैं और इसे कैसे अस्वीकार करते हैं? [हिन्दी] आप आंकड़े देंगे, हम आंकड़े देंगे। परसेप्शन ऐसा बना दीजिए जिससे लोगों को लगे कि हां, बॉडी बहुत इनटॉलरेंस है। [अनुवाद] धारणा बहुत खतरनाक खेल है। इस देश में ऐसा हो रहा है। [हिन्दी] मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताती हूँ।

^{28*} कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद] जब श्री वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय मेरे पति सेंसर बोर्ड के प्रमुख थे। जब यू.पी.ए. सरकार सत्ता में आई तो उन्हें रातों-रात हटा दिया गया और सुश्री शर्मिला टैगोर को उचित सम्मान देते हुए नियुक्त किया गया। क्या यह सहिष्णुता थी? महोदया, ये दो लोग जिन्होंने उनके खिलाफ यह पूरी बात शुरू की, भले ही वह सेंसर बोर्ड के एकमात्र प्रमुख थे जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्म को एक भी कट के बिना पारित किया, वही लोग थे जिन्होंने इस असहिष्णुता के बारे में समस्या शुरू की थी, और वे वही दो वृत्तचित्र फिल्म निर्माता थे। हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं। हम उन्हें जानते हैं और हम उन्हें पहचानते हैं।

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी से बड़ी असहिष्णुता का सामना करना पड़ा है। श्री वी. सी. शुक्ला के समय में, जब वह चाहते थे कि किशोर कुमार कांग्रेस के एक समारोह में गाएँ, तो किशोर कुमार ने इनकार कर दिया और उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से प्रतिबंधित कर दिया गया। यह इतिहास का विषय है। वह चाहते थे कि दिलीप कुमार और देव आनंद साहब राजनीतिक रैलियों में से एक में भाग लें। उन्होंने मना कर दिया। वह उन पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। इस बारे में देव आनंद साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। यह इतिहास की बात है और यह रिकॉर्ड की बात है।

शाहरुख खान और आमिर खान ऐसे लोग हैं जिनका मैं सम्मान करती हूँ। उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन मैं कामना करती हूँ कि जो लोग सेलिब्रिटी हैं, वे भी महसूस करें कि वे बहुत विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जीते हैं।

महोदया, जब यह पूरा मामला शुरू हुआ तो हमारी तरफ से और दूसरी तरफ से भी कई लोग थे जिन्होंने कुछ टिप्पणियाँ कीं। मैं उन टिप्पणियों का समर्थन नहीं करती। मुझे लगता है, हम सभी में विनम्र तरीके से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होने के लिए सहनशीलता होनी चाहिए और हमें उन टिप्पणियों में अति नहीं करनी चाहिए। होता यह है कि लोग भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं और कुछ बातें कह देते हैं। विपक्षी पक्ष के कई लोगों ने महिलाओं के खिलाफ बेहद कामुक टिप्पणियाँ कीं। जैसा कि मेरी मित्र श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने पहले कहा है, मुझे लगता है कि महिलाएं इस देश में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक हैं। एस. पी. प्रमुख ने पहले भी

निर्भया मामले के बारे में कहा है। [हिन्दी] उन्होंने निर्भया रेप केस के संबंध में कहा था कि, "चार लोग कैसे एक लड़की का रेप कर सकते हैं?" [अनुवाद] जे.डी. (यू) अध्यक्ष ने अतीत में कहा है - [हिन्दी]"लड़कियों को छेड़ने के लिए तो हम लोग नुक्कड़ पर खड़े रहते थे।" आप जानते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जो हमने लोक सभा में देखी हैं। कई लोगों ने यह टिप्पणी की है। कांग्रेस पार्टी के श्री मुखर्जी ने महिलाओं को 'पेंटेड एंड डेंटेड वुमन' कहा है। ... (व्यवधान)

महोदया, मुझे लगता है, दोनों पक्ष - सत्ता पक्ष और विपक्ष - एक समान जिम्मेदारी रखते हैं कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कहते हैं जो इस देश के ताने-बाने के लिए हानिकारक हो और हम कुछ भी ऐसा नहीं कहें जो प्रतिगामी हो। यहां तक कि मुझे याद है कि तत्कालीन कोयला मंत्री, श्री जायसवाल ने भी महिलाओं के बारे में कुछ कहा - [हिन्दी] जब बीबी बुढ़ी हो जाती है, [अनुवाद] इत्यादी। यह सब असहिष्णुता है।

महोदया, हमें सभी प्रकार के विचार सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि उस पक्ष का दृष्टिकोण है, यदि वामपंथी झुकाव वाले बुद्धिजीवियों को कई वर्षों से कांग्रेस द्वारा संरक्षण दिया गया है, तो उन्हें अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, वैसे ही अन्य लोगों को भी है जो विषयांतर करते हैं और आपसे असहमत हैं। [हिन्दी] कृपया आप इतना माददा रखिए कि दूसरी तरफ की बात भी सुन सकें। आप उन्हें कम्युनल न पेंट करें, उनका भी एक प्वाइंट ऑफ व्यू है। [अनुवाद] यह केवल हमारे जैसे लोगों का ही नहीं है, कॉलेजों और स्कूलों के लोग जो कुलीन वर्ग के हैं; [हिन्दी] एक आम आदमी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसको भी किसी बात से दर्द होता है, आप उसकी सेंसिटीविटी का भी उतना ही ख्याल रखिए, जितना कि आप अपना ख्याल रखते हैं और चाहते हैं कि आपका ख्याल हम रखें।

[अनुवाद] महोदया, कर्नाटक में कांग्रेस शासित राज्य में पूर्वोत्तर के छात्रों को उस खतरनाक धारणा के कारण खदेड़ दिया गया था। इसलिए, मैं कह रही हूँ कि धारणाएं बहुत खतरनाक हैं। इन्हें राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए। ... (व्यवधान) मेरा कहना है वे सभी लोग जिन्हें आपने टेलीविज़न पर देखा, झुंड के झुंड में अपने घरों को छोड़ते हुए भागते नज़र आए। उस समय ये बुद्धिजीवी कहाँ थे? क्या वह

असहिष्णुता की पराकाष्ठा नहीं थी? दिल्ली में लोग मारे जा रहे थे। हत्या में, लोग मारे जा रहे थे। ये लोग कहाँ थे जो उस समय असहिष्णुता के बारे में इतनी बातें कर रहे थे? [हिन्दी] सर्टेनली इनको इंटॉलरेंस लगने लग गयी, किसी भी चीज में तब उन्हें इंटॉलरेंस नहीं लगी, जब यूपीए पावर में थी। अभी हमारे सत्ता में आते ही सभी को इंटॉलरेंस के इंजैक्शन लग गये, यह क्या मानने वाली बात है? ...(व्यवधान) हमारे प्रधानमंत्री जी की सभी जगह बहुत इज्जत है।

मेरे ख्याल से एसपी के रिप्रजेंटेटिव ने कहा है कि वाजपेयी जी जब थे तो सबको यह लगता था [अनुवाद] कि यह एक व्यक्ति है, जो बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और उदार है। मुझे यह कहते हुए खेद है। क्या आप जानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी में रहे मुस्लिम लोगों ने कैसे कांग्रेस छोड़ दी है और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्टर्लिंग कार्य के कारण गुजरात में बीजेपी में शामिल हो गए हैं? ... (व्यवधान) यह भी एक धारणा है कि वे जीवित रहना चाहते हैं क्योंकि नरेन्द्र मोदी जी को इस देश की सर्वोच्च अदालत ने हर चीज से बरी कर दिए गए हैं। यह भी साबित हो चुका है कि कुछ पुलिस अधिकारी और कुछ गैर सरकारी संगठन इस देश के प्रधान मंत्री के बारे में उस धारणा को जीवंत बनाने में कुछ राजनीतिक दलों के साथ मिले हुए थे।

वे उन्हें विकास के मामले में नहीं हरा सकते। तो, उन्हें लगता है, चलो हम उसे नीचे खींच लें। फिर, वे हर जगह जाते हैं और कहते हैं: [हिन्दी] "हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है। जमीन पर कुछ हो रहा है। अरे, आप पार्लियामेंट में ही बिल नहीं पास करने देंगे तो जमीन पर चीजें कहां से उग जाएंगी।" [अनुवाद] यह जादू से नहीं आ सकता। विकास के लिए, हमें इन विधेयकों को पारित करने की आवश्यकता है; और हम आपसे सहयोग करने का अनुरोध करते हैं। आप में से कई बहुत शिक्षित और अच्छे लोग हैं। आपको देश के लिए हमारे साथ काम करने की जरूरत है जैसे हमें देश के लिए आपके साथ काम करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि हमें इन जालों में फंसना चाहिए। यह आसान है। [हिन्दी] तकरीरें करते रहें हम तकलीफ देश को होती है। [अनुवाद] और, मैं एस.पी. के सज्जन से पूछना चाहती हूँ कि वह भूल गए कि यू.पी. में सांप्रदायिक हिंसा के सबसे ज्यादा

मामले हैं। वे ही हैं, जिन्होंने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को समाप्त कर दिया। ... (व्यवधान) [हिन्दी] बोलने तो दीजिए... (व्यवधान)

[अनुवाद] महोदया, आजमगढ़ से लेकर आजम खान तक के गैर जिम्मेदारी भरे बयानों पर उत्तर प्रदेश की एस.पी. सरकार को मालिकाना हक चाहिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठें।

... (व्यवधान)

श्रीमती किरण खेर: महोदया, पिछले दिनों श्री संपत नामक एक युवक, जिसने बंगलुरु में एक अद्भुत साहित्य महोत्सव शुरू किया था, को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा क्यों? यह उन बुद्धिजीवियों की असहिष्णुता के कारण था, जिन्होंने असहिष्णुता के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था। यह एक अद्भुत त्योहार है। लेकिन उन्होंने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस नहीं किया। इसलिए, इन लेखकों ने उनसे कहा: “हम आपके त्योहार का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार को वापस नहीं किया है। संपत ने कहा, “मैं नहीं चाहता। यह मुझे जूरी द्वारा, मेरे सहभागी द्वारा दिया गया है; मैं इसे वापस नहीं करना चाहता। मैं इसका सम्मान करता हूँ।” फिर, अन्य सभी प्रतिभागियों के लिए एक कानाफूसी अभियान चलाया गया। फोन कॉल में कहा गया था: “तुम हट जाओ, तुम मत जाओ। तुम वहाँ जाना बंद करो।” ... (व्यवधान) यही हुआ; और उस आदमी ने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब है कि उनकी आवाज आप लोगों द्वारा दबा दी जाएगी क्योंकि असल में आप लोग ही असहिष्णु हैं। आप यहां किसी और को इतने लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते जो आपके लिए काम कर रहा हो... (व्यवधान)

महोदया, 65 साल इस देश ने कुशासन, भ्रष्टाचार सब सहन किया है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। जब भी हम चुनाव में गए हैं, हम सुनते हैं [हिन्दी] ‘गरीबी हटाओ, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा’, लेकिन बिहार में आज तक जो जाता है, उसे दुबारा यही लाइन बोलनी पड़ती है क्योंकि वह कहीं देहात में पहुंचा नहीं है। अगर इस चीज को हमारा देश इतने सालों शान्ति से टॉलरेट कर सकता है तो कुछ भी टॉलरेट कर सकता

है। मुझे नहीं लगता हम इन्टॉलरेंट हैं और स्पैशियली मुझे नहीं लगता कि हमारी रूलिंग पार्टी बिल्कुल भी इन्टॉलरेंट है। अगर किसी ने कोई गलत वक्तव्य दिया है तो हमारे मिनिस्टर्स ने उसी वक्त उसे नकारा है और कहा है कि हम इसमें विश्वास नहीं करते। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी भारत की कोख से जन्मा है, वह भारत का अभिन्न अंग है। [अनुवाद] वह भारत का हिस्सा है। आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों को धर्म के आधार पर बांटो? ऐसा मत करो। यह खतरनाक है। उन्होंने मुसलमानों को अपना शिकार बनाया, उन्हें इतने वर्षों तक गरीब और अशिक्षित रखा ताकि वे उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकें, [हिन्दी] ताकि गरीब आदमी आखिरी छोर पर खड़ा हुआ, हाथ ऐसे हो, कभी उसका हाथ ऐसे न हो। दिमाग से सोच न पाए, अपने लिए सोचकर वोट डाल न पाए, यह इस देश का दुख है।

मेरी फ्रेंड सुप्रिया सुले जी बोल रही थीं कि मुम्बई में बड़ी घटनाएं होती हैं। मैडम, घटनाएं होती हैं, आज से नहीं होतीं, बहुत सालों से होती हैं। पहले भी पाकिस्तान से सिंगर्स आते थे उन्हें कई दफा गाने नहीं दिया गया, एक-दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया ...(व्यवधान) [अनुवाद] मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। महोदया, मैं भी अपने दोस्त को बताना चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आपका भाषण हो गया न?

...(व्यवधान)

श्रीमती किरण खेर : मेरे हसबेंड अनुपम खेर ने अन्ना हजारे मूवमेंट को बहुत बैक किया था, बहुत धरना दिया, बहुत कुछ किया था। मुंबई में हमारे घर पर एनसीपी के कॉडरों ने पथराव किया, बहुत कुछ फेंका, गालियां दीं, इससे दिल दहल गया, पुलिस आई यह रिकॉर्ड की बात है। आप इसे पता करा लीजिए, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी करती है, ये सब पार्टीज में होता है, प्रिंज इलिमेंट सब जगह होते हैं, आप कहते हैं प्रिंज इलिमेंट सब जगह होते हैं, मैं कहती हूँ कि जो भी ऐसा करता है वह प्रेंजी इलिमेंट ही हो सकता है वह इंसान नहीं हो सकता जिसे लोग चुन कर भेजते हैं। ...(व्यवधान) [अनुवाद] महोदया, मेरे पास एक और बात है। यह मैं बोलना चाहती हूँ। जब यू.पी.ए. सरकार सत्ता में थी और गोवा फिल्म महोत्सव था तब श्री अमिताभ बच्चन को आमंत्रित किया

गया था और गोवा में कांग्रेस की सरकार थी। उन्हें गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। [हिन्दी] उसके अगले दिन उनको मंत्री जी का फोन आ गया कि आप मत आइए, एक ऐसे इंसान जिसके कारण पूरी दुनिया में हमारा सिनेमा जगत इतना बड़ा है, उसका इतना नाम है, बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेड फैलाने में उनका हाथ है, [अनुवाद] सिनेमा के महान हस्ती, [हिन्दी] अशोक चौहान जी यहां बैठे हैं, उनको भी पता है। जब बम्बे वर्ल्ड सी-लिंग खुलने वाला था उन्होंने मासूमित में अमिताभ बच्चन को बुलाया था, इनको नहीं पता था ऊपर अमिताभ बच्चन की खटपट हो गई है। बहुत सारे पेपरों ने लिखा, [अनुवाद] उसे अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ा और किसी तरह वह सफल हुआ [हिन्दी] हर पेपर में इस बारे में आया कि उनसे कहा गया है कि आप किसी और को बुला लीजिए, अमिताभ बच्चन को न बुलाएं, जब हमारी गवर्नमेंट आई, गोवा फिल्म फेस्टिवल में उन्हें चीफ गेस्ट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने सालों में फिल्म जगत को इंडस्ट्री का स्टेटस पिछली एन.डी.ए. गवर्नमेंट ने दिया, इससे पहले लोग ब्लैक मनी से फिल्में बनाते थे, [अनुवाद] यह पूरा कारोबार ईमानदारी से होता है। इसलिए, एक फिल्म कलाकार के रूप में मैं एन.डी.ए. सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें वह सम्मान दिया जो हम कई वर्षों से चाहते थे लेकिन हमें नहीं मिला। हम सहिष्णुता पर थे, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि हमारे ऊपर कई चीजों के लिए प्रतिबंध हो गया। इन सब में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। ... (व्यवधान) वास्तव में, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। मैं बंगलुरु में कार्मेल कॉलेज में राहुल जी का बहुत ही अद्भुत भाषण और बातचीत सुन रही थी और उन्होंने उसे इतनी अद्भुत पंक्तियों के साथ समाप्त किया। उन्होंने कहा कि आइए हम नफरत छोड़ें, आइए हम प्यार करें, आइए मिलकर काम करें। मेरी आप सभी से विनती है कि इतनी नफरत न करें और हमें इतनी नफरत करने के लिए मत उकसाओ। हम आपसे नफरत नहीं करते हैं। [हिन्दी] हम सब एक-दूसरे से मिलते हैं, सेंट्रल हॉल में मिलते हैं, बाकी जगहों पर भी मिलते हैं, एक-दूसरे के घर जाते हैं, एक-दूसरे की इज्जत करते हैं। सदन में भी हम एक-दूसरे की इज्जत करें, एक-दूसरे से प्यार करें और पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठ कर एक साथ जुड़ कर प्यार करें। मैं आप सभी की बहुत इज्जत करती हूँ। ... (व्यवधान)

[अनुवाद] **माननीय अध्यक्ष** : हर किसी का कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन होता है।

...(व्यवधान)

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण (नांदेड़) : इन्होंने पहले कोई नोटिस नहीं दिया था इसलिए इनके रिमार्क्स को एक्सपंज किया जाए, इन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया, मुंबई के किसी फंक्शन में अमिताभ बच्चन के बारे में जिक्र किया है जो बिल्कुल गलत है, इनका रिमार्क्स एक्सपंज किया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने कह दिया न कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। सुप्रिया जी ये तो होता है, कुछ नहीं बोला है। प्रत्येक पार्टी में फ्रेंजी इलिमेंट होते हैं। ये आपको नहीं कहा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप बैठ जाइए, महिलाएं अपनी बात कहने में सक्षम हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपको नहीं कहा था, इनको भी नहीं कहा था।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: हर पार्टी में फ्रिज तत्व होते हैं। यह आपके लिए नहीं है। नहीं, मुझे खेद है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप क्या चाहते हैं? [हिन्दी] खड़गे जी, आप बैठ जाइये, क्योंकि सुले जी बोल रही हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उन्होंने उनका नाम लिया था। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : महिलाएं अपनी बात कहने में सक्षम हैं, इसलिए आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले: उन्होंने जो कहा था कि एक समय ये चीजें, जो आज महाराष्ट्र में हो रही हैं, पहली बार नहीं हो रही हैं। वे अतीत में हुए हैं, जो तथ्यात्मक है। वह सही हैं लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे वही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय वे सिर्फ कार्यकर्ता या गुंडे थे। अब वे आपके साथी हैं। इसलिए, वे अपराध में भागीदार हैं। वे आपके साथ सत्ता साझा कर रहे हैं। इसलिए, आपको यह महसूस करना होगा कि वे आपके साथ सत्ता साझा कर रहे हैं। तो, यह वास्तविकता है।

मैं आपके द्वारा लगाए गए दूसरे आरोप पर आ रही हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर एलीगेशन का जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्रीमती सुप्रिया सुले: वे हमारे भागीदार नहीं हैं। वे अपराध में आपके भागीदार हैं। शिव सेना के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन वे अपराध में आपके भागीदार हैं, अपराध में मेरे भागीदार नहीं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : हर एलीगेशन पर सवाल-जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हमें रात तक नहीं बैठना।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। अब, हमें इसे पूरा करना होगा।

^{29*}श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मैं नियम 193 के अधीन चर्चा 'सहिष्णुता' के संदर्भ में अपने लिखित विचार दे रहा हूँ। मैंने सदन में लगभग सभी वक्ताओं को सुना है। मेरा ऐसा मानना है कि संविधान निर्माताओं ने जिस भावना से अपनी अभिव्यक्ति की थी बहुत से लोग इसे समझ नहीं सके हैं। उदाहरणार्थ धर्म को ही लोग समझ नहीं सके। लोगों ने धर्म का रिलीजन अर्थ कर दिया। धर्म का अर्थ था सत्य को धारण करना। दर्शन शास्त्र कहता है 'यतोऽम्युदय निश्रयेस सिद्धी स धर्मः' अर्थात् धर्म उसे कहते हैं जिससे आत्मा का उत्थान हो। मनु महाराज धर्म के विषय में कहते हैं 'धृति, क्षमा, दयो, स्तेयम्, शौचं, इन्द्रियनिगृहम्, धीर्विद्या सत्यम् अक्रोध दशकम् धर्म लक्षणम्'। अर्थात् धैर्य, क्षमादान इन्द्रिय संयम्, सत्य, पवित्रता, बुद्धि, विद्या, सत्य प्रयो, क्रोध न करना इसे धर्म कहते हैं। इन सिद्धांतों को प्रत्येक व्यक्ति अपना सकता है। इसमें कहीं ऊंच नीच का भाव नहीं है परंतु मात्र अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले लोगों ने धर्म को रिलीजन बना दिया गया। रिलीजन का अर्थ पंथ होता है। माननीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने ठीक ही कहा था कि धर्म शब्द का दुरुपयोग हो रहा है।

भारतीय संस्कृति हमेशा उदान्त रही है। यहां 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की भावना रही है। वेदों में 'संगच्छध्वं, संवध्व संवो मनांसि जानताय्' का उपदेश दिया है। हम मिलकर चलें, मिलकर बैठें, मिलकर सोचें, हमारे विचार समान हों।

देश की आजादी के समय भी रामप्रसाद बिस्मिल, असलाक उल्ला खान जैसे लोगों ने भी सम्प्रदाय से ऊपर उठकर अपना बलिदान दिया था। अतः वर्तमान में भी शंकर, बुद्ध, दयानन्द, विवेकानन्द, नानक, गांधी के विचारों पर अमल की आवश्यकता है। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई इसके लिए आपका आभारी हूँ।

^{29*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

^{30*} **श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जो सहिष्णुता एवं असहिष्णुता पर चर्चा का प्रस्ताव लाया गया है वह प्रस्ताव इन लोगों के द्वारा देश का ध्यान विकासपरक योजनाओं के चर्चा से दूर करने का एक कुत्सित प्रयास है। सच्चाई तो यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, जब देश का संविधान ही धर्म निरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्षता के आधार पर है तो कहां से यह विषय चर्चा के लिए लाया जाता है और यदि यह विषय लाया गया तो उस समय यह लोग कहां थे जब सन् 75 में आपातकाल लाया गया, जब भागलपुर दंगा हुआ, जब 84 का कत्लेआम किया गया। इन ही इन लोगों के द्वारा उस समय मौन स्वीकृति थी और आज इस चर्चा की शुरुआत ऐसे समय जान-बूझकर शुरू की गई जिस समय देश के बिहार प्रांत में चुनाव था। निश्चित ही बिहार की जनता वर्तमान सरकार की जनपरक योजनाओं के ऊपर आकर्षित थी और ये लोग (कांग्रेस एवं उनके साथी) बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए अपने प्रचार के एक हथकण्डे के रूप में अपनाया और उसमें सफल भी रहे। जिस देश ने शक, यवन, हूण, मुगल, अंग्रेजों को भी सहन किया है उस देश की संसद में असहनशीलता पर चर्चा की जाती है। यह एक मजाक ही है और जो लोग आज पदम भूषण एवं पदमश्री जैसा सम्मान वापस कर रहे हैं वो लोग आज उन हजारों लोगों को जिन्हें यह सम्मान मिला है उनका एवं इस सम्मान का भी अपमान कर रहे हैं।

जहां तक हमारी पार्टी भाजपा का सवाल है ते हम लोगों के द्वारा सदैव राष्ट्र एवं राष्ट्रवादियों का सम्मान किया गया है और हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि हमारा मूलमंत्र रहा है कि

तेरा वैभव अमर रहे माँ

हम दिन चार रहें ना रहें

^{30*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद] ^{31*} **डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली)** : सत्ता की बागडोर संभालने के बाद से सांप्रदायिक सद्भाव टल गया है। इस पर दो राय नहीं हो सकती। माहौल खराब हो गया है। हर जगह असहिष्णुता है। लेखक, विचारक, कलाकार जैसे विद्वान लोगों को अपना पुरस्कार सरकार को क्यों लौटाना चाहिए? इसका कुछ कारण होना चाहिए।

गौमांस खाने के लिए लोग मारे जाते हैं। गौमांस पार्टी की मेजबानी के लिए लोगों को पीटा जाता है। जम्मू-कश्मीर के एक विधायक को बीफ पार्टी की मेजबानी करने के लिए पार्टी के एक सांसद ने पीटा। कलबुर्गी की हत्या उसके दृष्टिकोण को हवा देने के लिए की गई थी। अपनी राय व्यक्त करने के लिए पानसरे को मार दिया गया था। ऐसे परिदृश्य को हम कब तक देखते रहेंगे? यह बंद होना चाहिए। लेकिन हमें बेहद निराशा है कि मौजूदा सरकार, भाजपा पार्टी, समाज में वास्तविक विरोध और असहिष्णुता को नहीं समझ रही है। मुद्दे को गंभीरता से देखने और आत्मनिरीक्षण करने के बजाय, यह बकवास पारित कर रहा है।

एन.डी.ए. सरकार के मंत्री और भाजपा से जुड़े विधायक खुलेआम मर्यादा और शालीनता को तार-तार कर रहे हैं और खुलेआम जनता को भड़का रहे हैं। यह जारी नहीं रह सकता है।

लोग कब तक बीजेपी और उसके सहयोगियों से संबंधित लोगों के इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के साथ जाएंगे। लोगों ने पहले दिल्ली में दरवाजा दिखाया है और फिर बिहार में, जहां प्रधानमंत्री ने स्वयं 26 बैठकों को संबोधित किया, जो बहुत असाधारण है और किसी अन्य प्रधानमंत्री ने राज्य के चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में बैठकों को संबोधित नहीं किया। इसके बावजूद, बीजेपी बुरी तरह से हार गया। ऐसा क्यों? इसका कारण सरल है और आम आदमी कारण देख सकता है। और इसका कारण यह है कि एन.डी.ए. सरकार ने कुछ भी शानदार काम नहीं किया है और प्रधानमंत्री ऊपर-ऊपर से बातें कर रहे हैं लेकिन जमीन पर गरीबी हटाने, शिक्षा का स्तर सुधारने, बेरोजगारी दूर करने, महंगाई कम करने के लिए कुछ भी ठोस काम नहीं किया गया है।

^{31*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

^{32*} **डॉ. किरिट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व)** : भारत में मुद्दा सहिष्णुता का है। सहिष्णुता भारतीय समाज का स्वाभाव-प्रकृति है। हम भारतवासी विश्व धर्म में विश्वास करते हैं। ऐसा लगता है कि असहिष्णुता का वर्तमान मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए बनाए गए एक बोगी के अलावा और कुछ नहीं है।

हम इस बात से सहमत हैं कि पिछले कुछ महीनों में कुछ घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इस तरह के व्यवहार का समर्थन नहीं करता है। लेकिन असहिष्णुता की बहस के नाम पर, महाराष्ट्र में पानसरे की हत्या से लेकर कर्नाटक में कलबुर्गी की हत्या तक, सभी का दोष मोदी सरकार पर मढ़ा जा रहा है।

पानसरे प्रकरण की सभी ने निंदा की थी। कलबुर्गी हत्या का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये कांग्रेस के शासन में हुए हैं।

मैं सभी माननीय संसद सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कल मुंबई के कुर्ला में पी.वी.आर. थिएटर में एक घटना घटी। दर्शकों के अनुसार एक परिवार अनादर दिखा रहा था जबकि राष्ट्रगान बजाया गया था। पूरे दर्शकों ने इस प्रकार के अनादर पर चिंता व्यक्त की। अब अगर 'मोदी सरकार के आलोचक मोदी सरकार या बीजेपी पर सख्ती करने लगें कि यह बीजेपी की असहिष्णुता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? हमें असहिष्णुता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति के खेल से बचना चाहिए, जो समाज को परेशान करता है। मैं सभी दलों/सदस्यों से अपील करूंगा कि वे देश को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करें।

^{32*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

^{33*}श्री डी.के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण) : भारत अपने शांतिपूर्ण जीवन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। सहिष्णुता भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न अंग है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल के दिनों में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संविधान ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए हैं कि भारत के लोग शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जिएँ।

देश में हर किसी को अपनी भावना/भाषा को सभ्य तरीके से व्यक्त करने का अधिकार है। सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी किसी विशेष तरीके से रहने या विशेष रूप से अपने घर में क्या खाना है, यह तय करने का अधिकार नहीं है। हाल की कुछ घटनाओं से हमें यह महसूस होता है कि हम वास्तव में स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं या नहीं।

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 के पहले पांच महीनों में "सांप्रदायिक हिंसा" की 287 घटनाएं हुईं। पिछले वर्ष की इसी अवधि वर्ष (2014) में 232 घटनाएं हुई थीं। यह देश में बढ़ती असहिष्णुता को दर्शाता है।

हमारे देश में इन सभी घटनाओं से उदारवादी मानसिकता के लोगों को निराशा हुई, पिछले डेढ़ साल में ऐसे मामलों को खत्म करने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाने के कारण सरकार पर दुख हुआ।

हमारे देश के प्रमुख लेखक, विचारक, तर्कवादी, बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक भारत में "भय के बढ़ते वातावरण, बढ़ती असहिष्णुता और महत्वपूर्ण आवाजों के प्रति हिंसा" के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

40 से अधिक प्रमुख लेखकों ने किसी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में साहित्यिक पुरस्कार लौटाए हैं। वे एक नास्तिक लेखक डॉ. एम. कलबुर्गी, तर्कवादी और लेखक नरेन्द्र ढबोलकर और एक वामपंथी राजनेता गोविंद पानसरे की हालिया हिंसक हत्याओं से नाराज, निराश, स्तब्ध

^{33*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

और उरे हुए हैं। तीनों हत्याएं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुप कराने का स्पष्ट संकेत हैं। इन सभी हत्याओं के संदिग्ध दक्षिणपंथी चरमपंथियों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार उनके मकसद के प्रति सहानुभूति रखती है।

दादरी की घटना एक और चौंकाने वाली घटना है जिसे देश को देखना पड़ा। यह घटना इतनी भयानक है कि अब हर नागरिक को यह देखना होगा कि वह अपने घर में खाना बना रहा है या नहीं। सड़कों पर सतर्कता बरती जा रही है और अराजकता बढ़ रही है। एक मुस्लिम व्यक्ति ने गौमांस खाया हो या न खाया हो, लेकिन क्या उसकी हत्या करना इसका समाधान है? हम उन समुदायों को क्या संदेश दे रहे हैं जो गौमांस का सेवन करते हैं और दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या हम सुरक्षित देश हैं?

केंद्र सरकार के मंत्रियों, सत्तारूढ़ दल के सांसदों और एन.डी.ए. के कई पार्टी पदाधिकारियों के बयानों ने बढ़ती असहिष्णुता को और बढ़ाया है। उन्होंने मरहम लगाने की बजाय आग में घी डालने का काम किया है। जनरल वी. के. सिंह का बेबाक बयान वर्तमान सरकार के कुछ वर्गों में प्रचलित मानसिकता का संकेत है।

माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने दादरी की हत्या को एक अलग-थलग पड़ा हुआ मामला बताया है। मुझे आशा है कि वे सही हों। जब तक वे और माननीय प्रधानमंत्री इस स्थिति को सुधारने के लिए कठोर कदम नहीं उठाते, तब तक दादरी जैसे मामले आम बात बन सकते हैं।

जब देश के एक प्रतिष्ठित अभिनेता अपनी पत्नी की इस सहज टिप्पणी पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि क्या उन्हें बढ़ती असहिष्णुता के कारण देश छोड़ देना चाहिए, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पंथ से संबंधित हो, स्वयं को सुरक्षित महसूस करे।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि समाज में सद्भाव और शांति से रहने के लिए देश में असहिष्णुता की घटनाओं से निपटने के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करें।

34* श्री बी. एस. येदियुरप्पा (शिमोगा) : कई सदस्यों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से इस मुद्दे पर बात की है। मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर एक बिल्कुल भिन्न स्वर, विषयवस्तु और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ।

मेरा विचार है कि असहिष्णुता का यह विषय धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता की अवधारणा की गलत व्याख्या से उत्पन्न हुआ है।

कांग्रेस पर मेरा सीधा आरोप है कि आजादी के बाद से इस पार्टी ने जानबूझकर धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता के अर्थ को इस तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश किया है कि भाजपा जैसी सच्ची राष्ट्रवादी पार्टी के लिए सांप्रदायिक करार दिए बिना कुछ मुद्दे उठाना असंभव है।

कांग्रेस पार्टी ने "हिन्दू" शब्द के अर्थ को तोड़-मरोड़ कर इसे एक कुरूप शब्द बना दिया है; कांग्रेस ने "हिन्दू" शब्द को गाली बना दिया है।

नतीजा यह है कि, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है एक तरफ हिंदुओं को कोसना और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण; यह और कुछ नहीं बल्कि एक पूर्णतः विकृत मानसिकता है जो इस तथाकथित असहिष्णुता सहित अन्य सभी विकृतियों की मूल जड़ है।

अब, मैं विपक्षी दल में बैठे अपने मित्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ स्पष्ट तर्क देता हूँ; मैं इन दलों द्वारा किए जा रहे विकृति को उजागर करना चाहूंगा।

मोटे तौर पर, चार मुद्दों को कांग्रेस और वामपंथी दलों ने विवादास्पद बना दिया है; अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता और गौहत्या; असम में अवैध अप्रवासियों के मुद्दे को कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भी विवादास्पद बना दिया है।

34* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरा मानना है कि असहिष्णुता का मुद्दा भाजपा और कांग्रेस-वाम गठबंधन द्वारा अपनाए गए बिल्कुल विपरीत रुख से उपजा है।

इन सभी मुद्दों पर बीजेपी का रुख संविधान के अनुसार है जबकि कांग्रेस-वाम गठबंधन द्वारा लिया गया रुख संविधान के खिलाफ है।

संविधान कहता है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है और अपने आप समाप्त हो जाएगा; बीजेपी चाहती है कि इसे निरस्त कर दिया जाए; यह एक सही रुख है लेकिन कांग्रेस-वाम गठबंधन चाहता है कि यह बना रहे; निःसंदेह वे गलत हैं; लेकिन बीजेपी के इस रुख को असहिष्णुता करार दिया गया है।

डॉ. अम्बेडकर समान नागरिक संहिता चाहते थे; बीजेपी चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लाई जाए और उसे लागू किया जाए। लेकिन, कांग्रेस-वाम गठबंधन बीजेपी रुख को सांप्रदायिक और मौलिक कहता है। वे बीजेपी रुख को असहिष्णुता कहते हैं।

बीजेपी एकमात्र पार्टी थी जिसने बांग्लादेश में अवैध प्रवासियों के निर्वासन की मांग की थी। कांग्रेस-वाम गठबंधन ने हमें सांप्रदायिक कहा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जाना चाहिए। जब बीजेपी ने वही बात कही जिसे हम सांप्रदायिक कहते थे; कांग्रेस-वाम गठबंधन हमें असहिष्णु कहता है।

महात्मा गांधी गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध चाहते थे; बीजेपी भी इसका पक्षधर है लेकिन हमें सांप्रदायिक और असहिष्णु कहा जाता है।

अब, मैं कांग्रेस और वाम दलों के अपने मित्रों से पूछना चाहता हूँ - क्या उनके पास गांधी, अम्बेडकर और सर्वोच्च न्यायालय को सांप्रदायिक और असहिष्णु कहने का साहस है? क्योंकि, बीजेपी वही भाषा बोल रहा है जो गांधी, अम्बेडकर और सर्वोच्च न्यायालय की है!

इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और अब फिर दोहराना चाहता हूँ कि कांग्रेस और वामपंथी दल पाखंडी हैं; उन्होंने दोहरे मापदंड अपनाए हैं और वे दोहरी बातें करते हैं।

मेरा सीधा आरोप है कि यह कांग्रेस और वामपंथी दल ही हैं जिन्होंने इस तथाकथित असहिष्णुता के माहौल को पूरी तरह और केवल राजनीतिक लाभ के लिए गढ़ा और पैदा किया है; यह दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है कि आम जनता में कोई असहिष्णुता नहीं है।

मेरा आरोप है कि यह पूरा अभियान न केवल मोदी सरकार बल्कि पूरे देश को बदनाम करने के लिए इस विकृत, असंतुष्ट और निराश गुट की ओर से एक भयावह योजना है; ताकि भारत को वह सम्मान न मिले जो मोदी जी के प्रयासों से मिला है।

मुझे यकीन है कि इस बहस के बाद लोगों और दुनिया को पता चल जाएगा कि इस नापाक अभियान के पीछे दोषी कौन हैं, उनका गुप्त मकसद और उनका व्यक्तिपरक एजेंडा क्या है।

"मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत "मैसूर दशहरा के अंबारी और जंबू सावरी" की तरह है - जम्बू सावरी कुंठित और विकृत तत्वों के शोर के बीच शानदार ढंग से मार्च करना जारी रखेगा।

मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के दूरदर्शी और नेक नेतृत्व में भारत का बेहतर और आत्मविश्वासपूर्ण कल की ओर आगे बढ़ना तय है, चाहे ये निराश, असंतुष्ट और विकृत कांग्रेस और वामपंथी नेता कितना भी चिल्लाएं।

35* **एडवोकेट जॉएस जॉर्ज (इडुक्की):** मेरा मानना है कि यह हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि हम अपने सभी लोकाचार और मूल्यों के साथ अपने संविधान की रक्षा और संरक्षण करें जैसा कि 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाए जाने पर हमने इसे स्वयं को दे दिया था, हालांकि इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। हमारे संविधान की मूल संरचना अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष और प्रकृति में बहुलवादी है जो लंबे समय तक चली परंपरा, असहिष्णुता की हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। हम विपरीत विचारों, भिन्न विचारों, विश्वासों आदि के प्रति असहिष्णु रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हाल ही में घटी कुछ घटनाओं से यह सामने आया है कि हमने सहिष्णुता की अवधारणा को त्याग दिया है और असहिष्णुता को अपना लिया है। इसलिए, जिस धर्म, संप्रदाय, जाति से हम जुड़े हैं, उसकी परवाह किए बिना हमारे संविधान के मूल ताने-बाने पर हमला करने का हर प्रयास हमारे स्वयं के हित के लिए हानिकारक है।

हालांकि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को हमारे संविधान की मूल संरचना के रूप में बनाया गया है, जो इस प्रकार है:

"चेतन और स्वतंत्र पेशे की स्वतंत्रता, धर्म का अभ्यास और प्रचार: सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी व्यक्ति समान रूप से जागरूक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र रूप से अभ्यास और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं। "

अनुच्छेद 26 धर्म मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास और धर्म को चुनने या न चुनने का अपरिहार्य अधिकार दिया गया है। यह व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार है। संविधान की मूल संरचना धर्म से समान दूरी है, न कि संप्रदायों से, जैसा कि हमारे समाज के बहुलवादी चरित्र के खिलाफ व्याख्या की गई है।

35* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

धार्मिक और भाषाई दोनों तरह के अल्पसंख्यकों के अधिकार को भी संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में परिभाषित और संरक्षित किया गया है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने से राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित होगी एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में सुरक्षित किया जा सकता है क्योंकि उपेक्षित और असंतुष्ट भावना सामाजिक असंतोष को जन्म देगी और अंततः अराजकता में बदल जाएगी। संविधान के भाग 3 के तहत प्रदान किए गए सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से संविधान एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के हितों की भी रक्षा कर रहा है।

हमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की तुलना में समाजवाद के लिए कोई अन्य बेहतर परिभाषा नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21, गरिमा के साथ जीने का अधिकार। यह क्या कहता है, यह समाजवाद के अलावा कुछ नहीं है। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने के लिए 42वें संशोधन हमारे संविधान की बुनियादी संरचनाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बहाल करने के अलावा और कुछ नहीं है और इसे हमारे राष्ट्र के अस्तित्व के दौरान बदला नहीं जा सकता है।

अब बुद्धिजीवी वर्ग लोगों की असुरक्षा की भावना को व्यक्त करते हुए सरकार द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों और सम्मानों को वापस कर रहा है, ताकि सरकार को यह संदेश दिया जा सके कि देश के एक बड़े वर्ग में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। हर एक हिंसक घटना जैसे कि एक गरीब व्यक्ति की सिर्फ इस अफवाह पर हत्या कर दी गई कि उसके घर में गौमांस रखा गया है। हमें विकास के उँचे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता नहीं करेगी। असहिष्णुता से उत्पन्न ऐसी घटनाएं राष्ट्र के विकास को बाधित करेंगी। यदि सत्तारूढ़ पक्ष वास्तव में देश के विकास और कल्याण में रुचि रखता है, तो ऐसी असहिष्णु घटनाओं की कड़ी निंदा होनी चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।

इसलिए, मैं सरकार से असहिष्णुता से उत्पन्न होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय होने का आग्रह करता हूँ।

36* श्रीमती कोठपल्ली गीता (अराकु) : भारत विशाल विविधता का देश है और भारत के लोग पिछले कुछ दशकों से बहुत सद्भाव और विविधता में एकता के साथ रह रहे हैं। भारत की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से भारत को एक देश, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। हमारे यहां विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोग हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष विचारों के लिए अनुकरणीय माना जाता था, हालाँकि देश में धार्मिक असहिष्णुता की कुछ घटनाएँ देखने को मिली थीं।

भारत, वह भूमि जिसने चार धर्मों को जन्म दिया और अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति दोनों को निहित किया, पिछले कुछ हफ्तों से एक जिज्ञासु बहस चल रही है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र असहिष्णु राष्ट्र बन गया है?

यह वह सवाल है जो पिछले एक साल से भारतीयों के मन में है। हमारे देश की घटनाओं ने उदारवादी लोगों को सरकार पर सवाल उठाने और उन्हें कठघरे में खड़ा करने के लिए प्रेरित किया है, जिस तरह से वे पिछले डेढ़ साल में नहीं कर सके। हालिया हिंसक कृत्यों ने निश्चित रूप से उदारवादियों को असहिष्णुता के चलन के बारे में बातचीत करने के लिए आवश्यक हथियार दे दिए हैं। जब ऐसा होता है कि सरकार द्वारा गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के बाद एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इससे हमें उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका मिलता है जो आस्था का उपयोग करके देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। वेब ने लोगों तक पहुंचने का एक साधन दिया है।

खैर, मोदी जी के चुने जाने से पहले निश्चित रूप से धार्मिक असहिष्णुता की कोई कमी नहीं थी - उदाहरण के लिए, 2013 में धार्मिक दंगों में 82 लोग मारे गए। दूसरी ओर, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने हाल ही में बताया कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस साल के पहले पांच महीनों में "सांप्रदायिक हिंसा" की 287 घटनाएं हुईं, जब मोदी की बीजेपी पार्टी सत्ता में थी। पिछले वर्ष की इसी अवधि में, 232 घटनाएं हुई थीं।

36* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत की विशाल बहुसंख्यक जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया क्योंकि उसने उन्हें विकास और भ्रष्टाचार से मुक्ति का आश्वासन दिया था। उसने यह वादा किया था कि वह भारत को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी, ताकि हमारा देश विश्व की महाशक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। यही वे समर्थक हैं जो आज भारत को घेरे हुए अनेक संकटों को देखकर निराश महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह सब केवल परिस्थितिजन्य है, जबकि अन्य इसे पूरी तरह तथाकथित 'कट्टरपंथी तत्व' की जिम्मेदारी मानते हैं। उनके अनुसार यह सब एक कांग्रेस/छद्म धर्मनिरपेक्ष/वामपंथी/बुद्धिजीवी/राष्ट्रविरोधी/अतिहिंदू साजिश है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी और उनके द्वारा प्रस्तुत भारत के विकासशील मार्ग को बाधित करना है।

इसकी व्याख्या करते समय यह समझना आवश्यक है कि भारत में दो प्रकार के कानून समानांतर रूप से अस्तित्व में हैं — एक है धरती का कानून, और दूसरा है धरती में व्याप्त कानून। धरती का कानून वह धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत और आदर्श हैं, जो भारत के संविधान में निहित हैं और जिन्हें देश की प्रत्येक सरकार को पालन करना अनिवार्य है।

वर्तमान समय में जो भी हो, भारत की जनता को भाजपा और भारत सरकार पर भरोसा है कि वह मानव अस्तित्व के लिए खतरा बनी असामाजिक ताकतों पर अंकुश लगाएगी। हम पिछली शताब्दियों से सह-अस्तित्व में रहे हैं और भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों के लिए काफी उदार रहा है। अन्यथा इतने सारे धर्म भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते।

भारत सरकार और गृह विभाग को इस असहिष्णु रवैये पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। हालाँकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और बुद्धिजीवी असहिष्णुता के रवैये को बहुत आक्रामक मान रहे हैं, केंद्र को इस रवैये पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। संपूर्ण देश एक है और अन्य सभी कारक राष्ट्र से ऊपर हैं। समग्र रूप से राष्ट्र की पहचान और संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश की रक्षा की जानी चाहिए और देश के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को विघटित करने वाली ताकतों से देश की रक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी पर दृढ़ विश्वास व्यक्त करती हूँ कि वह निश्चित रूप से इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे, देश को एक महाशक्ति के रूप में आगे ले जाएंगे और इस महान राष्ट्र के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उचित सुरक्षा प्रदान करके संवैधानिक गरिमा को बनाए रखना।

[हिन्दी]

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम) : अध्यक्ष महोदया, मुझे पता है कि समय कम है, इसलिए जो बातें हो चुकी हैं, उसे मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। बहुत सारी बातें और बहुत सारे उदाहरण इस सदन में रखे जा चुके हैं, जिन्हें मैं भी आपके सामने रखना चाहता था। इसके बजाय मैं गृह मंत्री जी के निवेदन का मान रखना चाहता हूँ और सरकार को यह समस्या सुलझाने के लिए कुछ उचित सुझाव देना चाहता हूँ।

[अनुवाद] मेरा प्रमुख सुझाव है कि सरकार अपने नारों को गंभीरता से लेना शुरू करे और भारत को पहले रखे। भारत की महान ताकत, और हमारी अधिकांश सॉफ्ट पावर का स्रोत, जिसके बारे में हम इतनी बात करते हैं, और दुनिया में हमें जो सम्मान प्राप्त है, वह हमारे मजबूत लोकतंत्र के साथ-साथ सभ्यतागत बहुलवाद की हमारी विरासत है। भारतीय साहसिक कार्य विभिन्न धर्मों, भाषाओं, नस्लों, मान्यताओं के मनुष्यों द्वारा एक साथ मिलकर समान सपने देखना है।

आज मुझे यहां तिरुवनन्तपुरम का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है, जहां एक स्थान, पलायम स्क्वायर पर, आप पलायम मस्जिद देख सकते हैं, इसके विकर्ण पर सेंट जोसेफ कैथेड्रल है और उनके बीच राज्य के सबसे पुराने गणपति मंदिरों में से एक है। और उपासक तीनों में एकत्रित होते हैं, खुशी-खुशी एक-दूसरे के विशेष दिनों का जश्न मनाते हैं।

पिछले 70 वर्षों में हमारा लोकतंत्र इस विचार पर बना है कि एक राष्ट्र जाति, पंथ, रंग, विश्वास, भोजन, रीति-रिवाजों और वेशभूषा के मतभेदों का जश्न मना सकता है और फिर भी आम सहमति के आसपास एकजुट हो सकता है। और यह सर्वसम्मति सरल लोकतांत्रिक विचार पर है कि आपको हर समय सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक आप असहमत होने के बुनियादी नियमों पर सहमत होंगे।

उन बुनियादी नियमों में से एक अंतर के प्रति सम्मान है - न केवल सम्मान, बल्कि जैसा कि स्वामी विवेकानन्द ने बहुत ही यादगार ढंग से कहा है, अंतर की 'स्वीकृति'। यह विविधता को भारत में हमारी ताकत का स्रोत बनाता है न कि कमजोरी का और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह भिन्नता के हमारे विचार को

बनाए रखे और इसे कमजोर करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करे। मैं सरकार से भारत के इस विचार को कायम रखने की विनती करता हूँ।

आज हमारे राष्ट्रपति जी ने हमें याद दिलाया कि [हिन्दी] स्वच्छ भारत दिमाग में शुरू होता है। गंदगी कुछ लोगों के मन से हटानी पड़ती है। [अनुवाद] आज हमें शर्म महसूस होती है जब विदेशी समाचार पत्रों में हमारे देश में बढ़ती असहिष्णुता की खबरें प्रकाशित होती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, विदेशों में यह धारणा पहले ही घर कर चुकी है कि भारत प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा शासित है जो अल्पसंख्यकों, तर्कवादियों और उदारवादियों को उनके स्थान पर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे हमारी विश्व छवि को अपूरणीय क्षति हो रही है। केरल विधानसभा में गौमांस की जांच ठीक उसी दिन हुई जब अफ्रीका के 50 राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें से हर एक गौमांस का सेवन करता है, इस शहर, दिल्ली में मौजूद थे। एक मेजबान देश के रूप में हमारे असहिष्णु व्यवहार को लेकर उन्होंने क्या सोचा होगा?

यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित कर रहा है। मेरा एक बांग्लादेशी मित्र उस सप्ताह दिल्ली का दौरा कर रहा था और उसने मुझे बताया कि उसके देश में इस्लामी कट्टरपंथी भारत पर हमला करने की फिराक में थे, क्योंकि वहां मुस्लिमों की तुलना में गाय रहना अधिक सुरक्षित है। इसका सरकार के अपने एजेंडे पर व्यापक असर पड़ा है। हम एक साथ खुद को दुनिया के सामने नहीं बेच सकते। ... (व्यवधान) हम देश के भीतर असहिष्णुता, सांप्रदायिक घृणा और अल्पसंख्यक असुरक्षा को बढ़ावा देते हुए खुद को बहुलवाद, सहिष्णुता और गांधीवाद की भूमि के रूप में दुनिया को नहीं बेच सकते। सरकार को पता होना चाहिए कि आप विदेश में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा नहीं दे सकते, जबकि घर पर 'भारत में नफरत' को नजरअंदाज कर सकते हैं।

[हिन्दी] मैं गृह मंत्री जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक संदेश देना चाहता हूँ, डरिए मत, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। 2014 के चुनाव से पहले हम सबने माननीय नरेन्द्र मोदी जी का एक अलग रूप देखा था। पटना के गांधी मैदान में जब माननीय मोदी जी तीन-चार लाख लोगों की रैली को संबोधित कर रहे थे, तब वहां बम फटा था। हमें बाद में पता चला कि इस बम विस्फोट में छः लोगों की जानें गई थी और 80

लोग घायल हो गए थे। उन्होंने तब भी शांति से अपना भाषण जारी रखा और इस कारण किसी को पता भी नहीं चला कि भीड़ के बीचों बीच क्या हो रहा था। दर्शकों के लिए उनका प्रमुख संदेश आशावादी था - हिंदुओं के पास एक सरल विकल्प है या तो वे गरीबी से लड़ें या मुसलमानों से। इस स्थिति में एक शांतिर नेता यह भी कह सकते थे कि उनके विरोधियों ने या किसी कम्युनिटी के आतंकवादी ने उनकी रैली खराब करने की कोशिश की है। लेकिन माननीय मोदी को पता था कि ऐसा करने से एक सांप्रदायिक झगड़ा शुरू हो सकता था जिसमें बेगुनाह मारे जा सकते थे। रैली के अंत में माननीय मोदी जी ने लोगों को शांतिपूर्वक घर जाने की सलाह दी ताकि स्टेम्पीड न हो और सब सही सलामत घर पहुंचें। माननीय मोदी जी ने इस बांटने वाले प्रलोभन का फायदा नहीं उठाया। उसा नरेन्द्र मोदी जी को क्या हुआ है? उनकी आवाज कहां खो गई है? प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या वह सबको साथ लेकर चलने वाली रणनीति को भूल गए हैं? उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पोलिटिकल पोलराइजेशन की शर्मनाक नीतियों को लागू कर रहे हैं लेकिन वह चुप हैं। यह ऐसे बम हैं जो भारत की सोच का विनाश कर रहे हैं फिर भी वे चुप हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शशि थरूर जी, आप कम्पलीट करें, नहीं तो आपके नेता को समय नहीं मिलेगा।

डॉ. शशि थरूर : मैं सबको इकबाल साहब के दो लफ्ज याद दिलाना चाहता हूं।

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

हिन्दी हैं हम, हिन्दी हैं हम, हिन्दी हैं हम

वतन है हिंदोस्तां हमारा।

^{37*} **श्री भैरों प्रसाद मिश्रा (बांदा) :** हमारा देश हमेशा से सहिष्णु रहा है। हमेशा हर धर्म व मजहब का सम्मान किया है। भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ वास्तव में हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज को समान नागरिकों के आतिरिक्त उनके शरीयत के हिसाब से कुछ विशेष अधिकार तक प्राप्त है लेकिन सर्व समाज ने देश के कानून के हिसाब से उसे भी स्वीकार किया है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ विशेष अधिकार के लोगों को प्राप्त हैं जिसे देश के अन्य प्रान्त के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है। लेकिन राजनीति के तहत कुछ लोग इस तरह की बातों को हवा देने का व अफवाह फैलाने का कार्य हमेशा करते आए हैं और वर्तमान में कर रहे हैं। चुनाव के समय तो इसके शुरुआत से ही इस तरह की बातें सुनियोजित रूप से कुछ लोग जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को विचारधारा से जुड़े हैं, प्रचारित करने का कार्य करते हैं और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने का कार्य कराते हैं जिससे देशवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे देश को पुरातन संस्कृति हमको सर्व धर्म समभाव का संदेश हमेशा देती आयी है। हमारी संस्कृति पर विदेशी आक्रमणकारियों ने कई हमले किए लेकिन हमारे देश का सिद्धान्त एवं निष्ठा अक्षुण्ण रही हैं। यही हमारे देश की विशेषता है। आज संसद के अंदर भी इन गंभीर विषयों पर बहस को भी अपनी राजनीतिक योजना व लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि चिन्ताजनक है। इस पर सभी को विचार करने व सुधार करने की आवश्यकता है। देश में विभिन्न प्रदेशों में भी कुछ राजनीतिक दल विशेष कर क्षेत्रीय दल व अपने को समाज विशेष का नेता दिखाने व उनका राजनीतिक उपयोग करने वाले लोग अपने बयानों व भाषणों से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। जिस पर रोक लगाने के प्रभावी उपाय की जरूरत है। इसके लिए कानूनी उपाय के साथ-साथ ऐसे लोगों की समाज द्वारा भी निन्दा करने व उनके भाषण व बयानों के दौरान उन पर ऐसा न करने का दबाव बनाना चाहिए जिससे ऐसी बातों पर अंकुश लग सकेगा। ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ धर्म परसमुदाय के लोगों को राजनीतिक कारणों से विशेष रियायत व सुविधा दी जाती है उससे भी अन्य वर्ग व समाज के अन्दर कुण्ठा पैदा होती है जो समय आने पर प्रकट होती है। अतः

^{37*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस पर भी ध्यान देकर सभी को बराबर सम्मान व अभिनंदन का बराबर अवसर सरकारी स्तर पर चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार, देना चाहिए। जिससे असहिष्णुता को काबू में रखने में मदद मिलेगी।

38* श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : मेरी राय में ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हम सभी देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में के बारे में विचार व्यक्त कर रहे हैं। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमें गरीबी को मिटाना है, हमें जनसंख्या वृद्धि दर को भी कम करना है, हमें अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सही तरह से हो ये भी सुनिश्चित करना है। हमें देश की आर्थिक स्थिति को वैश्वीकरण की मार से भी बचाना है। हमें देश की सामाजिक संरचना के ताने-बाने को जोकि हमारी संस्कृति के अंधाधुंध पश्चिमीकरण की मार के कारण अस्त-व्यस्त हो गई है, को भी वापस पुनर्जीवित करना है। हमें अपने देशवासियों के लिए उच्च स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना है। आतंकवाद, आशिक्षा, प्राकृतिक आपदा और न जाने ऐसी कितनी ही समस्याएं हैं जिनसे हमारा देश आए दिन दो-चार होता रहता है।

पिछले दिनों हमने सदन में भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता विषय पर चर्चा की थी और इस देश का संविधान ही इस देश के हर नागरिक को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश में कोई भी कुछ भी कहीं भी बोल देगा। मैं मानता हूँ कि 125 करोड़ लोगों के इस देश में बहुत ही विविधता है, बहुत से धर्म हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, यहाँ तक कि हर 100 मील के दायरे में रीति-रिवाज बदल जाते हैं और ये सभी बातें प्रत्येक नागरिक के मत में भिन्नता लाती है अगर किसी नागरिक का किसी भी विषय पर कोई रुख है तो उसे दूसरों के ऊपर थोपने के बजाए उस मत को अपने तक ही रखना चाहिए।

38* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं देश के बुद्धिजीवी वर्ग से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए कोई भी ऐसा कार्य न करे अथवा बयान न दे जिससे इस देश की एकता और अखंडता पर कोई आंच आए साथ ही, अपने दैनिक कर्तव्य निर्वहन के समय इस बात का खयाल रखें कि देश में जातिवाद एवं धार्मिक उन्माद न फैले।

मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम संभव प्रयास कर रही और भविष्य में भी करती रहेगी।

^{39*} **डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़)** : असहिष्णुता के विषय को लेकर सदन में जो चर्चा हो रही है, सारा देश इस चर्चा को उत्सुकता से सुन रहा है एवं देख रहा है। राजनैतिक स्वार्थता के चलते बहस को जो स्वरूप दिया जा रहा है, उससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मन आहत हो रहा है क्योंकि अपने इर्द-गिर्द घटने वाली घटनाओं को जब समाज देखता है एवं उन घटनाओं के प्रति राजनैतिक दलों के नेताओं में समाज को बांटकर महत्वपूर्ण घटनाओं को अनदेखा किया जाता है तब देश का बहुसंख्यक समाज इस बात को सोचने के लिए विवश हो जाता है कि उनकी नियति क्या केवल अन्याय को सहन करने एवं दूसरे लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए ही है। क्या बाकी अन्य लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं एवं स्थलों का आदर नहीं करना चाहिए?

कश्मीर घाटी के पंडित जो अपने ही देश के विभिन्न हिस्सों में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हैं जब वहां अन्याय एवं आतंक का दौर चला जिस कारण उन्हें वहां से निवारित होकर देश के अन्य राज्यों में जाना पड़ा, इस असहिष्णुता के विरुद्ध देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार, रंगमंच के कलाकर तब भी चुप थे और आज भी चुप हैं।

मुजफ्फनगर की घटनाओं के प्रति भी ऐसा ही एकांगी दृश्य देखने को मिला। केरल में छात्रों के सामने उनके शिक्षक की निर्मम हत्या कर दी गयी तब साहित्यकार एवं पत्रकार असहिष्णुता के विरुद्ध खड़े क्यों नहीं हुए?

देश आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में विकास की ओर बढ़ रहा है। सारी दुनिया में भारत को आज सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है और ऐसी स्थिति में जब कोई राजनेता इस तरह का वक्तव्य देता है कि हिंदुस्तान की सारी फौज भी आतंक को समाप्त नहीं कर सकती है तो यह हमारे देश की सेना का मनोबल तोड़ने

^{39*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की बात नहीं होती है? वहीं भारत को कमजोर करने का भी भाव सामने आता है। कोई भी देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए इस तरह का भाव व्यक्त नहीं कर सकता।

हमने सद्भाव बनाने के लिए अतीत में बहुत कुछ खोया है। हमने पूर्वी पाकिस्तान को खोया है। बंगाल के टुकड़े कर हमने जमीन तो टुकड़ों में बांट दी, लेकिन आज लोग अपनी जमीन, मकान छोड़कर यहां आ गए हैं। उनका लगाव उस भूमि से भावनात्मक रूप से कैसे खत्म हो सकता है?

हमने सिंध और पंजाब को खोकर पाकिस्तान तो बना दिया लेकिन जो लोग वहां से यहां आकर अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने के लिए मजबूर हुए, उनके पुरखों की स्मृति को उनके मकानों एवं जमीनों से जुड़ी हुई यादों को पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को कैसे भुलाया जा सकता है?

हमारे देश में आज भी बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से जो लोग यहां पर तीर्थ यात्रा करने आते हैं उनके दिलों में चाहे अजमेर शरीफ जाना हो चाहे हज़रत निजामुद्दीन की मज़ार पर जाना हो, हिन्दुस्तान आने पर किसी तरह का भय नहीं होता। [अनुवाद] लेकिन, हिन्दुस्तान से कोई भी व्यक्ति निर्भयता के साथ बांग्लादेश एवं पाकिस्तान में अपने धार्मिक स्थलों का दर्शन करने निर्भय होकर जाने की कल्पना भी नहीं कर पाता है।

असहिष्णुता की बात करने वाले पत्रकार, लेखक, साहित्यकार उस समय चुप क्यों रह जाते हैं जब श्रीनगर में पाकिस्तान के झंडे लहराये जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। असहिष्णुता की बात करने वालों से पूछा जाए कि सीमापार से आतंकवाद यहां लाकर उनको संरक्षण देने वाले लोग या उनका साथ देने वाले लोग क्या राष्ट्र भक्त हो सकते हैं, सहिष्णु हो सकते हैं?

इस देश की संस्कृति सदियों से सहिष्णु रही है। हमारे धर्म गुरुओं ने अपने ज्ञान एवं उपासना से विश्व के अनेक राष्ट्रों में भारत का अनुयायी बनने की परंपरा को बढ़ाया है। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी इत्यादि ने आहिंसा के मार्ग पर चलकर विश्व बंधुत्व एवं विश्व कल्याण के दर्शन को आगे बढ़ाया है। हमारे दर्शन एवं संस्कृति में कभी भी तलवार की नोक पर जबरन धार्मिक परिवर्तन करके असहिष्णुता के मार्ग को अपनाने का कोई स्थान नहीं रहा है। यह सोच दूसरे राष्ट्रों से आए हमलावरों की रही है जो आज भी हमारे देश

के शांतिप्रिय माहौल में आतंकवाद, उग्रवाद एवं नक्सलवाद द्वारा देश में हिंसा एवं असहिष्णुता का वातावरण फैला रहे हैं।

आज सारे विश्व में घटित होन वाली घटनायें इस असहिष्णुता के विरुद्ध एक हो रही हैं। भारत भी छद्म धर्म निरपेक्षवादियों के कोरे एवं झूठे वातावरण के बाहर आना चाहता है। देश की जनता ऐसे साहित्यकारों, रचनाकारों, पत्रकारों, वैज्ञानिकों से जो अवार्ड लौटाकर विश्व के मानचित्र पर भारत को कमजोर करने का रच रहे हैं, के खिलाफ एकजुट हो रही है। लोग भारत को मजबूत देखना चाहते हैं। पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ देखना चाहते हैं जहां स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषियों ने अपनी धार्मिक एवं बौद्धिक प्रभा से संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शित किया था।

आज इस बात का संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपनी व्यक्तिगत राजनैतिक सोच से ऊपर उठकर अपनी सोच को व्यापक बनाते हुए हमारे देश की जो सहिष्णुता है, संस्कृति है, उदारता है, विशालता है, आतिथि देवो भवः की परम्परा है, जहां खुद भूखे रहकर भी द्वार पर आए हुए व्यक्ति को भोजन कराया जाता है, उसका दर्शन हम दुनिया को कराए।

देश का बहुसंख्यक समाज अन्य धर्मावलंबियों का विरोधी नहीं है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। सभी ग्रंथों का आदर करते हैं। हमारी उपासना पद्धति अलग-अलग हो सकती है। किंतु हम सभी की सोच होनी चाहिए कि हमारा देश बड़ा है। देश को आगे बढ़ना चाहिए। देश का विकास होना चाहिए।

जब ईद आती है, हम अपने मुस्लिम भाईयों से गले मिलकर ईद की मुबारकवाद देते हैं। हम बड़े दिन पर ईसाई समाज के बंधुओं की खुशियों में शामिल होते हैं। जिस दिन दीवाली के दीये अल्पसंख्यक समाज के घरों में जलने लगेंगे, रक्षाबंधन की राखी ईसाई समाज की बहनें भी बांधने लगेंगी, देश में सहिष्णुता अपने आप आ जाएगी। उसके लिए कोई भाषण या सेमिनार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

40* श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : “सहिष्णुता या असहिष्णुता“ एक ऐसी बहस है जो सिर्फ धर्म को आधार बनाकर चलाई जा रही है हमें कहीं ठहर कर सोचना होगा कि यह देश भारत हजारों वर्षों से सहिष्णु रहा है। यहां इस्लाम आया, ईसाई धर्म आया, पारसी धर्म आया, यहूदी धर्म आया, बहावी धर्म आया, सूफी परंपराओं ने स्थान बनाया। सारी दुनिया के विचारों ने इस आंगन में अपना मुकाम बनाया फिर भी हम ही में से कुछ लोग आरोप-प्रत्यारोपों से इस महान सहिष्णु देश को असहिष्णु बताते हैं, कहीं विचार करें। सहिष्णु भारत ने 1947 के अप्राकृतिक विभाजन को स्वीकार किया। धर्म आधारित विभाजन में असहिष्णु मानसिकता ने 22 प्रतिशत आबादी को 30 प्रतिशत हिस्सा दिया और 30 प्रतिशत हिस्से में कोई अन्य धर्मावलंबी ठहर नहीं पाए ऐसे तमाम दुष्कृत्य वर्षों होते रहे। डॉ. अम्बेडकर ने अप्रसन्नता जाहिर की बलात् धर्म परिवर्तन पर दुखी मन से वक्तव्य दिए मगर कौन सुनता? खन अब्दुल गफ्फार खान “सीमांत गांधी“ की भारत के साथ हरने की अपील ठुकराई गई। 1947 देश विभाजन के बाद बच्चों की शिक्षा व कल्याण मूल उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं किए क्योंकि बच्चे सहिष्णु होते हैं। असहिष्णु नेताओं ने बच्चों का कल्याण भुला दिया। विकास के बड़े मॉडल गरीबी हटाओं के नारे दिखावे व भाषणों में रहे, सहिष्णु कृषकों व महिलाओं के कल्याण की योजनाएं असहिष्णुता की भेंट चढ़ गई। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहिष्णु लोगों के हाथों के नारे बने और परिणाम समाज ने सहिष्णु नेतृत्वों को ठुकरा कर असहिष्णु नेताओं को अपना नेतृत्व दिया। यह ऐसा दिखावा था जहां सुभाष बोस, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, वीर सावरकर, जय प्रकाश नारायण जैसे सहिष्णु नामों को भुलाकर देश ने असहिष्णु नेतृत्व की प्रतिष्ठा देश में की। जो नेतृत्व भारत को भारतीय नज़रिए से देख रहे हैं, जिनके कारण से देश दुनिया में प्रतिष्ठा मिल रही है, जो कि विकास की नई कहानी कह रहे हैं, उन्हें हम असहिष्णु कह रहे हैं। 4 जून, 1949 को देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों को पत्र लिखा असहिष्णुता निश्चित तौर पर अवसरवादियों को अपनी तरफ खींचती है लेकिन इसके काम करने का ढर्रा ऐसा है कि यह नैतिकता के किसी भी मानक से और

40* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत की किसी तरह की भलाई से दूर हो जाता है, इसकी सोच अलग है, इन्हें बल प्रयोग से हटाया नहीं जा सकता, यह काम करने की क्षमता से पराजित होंगे। जो नेहरू ने कहा- वह उनके असहिष्णु अनुयायियों ने नहीं माना, परिणाम 1975, 1984 या देश भर में आज भी अराजकता की स्थिति, तथाकथित प्रगतिशील लेखकों ने अपने संगठित असहिष्णुता का परिचय पुरस्कार लौटाने से किया। आइए, इन तथाकथित प्रगतिशीलों के सामूहिक असहिष्णु व्यवहार को देश के सामने लाने का प्रयास करना ही सही मायनों में सहिष्णुता का सामूहिक परिचय होगा और जो नेहरू के तथाकथित अनुयायी हैं उनकी असहिष्णु प्रगतिशीलता, असहिष्णु-जातिवाद, असहिष्णु-विचारों को छोड़कर राष्ट्रवाद की प्रगाढ़ता ही प्राचीन सहिष्णु भारत को बल प्रदान करेगा।

41* श्री आलोक संजर (भोपाल) : धर्म को आधार बनाकर हम 'सहिष्णु है या असहिष्णु' विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्या हम विचार कर रहे हैं कि हमारा देश हजारों वर्षों से सहिष्णु है और सहिष्णु ही रहेगा। क्योंकि यह हमारे संस्कारों में है। देश में मुगल आये, इसाई आये, पारसी भी आये, यहूदी भी आये। यहां लूटपाट भी की, लेकिन सबको स्वीकार कर विश्व में अपना स्थान आज भी बनाकर रखा है, पहचान बनाकर रखी है। आज असहिष्णुता पर हम चर्चा कर रहे हैं, देश-विदेश में चर्चा को सुना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस विषय को जान-बूझकर जीवित किया जा रहा है ताकि राजनैतिक लाभ उठाकर भविष्य में सत्ता की भूख को शांत किया जा सके। आज कुछ लोग महान सहिष्णु देश को असहिष्णु बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको वर्ष 1947 को याद करना चाहिए। देश के विभाजन को भी याद करना चाहिए। धर्म आधारित विभाजन के जख्मों के निशान नहीं मिटे हैं, विभाजित पड़ोसी राष्ट्र के रहवासी आज भी परेशान है। संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर, खान अब्दुल गफ्फार खान ने धर्म आधारित विभाजन पर अप्रसन्नता जताई लेकिन तत्कालीन व्यक्तिगत स्वार्थों ने उनकी सहिष्णुता को तुकरा दिया था।

यहां प्रश्न किसी एक धर्म का नहीं है। यहां सवाल है उस मानसिकता से, जो देश को देश नहीं मानता है। स्वयं के स्वार्थ देश के ऊपर रखकर व्यक्तिगत लाभ के लिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उन तथाकथित सहिष्णु सज्जनों से कि आप आने वाले भविष्य को क्या सौंपकर जाना चाहते हैं? हम कब तक इस फिजूल की बातें करके धर्म आधारित विषय को बार-बार जातियता में भिगोते रहेंगे। आज पहली बार देश को लगा कि विकास के कार्यों के माध्यम से राजनीति नहीं सेवानीति को अपनाया जाएगा, लेकिन कुछ नकारात्मकता को मन मस्तिष्क में लेकर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां मोदी जी के नेतृत्व वाली देश की सरकार समूचे विश्व में भारत की साख बढ़ाने को अग्रसर है, वहीं तथाकथित नेता अपनी साख गिरने से बहुत परेशान है। जहां विश्व श्री मोदी जी की योजनाओं, विचारों व विकास की प्रतिबद्धता के पीछे खड़ा है वहीं कुछ लोग राजनैतिक लाभ व वोटों की राजनीति के कारण प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की लोकप्रियता के पीछे

41* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पड़े हैं। कहावत है असली सिक्का बाजार में आये तो सबसे ज्यादा परेशानी नकली सिक्कों को होती है। यह देश स्पष्ट देख रहा है। झूठ को मसाला लगाकर, चाशनी लपेटकर परोसने का कुप्रयास इस बहस में किया जा रहा है। यदि आंकड़ों को हम देखें तो आईना साफ दिखेगा। देश में श्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के आने के बाद देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं। एक भी बड़ी घटना का नहीं घटना ही सरकार की सक्रियता का कारण ही माना जा सकता है।

यह भी दुर्भाग्य है कि देश के ख्याति नाम पुरुस्कृत 1200 में से मात्र 40 लोगों ने सम्मान वापस लौटाया। जानबूझकर साजिश के तहत यह उठाया कदम निश्चित ही देश की ख्याति में बाधक बना। देश ने जिसको नाम दिया, प्यार दिया, हाथों-हाथ लिया, किंतु उस फिल्म कलाकार ने अपनी पत्नी का नाम लेकर देश छोड़ने की बात को कहकर सनसनी फैलाकर, स्वयं को चर्चा में जीवित रखने का कुप्रयास किया है। जिसे देश ने सिरे से खारिज भी किया। सोशल मीडिया में इस तरह के लोगों पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हुआ है। तथाकथित लोगों के द्वारा विषय को बहस का मुद्दा बनाया गया। जब आंकड़ों को खंगाला गया तब दूध और पानी का पानी हो गया।

गृह मंत्रालय को मिले सभी राज्यों से मिले आंकड़ों के अनुसार जब से सरकार बनी है, कुछ छोटी-छोटी घटनाएं अवश्य घटी, लेकिन हताहतों की संख्या 5 से ज्यादा नहीं हैं और न ही आधिक लोग घायल हुए हैं। यूपीए सरकार के शासन काल में 2010 में सांप्रदायिक हिंसा की 700 से अधिक घटनाएं घटी थीं। वर्ष 2011 में 580 से अधिक हिंसक घटनाएं घटी थीं। वर्ष 2012 में 650 से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। वर्ष 2013 में 800 से अधिक सांप्रदायिक घटनाओं में 133 लोग मारे गए थे तथा 2200 से अधिक घायल हुए थे। लेकिन मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं कि जब श्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है तब से कुछ लोग बहुत विचलित हो रहे हैं। असहिष्णुता के नाम पर सिर्फ शोर बढ़ा है लेकिन यह शोर करने वाले भी जानते हैं कि देश में एनडीए की सरकार बनने के बाद सांप्रदायिक घटनाएं घटी हैं, कम हुई हैं।

आज आवश्यकता है कि असहिष्णुता विषय पर राजनीति न करते हुए, सकारात्मक कदमों के साथ, देश व उसके नागरिकों के विकास की चिंता करें।

[अनुवाद]

प्रो. सुगाता बोस (जादवपुर): माननीया अध्यक्ष महोदया, "असहिष्णुता" शब्द मात्र एक सौम्य अभिव्यक्ति है उस अविवेक, अन्याय और अमानवीयता की लहर की, जो पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में फैल चुकी है।

रे मित्र श्री वेणुगोपाल पहले ही उन घटनाओं की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत कर चुके हैं, अतः मैं उस सूची की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। आज जब हमारे देश के सामने गंभीर चुनौतियाँ हैं, तो इस लोक सभा—जनता के सदन—से एक सशक्त संदेश जाना चाहिए कि विवेक (अक्ल) ही हमारा एकमात्र दीपक होगा, न्याय (इंसाफ़) हमारी एकमात्र आराधना और मानवता (इंसानियत) हमारा एकमात्र धर्म। जब अल्पसंख्यकों को सत्ताधारी शक्तियों की ओर से बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है, तब डॉ. अम्बेडकर के उस ऐतिहासिक वक्तव्य को स्मरण करना प्रासंगिक है, जो उन्होंने 4 नवम्बर 1948 को संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए कहा था। मैं केवल उस ऐतिहासिक भाषण का एक सबसे महत्वपूर्ण वाक्य उद्धृत करूंगा—“यह बहुसंख्यकों का कर्तव्य है कि वे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न करें।”

'धर्मनिरपेक्षता' शब्द, इसके उपयोग या दुरुपयोग के बारे में राजनाथ सिंह जी की जो भी आपत्ति हो, क्या वह गृह मंत्री के रूप में कम से कम हमारे संविधान के निर्माता द्वारा हमें सौंपे गए इस कर्तव्य का पालन करेंगे। यदि हम वास्तव में अपने संविधान के प्रमुख लेखक को उनकी 125^{वें} जयंती पर सम्मानित करना चाहते हैं, तो आइए आज सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा करें कि हम अपनी इस महान भूमि में अपने अल्पसंख्यकों को कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं कराएंगे।

यदि माननीय अध्यक्ष ने इस विनम्र इतिहासकार को संविधान पर चर्चा में कुछ शब्द कहने की अनुमति दी होती, तो मैं संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा के बारे में कुछ कहता, जिसका उल्लेख हमारे गृह मंत्री ने अपने भाषण के अंत में किया था। डॉ. आंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का उल्लेख किया, जिसे यूनानी इतिहासकार ग्रोटे ने इस प्रकार परिभाषित किया था: ‘संविधान के रूपों के प्रति सर्वोच्च सम्मान,

जो उन रूपों के अंतर्गत और उनके भीतर कार्यरत अधिकारों के प्रति आज्ञाकारिता लागू करता है, फिर भी इसके साथ-साथ उन ही अधिकारियों की सभी सार्वजनिक क्रियाओं के संदर्भ में खुले विचार-विमर्श और निर्बाध आलोचना की आदत को भी बनाए रखता है।'

डॉ. अम्बेडकर ने हमें बताया कि संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। इसे विकसित करना होगा और लोगों को इसे सीखना होगा। उन्होंने इस विवाद को एक विवादास्पद प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा: "भारत में लोकतंत्र केवल भारतीय धरती पर दिखावा मात्र है, जो मूलतः अलोकतांत्रिक है।" आज के माहौल में, कौन जानता है, ऐसा कहने के लिए शायद कुछ लोग उन्हें देशद्रोही या देशद्रोही करार देंगे। लेकिन अगर हम एक परिपक्व लोकतंत्र हैं, तो हम उनकी टिप्पणी पर विचार करेंगे और उन रूपों और प्रक्रियाओं के सम्मान के रूप में संवैधानिक नैतिकता के मूल्य को अपनाएंगे जो हमें बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं और फिर मतभेदों, मतभेदों से ऊपर उठें जिन्हें गोट ने 'पार्टी प्रतियोगिता की कड़वाहट' के रूप में वर्णित या चित्रित किया है। इस लोक सभा को दलगत प्रतिस्पर्धा की कड़वाहट से ऊपर उठने की जरूरत है।

संविधान सभा की बहस के दौरान, जैरुल-हसन लारी ने बताया कि संवैधानिक नैतिकता एक ऐसा मूल्य है जिसे न केवल नागरिकों को बल्कि सरकार को भी सीखना चाहिए। संविधान में अंतर्निहित भावना, न कि केवल शब्द, को सरकार का मार्गदर्शन करना चाहिए। यह सरकार कब इस बात को समझेगी कि वह अपने समर्थकों की प्रशंसा की तुलना में अपने विरोधियों की आलोचना से कहीं अधिक सीख सकती है? मैं इस सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह हमारे सबसे प्रतिभाशाली विचारकों, लेखकों, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं के विचार को सुनें और जब भी वे अपनी चिंता या पीड़ा व्यक्त करें तो सोशल मीडिया पर उन पर अपना निशाना न लगाएँ। उन्हें हमारे अद्भुत बुद्धिजीवी कहकर उन पर व्यंग्य न करें।

बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, हम यह नहीं कह रहे हैं कि भारत असहिष्णु है। हम कह रहे हैं कि अनुयायी, समर्थक और यहां तक कि इस सरकार के कुछ सदस्य भी पूर्वाग्रह और कट्टरता का एक जहरीला रूप फैला रहे हैं। इस सरकार के नेता की ओर से अपराधियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से निंदा करने और अनुकरणीय

कार्रवाई करने से इनकार को संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा और मूल्य के साथ तालमेल से बाहर के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे कवि काजी नजरुल इस्लाम ने *हिंदू न उरा मुस्लिम ओई जिग्याशे कोन जान, कंडारी बालो डुबिछे मानुष सांतन मोर* गाया था। एक जहाज के कप्तान का कर्तव्य है कि वह संकट में फंसे अपने यात्रियों के साथ इंसानों के समान, माँ के बच्चों के समान व्यवहार करे।

माननीय अध्यक्ष महोदया, असहिष्णुता बुरी है, लेकिन सहनशीलता पर्याप्त नहीं है। मैं श्रीमती सुप्रिया सुले से सहमत हूँ : क्या हमें एक दूसरे को सहन करना चाहिए? नहीं, यह भारत के बारे में मेरा विचार नहीं है। हमें कुछ अधिक की उम्मीदें रखनी होंगी। हमें अपने विविध समुदायों के बीच सांस्कृतिक अंतरंगता, *सांस्कृतिक सान्निध्य* का मूल्य विकसित करना चाहिए। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक दर्शन की नींव थी। उन्होंने 1928 में ही महाराष्ट्र प्रांतीय सम्मेलन में कहा था, "लोकतंत्र किसी भी तरह से पश्चिमी संस्था नहीं है; यह एक मानवीय संस्था है।" वह स्वतंत्रता के बाद भारत का एक संघीय गणराज्य देखना चाहते थे। उन्होंने भारतवासियों को चेतावनी दी कि वे राजनीतिक लोकतांत्रिक और सामाजिक रूढ़िवादियों का संगम न बनें। उन्होंने एक लोकतांत्रिक समाज के आधार पर राजनीतिक लोकतंत्र के निर्माण के बारे में स्पष्ट शब्दों में बात की। उन्होंने न केवल दलित वर्गों, कामकाजी वर्गों बल्कि भारत की महिलाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि भारत में विभिन्न समुदाय बहुत विशिष्ट थे। 'कट्टरता सांस्कृतिक अंतरंगता के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा है,' उन्होंने अपने दर्शकों से कहा, 'और धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा से बेहतर कट्टरता का कोई इलाज नहीं है।' वह पहला अवसर था जब सुभाष चंद्र बोस ने 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का प्रयोग किया। उनके लिए, धर्मनिरपेक्षता धर्म या धार्मिक रूप से सूचित सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह भारत के विविध धार्मिक समुदायों के बीच सांस्कृतिक अंतरंगता, *सांस्कृतिक सान्निध्य* को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, कुछ दिन पहले, मैंने हमारे प्रधान मंत्री की सिंगापुर में नेताजी और भारतीय राष्ट्रीय सेना के महान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एक सुंदर तस्वीर देखी। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने

पिछले साल सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ये शहीद कौन थे? वे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सैनिक थे जो एक साथ युद्ध करने से पहले एक साथ भोजन करते थे, और उनका रक्त इम्फाल और कोहिमा के आसपास युद्ध के मैदानों में मिल रहा था ताकि भारत स्वतंत्र हो सके।

मूल शहीदों के स्मारक को माउंटबेटन की सेना ने तोड़ दिया था। सिंगापुर सरकार, बहुत उदारता से, 50 साल बाद वर्ष 1995 में एक नया स्मारक बनाया। उस आई.एन.ए. अधिकारी का क्या नाम था जिसने मूल शहीद स्मारक बनवाया था? उसका नाम सिरिल जॉन स्ट्रेसी था। वह एक अद्भुत ईसाई और आई.एन.ए. के एंग्लो-इंडियन अधिकारी थे और स्मारक पर आई.एन.ए. का आदर्श वाक्य 'इतमाद, इत्तेफाक, कुर्बानी' अंकित था।

16-17 जनवरी 2016 को हम, कोलकाता में, नेताजी के 'महानिष्क्रमण', यानी भारत से उनके महान पलायन की 75^{वें} वर्षगांठ मनाएंगे। शिशिर कुमार बोस ने उन्हें कोलकाता से बाहर निकाल दिया, लेकिन पेशावर में उनका स्वागत किसने किया? उनका नाम मियां अकबर शाह था, जो उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। यूरोप से एशिया तक की 90 दिनों की खतरनाक पनडुब्बी यात्रा में नेताजी के एकमात्र भारतीय साथी कौन थे? उसका नाम हैदराबाद डेक्कन का आबिद हसन था। भारत के उत्तर-पूर्व में लड़ने वाली आई.एन.ए. की पहली डिवीजन का कमांडर कौन था? उसका नाम मुहम्मद ज़मान कियानी था। वर्ष 1944 में इम्फाल के पास मोइरांग में भारतीय त्रिकोणीय रंग किसने फहराया? उनका नाम शौकत मलिक था। वर्ष 1945 में नेताजी की अंतिम उड़ान में उनके एकमात्र भारतीय साथी कौन थे? उसका नाम हबीबुर रहमान था। 70 साल पहले लाल किले पर ट्रायल पर रखे गए तीन अधिकारियों के नाम क्या थे? उनके नाम प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाह नवाज खान थे।

हमने संविधान की वर्षगांठ और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाई है। मुझे लगता है कि हमें लाल किला मुकदमे की 70^{वें} वर्षगांठ मनानी चाहिए जो 5 नवंबर 1945 को शुरू हुआ और 31 दिसंबर 1945 को

समाप्त हुआ, और इन तीन लोगों को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई, लेकिन अंग्रेज उस सजा को लागू नहीं कर सके उन दिनों, आपको याद होगा, माननीय अध्यक्ष महोदया,... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): नहीं, वह भी पैदा नहीं हुई थी।

प्रो. सुगाता बोस: या पुरानी पीढ़ी को निश्चित रूप से याद होगा कि एक नारा था: [हिन्दी] "लालकिले से आए आवाज सहगल, ढिल्लन, शाहनवाजा "

माननीय अध्यक्ष : हिस्ट्री में पढ़ते तो हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सुगाता बोस: महात्मा गांधी ने लाल किले में आई.एन.ए. कैदियों से मुलाकात की और उन्हें बताया गया कि आई.एन.ए. में वे पंथ या धर्म के किसी भी मतभेद को नहीं मानते हैं, लेकिन यहां अंग्रेज हमें हिंदू चाय और मुस्लिम चाय अलग से परोस रहे हैं। तो, महात्मा गांधी ने पूछा: "आप यह कष्ट क्यों सहते हैं?" और जवाब आया, "नहीं, हम नहीं। हम हिंदू चाय और मुस्लिम चाय को बिल्कुल आधा-आधा मिलाते हैं और फिर परोसते हैं। भोजन के साथ भी ऐसा ही है। हमें आज भारत में 1945 की सर्दी की उस भावना को फिर से जगाना है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, असहिष्णुता के खिलाफ हमारी लड़ाई मूलतः अतार्किकता, अन्याय और अमानवीयता के खिलाफ लड़ाई है। अंत में, मैं एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर आपसे विनम्र अपील करना चाहता हूँ, जिसने हाल के महीनों में अनेक त्रासद मौतों को जन्म दिया है। निस्संदेह, हमारे संविधान में अनुच्छेद 48 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत कृषि और पशुपालन के विषय में सम्मिलित है, जो गौहत्या पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता है। कल, श्रीमती लेखी ने अपने उग्र भाषण में इस नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया था। लेकिन, इसे किसी भी स्थिति में मानव जीवन को समाप्त करने के घिनौने बहाने के

रूप में नहीं लिया जा सकता। यदि डॉ. अंबेडकर आज जीवित होते, तो वे इस स्थिति को देखकर स्तब्ध और क्षुब्ध हो उठते।

जून 2014 में दिए गए अपने पहले भाषण में, मैंने पुणे में कंप्यूटर इंजीनियर मोहसिन शेख की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया था। यह नई सरकार के सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद हुआ। आज, मैं मुहम्मद अखलाक और अन्य लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूँ जो हाल के महीनों में धार्मिक नफरत का शिकार हुए हैं। पिछली पीढ़ियों के नाम पर, जिन्होंने भारतीय लोगों को एक राष्ट्र में जोड़ा है, मैं 'अखलाक' शब्द के महान अर्थ का आह्वान करता हूँ। 'अखलाक' का क्या अर्थ है? इसका मतलब नैतिकता है, और मैं उन लोगों से, जिनके पास आज हमारे देश में सत्ता की बागडोर है, विशेष रूप से हमारे प्रधान मंत्री और हमारे गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह है कि वे हमारे सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को बनाए रखें और 'अखलाक' का पालन करें, सुशासन की नैतिकता जिसने युगों से भारतीय राजनीतिक विचार और व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से सूचित किया है। धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया।

[हिन्दी]

^{42*}श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): नियम 193 के अंतर्गत असहिष्णुता के संबंध में विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव का मैं प्रबल विरोध करते हुए कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ भारत विश्व बिरादरी में प्रथम स्थान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। [हिन्दी] मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस सहित विपक्षी दल केन्द्र सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों और जनता के समर्थन को देखकर के भयभीत हैं और योजनाबद्ध तरीके से देश का माहौल खराब करने के लिए तथाकथित पुरस्कार प्राप्त ऐसे दलों के समर्थक रहे लोगों से पुरस्कारों की वापसी कराने का काम किया जा रहा है। जिसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ और देश के वातावरण को खराब करने का प्रयास करने वालों को जनता सबक सिखायेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के दादरी कांड, जैसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गोरक्षा का केन्द्रीय कानून बनाकर गौहत्या करने वालों को फांसी का प्रावधान किया जाए तथा श्री रामजन्म भूमि जो देश विदेश के कोटि-कोटि रामभक्तों की आस्था का केन्द्र है। भव्य मंदिर निर्माण के लिए भी केन्द्रीय कानून बना दिया जाए और देश में बांग्लादेशी घुसपैठी जो करोड़ों की संख्या में हैं और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों में उनके नाम मतदाता सूचियों में ही नहीं डाले, बल्कि गरीबों को मिलने वाली हर सुविधा का आधिकारी बना दिया गया है। मैं मांग करता हूँ कि ऐसे घुसपैठियों को तत्काल मताधिकार से वंचित करने का अभियान चलाया जाए और इन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की कार्यवाही की जाए। 1984 के दंगे, भागलपुर और मुजफ्फरनगर व कश्मीर से हिन्दुओं को निकाल बाहर किये गये यह सभी घटना कांग्रेस और यूपीए सरकार के समय की हैं, आतंकवाद के दमन की जगह कांग्रेस ने संरक्षण किया है। देश की एकता अखण्डता बनाये रखने में भाजपा ने संघर्ष किया है।

उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी सरकारी योजनाओं के माध्यम से भेद-भाव पैदा करते हुए जहां कब्रिस्तान की जमीनों की बाउंड्री बनाने के लिए धनराशि आबंटित की जाती है वहीं श्मशान स्थलों के लिए

^{42*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

एक पैसा भी नहीं दे रही है। मुस्लिम कन्याओं को दसवीं पास करने के बाद सरकारी खजाने से अनुदान दिया जाता है, परंतु गरीब से गरीब हिंदू बेटियों को भी नहीं दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में जब दादरी में अखलाक की हत्या हो जाती है तो 45 लाख मुआवजा और कुंडा के पुलिस अधीक्षक की हत्या होती है तो पचास-पचास लाख के दो मुआवजे दिये गये और दो व्यक्तियों को नौकरियां दी गईं। जबकि ऐसी अन्य घटनाओं में पांच लाख ही दिया गया है। यह माहौल खराब करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मैं विपक्ष द्वारा रखे गये असहिष्णुता के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और केन्द्र सरकार के द्वारा देश में सहिष्णुता बनाये रखने के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना करता हूँ।

43* श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : संविधान पूरे राष्ट्र की सम्मिलित आभिव्यक्ति है। जब कोई सरकार शपथ लेकर सत्ता में आती है तो संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार करके ही आती है। इसलिए असहिष्णुता का दूर-दूर तक कोई संबंध ही नहीं होता। संविधान के दायरे में रहकर किसी भी सरकार ने देश के गणमान्य को पुरस्कार से सम्मानित किया हो, उसे मिला हुआ पुरस्कार संवैधानिक होता है। उनकी क्षमता पर मैं सवाल उठाना नहीं चाहता लेकिन उन्होंने संविधान पढ़ा है या नहीं इस पर मैं जरूर सवाल उठाऊँगा। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने भारत का संविधान नहीं पढ़ा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वे सम्मानार्थी संविधान पर नोंक-झोंक करके सरकार के दिये हुए सम्मान का दायित्व निभाने के कर्तव्य से दूर भाग रहे हैं। तब ऐसा सम्मान देने वाली सरकार अपने गलत फैसले के दायित्व से कैसे बच सकती है। इस दलील को खारिज नहीं किया जा सकता कि विरोधी तत्व सरकार के विरुद्ध माहौल बना रहे हैं। लेकिन ऐसे विरोधी तत्व का उत्तर घटिया बयानबाजी कर नहीं दिया जाता। आदरणीय गृहमंत्री जी ने साफ शब्दों में देश के सभी तबकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। आमिर खान या शाहरूख खान जैसे आभिनयपटु को करोड़ों रूपए किसी व्यक्ति ने तिजोरी से निकाल कर नहीं दिये। उन लोगों ने दिये जिन्होंने उनके आभिनय से अपना मनोरंजन किया और उनकी फिल्मों से भाईचारा और प्रेम का सबक सीखा। उनके प्रति आभिनयपटु को संवेदना जतानी चाहिए। लेकिन किसी के उकसाने पर वे लोग भारत छोड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा कर सकती है। वे यह भूल गये हैं कि इस देश की कोख से ही हरगोविंद खुराना, अमर्त्यसेन, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, जुबिन मेहता, डॉ. कोटनीस, डॉ. होमी जहंगीर भाभा, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसी महान हस्तियां आयी हैं, दिल लगाकर काम करने वाले शिल्पाकार, पसीना बहाने वाले श्रमिक आदि का विचार न करते हुए देश छोड़ने की बेहुदा सलाह देने वाले संविधान का मज़ाक उड़ा रहे हैं और देश की अप्रतिष्ठा कर रहे हैं और फर्जी देशभक्ति दिखाकर सरकार की सक्षमता पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों

43* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

को उनकी जगह दिखायी तो देश में विरोधी तत्वों ने तो असहिष्णुता का माहौल खड़ा कर दिया, उसे करारा जवाब मिलेगा।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अगले वक्ता श्री राधेश्याम विश्वास हैं, जिन्हें बोलने के लिए तीन मिनट का समय मिलेगा। अब से, सभी माननीय सदस्यों को केवल दो या तीन मिनट ही मिलेंगे और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती।

श्री राधेश्याम बिस्वास (करीमगंज): महोदया, मैं इस तथ्य से शुरुआत करना चाहता हूँ कि हमें आजादी इस देश के सभी जातियों और समुदायों के लोगों के बलिदान के कारण मिली है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए तानाशाही और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारे पूर्वजों ने 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिलने तक वर्षों तक लड़ाई जारी रखी। यह वह समय था जब उन्होंने एक साथ बैठकर भारत के लिए एक व्यापक संविधान लिखने के लिए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक दल का गठन किया, जिसने हमारे देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय प्रदान किया, जिसने देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की। हमारा संविधान हमें अपने देश के प्रत्येक नागरिक के व्यक्तिगत जीवन में जीने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और पसंद की स्वतंत्रता देता है।

आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां विभिन्न धर्मों, जातियों, पंथों और रंगों के लोग एक साथ रह रहे हैं। मैं यहां यह बताते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे पूर्वज हमारे देश में विविधता में एकता के रक्षक थे। उनका मानना था कि भारत की सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि विभिन्न धर्मों, वर्गों और स्तरों के लोग यहां एक साथ रहते हैं। उन्होंने एक ऐसे देश के निर्माण के लिए प्रयास किए जिसमें उन्होंने एक नारा दिया था, [हिन्दी] "हिन्दू -मुस्लिम-सिख-इसाई आपस में सब भाई-भाई" [अनुवाद] मुझे यह कहते हुए खेद है या ऐसा लगता है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

आज देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जहां लोग धर्म और जाति के नाम पर भयभीत होकर रह रहे हैं और असहिष्णुता का सामना कर रहे हैं। यह विविधता में एकता की भावना के लिए एक पूर्ण खतरा है। यह भारत के लिए गांधी जी द्वारा निर्धारित सपने को ध्वस्त कर रहा है और डॉ. अम्बेडकर द्वारा संकलित हमारे संविधान के स्तंभों को भी ध्वस्त कर रहा है। हमारा देश जिस स्थिति से गुजर रहा है उसे देखकर डॉ. अम्बेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचती होगी।

आज कुछ लोग, जो राजनीतिक दलों के सम्मानित नेता हैं, राज्य के नेता हैं और यहां तक कि कुछ राज्यपाल भी हैं, वे सांप्रदायिक भाषा में बोलने लगे हैं। उन्होंने एक नारा दिया है कि हिन्दुस्तान केवल हिन्दुओं के लिए है, और मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

माननीय अध्यक्ष: आपका तीन मिनट का समय समाप्त हो गया है, इसलिए कृपया अब समाप्त करें।

श्री राधेश्याम बिस्वास: मैं केवल एक मिनट और लूंगा, महोदया।

बढ़ती सांप्रदायिक नफरत की यह प्रवृत्ति बड़ी चिंता का विषय है। दादरी की घटना ऐसी सांप्रदायिक घृणा का परिणाम थी। 'घर वापसी' अभियान इस आधार पर भी बनाया गया है कि जो लोग भारत में रहते हैं, वे 'हिंदू' विश्वास का पालन करते हैं और जो अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं, वे भटक गए हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब कुछ लोग असहिष्णुता की इन बढ़ती घटनाओं के खिलाफ विरोध करते हैं, तो उनकी आवाज़ सुनने और उनकी समस्याओं को हल करने के बजाय, उन्हें विपक्षी दलों का एजेंट ठहराया जाता है, और यहां तक कि उन्हें देश छोड़ने और पाकिस्तान जाने की सलाह दी जाती है।

माननीय अध्यक्ष: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राधेश्याम बिस्वास: महोदया, मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अगर कुछ लोग देश के भयावह माहौल के खिलाफ बोलते हैं, तो उनकी पीड़ा को समझने के बजाय उनको देश के लिए उनके योगदान को भूल कर देशद्रोही करार दिया जा रहा है। इसलिए सरकार को इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई

करने की जरूरत है। वह राज्य सरकारों को दोष देकर मुक्त नहीं हो सकती, बल्कि उसे स्थिति पर नजर रखनी होगी। धन्यवाद।

44***डॉ. बूरा नरसैया गौड़ (भोंगीर):** सहिष्णुता हर भारतीय और भारतीय संस्कृति के खून में है। दुर्भाग्यवश, आज हम "असहिष्णुता" पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि इस चर्चा का विषय "सहिष्णु भारत" होना चाहिए था — और इस बात पर विचार होना चाहिए था कि हम इसे और कैसे मज़बूत बना सकते हैं। इस देश में कुछ "इक्का-दुक्का घटनाएँ" अवश्य घटित हो रही हैं, लेकिन राजनीतिक दलों और मीडिया, जो किसी-न-किसी विचारधारा या दल से जुड़े हैं, उन्हें इस प्रकार चित्रित कर रहे हैं मानो भारत में "असहिष्णुता एक व्यवस्थित परिघटना" बन चुकी हो। इससे पहले कि मैं बोलूँ, मुझे याद है कि *रोटी, कपड़ा, मकान* नामक एक फिल्म याद है जहाँ लोग चोरी करने के लिए एक महिला पर पत्थर फेंक रहे हैं और उस समय नायक कहता है कि "पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी झूठ न बोला हो या कोई ग़लत काम न किया हो। मैं राजनीतिक दलों से भी यही मांग करता हूँ। हम बीच में हैं, बाएं या दाएं, सत्ता पक्ष या विपक्ष पर नहीं, और मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ गंगा-जमुना तहजीब की संस्कृति की अवधारणा मिलती है जिसे तेलंगाना कहा जाता है।

मैं कुछ उदाहरण देता हूँ:-

1. पंजाब में क्या हुआ- क्या यह राजनीतिक संरक्षण के कारण नहीं है?
2. सिखों पर दिल्ली दंगों में क्या हुआ, यह राजनीतिक संरक्षण के कारण नहीं है?
3. शाह बानो मामले में क्या हुआ?
4. हैदराबाद में क्या हुआ, जहाँ एक राजनीतिक दल के नेता द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलने के लिए सांप्रदायिक दंगे कराए गए?
5. दादरी, पानसेकर, कलबुर्ग में क्या हुआ, गौमांस पर हालिया विवाद आदि को जड़ से समाप्त करने की जरूरत है?
6. सांप्रदायिक दंगे हमेशा एक या अन्य राजनीतिक दलों, छिपे हुए राजनीतिक एजेंडे के कारण होते हैं।

44* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

7. कलबुरी, पनेस्कर, अफ़ग़ानिस्तान में मलाला और समुद्र तट पर सीरियाई बच्चे की मृत्यु जैसी व्यक्तिगत घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया।
8. मुस्लिम जो गौमांस खाता है जैसे बयानों से भारत को चिंतित होना चाहिए लेकिन अगर हिंदू खाएगा...तो कहां जाए?
9. जो महत्वपूर्ण है वह घटना का आकार नहीं है। इसकी धारणा ही मायने रखती है। इन व्यक्तिगत घटनाओं से भारत सरकार की छवि खराब हो सकती है।
10. घटनाएं होती हैं, हम भले ही सतर्क हों, लेकिन सुरक्षा की धारणा बहुत अधिक मायने रखती है। यह तभी आता है जब अल्पसंख्यक त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं और लोगों को आश्वस्त करते हैं। संदेह लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा है। जैसा कि कहा गया है "सीज़र की पत्नी संदेह से परे है", लोगों को सरकार की मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए।

भारत विविधता में एकता है।

उपनिषदों ने संविधान लिखने से बहुत पहले धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखी।

हमारी संस्कृति, हमारा स्वभाव, हमारा डी.एन.ए. "धार्मिक कट्टरपंथियों, राजनीतिक तंत्र, विदेशी शक्तियों" से कहीं अधिक मजबूत है और हम असहिष्णु लोगों पर जीत हासिल करेंगे।

संविधान में अनुच्छेद 25, 26, 29 - किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। एडमंड बर्क ने खा है- बुराइयों की विजय के लिए केवल एक चीज आवश्यक है कि अच्छे लोग कुछ न करें।

अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है- अकेले कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी दंड के अपने विचार व्यक्त कर सके, इसके लिए संपूर्ण जनसंख्या में सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए।

जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने कहा, "सर्वोत्तम उत्तर" यह है कि आइए हम गरीबी के विरुद्ध लड़ें।

सहिष्णुता, असहिष्णुता, अर्थव्यवस्था, समृद्धि एक-दूसरे से जुड़ी हुई है क्योंकि भारत ने विकास के एजेंडे के लिए विशेष रूप से मोदीजी को वोट दिया।

मोदीजी (विकास के लिए) और मोदीजी (वित्तीय और अर्थव्यवस्था) परस्पर संबंधित हैं। गरीबी, भ्रष्टाचार, धार्मिक असहिष्णुता के प्रति असहिष्णु बनें।

[हिन्दी]

^{45*} **श्री रोड़मल नागर (राजगढ़)** : आज देश में असहिष्णुता एक ऐसी बहस है जो सिर्फ धर्म को आधार बनाकर चलाई जा रही है हमें कहीं ठहर कर सोचना होगा कि यह देश भारत हजारों वर्षों से सहिष्णु रहा है। यहां इस्लाम आया, ईसाई धर्म आया, पारसी धर्म आया, यहूदी धर्म आया, बहावी धर्म आया, सूफी परंपराओं ने स्थान बनाया। सारी दुनिया के विचारों ने इस आंगन में अपना मुकाम बनाया फिर भी हम ही में से कुछ लोग आरोप-प्रत्यारोपों से इस महान सहिष्णु देश को असहिष्णु बताते हैं, कहीं विचार करें। सहिष्णु भारत ने 1947 के अप्राकृतिक विभाजन को स्वीकार किया। धर्म आधारित विभाजन में असहिष्णु मानसिकता ने 22 प्रतिशत आबादी को 30 प्रतिशत हिस्सा दिया और 30 प्रतिशत हिस्से में कोई अन्य धर्मावलंबी ठहर नहीं पाए ऐसे तमाम दुष्कृत्य वर्षों होते रहें। डॉ. अम्बेडकर ने अप्रसन्नता जाहिर की बलात् धर्म परिवर्तन पर दुखी मन से वक्तव्य दिए मगर कौन सुनता? खान अब्दुल गफ्फार खान “सीमांत गांधी” की भारत के साथ रहने की अपील ठुकराई गई। 1947 देश विभाजन के बाद बच्चों की शिक्षा व कल्याण मूल उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं किए क्योंकि बच्चे सहिष्णु होते हैं। असहिष्णु नेताओं ने बच्चों का कल्याण भुला दिया। विकास के बड़े मॉडल गरीबी हटाओं के नारे दिखावे व भाषणों में रहे सहिष्णु कृषकों व महिलाओं के कल्याण की योजनाएं असहिष्णुता की भेंट चढ़ गई। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहिष्णु लोगों के हाथों के नारे बने और परिणाम समाज ने सहिष्णु नेतृत्वों को ठुकरा कर असहिष्णु नेताओं को अपने नेतृत्व दिया। यह ऐसा दिखावा था जहां सुभाष बोस, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, वीर सावरकर, जय प्रकाश नारायण जैसे सहिष्णु नामों को भुलाकर देश ने असहिष्णु नेतृत्व की प्रतिष्ठा देश में की जो नेतृत्व भारत को भारतीय नज़रिए से देख रहे हैं, जिनके कारण से देश दुनिया में प्रतिष्ठा मिल रही है, जो कि विकास की नई कहानी कह रहे हैं, उन्हें हम असहिष्णु कह रहे हैं। 4 जून, 1949 में देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों को पत्र लिखा, असहिष्णुता निश्चित तौर पर अवसरवादियों को अपनी

^{45*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

तरफ खींचती है लेकिन इसके काम करने का ढर्रा ऐसा है कि यह नैतिकता के किसी भी मानक से और भारत की किसी तरह की भलाई से दूर हो जाता है, इसकी सोच अलग है, इन्हें बल प्रयोग से हटाया नहीं जा सकता, यह काम करने की क्षमता से पराजित होंगे। जो नेहरू ने कहा- वह उनके असहिष्णु अनुयायियों ने नहीं माना परिणाम 1975, 1984 या देश भर में आज भी अराजकता की स्थिति, तथाकथित प्रगतिशील लेखकों ने अपने संगठित असहिष्णुता का परिचय पुरस्कार लौटाने से किया। आइए, इन तथाकथित प्रगतिशीलों के सामूहिक असहिष्णु व्यवहार को देश के सामने लाने का प्रयास करना ही सही मायनों में सहिष्णुता का सामूहिक परिचय होगा और जो नेहरू के तथाकथित अनुयायी हैं उनके असहिष्णु प्रगतिशीलता, असहिष्णु जातिवाद, असहिष्णु विचारों को छोड़कर राष्ट्रवाद की प्रगाढ़ता ही प्राचीन सहिष्णु भारत को बल प्रदान करगी।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदया, मैं यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं। आज हम असहिष्णुता पर चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि मुझसे पूर्व कई साथियों ने माइनोरिटी की बात कही, कहीं मैजोरिटी की बात कही। मुझे दुख होता है कि 123 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर कोई माइनोरिटी में सुसाइड कर लेता है, तो हमारे साथी नेशनल इश्यु बना देते हैं। अगर मैजोरिटी में कोई सुसाइड कर लेता है तो वह स्टेट इश्यु बन जाता है, लेकिन अगर हमारा किसान सुसाइड कर लेता है तो इस देश में इसे इश्यु बनाने वाला कोई नहीं होता है।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि हमारे राज्य सभा में देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि इम्पोटेंसी एंड लव अफेयर्स किसान की सुसाइड का कारण है। हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री कहते हैं कि आत्महत्या करने वाला किसान कायर है। किसान हमारी आबादी का 63 परसेंट है और क्या हम इस वर्ग को कायर कहने का काम कर रहे हैं।

अगर आज कोई साहित्यकार अपना मैडल वापिस लौटाता है तो विपक्ष के साथी उसे इनटोलरेंस कहते हैं। आज 80 साल के रिटायर्ड आर्मी आफिसर अपने आधिकारों के लिए पिछले 200 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी टालरेंस की यहां कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आज 123 लोगों में से 83 करोड़ लोग युवा हैं और न तो इनके पास रोजगार है और न ही उनकी कोई लड़ाई लड़ रहा है। आज उनके हाथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी गन नहीं है, वे भी टालरेट करके हमारे देश में बैठे हैं।

मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि अब हमें सोच विचार करना पड़ेगा, उस वर्ग के लिए भी जो इस देश को चलाने का काम करता है। जात, महजब से ऊपर उठकर हमें अपने फौजियों की, किसानों की और युवाओं के प्रति सोच रखनी पड़ेगी, उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आपने मुझे दो मिनट का समय दिया, इसलिए मैं अपनी बात इतने समय में ही समाप्त करूंगा। धन्यवाद।

46* श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : नियम 193 में असहिष्णुता पर चर्चा कराके देश में जिस विषय पर आज बहुत सी जो भ्रांतियां व संदेह पैदा करने का प्रयास देश के कुछ ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो वास्तव में न तो इस देश को प्यार करते हैं न ही उनके मन में भारतीय संस्कृति व भारत के लोगों के प्रति कोई सम्मान है। इस प्रयास के द्वारा आपने देश के सामने वास्तविक स्थिति लाने का सराहनीय प्रयास किया है।

वास्तव में देश में अचानक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है और जानबूझकर कुछ ऐसी राजनैतिक पार्टियां व नेता ऐसे प्रयास कर रहे हैं, मानों देश में एनडीए की सरकार बनने के बाद कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोगों को यह लगने लगा है कि यह देश असुरक्षित हो गया है व यहां की बहुसंख्यक आबादी सरकार के संरक्षण में अन्य तबकों का उत्पीड़न कर रही है।

वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत सदैव से एक बहुधर्मी, बहुभाषी, अनेकों संस्कृतियों का देश रहा है और आगे भी रहेगा। परंतु कुछ ऐसे राजनैतिक दल हैं जो लंबे समय से सत्ता में रहे हैं उनको लगने लगा है कि यह सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे देश के अंदर व पूरी दुनिया में भारत का सम्मान भी बढ़ा है व स्वीकार्यता भी मिली है। उनको वैसे ही यह स्वीकार नहीं हो रहा है कि जनता ने उनको नकार दिया है तथा आगे भी संभावना नहीं है। इस कारण ऐसे राजनैतिक लोग व दल ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो पहले से एनडीए सरकार न बनने देने की अपील लोक सभा के चुनाव से कर रहे थे बल्कि कई न तो यह कहा था कि यदि मोदी जीत जाएंगे तो वह देश छोड़ देंगे। ऐसे सारे लोग जो अब तक एक ही परिवार की चाटुकारिता करके न केवल सत्ता के लाभ ले रहे थे बल्कि इस देश में अभी तक वास्तविक मामलों पर काम न हो पाने, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पीने का पानी हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा का मामला हो, इन्होंने कभी चिंता नहीं की। अब यह पुरस्कार व सम्मान वापिस करके व 5 स्टार होटल में बैठकर देश की असहिष्णुता की बात कर रहे

46* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हैं, क्योंकि इनको लगने लगा है कि यह देश जाग गया है और अब उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। वह षडयंत्र करके देश को कमजोर व सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति व हमारा देश सदैव से सहिष्णु रहा व रहेगा और हम सब इसी तरह से प्यार से रहेंगे। देश आगे बढ़ेगा, लोग सुखी होंगे।

47* श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : आज देश में, विशेष रूप से मीडिया के माध्यम से यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जब से देश में मोदी जी की सरकार आई तब से असहिष्णुता अर्थात् इनटॉलरेंस को बढ़ावा मिला है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या देश में किसी अल्पसंख्यक की पहली बार हत्या हुई है। क्या बहुसंख्यकों की हत्या नहीं होती? मैं पुरस्कार लौटाने वालों से पूछना चाहता हूँ कि क्या 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद बड़ी संख्या में हुए सिक्खों के कत्लेआम के समय देश में असहिष्णुता नहीं बढ़ी थी। क्या गोधरा हत्याकांड में निर्दोष हिंदुओं को जलाकर मार डालने में इनटॉलरेंस का कोई हाथ नहीं था। क्या नब्बे के दशक में कश्मीर से लाखों पण्डितों को मार-पीट कर भगाने में असहिष्णुता का कोई हाथ नहीं था। उस समय इन साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार क्यों नहीं लौटाए थे।

देश के सुपर स्टार शाहरुख खान, जिन्हें देश की जनता ने अपने सिर माथे पर बैठाया, मान-सम्मान और वैभव प्रदान किया, वहीं शाहरुख खान आज कहते हैं कि देश में असहिष्णुता अपने चरम पर है। दूसरे सुपर स्टार आमिर खान का कहना है कि समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी नज़र में दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा है जहां पूरी तरह धार्मिक स्वतंत्रता और बोलने की आज़ादी सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध है। हमारे संविधान ने देश के सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक आजादी से रहने का अधिकार प्रदान किया है।

बड़े कष्ट की बात है कि हमारी राष्ट्रीय अखंडता पर तरह-तरह के कुठाराघात प्रतिदिन की दर से होते हैं। क्या राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात अक्षम्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता? यदि आता है तो ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के लिए क्या सजा मुकर्रर है? राष्ट्रीय गीत का कतिपय लोगों द्वारा बार-बार अपमान किये जाने की घटनाओं ने हमारे लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। संसद में सत्र स्थगित होने के दौरान वंदेमातरम की धुन बजते ही हमारे कुछ सहयोगी इतने अप्रसन्न होते हैं कि वे तत्काल संसद छोड़कर निकल जाते हैं। वे वंदेमातरम को अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि वाकई बड़े विषम काल में जी रहे हैं हम, जहां देश से बड़ा धर्म माना

47* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जाने लगा है। क्या वाकई राष्ट्र से बड़ी अवधारणा धर्म की होती है? क्या हमारा देश धार्मिक गुरुओं के आदेशों से संचालित होने लगा है? यदि नहीं तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति क्या दर्शाती है? ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग इस तरह के निंदनीय कृत्य बार-बार करने का दुस्साहस कैसे कर पाते हैं? फिर भी वे हमारे देश को असहिष्णु होने का दावा करते हैं। इस निंदनीय कृत्य के लिए अब तक किसी को भी किसी प्रकार की सजा नहीं दी गई थी। क्या यह देश की सहिष्णुता का प्रतीक नहीं है। जहां तक प्रश्न है वंदे मातरम गीत का तो इसकी किसी भी लाइन में किसी भी धर्म का मान या अपमान नहीं किया गया है। ये गीत हमारी मातृभूमि को हमारे नमन से जुड़ा है। ये गीत हमारी राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक है। ये गीत हमें हमारे राष्ट्रीय धर्म का बोध कराता है। इस सब के बावजूद हमारी राष्ट्रीय भावनाओं पर कुठाराघात का दुस्साहस कैसे जुटा पाते हैं ये चरमपंथी? क्या यह हमारे देश की सहिष्णुता का प्रतीक नहीं है? बहरहाल वंदे मातरम का विरोध कोई नयी बात नहीं है। आजादी के पूर्व से ही इस तरह की अलगाववादी मानसिकता के लोग इस गीत पर विरोधी राग छेड़ते रहे हैं। यहां प्रश्न ऐसे व्यक्तियों के दुस्साहस का नहीं वरन् हमारे सेक्युलर कर्णधारों की नपुंसकता का है। धर्म निरपेक्षता के ठेकेदार इस मुद्दे पर जुबां खोलने से कतराते रहे हैं। इस सबके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्र की अखंडता सदैव रही है और रहेगी। डॉ. अम्बेडकर ने जो चेतावनियां दी थीं- एक प्रजातंत्र में जन आंदोलनों का स्थान, करिश्माई नेताओं का अंधानुकरण और मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र की सीमाएं- वे आज भी प्रांसगिक हैं।

दो विपक्ष शासित राज्यों में अल्पसंख्यक वर्ग के दो व्यक्तियों की हत्या होने से केंद्र सरकार पर असहिष्णु होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ऐसी स्थिति में राज्यों में हुई किन्हीं घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है।

मेरे विचार से देश में कोई एक सांप्रदायिक घटना होना भी चिंता की बात है और सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए। कतिपय असामाजिक तत्व समाज में आपसी सौहार्द को समाप्त करना चाहते हैं ताकि केंद्र सरकार को बदनाम किया जा सके। विविधता, सहिष्णुता और बहुलता भारत के मूल्यों में शुमार है और उन्हें मिटने नहीं दिया जा सकता। हम अपने देश के संस्कार नष्ट नहीं होने देंगे। हम सबको मिलजुल कर रहना होगा और

सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखना होगा। हमें मिलजुल कर जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह सुरक्षित है और अपने मन की बात सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त कर सकती है- उसकी निजी स्वतंत्रता पर कट्टरवादियों का पहरा नहीं है। हमारी सरकार किसी भी तरह की सांप्रदायिक कट्टरता के सख्त खिलाफ है।

पहले भी दलितों पर अत्याचार होते रहे हैं और लेखकों की हत्याएं भी हुई हैं। आज कुछ क्षेत्रों में असहिष्णुता की वर्तमान स्थिति से कड़ाई से निपटना होगा। लेकिन इस बारे में न तो कोई धारणा तय की जानी चाहिए और न ही देश को गलत दृष्टि से पेश करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सहिष्णुता संविधान का ही सम्मान है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें दूसरों की धारणाओं और आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए तथा आरोपों-प्रत्यारोपों से बचना चाहिए।

^{48*} **श्री सुभाष पटेल (खरगौन)** : दुनिया की अन्य सभ्यतायें तथा काल के प्रभाव में तिरोहित हो गई, वही भारतीय सभ्यता निरंतर बनी हुई है, इनके पीछे यदि हम देखें तो हमारी उदारवादी सोच विविधता और सहनशीलता का प्रमुख स्थान रहा है। मैं आज राष्ट्रपति जी के उस वक्तव्य को सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर मूल्य नहीं बचे तो भारत नहीं बचेगा। आज जानबूझकर तथाकथित लोगों के द्वारा देश के मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह संकट जो खड़ा किया गया ये धार्मिक और सांस्कृतिक तो है ही लेकिन सामाजिक एवं राजनैतिक की कड़ी धुप से भी झुलस रहा है। इसमें संदेह नहीं कि जहां एनडीए की सरकार बनने के बाद सहिष्णुता के कदम तेजी से बढ़े हैं, लेकिन तथाकथित राजनैतिक स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए ऐसी असहिष्णुता शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो अनेक वर्षों से धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरायें जीवित थी। उनको राजनैतिक के माध्यम से बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान सरकार जहां विकास की बात कर रही है, देश के भविष्य को स्वर्णिम बनाने का प्रयास कर रही है, देश की साख विश्व में बढ़ रही है इन सबसे परेशान होकर तथाकथित आप्रिय अरुचिकर समस्या को खड़ा कर वापस सत्ता में आना चाहते हैं।

^{48*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

49* डॉ. यशवंत सिंह (नगीना) : दो दिनों से असहिष्णुता पर एक ऐसी बहस को सुनता आ रहा हूं जिससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। भारत वर्ष एक बहुधर्मालंबी एवं बहुभाषिय राष्ट्र है। जहां पर तरह-तरह के विचारों के व्यक्ति रहते हैं। निश्चित रूप से घटनाएं घटती हैं। आज भी अगर हम दूसरे मुस्लिम देशों की तुलना में अपने देश को देखें तो यहां पर जहां हिन्दुओं को अपने धर्म के अनुरूप विचार प्रकट करने की आजादी है, उसी प्रकार की आजादी अन्य धर्मों के लिए भी है।

मेरा मानना है कि इस देश में अगर असहिष्णुता दिखाई जाती है तो कमजोर के प्रति दिखाई जाती है। घर में नौकर के प्रति, पत्नी एवं महिला के प्रति दिखाई जाती है तथा समाज में गरीब के प्रति दिखाई जाती है।

आजादी के 68 वर्षों के बाद भी अगर इस देश में असहिष्णुता दिखाई जाती है तो दलित समाज के प्रति दिखाई जाती है। किसी भी धर्म का व्यक्ति आज भी इस दलित समाज के व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं। आये-दिन दलित समाज के व्यक्तियों को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। उनसे घृणित कार्य जैसे सीवर सफाई, गन्दगी या मल की सफाई जैसे कार्य कराने के बाद भी उसको उसकी मेहनत के अनुरूप पैसा नहीं दिया जाता तथा बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कराया जाता है। उनकी जमीनों पर जबरन कब्जे किए जाते हैं। उनकी माँ-बहनों की इज्जत को सड़कों पर नीलाम किया जाता है। इस तरह की मार खाने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती।

मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। नलों या कुंओं से पानी लेने पर भी मारा जाता है। अगर अपने से ऊपर समाज की लड़की से शादी करें तो मारकर गिराया जाता है। साथ में बैठकर खाना खाने पर नाक काट दी जाती है। अपनी बात कहने पर गोबर मुंह में ठूस दिया जाता है। ये वो घटनाएं जो वास्तव में असहिष्णुता का प्रमाण पैदा करती है। परंतु आज तक इस देश के किसी बुद्धिजीवी ने आ तक पुरस्कार नहीं लौटाया ना ही

49* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

किसी मीडिया ने इस प्रकार की घटनाओं का कोई सर्वे कराया। ना ही इस समाज के ठेकेदार धार्मिक नेताओं ने अपनी जुबान खोली।

इस देश में जो चर्चा हो रही है वह मानवता को केन्द्र में रखकर नहीं हो रही है, बल्कि वोट बैंक को रखकर हो रही है। कोई कैसे जीना चाहता है, कोई क्या खाना चाहता है, यह व्यक्तिगत है। मेरा मानना है कि अगर हम डा. भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सभी गरीब दलित, पिछड़े, अगड़ों की भावनाओं का आदर करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदया, मैं अत्यंत दुःख के साथ इस चर्चा में भाग ले रहा हूँ। हम गर्व से अपना सिर ऊंचा करके रख रहे थे कि हमारा देश सहिष्णुता का देश है और *अहिंसा के माध्यम से महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त देश है।* अब यह देश शर्म और पीड़ा से अपना सिर झुकाएगा। दुर्भाग्य से हमारे प्रधान मंत्री कम से कम देश की नब्ज समझने के लिए यहां नहीं हैं। वह अपनी नियमित विदेश यात्रा पर हैं। बीबीसी पत्रकारों ने उनसे यू.के. में पूछा कि असहिष्णुता के लिए भारत में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, 125 करोड़ लोगों के देश से दो या तीन मामले हो सकते हैं। हालांकि, हम इसे गंभीरता से देखेंगे।" शायद प्रधानमंत्री के लिए, यह एक छोटी सी बात हो सकती है। लेकिन जहां तक हमारे राष्ट्र का संबंध है, पूरा देश इस पर बहुत चिंतित है।

यहां सरकार कह रही है कि यह राज्य की जिम्मेदारी है। जहां तक इस सरकार का सवाल है, यह सरकार पलायनवाद की सरकार है। वास्तव में, ये सभी चीजें हो रही हैं। यह बीजेपी की राजनीतिक रसायन विज्ञान का उप-उत्पाद है। इन सभी मामलों की योजना बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला से बनाई गई है। वे इस तरह की चीजों से हाथ नहीं धो सकते। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी में एक राजनीतिक रसायन विज्ञान है। यह क्या है? यदि सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाता है, तो वे अशांत पानी में मछली पकड़ सकते हैं। इन सब बातों के पीछे यही कारण है।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। यहां तक कि सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी फंड को बर्बाद करने में मददगार बन रही है। देश को जल्द ही पता चलने वाला है कि कौशल विकास और यहां तक कि सी.एस.आर. पर क्या हो रहा है। इन निधियों का वास्तव में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जाता है। ... (व्यवधान) आप कम से कम मुझे कुछ समय दे सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप हर विषय पर नहीं बोल सकते।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर: मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, महोदया।

मेरे मित्र दादरी की घटना के बारे में बात कर रहे थे। मैं वहाँ गया था। सरकार ने बहुत सारे बहाने पेश किए हैं, लेकिन एक बात निश्चित है — चाहे आप एक हजार एक बार पवित्र गंगा नदी में स्नान कर लें, उस पाप का दाग आपके अंतःकरण से नहीं धुल सकता। आपने वहाँ इतना बड़ा हमला किया है कि वह कहानी कोई भूल नहीं सकता। इसी प्रकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी मामला है।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है। क्षमा करें। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है।

अब श्रीमती अनुप्रिया पटेल।

[हिन्दी]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदया, मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आती हूँ और मेरे राज्य का जो लोगो है, वह अपने आपमें गंगा-जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा प्रतीक है, जिसके ऊपर के हिस्से में एक धनुष बना हुआ है, जो अवध के हिन्दू शासकों का प्रतीक है और नीचे के हिस्से में दोनों तरफ दो मछलियां बनी हुई हैं, जो अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक हैं और बीच में गंगा और जमुना की लहरें हैं। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की ही तरह देश का हर राज्य गंगा-जमुनी तहजीब का पोषक रहा है। आज इस सदन में जो चर्चा हुई, उसमें असहिष्णुता की कई घटनाओं का उल्लेख किया गया, चाहे कर्नाटक में प्रो.एम.एम.कलबुर्गी की हत्या का मामला हो, महाराष्ट्र में गोविंद पंसारी की हत्या का मामला हो, उत्तर प्रदेश में मो. अखलाख की हत्या का मामला हो, 1984 के दंगों के शिकार हमारे सिख भाइयों की व्यथा हो या कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों का विवरण हो। ये तमाम घटनाएं भारत जैसे देश की आत्मा पर कुठाराघात हैं, जो पूरे विश्व के समक्ष आहिंसा और विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन आज इस सदन के अंदर मैं एक सवाल जरूर खड़ा करना चाहती हूँ कि क्या हमारे देश में सिर्फ ऐसी ही घटनाएं होती हैं, जिनमें विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों के बीच में इस प्रकार की नफरत फैलती है। क्या हमारे देश में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, जो प्रेम और आपसी सौहार्द का उदाहरण हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे देश का कोई भी अखबार ऐसी घटनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता, कोई टीवी चैनल ऐसी घटनाओं को नहीं दिखाना चाहता, जो कई गुणा और ज्यादा संख्या में होती हैं और प्रेम और सौहार्द का संदेश देने की कोशिश करती हैं। कहीं न कहीं हमारे देश के मीडिया के अंदर भी एक निगेटिव बॉयस है और मीडिया को भी इस निगेटिव बॉयस से बचकर एक सकारात्मक भूमिका निभाने की जरूरत है। मैंने इस पूरी बहस में देखा कि दोनों तरफ से यह साबित करने की होड़ लगी हुई है कि एनडीए सरकार में ज्यादा घटनाएं हुईं या यूपीए सरकार में ज्यादा घटनाएं हुईं।

मैं इस सदन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति से पूछना चाहती हूँ, जो भारतीयता को अपना सबसे बड़ा मजहब समझता है कि आज हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि किसके कार्यकाल में कितनी घटनाएं हुईं,

ज्यादा हुई या कम हुई या यह सोचने की जरूरत है कि इससे प्रभावित होने वाला जो व्यक्ति है, वह समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि हम यह जिम्मेदारी राज्य के ऊपर डालकर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर लें। क्योंकि यदि हमारे संघीय ढांचे के कारण कानून और व्यवस्था राज्य की सूची का विषय है और केवल इसलिए हमारे देश में ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं तो फिर यह लोकतंत्र का मंदिर किसलिए बना हुआ है। हम सारे सांसद यहां किसलिए बैठे हुए हैं। हमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है कि हम अपनी नीतियों में ऐसा कौन सा परिवर्तन करें कि संघीय ढांचे की जिस व्यवस्था के चलते हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मीडिया को इस पर बार-बार चर्चा का विषय बनाने का मौका मिल रहा है, वैसा नहीं हो और कम से कम ऐसी घटनाओं पर रोक लगे।

महोदया, मैं सदन से इसी अनुरोध के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के सदस्य के रूप में बोल रहा हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि गृह मंत्री पूरी बहस का विस्तृत जवाब देंगे।

[हिन्दी] मैडम, पिछले 17 महीनों में हम लोगों ने जो माहौल देखा है और जो माहौल खड़ा किया गया है, उसके हिसाब से हम सोच में डूबे हुए थे कि इस देश में ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से ऐसा माहौल खड़ा किया गया है और जो शशि थरूर जी ने कहा है कि प्रधान मंत्री जी देश के बाहर भारत की अच्छी इमेज क्रिएट कर रहे हैं और हिंदुस्तान में इनटोलरेन्स क्रिएट किया जा रहा है, मैं उसके विपरीत कहना चाहता हूँ। देश के बाहर हम लोगों की जो इमेज है, वह इनटोलरेन्स की इमेज जरूर जा रही है, लेकिन देश में आज के दिन टोलरेन्स का माहौल है। जो लोग न्यूज के माध्यम से, वैबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें प्राप्त कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में नहीं आईं, उन तक जरूर यह गलत संदेश गया है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत जल रहा है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ है। आपका नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ, या किसका नुकसान हुआ? सबका नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान इस देश का हुआ है। इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि जब भारत देश का सवाल आता है, तो हमारे और अपने इंटरैस्ट पर मत देखिए, राजनीति के ऊपर उठ कर के हम लोगों को एक दिशा में जाने की आवश्यकता है।

कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर कितने सालों तक शासन किया, वह सबको मालूम है। 58 साल कांग्रेस या कांग्रेस समर्पित जितने भी साथी थे, उन्होंने इस देश का शासन किया है। हम लोगों को तो बहुत कम मौका मिला है और हम तो पहली बार मंत्री बने हैं। ऐसे माहौल में देश ने पांच साल के लिए इस सरकार को एक वर्डिक्ट दिया है, नरेंद्र मोदी जी को बहुमत दिया है। इस बहुमत को आपको भी स्वीकार करना चाहिए। आपको इतना इंटरैलरेंट नहीं होना चाहिए कि पांच साल होने से पहले ही आप ऐसा माहौल खड़ा कर दें कि यह सरकार बिल्कुल फेल हो गयी है। ऐसा माहौल आप खराब मत कीजिए। ... (व्यवधान) भारत बहुत विशाल देश है। इसमें

घटनाएं बहुत हुई हैं। आज भी घटनाएं नहीं हुई हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं और कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जिनके लिए सबको निंदा करनी चाहिए। जब मैं देखता हूँ कि इस देश में कभी इंटॉलरेंट का माहौल रहा है तो हम कह सकते हैं कि सन् 1975 में जब सारे संविधान को अपने हाथ में ले लिया, सारी सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ खत्म हो गयी और सारी चीज़ों के ज्युडिशियल राइट्स भी सरकार ने अपने हाथ में ले लेती है, उसको इंटॉलरेंट गवर्मेंट कहा जाता है। अगर कोई इंटॉलरेंट वक्तव्य कोई देता है, अगर किसी स्टेटमेंट को इंटॉलरेंट कहना चाहते हैं तो वह इंटॉलरेंट स्टेटमेंट मैं सोचता हूँ तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट इस देश में आया जिसको हम इंटॉलरेंट स्टेटमेंट कह सकते हैं। जब इस देश में लाखों राइट्स हो रहे थे और तीन हजार से ज्यादा सिखों को मारा गया और उस समय देश का प्रधान मंत्री अगर कहता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती गिरती है, वह स्टेटमेंट इंटॉलरेंट कहा जाता है। अपने ही देश में भरत के पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के बहुत से छात्र और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अलग-अलग कोने में पढ़ते हैं, काम करते हैं, घूमने भी जाते हैं। हजारों की संख्या में जब बेंगलूरु से, मैसूर से, मुंबई से, चेन्नई से हजारों की हजारों की तादात में पूर्वोत्तर के लोगों को कहते हैं कि तुम जल्दी से यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। जब हजारों में लोग अपने ही देश छोड़ कर अपने ही देश के किसी कोने में जाते हैं तो उस माहौल को हम इंटॉलरेंस माहौल कहते हैं। अपने ही देश में जब कोई रेफ्युजी बनता है, कश्मीरी पंडित, जब अपने ही देश को छोड़ कर जब अपने ही देश में रेफ्युजी बन के बैठते हैं, उस माहौल को हम इंटॉलरेंट कहते हैं। पिछले 17 महीने में आप बताइए कि कौन सा हिंदुस्तानी अपना घर छोड़ कर गया है? जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, वे बताएं कि ऐसी कोई घटना हुई है, जिसमें हिंदुस्तान के लोग अपने ही घर, अपना ही प्रदेश छोड़ कर गए हैं? अगर हुआ है तो आप बताइए। इसलिए इस तरह से हव्वा क्रिएट करना अच्छी बात नहीं है।

मैडम, मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी पॉलिसी को हम इंटॉलरेंस पॉलिसी कब कहते हैं? मदर टैरेसा का नाम सबने सुना है। मदर टैरेसा को उस समय की सरकार ने बहुत सी जगह पर जाने के लिए प्रतिबंध लगाया था। मेरे ही प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में ही मदर टैरेसा को जाने के लिए कांग्रेस सरकार ने रोक लगायी थी। उसी

को कहते हैं, इंटरलरेंट पॉलिसी। हमने 17 महीने में किसी भी हिंदुस्तानी को कानून के तहत इस देश में घूमने के लिए या काम करने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया है। ... (व्यवधान) कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, जो गृह मंत्री रहे हैं। जब 27 साल पहले फैसला लिया था तो वे गृह राज्य मंत्री थे। 27 साल बाद उन्होंने माना है कि सलमान रश्दी की किताब के ऊपर जो प्रतिबन्ध लगाया था, वह गलत था। इसका मतलब 27 साल पहले इनटालरेंस कदम आपने उठाया और आपके एक वरिष्ठ नेता ने जब इसको माना है तो कांग्रेस के लोग न तो खुलकर उसका बचाव कर सकते हैं और न ही समर्थन कर सकते हैं। आप दुविधा में फंस गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस सदन में चर्चा करने से पहले आपने इनटालरेंस के माहौल का एक जिक्र किया और इस सदन में चर्चा होने से पहले आपके ही वरिष्ठ सदस्य ने आपका पूरा पंचर कर दिया। आपका तो पूरा डिबेट ही उल्टा हो गया। ... (व्यवधान) आपने पिछले 17 महीने का जिक्र किया। ... (व्यवधान) आपने बीजेपी के कुछ सदस्यों के ऊपर चर्चा की। ... (व्यवधान) मैं मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड के सी.एम. का आज से 10 दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि हिन्दुस्तान में और उनके अपने प्रदेश में सिर्फ बीफ खाने का ही नहीं, बीफ को जो स्लॉटर करता है, उसको भी हम कहीं जगह नहीं देंगे। उस समय आपने क्यों खंडन नहीं किया? आप बीजेपी का और बाकी लोगों का कहीं से सुनकर हवा क्रिएट करते हैं और आपके ही मुख्यमंत्री जब स्टेटमेंट देते हैं तो आप कैसे चुपचाप हो गए। ... (व्यवधान) पंजाब की असेम्बली में ... (व्यवधान) आप बेमतलब खड़े मत होइए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप बैठिए। जय प्रकाश जी बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अभी नहीं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)... *

[हिन्दी]

श्री किरेन रिजीजू : पंजाब की असेम्बली में कांग्रेस के एक सदस्य ने एक रिमार्क दिया था...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि पंजाब की सड़कों पर बहुत कुत्ते घूम रहे हैं, सारे कुत्तों को नागालैंड भेज दो, वहाँ के लोग खाते हैं। जब इस शर्मनाक स्टेटमेंट का जिक्र आया तो आप लोगों ने उस समय खंडन क्यों नहीं किया?... (व्यवधान) जब लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष पूरनो संगमा साहब, जो आज भी इस सदन के सदस्य हैं, वे जब राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि संगमा साहब इस देश के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इस देश की मुख्यधारा का उनका रिलिजन या कास्ट नहीं पड़ती है, इसलिए वे राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं...(व्यवधान) यह स्टेटमेंट क्यों आया?... (व्यवधान) हम यह कहना चाहते हैं कि यह हमारा देश है, हम अलग-अलग धर्म के हैं, मैं भी एक माइनोरिटी का व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे तो कोई डर नहीं है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): आप एक मंत्री हैं। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरेन रिजीजू : पिछले 17 महीने में ऐसी कौन सी हालत इस देश में पैदा हुई है, जिससे आप इतना बड़ा एक जो इस देश का माहौल खराब करने के लिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबने बहुत कुछ बोला है।

श्री किरेन रिजीजू : मैडम, इनको थोड़ा सा चुप कराइए, ये बार-बार खड़े होते हैं।...(व्यवधान) इस देश का एक नागरिक होने के नाते मुझे मन में बहुत फक्र महसूस होता है। जैसे कि अफगानिस्तान में कोई घटना हो गई, वहाँ

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

के माइनोरिटीज के साथ कुछ घटना होती है तो वह सीधा हिन्दुस्तान आता है। पाकिस्तान में किसी माइनोरिटी के साथ कोई घटना होती है तो वह हिन्दुस्तान आता है। बांग्लादेश से और भी अन्य जगहों से, चीन से भी लोग आते हैं। आप वर्ष 1959 का देखिए, उस समय जब दलाई लामा और उनका ग्रुप आया था, उस समय आपकी ही सरकार थी, आपने अच्छा निर्णय लिया, उनको रिफ्यूजी का स्टेट्स दिया। आज भी हमारे पड़ोसी देशों में रिलिजियस या माइनोरिटीज के साथ कोई भी घटना होती है तो वे हिन्दुस्तान में शरण लेने के लिए आते हैं। हम लोग उनको यहाँ रहने देते हैं। इतना एक अच्छा माहौल इस देश में चल रहा है, आप क्यों बेमतलब से इतने अच्छे माहौल को खराब करने पर तुले हुए हैं?... (व्यवधान) हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, आज सरकार में आए हैं, हम लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। इस देश ने नरेन्द्र मोदी जी को बहुमत दिया है, उन्हें प्रधानमंत्री बनाकर देश को आगे ले जाने के लिए बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने का मौका दिया है। आप कम से कम उस बहुमत की तो इज्जत कीजिए। आप इतना उत्तेजित होकर माहौल खराब कर रहे हैं। हम जैसे युवा पीढ़ी के लोगों को जो काम करने का मौका मिला है, आप हम लोगों को देखिए। हम अगर कोई में फेल होते हैं तो आप पॉलिसी पर डिसकशन कीजिए, नीति पर डिसकशन कीजिए। हम जब विपक्ष में थे तो 2004 से मैं इस सदन का सदस्य बनकर इस हाउस में रहा हूँ। तब हम लोगों ने भी आपको क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन हमने देश की छवि को कभी खराब नहीं किया। हमने आपको ज़रूर क्रिटिसाइज़ किया है लेकिन पॉलिसी पर, एजेन्डा पर, सरकारी काम करने के तरीके पर, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने कभी भी देश की इज्जत पर आँच नहीं आने दी। हमने यह रोल अदा किया है।

मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे वरिष्ठ होम मिनिस्टर साहब कहने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मिलकर हम और आप लोगों को इस देश को बनाना है, मिलकर इस देश को चलाना है। आप ऐसा माहौल क्रियेट मत कीजिए। आज जो देश विदेश में हिन्दुस्तान का नाम रोशन हो रहा है, उसको बरबाद मत होने दीजिए। प्रधान मंत्री जी का आप भी साथ दीजिए, वे देश के प्रधान मंत्री हैं। हम लोग उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य ज़रूर हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, हमारी भी है।

[हिन्दी] मैडम, इस दरखास्त के साथ जैसे सबने अपील किया, [अनुवाद] मैं सभी विपक्षी सदस्यों से भी यह हार्दिक अपील करना चाहता हूँ कि कृपया इस महान देश द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करें। श्री नरेन्द्र मोदी जी, इस सरकार को काम करने दीजिए और अपना कार्यकाल पूरा करने दीजिए। यदि आवश्यक हुआ तो हम जनता के पास वापस जाएंगे लेकिन भारत की जनता को यह तय करने दीजिए कि इस देश की सरकार किसे चलानी चाहिए, किसे चलानी चाहिए। हमें माहौल खराब नहीं करना चाहिए। आइए हम प्यार और करुणा का संदेश फैलाएं। आइए हम राष्ट्र की स्थिति को अपमानित न करें।

[हिन्दी] मैडम, आपने इस चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : “असहिष्णुता“ विषय पर होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे इकबाल का शेर याद आता है कि:-

मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,

हिन्दी है हम सब, वतन है हिंदुस्तां हमारा।

चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि 5 हज़ार साल पुरानी हमारी संस्कृति में विविधता एवं सहिष्णुता की अहमियत क्या अभी भी लोगों को बताने की जरूरत है। धार्मिक सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की विरासत है और यह हमारी भारतीय परम्परा का अंग है। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां मुसलमानों, ईसाईयों, जैनियों, बौद्धों एवं सिक्खों के सभी वर्ग रहते हैं। इसके अलावा, यहां पारसी भी है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कभी भी जाति, समुदाय, धर्म या पंथ को लेकर भेदभाव नहीं हुआ।

मुझे यह कहते हुए कोई संशय नहीं है कि जब से केंद्र की सरकार बदली है तब से तथाकथित कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा अजीब-सा माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है। आज आलम यह हो गया है कि आप 10 दिनों तक घर बाहर नहीं निकलों और अचानक से टी.वी. पर न्यूज चैनल खोल के बैठ जाओ, लगेगा कि भारत में अचानक से सब कुछ बदल गया है और महात्मा गांधी का यह देश जिनके आदर्शों एवं विरासत की प्रेरणा पूरा विश्व पाता है, में धार्मिक असहिष्णुता इस कदर बढ़ गयी है कि अब यहां एक दिन भी रहा नहीं जा सकता। जबरदस्ती देश में ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि मानो साम्प्रदायिकता में समाज उबल रहा है और कुछ सेक्युलर देवदूत उसको बचाने के लिए अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? जिस तरह कुछ महानुभावों ने अपना पुरस्कार लौटाना आरंभ किया है, उससे तो ऐसा ही लगता है। अलग-अलग हुई अपराधों की घटनाओं को एक साथ जोड़कर ऐसी स्थिति बनाई जा रही है, मानो देश में जो सैक्युलर हैं,

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उनकी खैर नहीं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी खैर नहीं। विचारधारा विशेष के लोग जो चाहेंगे, वहीं होगा। इस माहौल से परे जरा अपने आस-पास नज़र दौड़ाइयें, क्या वाकई ऐसी स्थिति देश में है। सच यह है कि देश में ऐसा माहौल नहीं है। दादरी की जघन्य घटना हमारे सामने है और कमोवेश सभी की प्रतिक्रियाएं उस पर आ रही हैं। दादरी की घटना निंदनीय है, उसके दोषियों को पकड़कर कानून में जो सख्त सजा है, वह मिलनी चाहिए। दादरी में तो अखलाक के परिवार को मुख्यमंत्री आखिलेश यादव ने अपने पास बुलाया, उनसे बात की और 45 लाख रूपए का मुआवजा दिया। घटना की जांच चल रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या जो लोग आज दादरी की घटना पर छाती पीट रहे हैं, इनमें से किसी की आवाज क्या उस समय भी सुनाई देती है जब पिछले 10 सितम्बर को बरेली के फरीदपुर थाने के दारोगा मनोज मिश्र को मुस्लिम पशु तस्करों द्वारा गोली से उड़ा दिया जाता है, उनका दोष सिर्फ इतना था कि वह तस्करी के लिए यानि, पशु काटने के लिए भरे ट्रक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या उनकी जान की कीमत नहीं थी। राज्य सरकार से इस घटना पर मदद तो दूर मुख्यमंत्री का बयान तक नहीं आया। इन दोनों घटनाओं पर ऐसे दो तरह के व्यवहार को आप क्या कहेंगे- सहिष्णुता या असहिष्णुता।

एक वर्ग विशेष से लगातार यह शिकायती आवाज उठायी जा रही है कि देश में मौजूद भाजपा की अगुआई वाली एन.डी.ए. सरकार के तहत धमरनिरपेक्षता पर हमले बे-इंतेहा बढ़ गए हैं। हालांकि यह कहते हुए कांग्रेस के रिकॉर्ड को भुला दिया जाता है। आज जो लोग धमरनिरपेक्षता पर हमले की शिकायत कर रहे हैं और पुरस्कार लौटाने जैसा दिखावा कर रहे हैं, वे मुश्किल ही कभी यह याद करते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी की शह से जातिगत झगड़े, 1960 के दशक से ही कई मुस्लिम विरोधी दंगे, शाहबानों मामला, एम.एफ. हुसैन का निर्वासन और सबसे शर्मनाक और सबसे बढ़कर 1984 के सिक्ख दंगे एवं कई ऐसे भयावह कांड हुए जिन्हें बेकाबू होने से रोका जा सकता था। हम अपनी यादे खंगालने बैठेंगे तो कई बुनियादी सच्चाईयों से ध्यान हटाना असंभव हो जाएगा। इससे इनका नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस ने ही अपने क्षुद्र स्वार्थों की सनक में तमाम तरह की आतिवादियों को हवा दी। असहिष्णुता की बात करने वाली कांग्रेस को यह याद करने की जरूरत है कि किस

तरह 1984 के सिक्ख दंगे पर देश में बने माहौल पर राजीव गांधी जी का बयान आया था कि “कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है।”

एन.डी.ए. के प्रति दुष्प्रचार का आलम यह है कि कुछ दिन पूर्व पत्रकारों द्वारा दिल्ली में असहिष्णुता के खिलाफ आयोजित प्रतिरोध सम्मेलन में नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या के लिए भी मोदी सरकार को जवाबदेह बना दिया जबकि, दाभोलकर की हत्या वर्ष 2013 में हुई थी और उस समय महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह केंद्र का शासन था। इस सबके बावजूद वहां किसी ने न तो केरल के प्रोफेसर टी.एस. जोसेफ का जिक्र किया और न ही मूदबिदरी का, जहां पिछले महीने गौ-रक्षक दल के सदस्य प्रशांत पुजारी को मार डाला गया था। प्रोफेसर जोसेफ की वर्ष 2010 में हथेली काट दी गई थी, इस आरोप में कि उन्होंने मुहम्मद साहब से संबंधित एक प्रश्न पूछकर उनका अपमान किया था। कोई बताए कि उस समय केरल और केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। क्या यह असहिष्णुता नहीं थी। असहिष्णुता से चिंतित विद्वानों से मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों किसी ने पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले के एक गांव में दुर्गा पूजा पर पाबंदी के बारे में बोलना मुनासिब नहीं समझा। किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि बौद्धिक तबका उच्च मामलों का संज्ञान लेना भूल गया होगा। इस तबके का एकमात्र इरादा मौजूदा एन.डी.ए. सरकार को बदनाम करना है। उदाहरण के तौर पर जब मुनव्वर राणा ने प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा जताई तो पी.एम.ओ. से एक फोन उनके पास गया कि आप कब मिलना चाहेंगे। फोन आने के बाद मुनव्वर जी की शर्तें सामने आ गईं और फिलहाल किसी को नहीं पता कि वह पी.एम. से मिलने का इरादा रखते भी हैं या नहीं। इससे पता चलता है कि वामपंथी बौद्धिक तबके के बेसुरे राग से देश की आम जनता पर असर नहीं है, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हो रही है। भारत की अजीब स्थिति है। यहां मुद्दों पर तो संघर्ष करने या जताने के समय लोग पता नहीं कहां रहते हैं, लेकिन, जो मुद्दा नहीं होना चाहिए, उसे मुद्दा बनाकर और सैक्युलर कहलाने के लिए इस तरह का प्रतीकात्मक विरोध करते हैं। जिससे वातावरण विषाक्त होता है और समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि बौद्धिक तबके को समाज, राष्ट्र की चिंता होती तो वह राष्ट्रीय पुरस्कारों की फजीहत करने के बजाए समाज में लोगों के बीच इस विश्वास को कायम

करने की कोशिश करते कि भले ही दादरी या अन्य कांडों के कारण दिल और दिमाग और आधिक बंट गए हो, पारस्परिक आविश्वास और संदेह और गहरे हो गये हैं, नफरत ने थोड़ी और बढ़त ले ली हो। फिर भी अल्लाह और ईश्वर के लिए इंसानियत को शर्मसार मत करो।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सबसे पहले, महोदया, मैं अखलाक, नुमान और जाहिद की हत्याओं की निंदा करता हूं। मैं इस घटना को संविधान पर हमला कहना चाहता हूं और यह आतंकवादियों द्वारा किया गया कृत्य था, न कि उग्र तत्वों द्वारा।

महोदया, मैं इस चेतावनी से शुरुआत करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं इस सभा में भारत का एकमात्र असहिष्णु हूं और बाकी लोग सद्गुणों के प्रतीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक और न्याय के समर्थक हैं। हमने यहां जो देखा है वह यह है कि हमारे पास दो राजनीतिक शक्ति केंद्र हैं; एक मुसलमानों और दलितों को पिल्ला और कुत्ता कहता है और दूसरा हमारे सामने टुकड़े फेंकता है और कहता है कि दुम हिलाओ। मेरा सवाल यह है कि 68 वर्षों की आजादी के बाद भी मुसलमान किसी भी महानगर में मकान क्यों नहीं खरीद सकते या किराए पर क्यों नहीं ले सकते? क्या यही सहिष्णुता है जिसकी आप बात कर रहे हैं? क्यों मेरे समुदाय और दलितों में ड्रॉपआउट दर 11 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाती है? क्या यही सहिष्णुता है? क्यों मुस्लिम बस्तियों में स्कूलों के बजाय पुलिस थाने अधिक खोले जाते हैं? क्या यही सहिष्णुता है? क्यों अहमदाबाद का जूहापुरा और मुंबई का गोवंडी नगर निगम का मेडिकल कचरा डंप करने का स्थान बन गया है, न कि उत्कृष्टता के विद्यालय? क्यों हर 100 में से केवल 3 मुसलमान ही स्नातक होते हैं? क्या यही सहिष्णुता है? लोग कहते हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन 2011 के एनएसएसओ के आंकड़े बताते हैं कि 10वीं पास ओबीसी मुसलमानों में केवल 11 प्रतिशत को ही रोजगार मिलता है, जबकि अन्य को 23 प्रतिशत। क्यों 23 साल बाद भी बाबरी मस्जिद मामले के आरोपी दोषी नहीं ठहराए गए, बल्कि उन्हें पद्म विभूषण दिया गया?

हमने विभिन्न सरकारें देखी हैं; कांग्रेस सरकार, यू.पी.ए. सरकार, संयुक्त मोर्चा सरकार, एन.डी.ए. सरकार। क्या यह सहिष्णुता है? मैं इस महती सभा से एक राजनीतिक असहिष्णु सवाल पूछता हूँ महोदया, ऐसा क्यों है कि जब मैं भाजपा का विरोध करता हूँ तो मुझे राष्ट्र-विरोधी कहा जाता है, मुझे जिन्ना कहा जाता है? जब मैं धर्मनिरपेक्ष दलों का विरोध करता हूँ, तो मुझे सांप्रदायिक कहा जाता है। ऐसा क्यों है कि यह देश कह रहा है कि यदि आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी के साथ रहते हैं तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं और यदि आप भाजपा का विरोध करते हैं तो आप राष्ट्र-विरोधी हो जाते हैं? ऐसा कैसे है कि इन दोनों राजनीतिक दलों ने राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के अधिकार को हथिया लिया है? मैं उनके अधिकार की निंदा करता हूँ।

मैं असहिष्णु बना रहा क्योंकि यह मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब गौहत्या के लिए हरियाणा में 10 साल की सजा दी जाती है, तो यह राजनीतिक असहिष्णुता कैसे है, कांग्रेस इसका समर्थन करती है? लेकिन मैं असहिष्णु हूँ, मैं एक सांप्रदायिक हूँ। ऐसा कैसे है कि त्रिपुरा के राज्यपाल 19 अक्टूबर को कहते हैं कि अगर मुसलमान सूअर का मांस खाते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सहिष्णुता का जश्न मनाया जा सकता है? क्या आप इसी सहिष्णुता की बात कर रहे हैं?

महोदया, मैं सरकार से और इस महती सभा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों से यह बहुत असुविधाजनक, असहिष्णु सवाल पूछकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने मेरा विरोध करने का अधिकार क्यों लिया? मैं कर्नाटक में भाषण क्यों नहीं दे सकता? मैं उत्तर प्रदेश में भाषण क्यों नहीं दे सकता? ऐसा क्यों है कि 22 प्रतिशत मुसलमान विचाराधीन जेल में हैं? पश्चिम बंगाल में, यह आंकड़ा 49 प्रतिशत है; महाराष्ट्र में - 29 प्रतिशत; और उत्तर प्रदेश में - 29 प्रतिशत। क्या यह सहिष्णुता है?

महोदया, गृह मंत्री जी ने सुझाव मांगे थे। माननीय गृह मंत्री को मेरा सुझाव है कि जब गलत आरोप लगाया गया तो आपके गौरव को ठेस पहुंची है। मैं आपका गौरव दिखाने के लिए आपकी सराहना करता हूँ लेकिन आप देख रहे हैं कि 69 साल से मुझे पाकिस्तानी कहा जा रहा है। मेरे अभिमान का क्या? क्या आप उठेंगे और मेरे गौरव की रक्षा करेंगे? क्या आप उठेंगे और मेरी अखंडता की रक्षा करेंगे?

माननीय मंत्री को मेरा सुझाव है कि आप एन.एच.आर.सी. अधिनियम में संशोधन करें। आप एन.एच.आर.सी. को सांप्रदायिक दंगों की जांच का अधिकार दें ताकि एस.पी. और डी.एम. पर जिम्मेदारी तय की जा सके। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने आंतरिक सुरक्षा प्रभाग में एक अनुभाग बनाएं जो हिंदू कट्टरपंथियों पर नजर रखे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि म्यांमार में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में क्या हुआ है। हमें स्थिरता की आवश्यकता है। तीसरे चरण के रूप में, आप एक समान अवसर आयोग बनाते हैं। आप एम.सी.एम. को संवैधानिक दर्जा देते हैं।

आप आई.एस.आई.एस. और *वहाबीवाद* के बारे में बात करते हैं। याद रखें आई.एस.आई.एस. एक दुष्ट विचारधारा है। आप हमें वहाबियत और सूफीवाद में बाँटकर नहीं देख सकते। आपको सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय को एक इकाई के रूप में देखना होगा। इस समय पूरा इस्लामिक जगत आई.एस.आई.एस. की निंदा कर रहा है। एक बात याद रखें कि आईएसआईएस को बमों से नहीं हराया जा सकता। आईएसआईएस को बौद्धिक बहस से हराया जा सकता है। यही वह चीज है जो आज जरूरी है।

महोदया, मैं फैज़ का एक शेर उद्धृत करके अपना भाषण समाप्त करूंगा:

[हिन्दी] 'तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्जे वतन,

जो तेरे अर्जे बेरंग को गुलनार करे,

कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा,

कितने आंसुओं से तेरे सहाराओं को गुलजार करें।'

माननीय अध्यक्ष : आज ओवेसी जी को मानना पड़ेगा कि समय में पूरा कर दिया।

श्री राहुल गांधी।

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी (अमेठी): मुझे आज यहां हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

मैंने कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री को हमारे संविधान के बारे में बोलते हुए सुना। उन्होंने एक घंटे से अधिक समय तक भाषण दिया और उन लोगों की सराहना की जिन्हें वे उस दस्तावेज़ का शिल्पकार मानते हैं, जिसकी बदौलत आज मैं यहां इस सदन में बोल पा रहा हूँ। उन्होंने गांधी जी का उल्लेख किया। उन्होंने अंबेडकर जी का उल्लेख किया। उन्होंने राजेन्द्र प्रसाद जी, वल्लभभाई पटेल जी के योगदान की बात की और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी कुछ शब्द कहे।

उन्होंने संविधान के प्रति अपने मन में अपार सम्मान के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने संविधान को एक हाथी की पीठ पर रखकर जुलूस निकाला और स्वयं उस हाथी के पीछे पैदल चले। यह कितनी बड़ी विनम्रता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री संविधान के पीछे-पीछे चलता है... (व्यवधान)। क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने गलत समझ लिया। वास्तव में, हाथी नेता के पीछे-पीछे चल रहा था, हाथी की पीठ पर संविधान विराजमान था और गुजरात के मुख्यमंत्री उस हाथी की अगुवाई कर रहे थे। यह हमारे प्रधानमंत्री की संविधान के प्रति गहरी श्रद्धा का अद्भुत प्रतीक है। यह निःसंदेह सराहनीय है।

फिर भी, जब मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, तो मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा था कि हमारे सोचने के तरीके में कितनी गहरी भिन्नता है। जैसे-जैसे वे अपने भाषण में आगे बढ़ते गए, यह अंतर और भी अधिक स्पष्ट होता गया। मोदी जी के लिए, जिन व्यक्तियों का उन्होंने उल्लेख किया, वे बौद्धिक नायक थे — पूजे जाने योग्य, जिनकी मूर्तियाँ बनाकर उन्हें ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, वे सभी भारत की समस्याओं के समाधानकर्ता थे। लेकिन मेरे लिए, वे लोग इसलिए नायक थे क्योंकि वे भारत की जनता की बात सुनने में सक्षम थे। वे इसलिए नायक नहीं थे कि उनके पास सभी समस्याओं के हल थे, बल्कि इसलिए कि उनमें सही प्रश्न पूछने की विनम्रता थी। मेरे लिए, उनका असली नायकत्व इस बात में था कि वे अपने 'स्वयं' को, अपने अहं को इस हद तक मिटा सके कि वे स्वयं उस जनता की आवाज बन गए, जिसकी वे सेवा कर रहे थे। उन्होंने अपने को मिटाकर जनता की आवाज़ को आत्मसात कर लिया, वे स्वयं जनता की आवाज बन गए।

मेरे लिए वे इसलिए नायक थे क्योंकि उन्होंने अपने भय, अपनी असफलताओं और अपनी चिंताओं को एक ओर रख दिया और भारत की जनता की बात सुनी। उन्होंने भारत को सुना और भारत को बोलने दिया। सदियों बाद पहली बार भारत की जनता को अपनी बात कहने की गरिमा दी गई। भारत ने केवल बात ही नहीं की, भारत ने गाया और इतना मधुर गाया कि पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगी।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे लिए हमारे संविधान के वास्तविक लेखक वे लोग थे, जिनका प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में अधिक उल्लेख नहीं किया। वे इस देश की आम जनता थी- करोड़ों आवाज़ें: अमीर-गरीब, पुरुष-महिला, हिंदू-मुस्लिम, सिख, पंजाबी, मराठी, बंगाली, मलयाली, गुजराती, किसान, मज़दूर, छोटे व्यापारी, बड़े उद्योगपति, विधवा माँ, अनाथ बेटा- इन सभी ने मिलकर इस राष्ट्र की आत्मा को स्वर दिया। इनमें से हर एक, यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर और सबसे बेसहारा व्यक्ति भी, इस संविधान का सह-निर्माता है। गांधी जी और उनके सहयोगियों ने केवल इतना किया कि उन्होंने इन्हें स्नेह और संवेदना से सुना और समझा... (व्यवधान)

संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मैं इनमें से पहले और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण अधिकार का उल्लेख करना चाहूंगा — समानता का अधिकार। इसमें कानून की दृष्टि में समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध, रोजगार के अवसरों में समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का उन्मूलन शामिल है। महोदया, हम सभी ने इस सदन में शपथ ली है कि हम इन अधिकारों की रक्षा करेंगे। मैं इस सदन में चारों ओर देख रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ माननीय श्री वी. के. सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने न केवल एक मंत्री के रूप में शपथ ली थी, बल्कि एक सांसद और एक सैनिक के रूप में भी। वही जनरल, जिन्होंने दलित बच्चों की तुलना कुत्तों से कर दी थी... (व्यवधान) उन्होंने दलित बच्चों को कुत्ते कह डाला था।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): महोदय, यह कांग्रेस का असत्य है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप लोग एक-दूसरे को डायरेक्ट मत कीजिए। यह क्या हो रहा है? आप लोग चुप रहिए।

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी : उन्होंने सीधे-सीधे संविधान और समानता के मौलिक अधिकार को चुनौती दी है, जब उन्होंने दलित बच्चों की तुलना कुत्तों से की... (व्यवधान) और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को मंत्री बने रहने देते हैं, मानो कुछ हुआ ही न हो... (व्यवधान) यह वही प्रधानमंत्री हैं जो एक ओर डॉ. अंबेडकर की पूजा करते हैं, और दूसरी ओर यह भूल जाते हैं कि डॉ. अंबेडकर ने अपना सम्पूर्ण जीवन उन दो बच्चों जैसे बच्चों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था... (व्यवधान) उन्होंने संविधान इसीलिए रचा था ताकि ऐसे दो मासूम बच्चे जलाए न जा सकें। उन्होंने संविधान इसीलिए बनाया ताकि उन बच्चों को जलने से बचाया जा सके। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री इस अंतर्विरोध को देख ही नहीं पाते। हमारे सामने साक्षी महाराज जी बैठे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ नहीं हैं। आप सभी भली-भांति जानते हैं कि वे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह से वे हमारे देशवासियों और बाहर के लोगों के बारे में बोलते हैं।

अपराह 17.00 बजे

फिर भी, वही प्रधानमंत्री, जो डॉ. अंबेडकर और गांधी जी के उद्धरण देते हैं, वह खामोश रहते हैं और एक शब्द नहीं कहते... (व्यवधान)। मोदी जी विदेश जाते हैं और वहाँ सबको भाषण देते हैं, और भारत में आकर कहते हैं कि देश की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। वह रक्षा क्षेत्र में एफ.डी.आई. की बात करते हैं।

मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मोहम्मद अखलाक, जो एक युवा वायुसेना कर्मी मोहम्मद सरताज के पिता थे। वह सरताज जो आज हमारी वायुसेना में देश की सेवा कर रहा है, उनकी नृशंस हत्या केवल इसलिए

कर दी गई क्योंकि वह मुसलमान थे। जब सरताज से पूछा गया कि अपने पिता की बर्बर हत्या के बाद उनका देशवासियों के लिए क्या संदेश है, तो उन्होंने जो उत्तर दिया [हिन्दी] सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। [अनुवाद] उस व्यक्ति की सुरक्षा का अंतिम उत्तरदायित्व जिनके कंधों पर था, अर्थात् भारत के प्रधानमंत्री, वह खामोश रहते हैं... (व्यवधान)। भारत के प्रधानमंत्री इस विरोधाभास को नहीं देख पाते। सरकार 'स्किल इंडिया' की बात करती है... (व्यवधान)। सरकार 'स्किल इंडिया' की बात करती है। मोदी जी सभी को यह कहते हैं कि सबसे जरूरी कार्य यह है कि हम अपने नागरिकों को कौशल प्रदान करें, ताकि हर भारतीय कुशल बन सके। फिर भी जब एफटीआईआई के ऐसे विद्यार्थी, जिनमें उत्कृष्ट कौशल है, यह शिकायत करते हैं कि उनके संस्थान के शीर्ष पर एक औसत दर्जे के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, तो सरकार क्या करती है? सरकार उनके आत्मबल को कुचलने का प्रयास करती है। वह उन्हें डराने का प्रयास करती है। मैं वहाँ गया था। मैंने उनसे बात की थी। उनकी मांग बहुत सरल थी। वे कुछ बड़ा नहीं मांग रहे थे। वे बस चाहते थे कि उन्हें सुना जाए। केवल इतना ही। फिर भी, जिस सरकार ने उनकी आवाज़ को कुचल दिया, वह इस विरोधाभास को नहीं देखती।

दाभोलकर जी, पंसारे जी और कलबुर्गी जी की कट्टरपंथियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री के पास इन हत्याओं पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं।... (व्यवधान) [हिन्दी] मैडम, गुजरात में ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद] **माननीय अध्यक्ष:** मुझे खेद है। मुझे अब चर्चा समाप्त करनी है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ये सब बातें कई बार हो चुकी हैं। बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: स्पीकर मैडम, नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी रेपुटेशन गुजरात में बनाई। गुजरात शाइनिंग की बात हुई। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने बोला कि देखिए मेरी सफलता गुजरात में, अच्छे दिन आ जाएंगे, आपको याद होगा। शायद वो लोग भूल गए हैं, मगर हम यह नारा नहीं भूलेंगे। ... (व्यवधान) गुजरात में क्या हुआ? ... (व्यवधान) आपका जो गुजरात मॉडल था, वह गुब्बारे जैसा फटा और पाटीदार आंदोलन शुरू हुआ। ... (व्यवधान) लोग आए, प्रोटेस्ट किया और गुजरात की सरकार क्या करती है? ... (व्यवधान) पाटीदारों के खिलाफ गुजरात की सरकार क्या करती है? ... (व्यवधान) उनके खिलाफ बीस हजार एफआईआर फाइल करती है। ... (व्यवधान) क्यों फाइल करती है, कारण क्या है? कारण है सैडिशन। आज हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट का मतलब सैडिशन। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल गांधी, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कर सकते हैं। आपको अब अपना वक्तव्य समाप्त करना होगा और उनकी बात नहीं सुननी होगी।

[हिन्दी]

श्री राहुल गांधी: बहुत संख्या में लोगों को अंदर कर दिया, बंद कर दिया। ... ([अनुवाद] व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप सभी कुछ-कुछ क्यों बोल रहे हैं?

... (व्यवधान)... *

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। केवल श्री राहुल गांधी का भाषण ही रिकॉर्ड में जाएगा।

... (व्यवधान)... *

[हिन्दी] **श्री राहुल गांधी:** अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप बीजेपी में हैं। आपके नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो अपने भी नहीं रहे, ... क्यों? (व्यवधान) क्योंकि आपके एक आदमी अरूण शौरी जी हैं, जो पहले मोदी जी की प्रशंसा करते थे। उन्होंने मोदी जी के बारे में दो-तीन गलत चीजें कही, थोड़ा क्रिटिसाइज किया और आपके जो ट्वीटार्टी हैं, आप उनको ट्रोलर्स कहते हैं, आपके ट्रोलर्स ने आपके ही आदमी पर आक्रमण कर दिया और अरूण शौरी जी के बच्चे के बारे में क्या कहा? ... (व्यवधान) जिसको सेरेबल पालसी है, आपने उसको भी नहीं छोड़ा है। ... (व्यवधान) मिस्टर शौरी जी ने कहा कि ये ट्वीटर के लोग मेरे ऊपर चढ़ें, ... (व्यवधान) मेरे पीछे पड़े और मुझे उन्होंने गाली दी और उनको प्रधानमंत्री जी फौलो करते हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, कृपया समाप्त करें।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं केवल तीन मिनट लूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया उन्हें अब निष्कर्ष निकालने दें।

... (व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप उनको बोलने दीजिए, उन सभी का जवाब आ जायेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी : जब यह सब कुछ हो रहा है, तब भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएँ - देश के सर्वश्रेष्ठ लेखक, बुद्धिजीवी और कलाकार- अपने पुरस्कार सरकार को लौटा रहे हैं, एक शांतिपूर्ण विरोध के रूप में। परंतु सरकार उनसे बात करने की भी जहमत नहीं उठाती। श्री अरुण जेटली बस इतना कह देते हैं कि यह एक 'नकली आंदोलन' है। मैं पूछना चाहता हूँ, वे ऐसा क्यों कहते हैं? श्री अरुण जेटली जी, यह कोई सपना नहीं है जैसे आपकी 'मेक इन इंडिया' परियोजना है, यह तो सच्चाई है। क्या आप यह मानते हैं कि नारायण मूर्ति, रघुराम राजन, पी.एम. भार्गव जैसे लोग इस प्रकार का विरोध गढ़ने के लिए खाली बैठे हैं? वे यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे व्यथित हैं — जैसे इस देश के करोड़ों लोग व्यथित हैं। कृपया उन्हें वह सम्मान दीजिए कि आप यह जानने का प्रयास करें कि उन्हें किस बात ने व्यथित किया है। उन्हें यूनं ही खारिज मत कीजिए। जाइए, और उनसे संवाद कीजिए।

प्रधानमंत्री आर्थिक प्रगति और विकास की बात करते हैं, वहीं उनके सहयोगी बॉलीवुड सितारों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। भारत की सफलता का कारण यह है कि हमने अपने लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दी; भारत इसलिए सफल है क्योंकि हमने अपने नागरिकों को गले लगाया है और उन्हें संवाद का हिस्सा बनाया है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है — हमारी सहिष्णुता।

पाकिस्तान असफल हुआ क्योंकि उसने अपने नागरिकों की आवाज को दबाया। वे इसलिए असफल हुए क्योंकि उनके नेताओं ने उन आवाजों को कुचल दिया जो उनके लिए असुविधाजनक थीं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है — उनकी असहिष्णुता।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब, कृपया समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राहुल गांधी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ ... (व्यवधान) वे मुझे बोलने नहीं दे रहे ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या किया जा सकता है? यह शोर हर तरफ से हो रहा है।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया हम गलत सबक न सीखें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अनुराग ठाकुर, मुझे खेद है। कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती बिजोया चक्रवर्ती, कृपया बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल गांधी, कृपया समाप्त करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल गांधी, अध्यक्षपीठ को संबोधित करें और समाप्त करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री तारिक अनवर, आपको मुझे निर्देशित नहीं करना चाहिए। मुझे इस बात का खेद है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको बता रही हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे पता है। हर कोई ऐसा कर रहा है। कृपया आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभी वर्ग यह सब कर रहे हैं। यह सब क्या है?

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: उनकी सबसे बड़ी कमजोरी असहिष्णुता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि कृपया उनसे गलत सीख न लें। कृपया सहिष्णु बनें। कृपया अपने ही लोगों की आवाज़ सुनें, उन्हें गले लगाएँ। गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने हमारे लोगों को आवाज़ दी थी। उन्होंने उन लोगों को गाने की अनुमति दी, जिन्हें सदियों से सुना नहीं गया था। नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में तीन गोलियाँ उतार दी थीं। मैं इस सदन में बैठा था और सुना कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी की प्रशंसा की, जो हमारे नेता हैं। लेकिन मैंने यह भी देखा कि जब एक माननीय सदस्य ने... * नाथूराम गोडसे को 'देशभक्त' कहा, तब माननीय मोदी जी मौन रहे।... (व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदया, इन्होंने मेरा नाम लिया है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी : मुझे पूरा यकीन है, माननीय अध्यक्ष महोदया... (व्यवधान)

[हिन्दी] **डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज :** अध्यक्ष महोदया, राहुल जी ने मेरा नाम लिया है।... (व्यवधान)

मैं बोलूंगा।... (व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया

माननीय अध्यक्ष : हां, मालूम है। उनके बाद बोलिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आप क्या कर रहे हैं? मैं देख लूंगी।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : जो शब्द नहीं होना चाहिए, उसे मैं एक्सपंज करूंगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी बात पूरी नहीं हुई है। [हिन्दी] मैं बाद में बोलने दूंगी।

[अनुवाद] वह समाप्त हो रहा है। यह क्या है?

श्री राहुल गांधी : मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल गांधी, कृपया समाप्त करें।

श्री राहुल गांधी : मैं केवल एक मिनट लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री को विरोधाभास नजर नहीं आता।

माननीय अध्यक्ष: अब, यह आपका समापन वक्तव्य है!

श्री राहुल गांधी : क्या प्रधानमंत्री अब हमारे देशवासियों की आवाज सुनना शुरू करेंगे? या वे केवल मौन खड़े रहेंगे और अपने सहयोगियों को इस देश की आवाज को कुचलते हुए देखते रहेंगे? क्या वे केवल संविधान को

हाथी पर रखकर उसके आगे-आगे चलेंगे? या फिर वे अपना कर्तव्य निभाएंगे और उस मूल भावना की रक्षा करेंगे, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या वे हमारी सुंदर भारत भूमि को गाते रहने देंगे? या उन्हें लगता है कि वे हमारे देश को खामोशी के अंधकार में ढकेल सकते हैं?

धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? [हिन्दी] आपका नाम आया था।

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज: अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि बिना नोटिस के मेरे संदर्भ में कोई बात नहीं कही जा सकती।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पर एलिगेशन नहीं लगाए हैं।

... (व्यवधान)

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज : राहुल गांधी जी ने दो-तीन बार मेरा नाम लिया है। आखिरकार मैंने क्या किया। किस संदर्भ में मेरा नाम लिया गया। इन्हें पहले मुझे नोटिस देना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किरीट जी, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

***कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):** देश को कमजोर करने का असफल प्रयास करने वाली कांग्रेस एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को स्पष्ट बहुमत ही भाजपा सरकार/एनडीए सरकार जो माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अति उत्तम कार्य कर रही है, विपक्षी दलों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस कारण से देश में सहिष्णुता एवं असहिष्णुता पर बहस प्रारंभ करा दी है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

‘वसुधैव कौटुम्बकम्’ की पहचान रखने वाला हमारा देश हिन्दुस्तान की संस्कृति की सराहना हजारों वर्षों से दुनिया में होती है, संपूर्ण वसुधा को परिवार मानने वाले भारतीय नागरिकों को असहिष्णु कहकर अपमानित करने वाले कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट विचारधारा वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों ने दुनिया में हिन्दुस्तान की बढ़ रही छवि को क्षति पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में मेक इन इंडिया, डिजीटल इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, सबका साथ-सबका विकास के नारे से प्रभावित होकर दुनिया के बड़े उद्योग घराने निवेश करना चाहते हैं। देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद बढ़ी है तो कांग्रेस के नेतृत्व में समूचे विपक्ष ने षडयंत्र करके सम्मान प्राप्त तथाकथित बुद्धिजीवियों को भड़काकर पुरस्कार वापसी करवाकर मीडिया के माध्यम से देश की छवि को छति पहुंचाने का काम किया है।

बड़े दुःख के साथ न्यूनाधिक पुरस्कार वापिस करने वालों की पक्षपाती व पूर्वाग्रही सोच वालों की, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली विचारधारा को मैं धिक्कारता हूँ जो अपनी मातृभूमि को छति पहुंचाए वह कैसा बुद्धिजीवी। जिसने पुरस्कार के लिए नामित किया वह भी जांच का विषय होना चाहिए। मेरा मानना है ऐसे पुरस्कार वापिस करने वाले अनेकों लोग इसके योग्य ही नहीं हैं। छद्म युद्ध छेड़ने जैसे राष्ट्रविरोधी कृत्य की जितनी आलोचना की जाए वह कम है। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी ‘यश भारती’ पुरस्कार दिए हैं। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो पुरस्कृत किया है, सपा

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरकार ने, जिनको यदि आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता पुरस्कार वापिस करने को कह दें तो वापिस करने वालों की लाइन लग जाएगी और मीडिया के ऐसे ही कुछ लोग जो पत्रकारिता नहीं करते हैं, पत्रकारिता का मुखौटा लगाकर व्यापार करने वाले लोग देश को गुमराह करने का काम करते हैं और देश में असहिष्णुता का वातावरण बनाने का काम करते हैं।

193 के तहत विपक्ष द्वारा असहिष्णुता पर 30 नवम्बर को चर्चा मांगी थी। मैं घोर विरोध करते हुए, अंत में निवेदन करता हूँ कि जो लोग देश को मजबूत देखना चाहते हैं, वे समझदार हैं, त्यागी हैं, स्वार्थी नहीं हैं। परोपकारी मानसिकता वाले लोग देशवासियों को सहिष्णु ही रखना चाहते हैं। अपने देश में अपनेपन से ही रहना चाहते हैं, शांति एवं प्रेम से रहना चाहते हैं वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस व कम्युनिस्ट के नेता जो मिलकर भी लोक सभा में विपक्ष की संख्या भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, देश ने इनको इन्हीं राष्ट्र विरोधी कृत्यों के कारण नकार दिया है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले देश को बांटकर ही वे राजनीति करके सत्ता में रहे हैं, परंतु शिक्षित भारत अब समझदार हो गया है। अपना एवं अपने राष्ट्र के हित को समझता है। वह गर्व करता है कि मात्र और मात्र हमारा भारत ही एकमात्र सवारधिक सहिष्णु राष्ट्र है, दुनिया में महान भारत से आधिक सहिष्णु दुनिया में कोई राष्ट्र नहीं है। देश का वातावरण बिगाड़ने वाले लोगों पर गहनता से जांच की जाए। देशद्रोहियों से सरकार को सहिष्णुता दिखाने की कोई आवश्यकता की गुंजाइश ही नहीं होती है। असहिष्णुता देशद्रोहियों से अत्याचारियों से, भ्रष्टाचारियों से, गरीबी से, पिछड़ेपन से, बीमारी से ही हमारी सरकार रखती है। हर राष्ट्र प्रेमी से समूचा राष्ट्र सहिष्णु है।

किसानों की कठिनाई को दूर करने के लिए हम सहिष्णुता के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारी सरकार पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णु है। देशद्रोहियों से असहिष्णुता हर देश का सिद्धांत होता है, हमारा यह सिद्धांत और भी दृढ़ है। बार-बार यह कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ कि देश की शांति व सहिष्णुता को चोट पहुंचाने वाले लोगों को कठोर से कठोर दंड का प्रावधान भारत की यह संसद करे। क्योंकि अन्ततोगत्वा देश एवं देशवासी की सुख, शांति ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

[अनुवाद]

***डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर)** : यह प्रश्न का विषय है कि विशेष रूप से पिछले डेढ़ वर्ष की अवधि में 'असहिष्णुता' शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। एम. एम. कलबुर्गी, गोविंद पानसरे, नरेन्द्र दाभोलकर और सुधेंद्र कुलकर्णी के चेहरे को शिव सेना कार्यकर्ताओं द्वारा काला करके अपमानित करने, हरियाणा में दलितों की हत्या, उत्तर प्रदेश में दादरी हत्या की घटना, महाराष्ट्र और देश के कुछ अन्य हिस्सों में गौमांस पर प्रतिबंध आदि जैसी घटनाओं के परिणामस्वरूप, पूरे देश में कई बुद्धिजीवियों ने अपने पुरस्कार वापस देकर और विभिन्न मंचों पर ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपनी चिंता दिखाई।

इस संबंध में, एक भारतीय के रूप में मेरा विचार यह है कि हम एक ऐसे देश हैं जहां अपनी जीवन शैली के हर स्तर पर बहुत सारी विविधताएं हैं। चाहे वह भाषा हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे वह अपनी पसंद का भोजन हो, चाहे वह कपड़े पहनने का तरीका हो, आदि। कुल मिलाकर, हमारे समाज के सभी वर्गों की संस्कृति एक-दूसरे से अलग है। तो, बिल्कुल, जीवन शैली में अंतर होगा, विश्वास प्रणाली में अंतर होगा, लेकिन यही कारण नहीं होना चाहिए कि हम किसी को उसके अधिकारों से वंचित कर दें। इसलिए, खुद को एक सभ्य समाज, एक सहिष्णु समाज, एक कल्याणकारी समाज के लोगों के रूप में साबित करने के लिए, हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए जिससे हर कोई एक राष्ट्र के हिस्से के रूप में एक साथ आगे बढ़ सके।

हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने विकास का आह्वान किया है। जब वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भाग लेने के लिए विदेश जा रहे हैं, तो वह हमारी विविध संस्कृति, धर्म, समाज का समग्र रूप से सराहनीय तरीके से पक्ष रख रहे हैं। इसलिए, जब हम विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषण की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हमें दूसरों के प्रति इतना असहिष्णु नहीं होना चाहिए। यदि अतीत में किसी के द्वारा कुछ गलत हुआ है तो वही गलती अब हमें नहीं दोहरानी चाहिए। नीति स्पष्ट रूप से समावेशी नीति होनी चाहिए क्योंकि कम से कम विकास के लिए

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारा समाज प्राचीन काल से ही सह-अस्तित्व के मूल्यों पर कायम है। इसलिए सभी समुदायों, धर्मों, जातियों और वर्गों के लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे प्रगतिशील तरीके से सोचें, ताकि उत्तेजक परिस्थितियों से बचा जा सके। जब भी हम वर्चस्व के लिए लड़ते हैं तो हमें दूसरों के बारे में नहीं भूलना चाहिए जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं, अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए, हर जिम्मेदार सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह देश के अल्पसंख्यकों, दलित और असहाय लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। असमानता, गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा, अवसाद आदि लोगों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए, ऐसी घटनाओं की जांच करने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और उच्चतम स्तर पर मुद्दों के समाधान के उपाय करने चाहिए।

***श्री एस. पी. मुदाहनुमेगौड़ा (तुमकुर) :** यह सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जिस पर लोक सभा में चर्चा हो रही है। जैसा कि देश में सभी जानते हैं कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। यही कारण है कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि यह हमारे समाज, शिक्षा, संस्कृति और वैज्ञानिक स्वभाव को भी प्रभावित कर रहा है। यह एक विशाल देश है और बढ़ती असहिष्णुता का मतलब है कि हम इस देश की परंपराओं, संस्कृति, विरासत और सभ्यता से दूर जा रहे हैं जो हमें सहिष्णुता की भावना सिखाती है। हम सहिष्णुता के रास्ते से तेजी से भटक रहे हैं। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह फासीवादी देश नहीं है। यह एक लोकतांत्रिक देश है। मैं सहिष्णुता की बात कर रहा हूँ। वास्तव में, मुद्दा यह है कि गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और विकलांगों को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। हमारे संविधान ने भी उन्हें मुख्यधारा में लाने के वही निर्देश दिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। मूल मुद्दा यह है कि किसी भी धर्म का परिवर्तन, चाहे वह सौम्य रूप से हो या उग्र रूप से, इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। हमें हिंदू या मुस्लिम के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए। अगर लड़ाई करनी है, तो वह भूख, बेरोज़गारी, पिछड़ेपन, अन्याय और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध होनी चाहिए।

लोगों के जीने के मौलिक अधिकार, खाने के अधिकार, सोचने के अधिकार पर अभूतपूर्व हमला है; विपरीत विचारों के लोगों को धमकाना, गाली देना और मारना दैनिक मामला बन गया है। हर दिन, हम असहिष्णुता की कहानियां सुन रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो देश में हमेशा असहिष्णुता के अस्तित्व का विरोध करते रहते हैं। मुझे बताना होगा कि, पिछले 18 महीनों में ही, हम देश के विभिन्न हिस्सों से देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ने के लिए इसी तरह की घटनाओं की एक श्रृंखला देख रहे हैं। देश में बढ़ती असहिष्णुता उस समय अधिकतम हो गई जब दादरी के एक ग्रामीण मोहम्मद अखलाक को गौमांस खाने के लिए एक समूह ने पीट-पीटकर मार डाला। जो भी देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास करते थे, वे इन घटनाओं के बारे में

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सुनकर स्तब्ध थे। लेकिन सरकार की ओर से कोई परिपक्व बयान या टिप्पणी नहीं आई। इस घटना के बाद साहित्य संगीत और खेल के क्षेत्र में भी इसी तरह की खबरें सुनकर हम सभी स्तब्ध हैं। असहिष्णुता में वृद्धि और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले के विरोध में 40 से अधिक बुद्धिजीवियों और लेखकों ने साहित्यिक पुरस्कार लौटा दिए हैं या सार्वजनिक तौर से पत्र लिखा है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भी कई मौकों पर असहिष्णुता की बढ़ती घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन सरकार दुर्भाग्यपूर्ण चुप्पी साधे रहती है। सरकार की ओर से देश में सांस्कृतिक केंद्रों को सांप्रदायिक बनाने और भगवाकरण करने का जानबूझकर प्रयास किया गया था। हमें उन प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए जो देश में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बाधित करने का प्रयास करते हैं। हमें इस असहिष्णुता को रोकने के लिए कार्रवाई की जरूरत है।

मैं गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, किसानों, श्रमिकों और विभिन्न नौकरियों में लगे व्यापारियों के हितों पर टिप्पणी करना चाहूंगा। देश में रहने वाले लोगों में विविधता में एकता देखी जा सकती है। भारत के संविधान के तहत लोग किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं समाज के कमजोर वर्गों के साथ सामाजिक भेदभाव के खिलाफ हूँ। ऐसे वर्गों के प्रति भेदभाव की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना देशहित में होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए परामर्श में निहित विभिन्न नियमों, कानूनों और प्रावधानों के अनुसार कार्य करना चाहिए। केवल औपचारिकता निभाने के बजाय सभी कमियों को वास्तविक अर्थों में निपटाया जाना चाहिए।

कई मंत्री बिना लोगों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखे लोगों के बारे में ऐसे बयान दे रहे हैं। पिछले अठारह महीनों में होने वाली घटनाओं की श्रृंखला को देखें। प्रशासन केवल यह कहकर चुप नहीं रह सकता कि ये व्यक्तिगत विचार हैं। आपको इन चीजों की जिम्मेदारी लेनी होगी। देश में दलित-आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर आए दिन होने वाली चर्चा को अच्छे ढंग से नहीं लिया जाता है। हमें इस पर विचार करना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार अल्पसंख्यकों, दलितों और अन्य गरीबों की हत्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं केंद्र सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और अल्पसंख्यकों के मन में डर को कम करने का आग्रह करता हूँ।

***श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी (चेवेल्ला) :** 'असहिष्णुता' पर बहस का यह विडंबनापूर्ण पहलू है कि भारत में असली समस्या असहिष्णुता नहीं, बल्कि अत्यधिक सहिष्णुता है। हम भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गंदगी, प्रदूषण, जर्जर होती सार्वजनिक संरचनाओं, खाद्य पदार्थों में मिलावट और ऐसी अनेक समस्याओं के प्रति अत्यधिक सहिष्णु हैं। सिंगापुर जैसे देशों में यदि कोई व्यक्ति थूकता है, कचरा फैलाता है या बिना टिकट यात्रा करता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। लेकिन भारत में सार्वजनिक स्थानों पर इन सभी बातों को लाखों नागरिकों के लिए सामान्य व्यवहार मान लिया गया है। वास्तव में, हम बहुत ज्यादा सहिष्णु हो गए हैं।

हम राष्ट्रविरोधी तत्वों और आतंकवादियों से निपटने के प्रति बहुत सहिष्णु हैं। क्या कोई और देश उतना ही सहिष्णु है जितना हम भारत में हैं? क्या कोई अन्य देश है जहां मीडिया की जांच और राजनीति की स्वतंत्र सवारी राष्ट्र निर्माण पर देश के विमर्श पर हावी हो जाती है?

इसके विपरीत, पूरी दुनिया में मीडिया को अक्सर सरकार द्वारा की गई हिंसा और दमन की घटनाओं से दूर रखा जाता है। अमेरिका के रेंडिशन कैंप हों या रोमानिया के गुलाग—इनकी रिपोर्टिंग मुश्किल से ही हो पाती है। यह कहा गया है कि अमेरिका के कम से कम 54 देशों के साथ रेंडिशन समझौते हैं। अनेक सरकारें विश्व स्तर पर मानवीय अपराधों को अंजाम देती हैं, लेकिन इन विषयों पर कोई चर्चा तक नहीं होती। इसके विपरीत, भारत में मीडिया और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग कभी-कभी छिटपुट और कथित साम्प्रदायिक घटनाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने में लगे रहते हैं।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दुनिया में आतंकवादियों की गतिविधियों पर विचार करें - ब्रिटेन ने लीबिया के आतंकवादियों पर कैसे हमला किया या अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा से कैसे निपटा। भारत में, हम बहुत सहिष्णु हैं। मुंबई हमलों से संबंध स्थापित होने के बाद भी हम पाकिस्तान के साथ "क्रिकेट कूटनीति" के चरण में हैं।

सिंगापुर और मलेशिया जैसे दक्षिण एशियाई लोकतंत्रों में भी मीडिया की स्वतंत्रता पर विचार करें। मीडिया को सरकार के खिलाफ एक शब्द प्रकाशित करने या असहमति का नोट उठाने की स्वतंत्रता नहीं है। क्या ऐसे देशों में प्रोपेगंडा जीवित रह सकता है? चीन और सऊदी अरब जैसे देशों में तो बहुत बुरा हाल है। भारत बहुत सहिष्णु है। हम "धर्मनिरपेक्षता" और "सहिष्णुता" का पाठ पढ़ाने वाले सीमांत नेताओं, समाचार एंकरों और मशहूर हस्तियों को बर्दाश्त करते हैं।

पहले "धर्मनिरपेक्षता" हमारे राष्ट्रीय विमर्श में सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाने वाला शब्द हुआ करता था। इस मौसम का स्वाद "असहिष्णुता" लगता है। दादरी लिंगिंग(किसी व्यक्ति को एक अनुशासनहीन भीड़ के द्वारा तब तक पीटा जाता है जब तक की उस की मृत्यु न हो जाए।) और कलबुर्गी हत्याकांड नए उदाहरण हैं। आइए पिछले दशकों की बात भी न करें। अभी कुछ साल पहले, 2010 में, केरल के प्रोफेसर टीजे जोसेफ के हाथ इस्लामवादियों ने काट दिए थे। क्या अकादेमी और पद्म पुरस्कार वापस आ गए ? नहीं, तो वे अब पुरस्कार क्यों लौटा रहे हैं?

हिंदुत्व जैसे संकीर्ण दायरे में सभी विचारधाराओं के लिए खुले हिंदू धर्म जैसे धर्म को परिवर्तित करना, जो कट्टरवाद की सीमा पर प्रतीत होता है, अवांछनीय है। यदि "असहिष्णुता" कोई नई बात थी, तो सलमान रुश्दी की पुस्तक-सैटेनिक वर्सेज-पर प्रतिबंध लगाए जाने पर लेखकों और कलाकारों ने क्या प्रतिक्रिया दी? वे तसलीमा नसरिन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं जो बांग्लादेश से निर्वासित हैं, पश्चिम बंगाल से निकाली गई हैं और भारत में शरणार्थी हैं। यह चयनात्मक आक्रोश क्यों? अल्पसंख्यक "विशेष व्यवहार" नहीं चाहते, वे "समान व्यवहार" के पात्र हैं।

उदाहरण के लिए, जबकि अधिकांश भारतीय गाय का सम्मान करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, भारत में गौमांस खाना ठीक है। गौमांस खाने वाली पार्टियों का संचालन और विज्ञापन करना बहुसंख्यकों पर तंज कसना और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमें ऐसी असंवेदनशीलता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

एकतरफा होने और खुलेआम सहानुभूति जताने के चक्कर में हम देश के सामान्य अल्पसंख्यक नागरिकों का अपमान करते हैं। ये सभी कार्रवाइयां केवल कट्टरपंथियों को खुश कर सकती हैं, दूसरों को नहीं। वास्तव में, यह हमारी धर्मनिरपेक्षता के लिए सच्चा खतरा है।

असहिष्णुता के इस प्रचलित माहौल पर टिप्पणी करने वाली हस्तियाँ उद्योग के अपने सह-कलाकारों के प्रति सहिष्णु हैं, जो पैदल चलने वालों के ऊपर दौड़ रहे हैं, लुप्तप्राय जानवरों को गोली मार रहे हैं या अंडरवर्ल्ड अपराधियों के साथ हथियार और गोला-बारूद रख रहे हैं। फिर भी, हम बहुत सहनशील हैं।

सांप्रदायिक हिंसा की छिटपुट घटनाओं के लिए केंद्र सरकार, एक व्यक्ति या एक पार्टी को जिम्मेदार ठहराना अनुचित है। यह कानून-व्यवस्था का मुद्दा है, जिसे राज्य सरकार को संभालना चाहिए। कुछ छिटपुट घटनाओं का देश के बड़े राजनीतिक ढांचे से कोई संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। हम भारत में सामंजस्यपूर्ण विकास को पटरी से उतारने के लिए गलत सूचना की अनुमति नहीं दे सकते।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 की तुलना में 2012, 2013 और 2014 में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं अधिक थीं। पिछली सरकार के तहत 668, 823 और 644 घटनाएं हुईं। हम मीडिया के प्रति बहुत अधिक सहिष्णु हैं जो दुर्भावनापूर्ण प्रचार के साथ हमारी बातचीत को हाईजैक कर लेता है।

वास्तव में, हमारे पास सरकार, उसकी नीतियों के प्रति अस्वीकृति व्यक्त करने वाले व्यक्तियों की भी अच्छी-खासी संख्या है। यह तथ्य कि लोग और मीडिया सार्वजनिक मंचों से सरकार या उसकी नीतियों, या

देश छोड़ने के अपने विचारों के प्रति अस्वीकृति व्यक्त करने का दावा कर सकते हैं, हमारे देश की लोकतांत्रिक ताकत के पक्ष में बहुत कुछ कहता है।

ऐसे लोकतंत्र में रहते हुए जहां हमारी जितनी ही भाषाएं, धर्म और राज्य हैं, हमें यह समझने की जरूरत है कि मतभेद पैदा होंगे लेकिन इन्हें राजनीतिक बयानों में नहीं बदला जाना चाहिए।

मशहूर हस्तियों और बुद्धिजीवियों का इस तरह की टिप्पणी करना या पुरस्कार लौटाना वैश्विक मंच पर भारत की छवि के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं सभी समुदायों और संस्कृतियों के कट्टरवाद और असहिष्णुता के खिलाफ हूँ। हमारे राष्ट्रीय विमर्श को हथियाने में लेखकों, कलाकारों और वैज्ञानिकों की अवसरवादिता शर्मनाक है।

तस्लीमा नसरीन ने कथित तौर पर कहा, "हमें दुनिया में कमोबेश हर जगह असहिष्णुता मिलेगी। भारत के कलाकार फिल्म स्टार आमिर खान और परिवार के लिए भारत सबसे सुरक्षित होना चाहिए। मुझे आमिर खान और उनका काम पसंद है। लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तो भारत छोड़ने का सपना भी नहीं देखता।

मुंबई के एक अभिनेता ने कुछ अनावश्यक और असंवेदनशील बयान देने के बाद कहा, "उन सभी लोगों से जो मुझे राष्ट्र-विरोधी कह रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, और मुझे किसी की अनुमति या समर्थन की आवश्यकता नहीं है उसके लिए।" लेकिन क्या यह अभिनेता समझता है कि भारत को न तो उसके बयान की जरूरत है और न ही समर्थन की कि भारत वास्तव में एक सहिष्णु देश है।

सवाल यह है कि जो सभ्यता 2000-3000 साल पुरानी हो, जो जैन और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों की जन्मस्थली हो और उसके निवासी जो ईसाइयों और मुसलमानों के साथ सहवास करते हों, क्या वह कभी असहिष्णु समाज हो सकता है?

सवाल यह है कि क्या लौटाए गए पुरस्कारों और तथाकथित बुद्धिजीवियों के विरोध के पीछे असहिष्णुता असली मकसद है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? मेरा मानना है कि इस तथाकथित "असहिष्णुता" मुद्दे के पीछे एक राजनीतिक मकसद है।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): महोदया, मुझे बोलने के लिए बुलाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, मैंने सोचा था कि श्री राहुल गांधी श्री पी.चिदम्बरम के बयान पर प्रतिक्रिया देंगे।

माननीय अध्यक्ष: उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री प्रहलाद जोशी : 27 साल से पहले जो हुआ था, जो ऐकसैप्ट किया, चिदम्बरम साहब ने उस समय गृह राज्य मंत्री होते हुए, उनके बारे में राहुल गांधी जी को याद नहीं आया। उन्होंने असहिष्णुता के बारे में इतनी बातें कीं लेकिन उन्होंने कभी भी श्री मणिशंकर अय्यर और श्री सलमान खुर्शीद के बयान को खारिज करने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि असहिष्णुता के कारण पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र बन गया है। लेकिन ये लोग, श्री मणिशंकर अय्यर और श्री सलमान खुर्शीद, वे पाकिस्तान गए और उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की प्रशंसा की और भारतीय, निर्वाचित प्रधान मंत्री की निंदा की। जिस संवैधानिक शक्ति से डॉ. अम्बेडकर ने हमें उपहार दिया था, उसी संवैधानिक शक्ति से श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। ये लोग वहां जाकर इसकी निंदा करते हैं। अब, वे भारत में असहिष्णुता की बात कर रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है, शर्मनाक बात है।

दूसरी बात ये है कि ये देश पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्ष देश है। यह दुनिया का एकमात्र धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि इस देश में 80 प्रतिशत हिंदू हैं। हिंदू मानते हैं कि हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि यह जीवन से परे है। यह केवल सहिष्णुता नहीं है। [हिन्दी] सर्वधर्म समभाव नहीं है, सर्वधर्म गौरव की बात इधर होती है। जो चार वाक्य थे, जिन्होंने कहा कर्ज लेकर घी खाओ। ये जिन्होंने यह कहा उनको षड दर्शन में ऋषि माना गया है यह देश ऐसा टोलरेंट है इसलिए अभी भी यह देश सेक्युलर है। [अनुवाद] कई मुद्दे और कई आंकड़े हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता था। लेकिन आपने कहा है कि समय की कमी है। इसलिए, मैं सीधे कर्नाटक से संबंधित मुद्दे पर आता हूँ। वे कलबुर्गी के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ से थे। कलबुर्गी जी से मेरे

बहुत अच्छे संबंध थे। थोड़े दूरप्पा जी जो यहां बैठे हैं, उनके कलबुर्गी जी से बहुत अच्छे संबंध थे। कलबुर्गी जी ने मेरे चुनाव का खुलकर समर्थन किया था। मेरे और मेरी पार्टी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। आप क्या बात कर रहे हैं? वे कलबुर्गी जी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई। कृपया मेरी बात सुनिए। आप सुनने का पेशेंस रखिए, अब, यह कलबुर्गी जी की हत्या के बाद 93^{वां} दिन है। उसकी हत्या के तुरंत बाद, मैं उनके घर गया, मैं अस्पताल गया; और मैंने उसी दिन मांग की, इस हत्या की एक बहुत गंभीर जांच की जानी चाहिए। आज एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। कर्नाटक में किसकी सरकार है? ... (व्यवधान) इस मामले की जांच कर्नाटक सरकार को सौंपी गई थी। अपराध जांच विभाग (सी.आई.डी.) ने बयान दिया था कि उन्होंने जांच रोक दी है। क्या आप जानते हैं महोदया इसका कारण? सभा को बता दें कि फंड की कमी के कारण कर्नाटक सरकार सी.आई.डी. टीम को फंड नहीं दे रही है और इसी वजह से जांच रुकी हुई है। इस देश में क्या हुआ है? ... (व्यवधान) मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ... (व्यवधान)

93 दिनों के बाद, कोई भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। [हिन्दी] स्पेशली कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों को देश में कुछ भी होता है तो ये वे आरएसएस का नाम लेते हैं, अब एक नया टर्मोलोजी प्रेम किया गया है, राइट विंग टेरिस्ट कहा जाने लगा है। वर्ष 2000 में इस देश में क्या हुआ, जब वाजपेयी जी देश में रूल कर रहे थे और अन्य प्रदेशों में दूसरी पार्टियों का रूल चल रहा था। कर्नाटक के चर्च में बंब ब्लास्ट हो गया। उस समय शायद एक मंत्री थे,* तुरंत एक स्टेटमेंट आया कि इसमें आरएसएस का हाथ है, बाद में पता चला की दीनदार अंजुमन सिद्धकी जो सिमी का पूर्व रूप था [अनुवाद] उस समय एसआईएमआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। [हिन्दी] उनका हाथ था [अनुवाद] यह साबित हो गया था। बाद में उन्हें दोषी ठहराया जाता है। जब उन्हें दोषी ठहराया गया तो मैं सांसद बन गया। और मैंने मांग की कि जिसने भी बिना किसी आधार के आर.एस.एस. का नाम लिया है, क्या आप शिष्टाचारवश माफी मांगेंगे? कांग्रेस का कोई नेता माफी मांगने को तैयार नहीं था। यह हालत हो गई है। गांधी जी की हत्या से लेकर इस तारीख तक, क्या हुआ है?

उस समय संसद सदस्य, श्री जगन्नाथराव जोशी थे। वह मेरे राज्य से सांसद थे। उन दिनों भी, आर.एस.एस. को दोषी ठहराया गया था। एक बार, एक कांग्रेस नेता... [अनुवाद] (व्यवधान) [हिन्दी] उनको आकर स्वीट दिया, जगन्नाथ राव जी ने उनको पूछा कि क्या हो गया, उन्होंने कहा कि मुझे बेटा हुआ है, जगन्नाथ राव जी ने पूछा कि इसमें भी आरएसएस का हाथ है क्या? [हिन्दी] इनको सब कुछ में आरएसएस दिखता है। [अनुवाद] दादरी घटना के ठीक 12 दिन बाद मुदबिदरी में एक इन्सिडेंट होता है प्रशांत पुजारी की हत्या कर दी गई। महोदया, क्या आप जानते हैं कि उसकी हत्या क्यों की गई? उन्होंने मुदबिद्रे में हो रही अवैध गौहत्या के खिलाफ आवाज उठाई? यह उसकी फूलों की दुकान के ठीक बगल में था। उसने आवाज उठाई। उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। एक आंदोलन खड़ा कर दिया, उसके लिए उनको धमकाया गया कि अगर आंदोलन स्टॉप नहीं किया तो आपको मर्डर किया जाएगा। [अनुवाद] एक सार्वजनिक बैठक में, उन्हें यह कहकर चुनौती दी गई कि अगर वह अपना आंदोलन जारी रखते हैं, तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गयी। वह बजरंग दल के नियमित कार्यकर्ता नहीं थे। क्या आप जानते हैं श्री अभय चन्द्र जैन, मंत्री एवं श्री यू.टी. खादर, एक अन्य मंत्री ने कहा?

उन्होंने कहा, उनकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे मामले थे। महोदया, मैं आपको बता दूँ कि उनके खिलाफ एक भी मामला लंबित नहीं था। उनकी हत्या केवल इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने गौहत्या के खिलाफ आवाज उठाई। ... (व्यवधान) महोदया, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में क्या हो रहा है? श्री नलिन कुमार कतील के निर्वाचन क्षेत्र में रोजाना लोग रात में गायेँ चुरा रहे हैं। मैं मुदबिद्रे गया और मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों से बात की। वहाँ लोगों ने मुझे जो बताया वह था। [हिन्दी] कि रात में काऊ की चोरी करते हैं। एक घर में ऐसा हुआ कि जब चोर आया, तो वह जाग गये। उन्होंने बाहर आने की कोशिश की, तो जो लोग चोरी करने आये थे, उन्होंने कहा कि देखो, पुलिस हमारे साथ है, गवर्नमेंट हमारे साथ है। आप लोग अंदर जाओ, नहीं तो मार डालेंगे।

मैडम, यह क्या तरीका है? [अनुवाद] अब तक वे बता रहे हैं कि गुमराह युवा ऐसा कर रहे हैं। ... (व्यवधान) महोदया, मूदाबिद्रे मामले में... (व्यवधान) उनकी असहिष्णुता देखें ... (व्यवधान) [हिन्दी] आप सब सुनियो ... (व्यवधान) कर्नाटक का मामला है, इसलिए आप नहीं जानते हैं। ... (व्यवधान) मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सुनियो। ... (व्यवधान)

मैडम, मुदबिद्री में इनकी टालरेंस देखियो। ... (व्यवधान) प्रशांत पु जारी का मर्डर हुआ। ... (व्यवधान) वहां का लोकल एमएलए, कांग्रेस का एमएलए डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है। इसके साथ-साथ वहां एक और मंत्री है। एक भी मंत्री ने प्रशांत पुजारी के घर में विजिट नहीं किया। [अनुवाद] इतना ही नहीं महोदया, मैंगलोर के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया कि वे प्रशांत पुजारी, जिसकी हत्या हुई थी, के घर न जाएं और परिवार को सांत्वना दें। यह उनकी सहिष्णुता है। ... (व्यवधान) मैडम, इसलिए कलबुर्गी मामले की सी.आई.डी. जांच रोक दी गई है क्योंकि वे दोषियों का पता नहीं लगा पा रहे हैं। मैंने सी.आई.डी. के ए.डी.जी. से इस बारे में पूछा। मैंने पूछा, 'क्या कोई सुराग है? उन्होंने कहा, 'नहीं। मैंने पूछा, 'क्या कोई लीड है? उन्होंने कहा, 'नहीं। लेकिन फिर भी वे दक्षिणपंथी आतंकवादियों को दोष देना चाहते हैं और वे आर.एस.एस. को दोष देना चाहते हैं। ... (व्यवधान) महोदया, माननीय गृह मंत्री, देश के सबसे कुशल और वरिष्ठतम नेता, देश को बहुत अच्छे से जानने वाले राजनाथ सिंह जी यहां बैठे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस मामले को सी.बी.आई. को सौंप दें, सच्चाई सामने आने दें।' तब सभी को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ये लोग पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण का समापन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, जोशी साहब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। ... (व्यवधान) वे अपनी सफाई यहां पर दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह सफाई नहीं दे रहे। आप बैठ जाइये। उन्होंने कुछ बात कही और आपने कुछ बात कही।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं बोला है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जब मैं होम मिनिस्टर था, तो मैंने आरएसएस के बारे में बोला। ... (व्यवधान) आप बताइये। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके लिए नहीं कहा।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर मैंने ऐसा बोला है, तो मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। ... (व्यवधान) यह क्या समझकर बात करते हैं। ... (व्यवधान) [अनुवाद] मैंने आप जैसे बहुत से लोगों को देखा है। मेरे लिए कोई मकसद न बताएं। क्या मैंने इस तरह बात की है? आप लोग हमेशा ऐसा करते हैं। ... (व्यवधान) [हिन्दी] सुबह उठते ही कांग्रेस का पेपर पढ़ते हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, कृपया करके आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, इतना गुस्सा मत कीजिए। कल से सब लोग गुस्सा हो रहे हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री कौशलेन्द्र कुमार अब बोलेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

...(व्यवधान)... *

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे देखूंगी।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, कृपया अपनी सीट पर बैठें।

... (व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं रिकॉर्ड देखूंगी, बात करूंगी फिर होगा, अभी नहीं होगा।

.. (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, मैंने माइक बंद किया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने इनको बैठने के लिए कहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह रिकॉर्ड हो गया है कि आपने नहीं कहा है। [अनुवाद] आपने उसे नकार दिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा है कि मैं देखूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर उनका नाम सही नहीं है तो नाम निकाल दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : मेरे पास समय कम है, कृपया थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : आपके पास एक मिनट का समय है। समय नहीं बढ़ाना है।

[अनुवाद]

*श्री आर. ध्रुवनारायण (चमराजनगर) : यदि इतने सारे कलाकारों, शिक्षाविदों, लेखकों और अन्य तर्कवादियों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए हैं, जो कि देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया—तो निस्संदेह इन कदमों के पीछे कोई गहरी पीड़ा और तात्पर्य रहा होगा। हमारे देश में बढ़ती असहिष्णुता के प्रमाण स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं—चाहे वह विद्वान श्री एम.एम. कालबुर्गी की हत्या हो, दो दलित बच्चों को जलाया जाना हो, दादरी में गोमांस खाने के शक में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या हो या केरल के विधानसभा में हुई छापेमारी हो।

यह केवल असहिष्णुता भर नहीं है, यह तो हत्या है—धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। भारत के निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी जो अपनी विविध परंपराओं, भाषाओं और जातीयताओं का उत्सव मनाए। यदि वे आज जीवित होते, तो अपने देश में घट रही ऐसी भयावह घटनाओं को देखकर उनकी आत्मा व्यथित हो उठती। यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार इस सच्चाई को स्वीकार करे कि हमारे देश में आपसी वैमनस्य का वातावरण बढ़ता जा रहा है, जहाँ नागरिक ही नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। जब तक सरकार इस वास्तविकता को नहीं स्वीकार करेगी, तब तक उन शक्तियों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष भावना को नष्ट करने पर आमादा हैं। हम इन घटनाओं से आँखें नहीं मूंद सकते, और न ही यह कहकर टाल सकते हैं कि यह केवल कानून और व्यवस्था का विषय है। इन घटनाओं को केवल कानून व्यवस्था की समस्या कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

68 वर्षों की आज़ादी के बाद, जब कई लोगों ने संदेह प्रकट किया था कि इतनी विविधता वाला देश एकजुट रह पाएगा या नहीं, जब अनेक देशों ने हमें एक लोकतंत्र के रूप में जीवित रहने के लिए बधाई दी थी, जब हमारे पास ऐसा संविधान है जो इस पावन भूमि पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार की गारंटी देता है — तब यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि हम उन मूल्यों को नष्ट कर दें, जिन्हें बनाने

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में हमें दशकों लगे हैं। आज देश में असहिष्णुता है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है — और इसे रोकना न केवल हमारा नैतिक दायित्व है, बल्कि यह सरकार का संवैधानिक कर्तव्य भी है कि वह ऐसे माहौल को पनपने और बढ़ने से रोके।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार : मैं समझता हूँ कि हर तरफ से लोगों की बात आ गई है, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा।

जब से केंद्र सरकार बनी है, तब से लगातार असहिष्णुता की चर्चा हो रही है। इस देश के महामहिम राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि ओबामा साहब जैसे राष्ट्रपति ने भी देश में आकर असहिष्णुता की चर्चा की। अभी बिहार में चुनाव था, इस देश के माननीय प्रधामंत्री ने पटना के गांधी मैदान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में घूम-घूमकर आदरणीय नेता नितीश के बारे में कहा कि उनका डीएनए खराब है। क्या यह असहिष्णुता नहीं है? यह भी असहिष्णुता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ऐसी बात बोलें। इतना ही नहीं, इस देश में मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जो बयान दे रहे हैं, उससे निश्चित रूप से पूरे देश में, जब से दिल्ली में आप की सरकार बनी है, तब से इसके बारे में चर्चा हो रही है। बिहार में चुनाव हुआ, पूरे बिहार में चर्चा की गई, बिहार पर बोली लगाई गई कि मैं पैकेज देने जा रहा हूँ, एक करोड़ दे दूँ, दो करोड़ दे दूँ, लगा कि बिहार के लोग बिकने वाले हैं। यह भी असहिष्णुता का मामला है।

महोदया, मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन जब चुनाव हो रहा था तब लग रहा था कि पूरी राजधानी पटना में चली गई है। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इतिहास में पहली बार लगातार बिहार में 35 से 40 सभाएं की। मैंने किसी राज्य में चुनाव में ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में नहीं सुना था। इस देश के तमाम मंत्रियों ने जनता के बीच में जाकर लोक सभा चुनाव में जो वायदे किए थे, उसी का नतीजा है कि विधान सभा के चुनाव में उनको पराजित होना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी।

मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर देश बनाएं, अगर देश बनाने और सबको साथ लेकर चलने की बात सीखनी है तो बिहार के नेता, महागठबंधन के नेता नितीश कुमार जी से सीखिए तब निश्चित रूप से देश की तरक्की होगी।

हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हैं सब भाई-भाई

[अनुवाद]

*श्री सी. एन. जावदेवन (त्रिस्सूर) : धन्यवाद महोदया, मुझे खेद है कि मैं अपनी भाषा मलयालम में बोल रहा हूँ। मलयालम में एक कहावत है जो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने कलबुर्गी को मारा था, क्या जिन्होंने गोविंद पंसारे को मारा था, मैं उद्धृत करता हूँ “बंदूकें शब्दों को चुप नहीं करा सकतीं; क्योंकि बंदूक की असहिष्णुता का अंतिम उत्तर शब्दों के पास होता है। हमेशा बंदूक नहीं जीत सकती, यही अर्थ है” (मूल अंग्रेजी)। संघ परिवार को समझना चाहिए कि शब्दों पर बंदूकें हावी नहीं हो सकती हैं।

आजादी के बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी के सीने पर गोलियां चलाई गईं उस दिन से, संघ परिवार की असहिष्णुता उन सभी को चुप कराने के लिए प्रकट हुई जिनसे आप वैचारिक रूप से सहमत नहीं हो सकते थे। परिसों पेरिस में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी दुनिया के देशों में केवल कुछ लोगों को गरीबों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए।

लेकिन मैं इस स्पष्ट रूप से महान भावना की व्याख्या असहिष्णुता के रूप में करूंगा। आप उन्नत देशों, तीसरी दुनिया में गरीबों का शोषण करने की बात करते हैं, लेकिन इस देश के अमीर पूंजीपतियों का क्या जो हमारे ही देश के गरीबों का शोषण कर रहे हैं? क्या हम इस देश के पूंजीपतियों की जाति और धर्म का सीमांकन कर सकते हैं? बंगाल के हमारे दोस्त, जो एक प्रख्यात इतिहासकार भी हैं, ने कई स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया और हमसे पूछा, क्या उनका कोई धर्म या जाति थी?

मैं इस देश में पूंजीपतियों के नामों की सूची पढ़ने जा रहा हूँ। टाटा बिड़ला, गोयांका, दालमिया, अरविंद, माफतलाल, गोदरेज, हिंदूजा, अम्बानी, अडानी। धर्म या जाति क्या है? हम यह नहीं जानते लेकिन वे इस देश के गरीबों का शोषण कर रहे हैं जो बहुसंख्यक हैं। वे एकाधिकार पूंजीपति हैं।

* मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हम इन ताकतों के प्रति सहिष्णुता नहीं दिखा सकते और किसी भी जाति और धार्मिक समूह के प्रति असहिष्णुता नहीं दिखाई जानी चाहिए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं तीन मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: आपको केवल दो मिनट बोलने की अनुमति है।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, यह सभा असहिष्णुता की बढ़ती घटनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए मजबूर है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से देश में असहिष्णुता की एक श्रृंखला देखने को मिली है। समय की कमी के कारण मैं सभी घटनाओं का उल्लेख नहीं कर सकता, लेकिन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले, भारतीय बुद्धिजीवियों, लेखकों, दार्शनिकों आदि की हत्या होती है। दूसरा, गौमांस के सेवन पर अवांछित विवाद है। इसे समाज में लाया जा रहा है। इसके पीछे क्या मकसद है? तीसरा, जिम्मेदार मंत्रियों और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के गैर-जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं। यही तीन कारण हैं जिनके द्वारा देश में असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती रही हैं और यह दुनिया के परिदृश्य में भी आया है। यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है क्योंकि माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि माहौल विपक्ष या किसी अन्य पार्टी द्वारा खराब नहीं किया गया है, यह बिल्कुल उस पार्टी द्वारा खराब किया गया है जो सरकार का समर्थन कर रही है।

महोदया, मैं एम. एम. कलबुर्गी की हत्या की घटना का भी उल्लेख करना चाहूंगा। श्री प्रह्लाद जोशी उन्हें दी गई सुरक्षा के लिए बहुत दृढ़ता से तर्क दे रहे थे। कलबुर्गी की हत्या के बाद, प्रख्यात तर्कवादी, लेखक, विचारक और दार्शनिक में से एक, श्री के.एस.भगवान को एक और धमकी और मृत्यु की चेतावनी दी जाती है। वह अगला लक्ष्य है। इस बारे में श्री प्रह्लाद जोशी का क्या कहना है? यह अभी भी बढ़ रहा है। ... (व्यवधान) इतना ही नहीं, मैं हाल ही में एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ जो केरल राज्य में हुई है। मुझे इसका

उल्लेख करने की भी अनुमति दी जा सकती है। ... (व्यवधान) मेरा राज्य एक साक्षर राज्य है। मेरा राज्य राजनीतिक रूप से परिपक्व राज्य है। ... (व्यवधान) लेकिन दुर्भाग्य से, परसों एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। कुछ कर्मचारी कालीकट शहर में एक मैनहोल की सफाई कर रहे थे। दुर्भाग्य से, वे मैनहोल में गिर गए। इस रास्ते से एक ऑटो रिक्शा गुजर रहा था। उन्होंने इस घटना को देखा। उन्होंने अपना ऑटो रिक्शा रोका और गरीब श्रमिकों की जान बचाने के लिए मैनहोल में कूद गए। उसकी भी मौत हो गई। महोदया, उन्होंने दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। दुर्भाग्य से, वह 'नौशाद' नाम का एक मुस्लिम था। केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ओमन चांडी एक ईसाई हैं। उन्होंने उनके घर जाकर रु. 10 लाख का इनाम दिया। समत्व मुनेत्र जधा- समानता आंदोलन के नेता का क्या कहना है? राज्य के प्रमुख नेताओं में से एक ने कहा, "यह केवल इसलिए है क्योंकि वह एक मुस्लिम है, यह मुआवजा दिया गया है। आप हमारे देश में बढ़ती असहिष्णुता को देख सकते हैं। अगर हमारे देश में यह असहिष्णुता बनी रही, तो हमारे लोकतंत्र का क्या हश्र होगा और इस देश में हमारी पंथ-निरपेक्षता का क्या हश्र होगा?"

तो, महोदया, मेरा निवेदन यह है कि इन घटनाओं का एकमात्र कारण यही है। मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। यू.पी.ए. सरकार के समय भी देश में असहिष्णुता थी लेकिन किसी भी सरकारी अधिकारी या प्रधान मंत्री ने हमारे देश में असहिष्णुता की घटनाओं का मौन या शब्दों से समर्थन नहीं किया। यही अंतर है।

यहां क्या हो रहा है? माननीय प्रधान मंत्री की बुद्धिमानी और जानबूझकर चुप्पी इस असहिष्णुता की चिंता का कारण बनती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। तभी, हम इस असहिष्णुता को रोक सकते हैं। यदि सरकार द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से सरकार हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की बलि चढ़ाकर आगे टिक नहीं सकती है।

धन्यवाद।

[हिन्दी] श्री राजेश रंजन (मधेपरु) : महोदया, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। आप हमें यह बता दीजिए कि मैं किस दल से हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। आपको फिर कभी बोलने का मौका मिलेगा। मैं आपको बोलने का मौका देती रहती हूँ।

श्री राजेश रंजन : महोदया, आप सर्वोच्च चेयर पर बैठी हैं। अगर आप मेरे अधिकार का संरक्षण नहीं करेंगी, तो कौन करेगा।

माननीय अध्यक्ष : मैंने कई बार आपको संरक्षण दिया है। आप बैठ जाएं।

श्री राजेश रंजन : आप हमारे अधिकार को संरक्षित कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपके अधिकार को संरक्षित करूंगी। इस विषय पर नहीं, लेकिन दूसरे विषयों पर आपके अधिकार संरक्षित करती रहती हूँ। आप कृपया बैठ जाएं। समय बहुत कम है, आप बैठ जाएं।

श्री राजेश रंजन : मेरी आपसे विनती है कि आप इस सवाल का निराकरण जरूर करें।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, देश में असहिष्णुता से उत्पन्न स्थिति पर सदन में चर्चा चल रही है और मैं कहना चाहता हूँ कि जिन भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनसे चाहे किसी की सहमति हो चाहे किसी की असहमति हो, लेकिन मैं सबके विचारों के प्रति अपनी हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूँ। हमारे जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, वैसे तो चर्चा की शुरुआत हमारे सम्मानित संसद सदस्य मोहम्मद सलीम साहब ने की है। श्री वेणुगोपाल, श्री दिनेश त्रिवेदी, श्री भर्तृहरि महताब, श्री जितेन्द्र रेड्डी, श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्लास, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री चंदूमाजरा, श्री जय प्रकाश यादव, श्री धर्म वीर गांधी, श्रीमती किरण खेर, डॉ. शशि थरूर, प्रो. सुगत बोस, श्री राधेश्याम बिश्वास, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री मोहम्मद बशीर, सुश्री अनुप्रिया पटेल, श्री किरेन रिजीजू, श्री ओवैसी, श्री राहुल गांधी, श्री प्रहलाद जोशी, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री सी.एन. जयदेवन, सुश्री मीनाक्षी लेखी और श्री प्रेमचंद्रन सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहूँगा कि इंटरनेट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन टॉलरेंस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ तक टॉलरेंस का प्रश्न है, यह एक ऐसा शब्द है, जिसका अर्थ होता है सहन करना। आप किसी चीज से सहमत हैं अथवा नहीं हैं। भले ही उसको न चाहते हों, मगर मजबूरन आपको यदि उस चीज को सहन करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उसे हम टॉलरेंस कहते हैं, उसे सहिष्णुता कहते हैं। यानी देखा जाए तो इस सहिष्णुता शब्द में एक पृथकता का भाव है, सहिष्णुता शब्द में एक अलगाव का भाव है और थोड़ा-सा कष्ट का भाव भी इसमें निहित है क्योंकि मजबूरी में आपको हमको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मजबूरी में आपको हमको सहन करना पड़ रहा है क्योंकि जब हम किसी चीज को चाहते हैं और मजबूरी में चाहना पड़ता है, तो निश्चित रूप से हमको कष्ट की अनुभूति होती है। अगर समाज को किसी व्यक्ति अथवा वर्ग को सहिष्णु होना पड़े तो इसका अर्थ होगा उस व्यक्ति अथवा उस वर्ग को कष्ट सहकर एक पृथकता के भाव के साथ रहना पड़ेगा। आप स्वयं सोच सकते हैं कि यदि अलगाव और कष्ट का भाव यदि समाज में विद्यमान हो, तो समरसता और सुख का भाव किसी भी सूरत में नहीं आ सकता है, कदापि नहीं आ सकता है। हमारे यहाँ

सहिष्णुता के भाव पर बहुत बल नहीं दिया गया है, बल्कि हमने जिसको स्वीकार किया है, उसे अंगीकार किया है, और उसे हमने अपने अंग का हिस्सा माना है। भारत में रहने वाला व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति, पंथ, मज़हब का हो, उसे ही हमारे भारतीय संस्कृति के प्रणेताओं ने अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए यदि वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश दुनिया की किसी धरती से गया है, तो वह भारत की धरती से गया है। इस हकीकत को भी हम अच्छी तरह समझते हैं।

हम सहिष्णु थे, हम सहिष्णु हैं और हम सहिष्णु रहेंगे। सहिष्णुता हमारी रगों में है, हमारी परम्परा में है, हमारी संस्कृति में है। हम मानते हैं कि हमारी इस थाती को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। न इस वक्त देश में ऐसा कोई माहौल है। भारत में ज्ञान और उसके घनघोर विरोधी विचारों के सम्मान की गौरवशाली एक परम्परा रही है। यह प्रवाह निरंतर जारी है और यह प्रवाह निरंतर जारी रहेगा। इधर कुछ दिनों से समाज में असहिष्णुता के नाम पर कुछ बनावटी गोले दागे जा रहे हैं। क्षमा किया जाए, बनावटी गोले दागे जा रहे हैं, कागज़ी गोले दागे जा रहे हैं कि इस देश में असहिष्णुता पैदा हो गयी है। हम किसी के दबाव में सहिष्णु नहीं हैं, सहिष्णुता हमारी परम्परा में है। इसलिए हम सहिष्णु हैं। हम किसी के दबाव में सहिष्णु नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदया, यदि आपकी इज़ाजत हो, तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा। एक समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' में कल ही एक समाचार प्रकाशित हुआ है। मैं उसका उल्लेख यहाँ पर करना चाहूंगा। इस समाचार पत्र ने असहिष्णुता पर चल रही बहस के बीच यह बताने की कोशिश की है कि भारत के बारे में विदेशी क्या सोचते हैं। इसमें लिखा है, जो टीम अध्ययन करने गयी थी, उसने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विजिटर्स बुक को पढ़ा है, जिसमें विदेशी सैलानियों ने भारत के बारे में अपनी भावनाएँ लिखी हैं। सैलानियों की ये बातें 2 नवम्बर से 20 नवम्बर के बीच की हैं। करीब छः हजार सैलानियों की भावनाओं को हमने इकट्ठा किया है। उनमें से यहाँ पर हम कुछ चुनिन्दा विचारों को बता रहे हैं, जो इस समाचार पत्र ने लिखा है। कज़ाकिस्तान के एक मिस्टर कुशेनओ अबेलगाज़ी लिखते हैं-

"मैं महात्मा गांधी को जानने के लिए साबरमती आश्रम आया था, पता चला कि भारत के लोग गांधी से प्रभावित हैं, उनकी बातों में, व्यवहार में प्यार झलकता है, ऐसा कहीं और नहीं दिखता है।"

यह मिस्टर कुशेनओ अबेलगाजी ने कहा है।

चीन के शंघाई से आए एडमिल लिखते हैं कि हम लोग भारतीय मुस्लिम संस्कृति और स्थापत्य से आश्चर्यचकित हैं। बिहार के बोधगया की विजिटर्स बुक में कम्बोडिया की साराह लिखती हैं कि भारत की धरती पर लोग बहुत मिलनसार हैं। ऐसे कई कोट्स हैं, मैं उन सभी का यहां पर उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, मैं यहां पर सउदी गजट का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जो एक समाचार पत्र है। सउदी गजट में कॉलमिस्ट हैं, माने-जाने कॉलिस्ट हैं, जिनका नाम खलाफ़ अल हर्बी है। खलाफ़ अल हर्बी साहब ने लिखा है :

[अनुवाद] भारत में सैंकड़ों धर्म हैं, सैंकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं, फिर भी यहाँ के लोग शांति और सद्भाव के साथ रहते हैं। उन्होंने एकजुट होकर ऐसे सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया है, जो सुई से लेकर अंतरिक्ष में मंगल ग्रह की यात्रा करने वाले रॉकेट तक का निर्माण कर सकता है।"

[हिन्दी] अर्थात एक सिलने वाली सुई से लेकर रॉकेट तक बनाते हैं और मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं।

[अनुवाद] "मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मुझे थोड़ी ईर्ष्या होती है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ केवल एक धर्म है और एक ही भाषा बोली जाती है, फिर भी वहाँ हर ओर हिंसा फैली हुई है।"

[हिन्दी] अपने देश के बारे में उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में सभी जगह किलिंग होती है।

[अनुवाद] "दुनिया भले ही सहिष्णुता की जितनी भी बातें क्यों न करे, भारत आज भी सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की शिक्षा देने वाला सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय बना हुआ है- चाहे धार्मिक हों, सामाजिक हों, राजनीतिक या नैतिक मतभेद हों, भारत ने सदा उन्हें साथ लेकर चलना सिखाया है।"

[हिन्दी] मैं आता हूँ...(व्यवधान) मैं उस बात पर आउंगा...(व्यवधान) सउदी गजट में एक विदेशी व्यक्ति ने लिखा है, उसने बहुत पहले नहीं लिखा है, अभी मई, 2015 के महीने में उस कॉलमिस्ट ने इस समाचार पत्र में यह कॉलम लिखा है। असहिष्णुता अपने से भिन्न मत रखने वालों को बर्दाश्त करने की क्षमता का न होना है कि हम लोगों ने बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसे ही असहिष्णुता कहते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि यह विषय बहुत गंभीर है, इसलिए आरोप लगाने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि विचार कीजिए, यह विषय आत्मघाती है और मैं समझता हूँ कि देश के लिए आत्मघाती है। ... (व्यवधान) यह बहुत गंभीर है और देश के लिए आत्मघाती है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बयानों से हम लोगों को बचना चाहिए। ... (व्यवधान) अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश मत कीजिए, मैं यह अपील करना चाहता हूँ। क्या यह पूरे विश्व को संदेश देने की कोशिश है कि भारत का वातावरण रहने लायक नहीं है? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत में इनवेस्टमेंट करने के लिए दुनिया के अन्य देशों से मत आइए? ... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)...^{50*}

माननीय अध्यक्ष: यह आवश्यक नहीं है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। हर भाषण में टोका-टाकी करना ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : यह आरोप पार्टी या सरकार पर नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ, यह आरोप भारतीय समाज और भारत राष्ट्र के ऊपर है। भारतीय राजनीति में अस्पृश्यता और असहिष्णुता का सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई राजनीतिक पार्टी रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी रही है। हम इसके सर्वाधिक शिकार रहे हैं। सबसे अधिक असहिष्णुता का शिकार अगर हिन्दुस्तान की राजनीति में कोई हुआ है तो आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सवारधिक असहिष्णुता के शिकार हुए हैं।

अवार्ड वापसी का एक दौर चल रहा था। हमारे यहां जो सूचना है, लगभग 39 लोगों ने अपने एवार्ड वापस किए हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिन लोगों ने एवार्ड वापस किए हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने लोक सभा चुनावों से पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें कहा गया था :

[अनुवाद] "नरेन्द्र मोदी जैसे व्यक्ति जो हमारे समाज के बहुत बड़े वर्ग के लिए चिंता और असुरक्षा का स्थायी स्रोत है, उन्हें भारत का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

[हिन्दी] मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये साहित्यकार हैं, ये लेखक हैं...(व्यवधान)

^{50*} [अनुवाद] रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : इस स्टेटमेंट में हमारे प्रधान मंत्री जी को फासिस्ट कहा है...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : चुनाव के पहले...

श्री राजनाथ सिंह : चुनाव के पहले कहा है और उसके बाद जनमत का आदर करना नहीं जानते, क्या यही सहिष्णुता है? ठीक है लोक सभा इलैक्शन के पहले राजनीतिक कारणों से आपने स्टेटमेंट दे दिया होगा। लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी को यदि प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है तो जनमत का आदर तो करना चाहिए, तभी लोग कहेंगे कि आप सहिष्णु हैं नहीं तो कहेंगे आप असहिष्णु हैं।...(व्यवधान) आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। हमने वह दौर भी देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग और आर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि इस समय देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरजेन्सी के दौरान स्व. आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी के घर जाकर इमरजेन्सी इम्पोज होने के बाद जिन्होंने बधाई दी थी, कुछ ऐसे लोग भी हैं और आज वे हमें सहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहे हैं। सहिष्णुता का मतलब होता है कि हर वह आधिकार जो आप अपने लिए पाना चाहते हैं, वह दूसरों को भी मिले, इसे ही सहिष्णुता कहते हैं। अगर देश में आज तक सिर्फ एक खास विचारधारा की सुनी गई है तो अब वे दूसरों की भी तो सुने, तभी न मानेंगे कि वे सहिष्णु हैं, वे दूसरों की भी तो सुने।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इस देश का चप्पा-चप्पा विविधताओं से भरा हुआ है। विविधताएं जो साथ-साथ जन्म भी लेती हैं, साथ-साथ जीती भी हैं और ऐसा उदाहरण समूचे विश्व में और कहीं ढूंढने को नहीं मिलेगा, जैसा कि भारत में मिलेगा। मैं मानता हूँ कि चीजें आ चुकी हैं, लेकिन यदि मैं नहीं कहूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जायेगी। मैं मानता हूँ कि इस देश में असहिष्णुता की तीन बड़ी घटनाएं हुई हैं, पहली बार जब देश का बंटवारा

हुआ। भले ही किसी ने मजहबी आधार पर देश के विभाजन की मांग की और भारत हिन्दू और मुसलमान के नाम पर बंट गया हो, लेकिन हमारी विचारधारा के लोग यह नहीं चाहते थे कि मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा होना चाहिए। हम भारत को एक चाहते थे, हम भारत को अखंड चाहते थे।... (व्यवधान) पहली बार जब देश का बंटवारा हुआ तब असहिष्णुता देखने के लिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है, प्लीज, आप बैठिये, वह बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : दूसरी बार जब विरोध की आवाज दबाने के लिए इस देश में इमरजेन्सी इम्पोज कर दी गई और तीसरी बार जब 1984 के देशव्यापी दंगे हुए और आप जानते हैं कि तीनों के वक्त देश में किसकी सरकार थी, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये, किसी पर कोई एलिगेशन नहीं हैं। आप शांति से बैठिये।

... [अनुवाद] (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मुझे खेद है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)... *

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मो. सलीम जी, कल से आपको क्या हो गया है। प्लीज, आप बैठिये।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपनी सीट पर बैठें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दरअसल...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आप दोनों को बोल रही हूँ, कृपया बैठिये।

... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : क्या आप होम मिनिस्टर को बैठकर जवाब देंगे, क्या उन्हें बोलने नहीं देंगे, ज्ञान का पाठ आप क्या बात करते हैं...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, दरअसल विचारधारा से मात खाने वाली यह जमात असहिष्णुता का बनावटी माहौल बनाकर सरकार को बदनाम कर रही है। हमें अफसोस है कि असहिष्णुता के नाम पर इस वक्त बेमतलब वितंडावाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि ये लोग तब कहां थे, जब कश्मीर का अमर साहित्य जल रहा था। ... (व्यवधान) लाइब्रेरियां आग के हवाले की जा रही थीं, उस समय ये लोग कहां थे? ... (व्यवधान) लाखों कश्मीरी पंडित अपनी जन्म भूमि से भगा दिए गए, उस समय कहां थे? ... (व्यवधान) सन् 1984 में हजारों बेकसूर सिख सड़कों पर जला दिए गए, तब ये लोग कहां थे? ... (व्यवधान) इनमें से 2300 केवल भारत की राजधानी दिल्ली में ही आग के हवाले कर दिए गए, उनकी हत्या कर दी गई। ... (व्यवधान) 131 गुरुद्वारे नष्ट कर दिए गए। भागलपुर, नैल्ली, मेरठ, हाशिमपुरा और मलियाना में बेकसूरों का कत्लेआम हुआ। जब लेखिका तसलीमा नसरीन पर कलकत्ता में हमला हुआ, उन्हें कोलकाता से किस राजनीतिक पार्टी के लोगों ने खदेड़ा था? ... (व्यवधान) जब एक जय प्रकाश जी की आवाज़ को दबाने के लिए इमरजेंसी थोपी गई। ... (व्यवधान) प्रेस की आज़ादी का गला घोंटा गया। ... (व्यवधान) क्या वह असहिष्णुता नहीं थी? ... (व्यवधान) नागरिकों के मौलिक अधिकार कुचले गए। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर डांका पड़ा।

...(व्यवधान) भारत की साझी संस्कृति पर मर्मांतक घटनाएं हुईं। ...(व्यवधान) तब ये जमात कहां थी? ...(व्यवधान) क्यों चुप्प थीं? इनके संवेदनशीलता के तार क्यों नहीं बजे? यह मैं इनसे जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, क्या यह सच नहीं है कि विश्व के सभी देशों को हम मिला कर देखें तो मैं नाज के साथ कह सकता हूँ सर्वाधिक सहिष्णुता विश्व में यदि कहीं पर है तो केवल भारत में है। ...(व्यवधान) मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? कल से सबके भाषण हुए हैं। रिप्लाइ तो सुनना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया बैठ जाएं। यह कोई तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)...^{51*}

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है। आप भी चुप रहिए। बहुत कुछ समझना है अभी।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, इस देश का गृह मंत्री होने के नाते, मैं अपनी तरफ से और अपने प्रधान मंत्री जी की तरफ से हम इस देश को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहां पर सामाजिक और धार्मिक समरसता को यदि कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। ...(व्यवधान) मैं यह संदेश देना चाहता हूँ।
...(व्यवधान) विश्व के देशों को देखिए। ...(व्यवधान) सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान जैसे मुल्क सुन्नी प्रधान

^{51*} कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं, वहां शियाओं और अहमदियों की हालत दोगुना दर्जे के नागरिकों से बदतर हो गई है। इसी तरह इराक, ईरान, बहरीन जैसे शियाबाहुल्य देशों में ऐसा ही संघर्ष सुन्नियों के साथ हो रहा है। ... (व्यवधान) यहां तक कि सुन्नियों के भीतर भी अरबों और कुर्दों के बीच भीषण टकराव होते ही रहते हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): श्री वी. के. सिंह के कथन के बारे में क्या कहना है। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह: आप धैर्य रखिए, मैं उस पर भी आऊँगा। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: करुणाकरन जी, यह तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, उधर शियाओं की आबादी वहाबी आत्मघाती हमले भी रोज़ की बात हो गई है। ... (व्यवधान) हालात इस सीमा तक पहुंच चुके हैं कि तमाम इस्लामी राष्ट्र एक ही मज़हब के भीतर की अलग-अलग पहचान के नाम पर आपस में बुरी तरह टकराते रहते हैं। जिसकी परिणती भयंकर रक्तपात और नरसंहार में होती है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे पता है कि आप बहुत चतुर हैं। लेकिन यह ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मोहम्मद सलीम, मुझे क्षमा करें। उसे बोलने दो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मोहम्मद सलीम, में जरा भी सहनशीलता नहीं है।

... (व्यवधान)

सायं 6.00 बजे

श्री राजनाथ सिंह : इसके विपरीत भारत में इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियानिटी हो, चाहे कुछ भी हो, अपनी तमाम शाखाओं के साथ मुक्त हवा में फलता-फूलता आ रहा है।... (व्यवधान) यहाँ सूफी इस्लाम भी सलामत है तो अहले सुन्नत भी आबाद है। देवबन्दी है तो वहाबी भी, बरेलवी है तो सलाफी भी है। देवबन्दियों और बरेलवियों के मतभेद जग-जाहिर हैं, मगर दोनों ही पूरी एहताराम के साथ अपनी-अपनी मिन्नतों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं और कहीं पर अंजाम देने का काम कर रहे हैं तो भारत में ही वे अंजाम देने का काम कर रहे हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या बात है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? सब लोग क्यों खड़े हैं? क्या आप जाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : यह क्या है? क्या आप जाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया सुनें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : रिप्लाइ तो सुनना पड़ता है। आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह पद्धति ठीक नहीं है। मोहम्मद सलीम जी, यह पद्धति ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रजातंत्र में यह ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मुझे खेद है। [हिन्दी] आपने चर्चा शुरू की है। आपको रिप्लाइ सुनना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : आपने चर्चा की मांग की है। मुझे खेद है। आपको सुनना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपने चर्चा की डिमांड की है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : हाँ, खड़गे जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने खड़गे जी को बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, हम होम मिनिस्टर का आदर करते हैं, लेकिन जो सवाल इस सदन में हमने उठाए हैं, आज के दिन में, वर्ष 2015 में क्या घटनायें हुईं और आपके मंत्री लोग क्या कहे, आपके एमपीज क्या कहे और आपकी पार्टी के नेता लोग क्या कहे, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। ... (व्यवधान) आप उसका जवाब दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे जवाब दे देंगे।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं आ रहे हैं। ... (व्यवधान) भारत देश में आओ। ... (व्यवधान) हमने जो सवाल उठाए हैं, पूरे सदन के लोगों ने जो सवाल उठाए हैं, उस सवाल का जवाब होना चाहिए। ... (व्यवधान) आप उस सवाल का जवाब दीजिए बजाए इसके पेपर पढ़कर बताने में कुछ नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : हम उस पर भी बोलेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, बैठिए। वे सब कुछ बोलेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी सब जगह घूमकर आए हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री वेणुगोपाल जी, आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया धैर्य रखें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सहनशीलता पर चर्चा हो रही है, सहनशील रहिए, बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, मैं कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कहना चाहता हूँ कि चर्चा के दौरान जो भी सवाल खड़े किए गए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजनाथ जी, एक मिनट। छः बज रहे हैं, अगर सभा सहमत हो, तो इस विषय पर माननीय मंत्री जी का रिप्लाइ पूरा करने तक हम सदन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी एग्री हैं, तो सभा की कार्यवाही बढ़ा देते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, उनको रिप्लाइ कल करने दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल नहीं, आज ही रिप्लाइ पूरा करेंगे। आप बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: उन सभी ने कहा है कि उत्तर पूरा किया जाना चाहिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : रोज-रोज आपको भी चिल्लाना नहीं पड़ेगा। बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ... (व्यवधान) आप हिन्दुस्तान के गृह मंत्री हैं... (व्यवधान) मुझे यह पूछना है कि पूरी दुनिया में कहाँ शिया-सुन्नी का, कहाँ शिया-अमेदिया का झगड़ा है, आप उसके बारे में बता रहे हैं। सऊदी अरब में क्या हुआ, बहरीन में क्या हुआ और सारी दुनिया में क्या हुआ, यह उन्होंने बताया है। लेकिन हिन्दुस्तान में जनरल वी.के.सिंह क्यों दलितों के खिलाफ बयान देते हैं, इसके बारे में नहीं बताया।
... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी रिप्लाइ पूरा नहीं हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं, वे सक्षम हैं।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैंने सबको सुन लिया है। लोक सभा में कांग्रेस दल के नेता खड़गे साहब को भी और टी.एम.सी. के सौगत राय जी को भी सुन लिया। कृपया मेरी भी सुन लीजिए, कृपया इतनी सहिष्णुता आप दिखाइए। मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दूँगा, लेकिन धैर्य से मेरी बात को सुनिये।

अध्यक्ष महोदया, भारतीय संस्कृति के कैनवास के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति का कैनवास बहुत बड़ा है। उसमें हर प्रकार के रंग हैं और हर प्रकार के जीवन भी हैं। यह देश सदियों से सहिष्णुता, सहयोग और आहिंसा के लिए जाना जाता रहा है और आज भी जाना जाता है। मुझे भर लोगों के बनावटी प्रचार से हमारी छवि पर कालिख नहीं पुतेगी। सम्मान लौटाने की बनावटी मुहिम यह बताती है कि देश में नफरत की राजनीति कौन कर रहा है, घृणा कौन फैला रहा है। अपार जनसमर्थन से चुनी हुई सरकार के खिलाफ नफरत कौन लोग फैला रहे हैं, हमें पहले इस असहिष्णुता से मुक्ति पानी होगी। इनटॉलरैन्स भारत की परंपरा में कहीं नहीं है। समाज में असहिष्णुता यदि बढ़ी है जब हम मूल भारतीय विचारों को ऐसे विचारों को अपने जीवन का आदर्श बना लेते हैं जो कहते हैं सर्वाइवल फॉर एक्जिस्टेंस, अर्थात् आस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वाइवल ऑफ द फिटैस्ट, कट थ्रो कंपीटीशन। ऐसे लोग असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): आप वैज्ञानिकों का अपमान क्यों कर रहे हैं? ... (व्यवधान)

सायं 06.07 बजे

(इस समय, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, श्री पी. करुणाकरन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से चले गये।)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : [अनुवाद] यह बेहद बुरी बात है। [हिन्दी] चर्चा उठाना और चले जाना [अनुवाद] बेहद बुरी बात है।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को लगता है कि आज बोलने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की कोई आज़ादी नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी पिछले महीने मुस्लिम

पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े एक विद्वान अब्दुल रहीम कुरैशी ने अपनी किताब में यहाँ तक कह दिया कि भगवान राम पाकिस्तान में पैदा हुए थे। आप मेरी बात सुनिएगा, जल्दी आक्रोशित मत हों। ... (व्यवधान) मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा व्यक्ति भगवान राम के बारे में धार्मिक मान्यताओं पर आघात करने वाली टिप्पणी कर दे, उसके बाद भी कभी भारत में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, यह है सहिष्णुता। ... (व्यवधान) किसी विद्वान को जो भी उचित लगा, उसने बोल दिया। इससे मान्यताएँ नहीं बदल जाती हैं। इसके बाद भी यदि किसी को लगे कि देश में सहिष्णुता नहीं है तो यह आश्चर्य नहीं है तो और क्या है। मैं इसे आश्चर्य और संदेह की बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि सहिष्णुता को एक विशेष संदर्भ में देखने का सारा प्रकरण उत्तर प्रदेश के दादरी में जो यह घटना घटी, वहाँ पर प्रारंभ हुआ। एक गृह मंत्री होने के नाते मैं सदन को बतलाना चाहता हूँ ... (व्यवधान) देखिए, जो प्रश्न आप लोगों ने खड़े किए थे, वे आ गए। ... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़) : देखिए, जो विषय है, उस विषय पर बोलिये, नहीं तो हमें भी बोलना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा फिर तो बाबरी पर भी बोल सकते हैं। ... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : माननीय सदस्य मुलायम सिंह जी ने जो कहा है कि विषय पर बोलिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि असहिष्णुता ही विषय है, उसी पर मैं बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान) दादरी पर बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल : हम आपसे उत्तर चाहते हैं। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्या आप उन्हें बर्खास्त करने जा रहे हैं? ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, बैठिये।

श्री राजनाथ सिंह : मैं बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान) खड़गे जी, परेशान मत होइये। आप आहत मत होइये, मैं बोल रहा हूँ, सुनिये। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: क्या आप उन्हें छोड़ने जा रहे हैं? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप कृपया जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : मैं दादरी की घटना के बारे में बोलना चाहता हूँ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: चूंकि उनका कोई जवाब नहीं आया, इसलिए हम उनकी बात नहीं सुनना चाहते। महोदया, हम बाहर जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

सायं 6.11 बजे

(इस समय, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से चले गये।)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : मैं उसी पर आ रहा हूँ, वही मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं श्री वी.के. सिंह पर भी बोलूंगा, दादरी पर भी बोलूंगा, हर चीज़ पर बोलूंगा। आप सुनने को तैयार नहीं हैं। आप असहिणु, इनटोलरेंट हो गये हैं। ... (व्यवधान) खड़गे जी, आप तो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इतने इनटोलरेंट कैसे हो गये? यह आपकी आदत नहीं है। ... (व्यवधान) देखिये, सहिणु लोग बैठे हैं।

मैं दादरी की घटना से शुरू कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदया, दादरी की घटना की ज्यों ही जानकारी प्राप्त हुई, तुरन्त मैंने गृह मंत्रालय से उत्तर प्रदेश सरकार को एक एडवाइज़री जारी की, जैसी एक परम्परा है, एक एडवाइज़री भी जारी की और साथ ही साथ मैंने उसमें उनसे एक रिपोर्ट भी मांगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने

जो उत्तर दिया है, उसमें कहीं साम्प्रदायिकता का जिक्र नहीं है। जो ऑन रिकार्ड है, उसमें कहीं साम्प्रदायिकता का जिक्र नहीं है, गौमांस का कोई जिक्र उसमें नहीं है और यहां तक कि सुनियोजित हत्या का भी कोई स्पष्ट उसमें उल्लेख नहीं है, जो रिपोर्ट आई है। मैं तो जो बोलूंगा, वह राज्य के द्वारा जो तथ्य उपलब्ध कराये जाएंगे, उन्हीं तथ्यों को ही मैं बोलूंगा और उन्हीं तथ्यों को मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। तथ्य तो यह था, उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी प्रारम्भिक जांच, सम्भवतः जहां तक मैं समझ पाया हूं, किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। केन्द्र को या सी.बी.आई. को संस्तुत करने की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं समझी। मैं तैयार बैठा था कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार दादरी कांड की सी.बी.आई. जांच करने के लिए अपनी रिकमेण्डेशन भेजे तो तुरन्त केन्द्र सरकार उसकी सी.बी.आई. जांच कराने के लिए तैयार है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। हां, उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री, उस चीज को, जिसे उनकी सरकार स्वयं साम्प्रदायिक तय नहीं कर पा रही हो, साम्प्रदायिकता के आधार पर ही यूनाइटेड नेशंस ले जाने की बात करने लगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

श्री राजनाथ सिंह : यह तो आपके मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था कि हम इसको यूनाइटेड नेशंस ले जाएंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी का स्टेटमेंट था।

श्री मुलायम सिंह यादव : ऐसा मत बोलिये, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने क्या बयान दिया है। आपके अध्यक्ष ने क्या बयान दिया है, आपके अध्यक्ष का बयान ऐसा है कि हम उस पर नहीं बोलेंगे, उनको तो जेल में डालना था। व्यवस्था बनानी थी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष इस तरह से बोले हैं तो यह क्या सही तरीका है? आप अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को कंट्रोल कीजिए। ... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : हम पूरी मदद करने को तैयार हैं कि जो भी चाहेंगे, पूरी मदद करेंगे। मुलायम सिंह जी, अगर आप चाहें तो पूरे मामले की सी.बी.आई. जांच कराने को भी हम लोग तैयार हैं, हमारी सरकार तैयार है। ... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : गृह मंत्री जी मैं बोलना नहीं चाहता हूं। आप ज्यादा कुछ करोगे तो हम तीनों का नाम यहां बताएंगे और आप आज इसकी भी जांच कराइये। हम भी जांच कराएंगे, चाहे प्रशासन हमारी पार्टि के साथ क्यों न हो। जिन लोगों ने यह काम किया है, बहुत ही गलत है। आपके तीन लोगों ने यह काम किया है।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, नरेन्द्र दाभोलकर कांड की यहां पर काफी चर्चा हुई है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि यह हत्या पुणे में 20 अगस्त, 2013 को हुई। इस केस की जांच सी.बी.आई. कर रही है।...(व्यवधान) हां, हम लोगों के कार्यकाल में यह घटना नहीं घटी थी। यह घटना 20 अगस्त 2013 को घटित हुई थी।

मैं श्री गोविन्द पंसारे के बारे में कहना चाहूंगा। कोल्हापुर में दिनांक 16.02.2015 को इन पर हमला हुआ था एवं 20 फरवरी को अपनी इंज्यूरीज की वज़ह से इनका निधन हो गया। महाराष्ट्र सी.आई.डी. की एस.आई.टी. - स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम - ने शक के आधार पर 'सनातन संस्था' के समीर विश्व गायकवाड़ को दिनांक 16 सितम्बर, 2015 को इस मामले में गिरफ्तार किया। इसका मतलब हमारी सरकार चुप नहीं बैठी, बल्कि उसने गिरफ्तार किया।

जहां तक एम.एम. कलबुर्गी का प्रश्न है, इनकी हत्या दिनांक 30 अगस्त, 2015 को धारवाड़, कर्नाटक में कर दी गयी थी। इस मामले की जांच स्टेट सी.आई.डी. कर रही है। मैं समझता हूं कि अगर सचमुच कर्नाटक सरकार यह चाहती है कि उसकी जांच किसी केन्द्रीय एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए, तो वहां के राज्य सरकार की यदि इसके लिए संस्तुति आती है, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं इसकी सीबीआई जांच के लिए अपनी संस्तुति भेज दूंगा।

'सनातन संस्था' को टेररिस्ट ऑरगेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में पी.आई.एल. नं. 141 वर्ष 2011 में दाखिल की गयी। संभवतः वर्ष 2013 में जो सरकार थी, उसने कोर्ट में एक एफ़ीडेविट फाइल की है कि ऐसे कोई खास तथ्य नहीं हैं कि इन्हें एक टेररिस्ट ऑरगेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर किया

जा सके। मैं तथ्यों की जानकारी दे रहा हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट में एम.एच.ए. ने दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को अपने एफीडेविट में यह कहा है कि भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इंफॉर्मेशन 'सनातन संस्था' को अनलॉफुल ऑरगेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह उन्होंने कहा है।

अब मैं दादरी कांड में आता हूँ, जिसमें अखलाक की हत्या हुई है। उस संबंध में अखलाक के भाई या बेटे हैं, श्री सरताज़। उन्होंने कहा है -

" मैं सरताज़, ... स्वर्गीय अखलाक अहमद, पता- ग्राम व पोस्ट - बिसहड़ा, तहसील - दादरी, गौतम बुद्ध नगर, आपका तहे-दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।"

उन्होंने यह हमें नहीं लिखा है। उन्होंने इसे कैलाश हॉस्पिटल को लिखा है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्री डॉ. महेश शर्मा का अस्पताल है। उन्होंने यह उस अस्पताल के प्रबंधक को लिखा है। उन्होंने लिखा है-

"आप और आपका समस्त स्टाफ, खास तौर से डा. वरुण भार्गव और डा. विजय मंजू ने जिस तत्परता, निष्ठा और ईमानदारी से मेरे भाई दानिश खान का ऑपरेशन और इलाज़ किया। इस ऑपरेशन में आपके अस्पताल में उपलब्ध उच्चतम तकनीकी उपकरणों का भी भरपूर योगदान रहा। इसके लिए मैं आपका, और आपके समस्त डॉक्टरों, नर्सों व गार्ड का तहे-दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी के सामूहिक प्रयास से मेरे भाई को एक नया जीवन दान मिला है, जिसके लिए मैं हमेशा कैलाश हॉस्पिटल का ऋणी रहूंगा। "

यह उन्होंने स्वयं लिखा है।

अध्यक्ष महोदया, जहां तक वी. के. सिंह जी अथवा कुछ बयानों का संबंध है, तो यह कहा जाता है कि प्रधान मंत्री जी क्यों नहीं बोलते, प्रधान मंत्री जी क्यों चुप्पी साधे रहते हैं? महोदया, ऐसा पूछने वाले लोगों से मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके पहले जब कभी भी कोई घटना हुई है, तो क्या बराबर इस देश के प्रधान मंत्री

ने कोई प्रतिक्रिया दी है? प्रधान मंत्री ने मुझे गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी है। यदि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी मंत्रालय की होती है, तो वह गृह मंत्रालय की होती है। जब कभी कोई वारदात होती है, या ऐसी कोई घटना यदि होती है, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द अथवा सामाजिक समरसता के ऊपर आंच आती है, तो मैं स्वयं बोलता हूँ। उस संबंध में जो भी आवश्यक होता है, वह आवश्यक कार्रवाई भी अपने गृह मंत्रालय की तरफ से करता हूँ।

जहां तक अपने नेताओं के कुछ स्टेटमेंट का प्रश्न है, तो मैं समझता हूँ कि उस समय दिल्ली में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के आधिकांश समाचार-पत्रों के फ्रंट पेज की यदि कोई मेन न्यूज़ थी, तो वह थी जो मैंने स्टेटमेंट दिया था। कुछ लोगों के जो वक्तव्य आ गए थे, उस संबंध में मैंने स्टेटमेंट दिया था कि हमको अपना स्टेटमेंट संभल कर देना चाहिए। हमें सोच-समझ कर बोलना चाहिए। यदि कोई यह कहता है कि हमारे स्टेटमेंट का गलत इंटरप्रेटेशन दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट देते समय यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि उसका गलत इंटरप्रेटेशन करने की गुंजाइश शेष न बचे। यह मैंने अपनी तरफ से दो टूक शब्दों में कहा था। अब हमारा प्रतिपक्ष क्या चाहता है? हम क्या करें?

जहां तक वी. के. सिंह जी का प्रश्न है, तो वी. के. सिंह जी से स्वयं हमारी बात हुई। वी. के. सिंह जी ने प्रेस में जाकर कहा कि हमारे स्टेटमेंट को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया। उसके बाद भी बार-बार यह कहना कि उन्होंने ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया, मैं समझता हूँ कि यह न तो इस सरकार के साथ न्याय है और न देश के साथ न्याय है।

एक घटना का उल्लेख मैं यहां पर करना चाहूंगा। जिस कालखंड में केवल कुछ साल पहले केरल के एक प्रोफेसर टी.एस.जोसेफ का हाथ काट दिया जाता है, इस आरोप में कि उन्होंने किसी मजहब के बारे में आपत्तिजनक प्रश्न पूछा था। परन्तु कुछ ऐसे साहित्यकार, जो अपनी पुस्तकों में यह लिखें कि मूर्तियों पर..... अब आगे मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसका कोई खंडन न करे। मैं उस शब्द का यहां प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ कि क्या लिखा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह

कबीर का देश है। आलोचना सुनने की सहिष्णुता क्या थी, यह हमारी पुरानी परम्परा से हमें सीखनी चाहिए। संत कबीर का उदाहरण है कि यदि उन्होंने हिंदुओं की मान्यता पर कटाक्ष किया तो मुस्लिम समाज की मान्यता पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। पाहन पूजें हरि मिलै, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसारा। वहीं उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कहा है, काकड़ पाथर जोड़ि के मस्जिद दई बनाए, ता चढ़ि मुल्ला बाग दे, का बहिरा हुआ खुदाया। अंत में कबीर ने कहा, हिंदु मुए राम कहे, मुसलमान खुदाय, कह कबीर एक जीवता दुईमय कदै न जाए। उस कबीर को हम अपना पूज्य मानते हैं, संत मानते हैं, तो हम असहिष्णु कैसे हो सकते हैं? फिर भी हमारी टॉलरेंस पर, हमारी सहिष्णुता पर बराबर प्रश्नचिन्ह लगाने की कोशिश की जाती है।

मैं सहिष्णुता का एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। 15 अगस्त, 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खां, यह बहुत चर्चित नाम है, का हुनर बनारस के मंदिरों में और धार्मिक स्थलों से प्रारम्भ हुआ। अपने अंतिम समय में भी वह भारत सरकार के तमाम आग्रहों को ठुकराकर प्राण त्यागने की इच्छा जो व्यक्त की थी, उन्होंने कहा कि प्राण यदि मैं कहीं त्यागूंगा तो इस भारत की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में ही अपने प्राण त्यागूंगा। उस्ताद बिसमिल्ला खां ने यह कहा। यह है भारत की परम्परा। आज भी अनेक शास्त्रीय संगीत के उस्ताद यदि कोई संगीत प्रारम्भ करते हैं तो सरस्वती वंदना से। मैं कहता हूँ कि हम भारतवासियों के अंदर सहिष्णुता कितनी रची-बसी है। एक पक्ष को निर्विरोध आलोचना करने की छूट और दूसरे पक्ष के लिए गतिरोध, यह कहां का इंसोफ है? यदि हम इस भाव से मुक्त होकर सभी पक्षों को आलोचना का समान अवसर दें और विरोध के हर स्वर को स्वस्थ भाव से यदि हम स्वीकारें तभी हम सही मायने में सहिष्णु कहे जाएंगे।

हमारे प्रतिपक्ष की चेयर पर जो लोग बैठे थे, उनकी बात बड़ी धैर्य से मैंने सुनी। इधर से भी यदि कहीं से शोर-शराबा हो रहा था तो हमने रोकने की कोशिश की। वे केवल 15 मिनट मेरी बात को सुन नहीं सकते थे। उन्होंने सदन का बायकाट किया। देश फैसला करेगा, कौन सहिष्णु है, कौन असहिष्णु है, यह देश फैसला करेगा।

अब असहिष्णुता के दूसरे पक्ष की ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। केन्द्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद यह आरोप लगाया जा रहा है कि असहिष्णुता बढ़ी है। हां, मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार में असहिष्णुता बढ़ी। अब हम भ्रष्टाचार पर सहिष्णु नहीं हैं, आतंकवाद पर सहिष्णु नहीं हैं, गरीबी पर और गरीबों पर अत्याचार पर हम सहिष्णु नहीं हैं और हम अपनी गंदगी के लिए भी सहिष्णु नहीं हैं। अब हम बेटियों के साथ दोहरे व्यवहार के प्रति बिल्कुल असहिष्णु हैं। हमारी जनधन योजना, बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान आदि इन्हीं दुर्गुणों के प्रति हमारी असहिष्णुता का प्रमाण है।

जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं अपनी सरकार की तरफ से आश्चस्त करना चाहता हूँ सभी राजनीतिक दलों को, सभी कलाकारों को, सभी बुद्धिजीवियों को कि हम किसी भी सूरत में यहां असहिष्णुता पैदा नहीं होने देंगे। उसे रोकने के लिए जो भी यत्न होगा, हम यत्न करेंगे, लेकिन यह काम अकेले नहीं हो सकता है। इसमें सभी का सहयोग चाहिए। इस सदन के सभी सदस्यों का सहयोग चाहिए, उस सदन के सभी सदस्यों का सहयोग चाहिए, समस्त देशवासियों का सहयोग चाहिए, तभी हम इस देश में सहिष्णुता पैदा कर सकते हैं, तभी हम इस देश में समरसता का भाव पैदा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंतिम अपील करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैं इस देश के साहित्यकार, कलाकार, शिक्षक, व्यंग्यकार, शिल्पकार, चित्रकार, वैज्ञानिक, जितने हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जब भी देश के ऊपर संकट के बादल छाये हैं, जब भी देश में विपरीत परिस्थितियां पैदा हुयी हैं, तो इन्हीं लोगों ने देश का मार्गदर्शन किया है, उन्हें यदि लगता है कि देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं तो मैं उनका आह्वान करता हूँ, मैंने पहले भी उनसे अपील की थी कि यदि आपको कोई आपत्ति है, आपको लगता है कि असहिष्णुता बढ़ रही है तो आइए, हम मिल बैठ कर बात करेंगे, आइए, हमारा मार्गदर्शन करिए, यदि हमसे कहीं पर कोई गलती हो रही होगी तो हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा और मैंने अपील पहले भी की है, जो भी उन्होंने अपने एवार्ड, पुरस्कार वापस किये हैं, कृपया वे एवार्ड, पुरस्कार वापस ले लें। यही भारत के प्रति बहुत बड़े सम्मान की एक अभिव्यक्ति होगी और उनसे मैं यह भी

अपील करना चाहूंगा कि आइए, आप आमंत्रित कीजिए, मैं स्वयं आपके साथ बैठने को तैयार हूं और देश में एक सहिष्णुता का माहौल पैदा करने के लिए जो भी करना होगा, हमारी सरकार करेगी।

अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ जिन सदस्यों ने इस चर्चा में अपने विचार व्यक्त किये हैं, पुनः उनके विचारों के प्रति, उनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और आपने हमें पर्याप्त समय दिया है, इसलिए आपके प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : हमने इस पर सात घंटे तक चर्चा की है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ? मुलायम सिंह जी आपने तो प्रश्न पूछ लिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब चर्चा हो गयी?

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, एक-दो सवाल पूछे जा सकते हैं। ... (व्यवधान) आपने हाउस एडजर्न्ड कर दिया। ... (व्यवधान) हमने बीच में टोका-टाकी नहीं की।

माननीय अध्यक्ष : मैंने अभी कुछ नहीं बोला है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं कई बार ऐसी स्थिति देख चुका हूं, आप ऐसा नहीं कीजिए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मैंने सदन स्थगित नहीं किया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका सवाल क्या है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हमें संरक्षण नहीं दे रही हैं। ... (व्यवधान) आप पता नहीं क्यों नाराज हैं?

माननीय अध्यक्ष : मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने कहा है कि इस पर सात घंटे तक चर्चा हुयी है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने पूरा भाषण सुना है। मैंने एक बार भी बीच में इंटरवीन नहीं किया है। कई बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए। [अनुवाद] मैंने सदन को स्थगित नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : कुछ स्पष्टीकरण हो जायेगा तो सरकार को ही लाभ होगा, हमें लाभ नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए। मैंने अभी तक हाउस एडजर्न नहीं किया है। यह आपको किसने कहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ पूछें।

[अनुवाद] **माननीय अध्यक्ष:** हाँ। क्यों नहीं? [हिन्दी] आप बोलिए, मगर थोड़ा बोलिए, क्योंकि इस पर सात घंटे चर्चा हो चुकी है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, गृहमंत्री जी ने भाषण तो दिया है, लेकिन कभी-कभी मैंने देखा है कि माननीय गृह मंत्री जी आपके लोग क्या करते हैं। बदायूं के मामले को लेकर जिस तरह से आपने, आपकी पार्टी, काँग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने सवाल उठाये तो सीबीआई आपकी थी, सीबीआई से जांच हुई और यह जांच किसने कराई? किसने जांच का आदेश दिया, केन्द्र सरकार ने जांच का आदेश दिया, आपकी सरकार ने जांच के आदेश दिए। आप देखिए कि बदायूं की रिपोर्ट में सीबीआई ने क्या लिखा है? क्या रेप हुआ था,

सीबीआई ने लिखा है? आपने जब आरोप लगा दिया तो हमारी सरकार ने पांच लोगों को जेल में भेजा। आपकी पार्टी ने आरोप लगा दिया, तो हमने पांच लोगों को जेल में भिजवाया, लेकिन सीबीआई ने पांच लोगों को निकाल-बाहर किया और उस लड़की के बारे में कहा कि कोई रेप नहीं हुआ है। उसके चचेरे भाइयों ने ही हत्या की है और वे जेल में हैं। ...(व्यवधान) आप यह बताइए कि यह असहिष्णुता कौन पैदा करता है?...(व्यवधान) हमने कभी असहिष्णुता पैदा नहीं की है।...(व्यवधान) असहिष्णुता आपके लोग पैदा कर रहे हैं।...(व्यवधान) मैंने अभी तीन नाम राज्य सभा में बताये थे।...(व्यवधान) दादरी कांड आपके तीन लोगों ने करवाया।...(व्यवधान) मैं यह खुल कर बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान) मैंने अभी तक यह बात नहीं की।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर असहिष्णुता कोई पैदा कर रहा है तो आप माने या न माने, सबसे ज्यादा यह आपकी पार्टी कर रही है। ...(व्यवधान) आप कहीं भी देखिए।...(व्यवधान) वहां हमारी सरकार जरूर है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया यह माना जायेगा कि सरकार का दुरुपयोग हो रहा है।...(व्यवधान) वरना, इनके लोग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, यही असहिष्णुता कहलाती है। यही इनकी पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है, कि पाकिस्तान में मुसलमान चले जाये।...(व्यवधान) अध्यक्ष पद से नहीं हटाएंगे। हमने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को पद से हटा और बरखास्त किया। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, भाषण नहीं देना है। प्लीज़ बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आप बैठिए। आपने पूछ लिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सब लोग नहीं पूछेंगे।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, श्री मुलायम सिंह जी ने जो कुछ भी कहा है, मैं मानता हूँ कि वह तथ्यों से परे है...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : तथ्यों से परे नहीं है...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अब सुन लीजिए। हमारा कहना है कि यदि कहीं पर भी वहाँ की सामाजिक समरसता अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश होती है तो यह राज्य सरकार की प्रथमतः जिम्मेदारी होती है कि उसे सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम हों, वह राज्य सरकार उठाए। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह करे, केन्द्र सरकार उसमें क्या कर सकती है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा कल 2 दिसंबर, 2015 पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 2 दिसंबर, 2015 / अग्रहायण 11, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/lb>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के
अन्तर्गत प्रकाशित
